VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Classroom Study Material 2021

(September 2020 to September 2021)

www.visionias.in
+91 8468022022
DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022 & 2023

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन

- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

DELHI: 28 सितंबर 1 PM

DELHI: 2023 फाउंडेशन कोर्स : 15 DECEMBER

LUCKNOW : 12 April

ABHYAAS
MAINS 2021

ALL INDIA GS MAINS MOCK TEST (OFFLINE)*

GS-I & GS-II	GS-III & GS-IV
18 DECEMBER	19 DECEMBER

- All India Percentile
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

25 CITIES

AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | BHUBANESWAR | CHANDIGARH | CHENNAI | DEHRADUN | DELHI | GHAZIABAD | GREATER NOIDA | GUWAHATI | HYDERABAD | INDORE | JAIPUR | JODHPUR | KANPUR | KOLKATA | LUCKNOW | MUMBAI | PATNA | PRAYAGRAJ | PUNE | RAIPUR | RANCHI | THIRUVANANTHAPURAM

अंतर्राष्ट्रीय संबंध
(International Relations)

विषय सूची

1. भारत और इसके पड़ोसी देश - आपसी संबंध (India and its Neighbourhood - Relations) 5

1.1. भारत-चीन (India-China) 5
1.1.1. भारत-चीन जल संबंध (India China Water Relations) 8
1.1.2. भारत-चीन आर्थिक संबंध (India-China Economic Ties) 9
1.2. भारत-नेपाल (India-Nepal) 11
1.3. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh) 13
1.4. भारत-श्रीलंका (Indo-Sri Lanka) 16
1.5. भारत की तिब्बत नीति (India's Tibet Policy) 16
1.6. सीमा पार बाढ़ प्रबंधन (Cross Border Flood Management) 18
1.6.1. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT) 21

2. भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंच एवं समझौते (Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interests) 24

2.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा समझौता (India US Defence Agreement) 24
2.2. भारत-जापान (India-Japan) 26
2.3. भारत-रूस (India-Russia) 27
2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम (India-UK) 31
2.4.1. ब्रेक्जिट व्यापार समझौता (Brexit Trade Deal) 32
2.5. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia) 35
2.6. भारत-वियतनाम (India-Vietnam) 36
2.7. भारत-मॉरीशस (India-Mauritius) 38
2.8. भारत-मालदीव (India-Maldives) 39
2.9. भारत-कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) {India-Republic of Korea (South Korea)} 40
2.10. भारत की फिलिस्तीन नीति (India's Palestine Policy) 41
2.11. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region) 43
2.11.1. यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति (EU Indo-Pacific Strategy) 45
2.11.2. ऑकस का गठन (Formation of Aukus) 46
2.11.3. भारत-फ्रांस (India-France) 47

VISION IAS

2.11.4. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals) 49

2.12. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)} 50

2.13. भारत और फारस की खाड़ी क्षेत्र (India and Persian Gulf region) 51

2.14. भारत-आसियान (India-ASEAN) 52

2.15. सार्क का पुनः प्रवर्तन (SAARC Revival) 53

2.16. ब्रिक्स (Brics) 55

2.17. ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी या जी-20 (G-20) 57

2.18. शंघाई सहयोग संगठन {Shanghai Cooperation Organization (SCO)} 58

2.19. भारत और क्वाड (India and the Quad) 60

2.20. दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति (India's Economic Diplomacy in South Asia) 63

2.20.1. दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security) 66

3. भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests) 70

3.1. अफ़गानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण (Taliban control over Afghanistan) 70

3.2. ओपेक+ द्वारा संपन्न नवीन तेल समझौता (New Oil Deal by OPEC+) 73

3.3. प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति (Geopolitics of Technology) 75

3.3.1. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust: DFFT) 77

3.4. चीन की ऋण जाल कूटनीति (China's Debt Trap Diplomacy) 78

3.5. ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) {Group of Seven (G-7)} 83

3.6. म्यांमार में सैन्य तख्तापलट (Military Coup in Myanmar) 84

4. प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora) 86

4.1. भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका (Role of Indian Diaspora in Making India Self-Reliant) 86

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना एवं अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and Fora- their Structure, Mandate) 88

5.1. भारत-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (India-UNSC) 91

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) 95

5.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council) 96

5.4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) 97

VISION IAS

5.5. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) 98

6. विविध (Miscellaneous)..... 101

6.1. भारत की वैक्सीन कूटनीति (India's Vaccine Diplomacy) 101

6.2. भारत की प्रारूप आर्कटिक नीति (India's Draft Arctic Policy)..... 102

6.3. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)..... 104

6.4. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति (Soft Power Diplomacy)..... 107

6.4.1. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के साधन के रूप में धर्म (Religion as a tool of Soft Power Diplomacy) 108

6.4.2. खेल कूटनीति (Sports Diplomacy)..... 110

6.5. भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण (India and Nuclear Disarmament)..... 111

6.5.1. परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)..... 114

6.5.2. भारत का असैन्य परमाणु सहयोग (India's Civil Nuclear Co-operations) 116

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2013-2020 तक पूछे गए प्रश्नों (अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

प्रति वर्ष मेंस–365 डॉक्युमेंट्स के साथ, हमारा उद्देश्य परीक्षा की मांग और छात्रों की संबंधित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत कंटेंट प्रदान करना है। यह परीक्षा के बदलते पैटर्न के साथ तैयारी की गति को बनाए रखने में सहायक है।

पिछले 3–4 वर्षों के दौरान, मुख्य परीक्षा में प्रश्नों की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। प्रश्न प्रकृति में अधिक वैचारिक और अधिक समग्र होते जा रहे हैं। इनके उत्तर देने के लिए गहन SWOT विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ विषयगत पृष्ठभूमि की सामान्य समझ की आवश्यकता होती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

संबंध – एक नज़र में: यह एक पेज का डॉक्यूमेंट है, जो:

- विभिन्न देशों और समूहों के साथ भारत के संबंधों का व्यापक अवलोकन प्रदान करता है।
- विषय के स्टेटिक पहलुओं और समसामयिक मुद्दों के विश्लेषण के बीच सेतु का काम करेगा।
- विषय के त्वरित रिवीजन और परीक्षा में याद किया गया हूबहू लिखने में सहायक होगा।

इन्फोग्राफिक्स: इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें फ़्लोचार्ट, पाई चार्ट, मैप्स आदि के माध्यम से परीक्षा में आसानी से याद करके लिखा/दर्शाया जा सकता है, जिससे उत्तर में कंटेंट की प्रस्तुति में सुधार होता है।

विगत वर्षों के प्रश्न: छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है। ये बेहतर उत्तर लिखने के लिए आवश्यक विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेंगे।

सिलेबस का उपयुक्त विभाजन: इंडेक्स को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यह सिलेबस के टॉपिक्स के अनुसार समसामयिक घटनाओं को वर्गीकृत करता है। यह खबरों की बेहतर व्याख्या और प्रश्नों के पैटर्न तथा मांग को समझने में मदद करता है।

यह डॉक्यूमेंट न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े करेंट अफेयर्स के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान करता है बल्कि यह प्रभावी और अच्छी तरह से उत्तर लिखने के लिए आवश्यक एक सुसंगत थॉट प्रॉसेस विकसित करने का भी प्रयास करता है। इसलिए, आपसे अनुरोध है कि इस डॉक्यूमेंट में शामिल आर्टिकल्स को न केवल कंटेंट के लिए बल्कि उत्तर लेखन की बेहतर शैली को समझने और उसे अपनाने के लिए भी पढ़ें।

हम आशा करते हैं कि इसमें ऑर्गनाईज्ड तरीके से शामिल कंटेंट सिविल सेसेवा मुख्य परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने में आपकी सहायता करेगा।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"

- जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम **VisionIAS**

1. भारत और इसके पड़ोसी देश - आपसी संबंध (India and its Neighbourhood - Relations)

1.1. भारत- चीन (India- China)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच जारी गतिरोध के बीच चीन ने एक **नया भूमि सीमा कानून** पारित किया है।

चीन के सीमा कानून के बारे में

- यह कानून इस बात को प्रशासित करेगा कि **चीन** भारत, रूस, उत्तर कोरिया और भूटान सहित 14 देशों के साथ अपनी 22,000 किलोमीटर लंबी भू-सीमा की रक्षा कैसे करेगा।
- नया कानून यह निर्धारित करता है कि **चीन** अपनी क्षेत्रीय अखंडता और भूमि सीमाओं की सुरक्षा के लिए उचित उपाय करेगा। **इसके लिए:**
  - पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) सीमा कर्तव्यों का पालन करेगी जिसमें अभ्यास आयोजित करना और आक्रमण, अतिक्रमण, उकसावे और अन्य कृत्यों को रोकना, अवरुद्ध करना और मुकाबला करना शामिल हैं।
- चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय करेगा।

वर्तमान गतिरोध के बारे में

- मई 2020 के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा **गलवान नदी घाटी** के आसपास LAC को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ भी की गई। पूर्वी लद्दाख में LAC को पार कर कई स्थानों पर चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी, जिससे भारत और चीन के मध्य तनाव अपने उच्च स्तर तक पहुँच गया। (मानचित्र देखिए)।
- इसके पश्चात् चीनी सेना के साथ हुई सैन्य झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ज्ञातव्य है कि यह 45 वर्षों के बाद सीमावर्ती क्षेत्र में पहला हिंसक व घातक संघर्ष था।
- हालांकि, इसी दैरान दोनों देश सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से संवाद और संचार बनाए रखने के लिए सहमत हुए।
- दोनों पक्षों के बीच **13 दौर की वार्ता** पहले ही हो चुकी है और दोनों देशों ने पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे और गोगरा पोस्ट से अग्रिम पंक्ति के सैनिकों को वापस ले लिया है, लेकिन अन्य गतिरोध बिंदुओं पर सैनिकों को वापस लेने में असमर्थ रहे हैं।

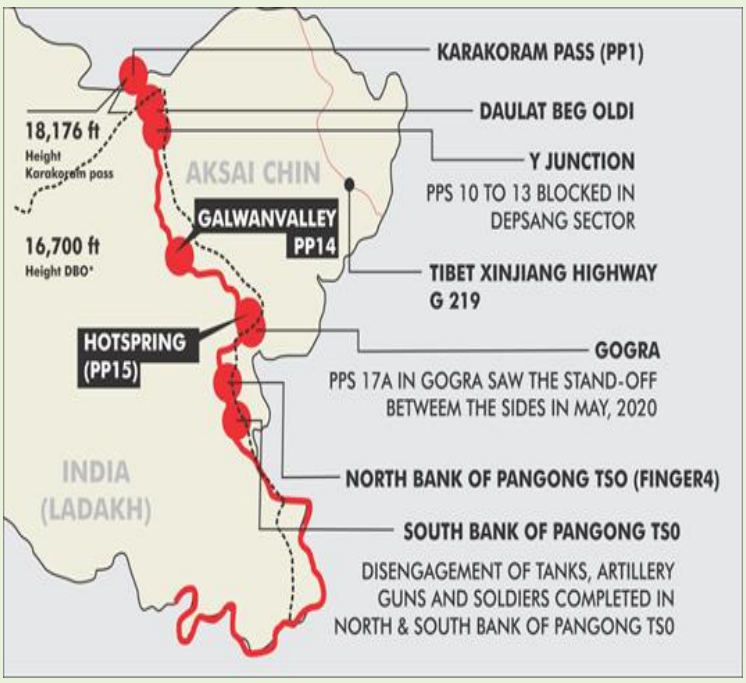

- सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि चीन, **PP15 (हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र) से पीछे हटने के लिए इच्छुक नहीं है** और विभिन्न सूचनाओं के अनुसार चीन LAC पर तेजी से रडारों को उन्नत और स्थापित कर रहा है।

भारत के लिए चिंता क्यों?

- विशेषज्ञों का कहना है कि **यह सीमा कानून भारत और भूटान, दोनों के साथ विवादित क्षेत्रों में चीन की हाल की कुछ कार्रवाइयों को औपचारिक रूप देगा,** जिसमें भारत की सीमा के साथ अग्रिम क्षेत्रों में PLA की सैन्य मौजूदगी और LAC के पार कई उल्लंघन शामिल हैं।
- यह कानून भूमि सीमाओं के साथ चीनी गतिविधि में वृद्धि के साथ संगत दिखता है। इससे पहले चीन ने इस प्रकार की गतिविधि को **पूर्वी और दक्षिण चीन सागर** में विवादित जल में कार्रवाई कर मूर्त रूप देने की कोशिश की है।

- चीन हाल के वर्षों में वायु, रेल और सड़क नेटवर्क की स्थापना, तिब्बत में बुलेट ट्रेन की शुरुआत, जो अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक फैली हुई है, और भूटान के साथ सीमा पर नए सीमावर्ती गांवों के निर्माण सहित **सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है।**

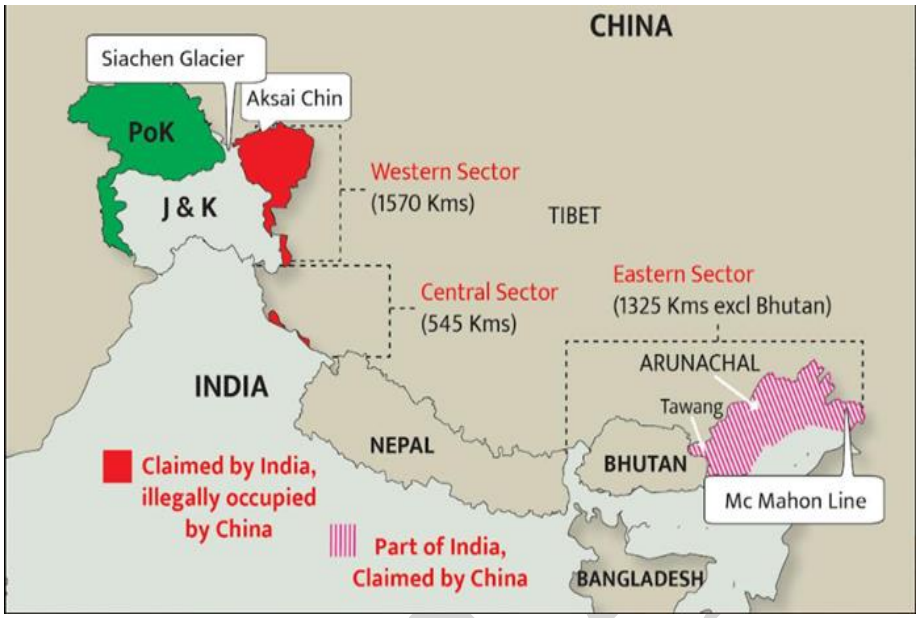

भारत- चीन सीमा विवाद

भारत और चीन के बीच की सीमा स्पष्ट रूप से पूरी तरह से सीमांकित नहीं है और 'वास्तविक नियंत्रण रेखा' (LAC) के बारे में पारस्परिक सहमति भी नहीं है।

- LAC वह सीमांकन है, जो भारत-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करती है। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3,488 कि.मी. मानी गई है, जबकि चीन इसे लगभग 2,000 कि.मी. ही स्वीकार करता है।
- LAC को **तीन भागों में विभाजित** किया गया है, यथा- पश्चिमी, मध्य और पूर्वी। (मानचित्र देखें)

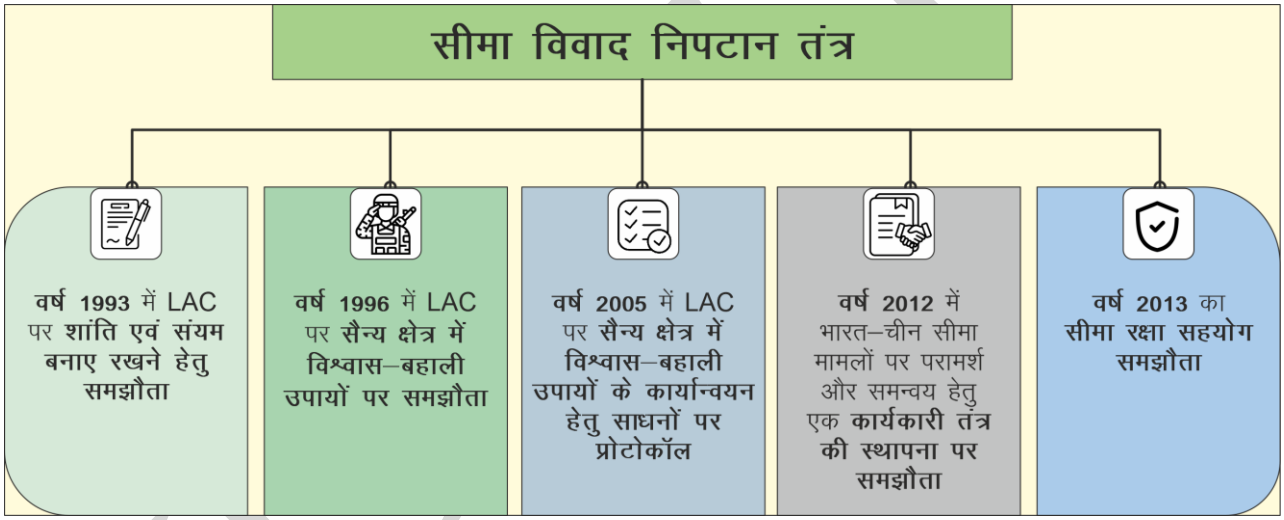

अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के लाभ और सीमाएं

वुहान और मामल्लपुरम में भारत-चीन के दो अनौपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए थे, जिसने गतिरोध के दौरान उनके संबंधों को संभालने में पर्याप्त सहायता की है। **अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के हित:**

- **भारत के हित:** भारत के लिए चीन के साथ संलग्नता महत्वपूर्ण है। इस प्रकार का अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत को अपने अधिक शक्तिशाली पड़ोसी देश के समकक्ष लाता है और एक व्यवस्था के अंतर्गत उन मुद्दों पर चर्चा करने का एक मंच प्रदान करता है जहां परिणाम संबंधी कोई दबाव नहीं होता है। इसके अतिरिक्त, यह चीन के साथ राजनयिक संबंधों में नवीनतम विकास को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करता है।
  - उदाहरण के लिए, अत्यधिक तनावपूर्ण डोकलाम संकट के पश्चात् वर्ष 2018 में आयोजित **वुहान शिखर सम्मेलन** से दोनों राष्ट्रों के मध्य तनाव में कमी आई तथा इसने एक अति संघर्षपूर्ण घटना के पश्चात् चीन-भारत संबंधों के परिचालन को प्रबंधित किया।
- **चीन का हित:** यह चीन की दूरदर्शिता ही है कि वह संबंधों में अप्रत्याशित गिरावट से बचने के लिए भारत के साथ संलग्नता के महत्व को बल प्रदान करता है। निम्नलिखित कारक इसकी व्याख्या करते हैं:
  - **घरेलू स्तर पर,** चीन, हांगकांग में विरोध-प्रदर्शन, शिनजियांग के उइगर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अशांति और दलाई लामा के पश्चात् तिब्बत में अशांति की आशंकाओं का सामना कर रहा है।
  - अमेरिका और चीन के मध्य वर्तमान **व्यापार युद्ध** चीन की विदेश नीति में संघर्षरत संबंधों को सीमित करने के लिए बीजिंग पर

दबाव डालेगा और संभवतः डालता है।

हालाँकि, अनौपचारिक शिखर सम्मेलन की स्पष्ट सीमाएँ हैं, जैसा कि वुहान के पश्चात् से भारत को ज्ञात हुआ है। मामल्लपुरम में प्रदर्शित सभी चर्चाओं और प्रतीकात्मकता के बावजूद, महत्वपूर्ण परिणाम अस्पष्ट बने हुए हैं। यह दोनों राष्ट्रों की आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में व्यक्त अलग-अलग विचारों में अभिव्यक्त होता है तथा साथ ही, सीमा विवाद और चीन-पाकिस्तान गठबंधन जैसे मुद्दों पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, संबंधों को और सुदृढ़ करने हेतु अन्य राजनयिक मार्गों का भी एक साथ उपयोग किया जाना चाहिए।

आगे की राह

वुहान और मामल्लपुरम शिखर सम्मेलनों में दोनों देशों ने इस बात पर बल दिया कि भारत एवं चीन एक-दूसरे के 'विरोधी' नहीं हैं, अपितु एक बहुध्रुवीय विश्व में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हेतु तैयार दो बड़ी आर्थिक शक्तियां हैं।

- **वुहान शिखर सम्मेलन की भावना की पुनर्कल्पना (वुहान में वर्ष 2018 में आयोजित 'अनौपचारिक शिखर सम्मेलन'):** इसे निम्नलिखित **पांच स्तंभों** पर तैयार किया गया है:
  - **"भारत और चीन का एक-साथ उदय",** जहाँ स्वतंत्र विदेश नीतियों के साथ ये दो प्रमुख शक्तियां एक वास्तविकता हैं।
  - वैश्विक शक्ति में निरंतर परिवर्तन को देखते हुए दोनों राष्ट्रों के आपसी संबंधों को पुनः महत्व देना, जो **"स्थिरता हेतु एक सकारात्मक कारक"** बन गया है।
  - दोनों पक्ष **"एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं, चिंताओं और आकांक्षाओं का सम्मान करने के महत्व"** को स्वीकार करते हैं।
  - शांतिपूर्वक सीमा का प्रबंधन करने हेतु दोनों पक्ष **"अपनी संबंधित सेनाओं को रणनीतिक मार्गदर्शन"** प्रदान करेंगे।
  - दोनों पक्ष **"साझा हित के सभी मामलों पर अधिकाधिक परामर्श"** के लिए प्रयास करेंगे, जिसमें एक वास्तविक "विकासात्मक साझेदारी" का निर्माण करना शामिल है।
- **विनिर्माण साझेदारी हासिल करना:** दोनों देशों को व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहिए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर कार्य करना:** दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन सहित वैश्विक विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करने और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
- **पीपल टू पीपल संपर्क:** दोनों राष्ट्रों के मध्य राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, वर्ष 2020 को **इंडिया-चाइना कल्चरल एंड पीपल टू पीपुल एक्सचेंज** के वर्ष के रूप में नामित किया गया था। राष्ट्रों के मध्य सभ्यता से जुड़ी विशेषताओं को सम्मान देने के लिए, तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य एक 'सिस्टर-स्टेट रिलेशनशिप' स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इन संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक परिषद स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

निष्कर्ष

चीन के साथ अपने संबंधों में सतर्कतापूर्ण आशावाद के बावजूद, यह धारणा बढ़ती जा रही है कि चीन का व्यवहार, राष्ट्रीय हितों के लिए हानिकारक है। इसी पृष्ठभूमि में, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समान विचारधारा वाले हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के साझेदारों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही, भारत संभवतः **"क्वाड प्लस" (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मौजूदा समूह का विस्तार करके इसमें न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम को भी शामिल करना)** जैसे समूह के माध्यम से अधिकाधिक सहयोग-पूर्ण संबंध स्थापित करने हेतु प्रयासरत है।

इस प्रकार, भारत को किसी भी प्रकार की चीनी आक्रामकता का विरोध करने के लिए पूर्णतः सक्रिय रहना चाहिए और साथ ही तनाव को कम करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना चाहिए।

भारत और चीन के बीच अन्य मुद्दे

- **चीन की पहल:** चीन द्वारा आरंभ की गई कई पहलें भारत के दृष्टिकोण से संदेहजनक हैं-
  - **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI):** भारत ने **संप्रभुता, पारदर्शिता संबंधी चिंताओं, ऋण भार के मुद्दों** आदि के आधार पर BRI का बहिष्कार किया है। विदित है कि BRI का एक हिस्सा, जिसे 'चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा' (China-Pakistan Economic Corridor: CPEC) कहा जाता है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है।
  - **हिंद महासागर में बढ़ती मौजूदगी:** भारत के समुद्री क्षेत्र के चतुर्दिक बंदरगाहों और नौसैनिक अड्डों के निर्माण की चीनी नीति (जैसे- म्यांमार में कोकोस द्वीप, बांग्लादेश में चटगाँव, श्रीलंका में हंबनटोटा, मालदीव में माराओ एटॉल और पाकिस्तान में ग्वादर) को **चीन द्वारा भारत की घेराबंदी** के रूप में देखा जाता है।
- **नदी जल विवाद:** चीन ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी प्रवाह क्षेत्र में अनेक बांधों {जिएक्सु (Jiexu), जांगमू (Zangmu) और जियाचा

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

(Jiacha)} का निर्माण कर रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो (Tsangpo) कहा जाता है। भारत ने बाँध निर्माण पर आपत्ति जताई है लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे पर कोई औपचारिक संधि नहीं की गई है।

- **दक्षिण एशिया में उपस्थिति:** चीन दक्षिण एशिया के देशों में निवेश और उनके साथ व्यापार में वृद्धि कर रहा है और पड़ोस में भारत की पारंपरिक स्थिति को चुनौती दे रहा है।
- **व्यापार असंतुलन (Trade imbalance):** चीन के साथ **51.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का व्यापार घाटा भारत के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि यह चीन में विनिर्मित वस्तुओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भारत की असमर्थता की ओर संकेत करता है।
- **चीन-पाकिस्तान गठजोड़:** चीन पाकिस्तान को अनेक प्रकार से सहायता कर रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान भारत के विरुद्ध असममित युद्ध (asymmetric warfare) की नीति को जारी रखे हुए है। ज्ञातव्य है कि चीन पाकिस्तान को निवेश (जैसे- CPEC), संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कश्मीर व आतंकवाद के मुद्दे पर समर्थन, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में उसका पक्ष लेकर आदि के माध्यम से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है।

1.1.1. भारत-चीन जल संबंध (India China Water Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ऐसी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा बांध निर्मित करने की योजना बना रहा है। इससे भारत-चीन जल संबंधों पर वाद-विवाद एक बार पुन: तीव्र हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- चीन ने घोषणा की है कि वह **यरलुंग ज़ैगंबो (Yarlung Zangbo)** नदी पर **रन-ऑफ-द-रिवर** बांध के निर्माण की योजना बना रहा है। ज्ञातव्य है कि यरलुंग ज़ैगंबो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में येलुजंगबु या सांग्पो (Tsangpo) और अरुणाचल प्रदेश में सियांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यह नदी असम पहुंचती है, जहां इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है।
- चीन का यह भी कहना है कि इससे भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस संबंध में वह इन देशों के साथ स्पष्ट संचार व्यवस्था स्थापित करने की योजना बना रहा है।
- दूसरी ओर, भारत ने कहा है कि वह ब्रह्मपुत्र नदी पर जारी गतिविधियों की ध्यानपूर्वक निगरानी करेगा।

रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट (Run-of-the-river Project)

यह जल-विद्युत उत्पादन का एक प्रकार है। इसमें विद्युत् उत्पन्न करने के लिए किसी नदी के प्राकृतिक और अधोमुखी प्रवाह (निचली धारा) का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार, इसमें **जलाशय निर्मित करने की आवश्यकता नहीं होती।**

वर्तमान में भारत-चीन जल संबंध की स्थिति क्या है?

चीन से भारत की ओर सीमा-पार से बहने वाली नदियों को निम्नलिखित दो मुख्य समूहों में बांटा गया है:

- **प्रथम,** पूर्वी भाग में **ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली,** जिसमें सियांग नदी (ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य धारा) और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां नामत: सुबनसिरी और लोहित सम्मिलित हैं।
- **द्वितीय,** पश्चिमी भाग में **सिंधु नदी प्रणाली,** जिसमें सिंधु नदी और सतलुज नदी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत और चीन के मध्य **जल सहयोग से संबंधित कोई संस्थागत तंत्र विद्यमान नहीं है।** दोनों देशों ने केवल निम्नलिखित पर हस्ताक्षर किए हैं:

- वर्ष 2002 में दोनों देशों ने **ब्रह्मपुत्र नदी के जल विज्ञान संबंधी सूचना के प्रावधान के संबंध में समझौता ज्ञापन (MoU)** पर हस्ताक्षर किए थे।
- वर्ष 2010 में दोनों देशों ने **सतलुज नदी/लैंगेन जैंगबो (Langqen Zangbo)** के संबंध में **जल विज्ञान संबंधी आंक़ड़ों को साझा करने के लिए एक समझौता ज्ञापन** (इसे वर्ष 2015 में नवीनीकृत किया गया था) पर हस्ताक्षर किए थे।
- वर्ष 2006 में दोनों देशों ने सीमा पर नदियों के संबंध में बाढ़ के मौसम में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े, आपातकालीन प्रबंधन (जैसे- बाढ़ नियंत्रण) एवं अन्य मुद्दों पर परस्पर बातचीत करने और सहयोग करने के लिए एक **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism: ELM)** की स्थापना करने पर सहमति व्यक्त की थी।

इसके अतिरिक्त, सतत कूटनीतिक संलग्नता नदी प्रणालियों पर डेटा साझा करने और अन्य जानकारी के लिए निरंतर संचार में मुख्य भूमिका निभाती है।

ब्रह्मपुत्र नदी पर हाल के घटनाक्रम को लेकर भारत की क्या चिंताएं हैं?

- **जल की मात्रा एवं गुणवत्ता:** अनेक विशेषज्ञों ने इस तथ्य को इंगित किया है कि रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल की उपलब्धता में अत्यधिक कमी हो जाएगी।
- **चीनी विकास कार्यों में पारदर्शिता का अभाव:** तिब्बती क्षेत्र में चीन की अवसंरचनात्मक गतिविधियां पारदर्शी नहीं हैं, जैसे- भारत-तिब्बत के निकट सड़क विकास इत्यादि।
- **सीमा विवाद की स्थिति में राजनीतिक लाभ उठाने की संभावना:** संयुक्त जल संसाधनों पर नियंत्रण होने से चीन इसका उपयोग राजनीतिक उपकरण के रूप में कर सकता है। उदाहरणस्वरूप, डोकलाम गतिरोध के दौरान चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े साझा करना बंद कर दिया था (लेकिन बांग्लादेश के साथ इन्हीं आंकड़ों को साझा करना जारी रखा था)।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी निहितार्थ:** जल की उपलब्धता का प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन सकता है, क्योंकि यह लोगों के एक बड़े भाग के अस्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है।
  - इसके अतिरिक्त, पूर्वी क्षेत्र में जल का अभाव बांग्लादेश से भारत में शरणार्थियों की संख्या में वृद्धि कर सकता है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** नदी में बढ़ता प्रदूषण (हाल ही में सियांग-ब्रह्मपुत्र की मुख्य धारा भारत में प्रवेश करते ही काले-भूरे रंग में बदल गई), जलवायु परिवर्तन पर संभावित प्रभाव, क्षेत्र की जैव-विविधता को खतरा तथा क्षेत्र के मानसून प्रतिरूप में बदलाव आदि जैसी विभिन्न चिंताएं उत्पन्न हुई हैं।
- **आपदा की सुभेद्यता में वृद्धि:** जल के प्रवाह को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने और उसके बाद आकस्मिक रूप से उसे छोड़ देने से भारत और बांग्लादेश के अनेक हिस्सों में बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी।
  - इसके अतिरिक्त, चीन ने लघु परमाणु विस्फोट का उपयोग कर इस अवसंरचना को निर्मित करने के लिए योजना बनाई है। यह न केवल क्षेत्र के भूकंपीय संतुलन को प्रभावित करेगा, बल्कि रेडियोएक्टिव प्रभावों (जो कृषि एवं जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है) का भी सृजन करेगा।

इस संदर्भ में, भारत की कार्यवाही क्या हो सकती है?

भारत सरकार ने कहा है कि वह स्थिति की निगरानी कर रही है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी कार्य से आगे बढ़ने का सुझाव दिया है। भारत निम्नलिखित कदमों को उठा सकता है:

- **अपनी जल विज्ञान संबंधी क्षमता को मजबूत करना:** भारतीय क्षेत्र की तरफ जल के प्रवाह के संबंध में निगरानी क्षमता को और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। उदाहरणस्वरूप, नदी के जल प्रवाह के प्रत्येक प्रमुख संधि-स्थल पर साप्ताहिक निगरानी करना।
  - इसके साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी के संपूर्ण विस्तार की नियमित उपग्रह-आधारित निगरानी की जा सकती है।
- **चीन की गतिविधियों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाना:** भारत एक जिम्मेदार अपर रिपैरियन (नदी का ऊपरी प्रवाह) देश के रूप में अपनी छवि निर्मित कर सकता है। इसके पश्चात् यह चीन की संभावित अनुचित गतिविधियों से निपटने के लिए बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम आदि जैसे लोअर रिपैरियन देशों को विश्वास में लेकर क्षेत्रीय सहमति बनाने का प्रयास कर सकता है।
  - **"प्रायर अप्रोप्रिएशन" (Prior Appropriation)** के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए, लोकतांत्रिक देशों की सामूहिक सहमति बनाने के भी प्रयास किए जा सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, प्रथम प्रयोगकर्ता होने के कारण भारत के पास ब्रह्मपुत्र नदी पर जल-विद्युत परियोजना के लिए चीन के मुकाबले समान जल के प्रयोग का अधिकार है।
- **स्पष्ट रेड लाइन खींचना:** क्षेत्र में जल सुरक्षा को लेकर भारत को स्पष्ट रेड लाइन निर्धारित करनी चाहिए और इस परिप्रेक्ष्य में चीन से भी संवाद स्थापित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि चीन द्वारा बनाए गए रन-ऑफ-द-रिवर बाँध से भारत में जल की उपलब्धता में बदलाव होता है, तो यह भारत के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

लेकिन निगरानी क्षमता, अंतर्राष्ट्रीय सहमति और रेड लाइन तभी प्रभावी होंगी, जब भारत के पास इस दबाव के समर्थन के लिए कार्रवाई करने की क्षमता होगी। परिणामस्वरूप, यह प्रासंगिक हो गया है कि भारत अपनी आर्थिक एवं सैन्य क्षमता यह दिखाने के लिए विकसित करे कि यदि जरूरत पड़ी तो वह चीन को मजबूती के साथ नुकसान पहुंचा सकता है।

निष्कर्ष

दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण जल संबंध दोनों पक्षों के विकास में बाधा डालेंगे। इसे देखते हुए, भारत उपलब्ध कूटनीतिक साधनों के माध्यम से सहयोग को मजबूत करने का एक प्रयास कर सकता है, जैसे- **विशेषज्ञ-स्तरीय तंत्र (Expert Level Mechanism : ELM)** तथा अन्य कूटनीतिक साधन, यथा- हिमालय के भविष्य के लिए **हिमालयन चार्टर** एवं **हिमालयन काउंसिल** इत्यादि।

1.1.2. भारत-चीन आर्थिक संबंध (India-China Economic Ties)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और चीन के बीच जारी सीमा गतिरोध के बीच, चीनी सामानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी मांग उठी है। यह चीन के साथ भारत के आर्थिक जुड़ाव की सीमाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

भारत–चीन आर्थिक संबंध – एक नज़र में

निर्भरता की प्रकृति और विस्तार

- चीन से किया जाने वाला आयात भारत के कुल **आयात** का लगभग 16.6 प्रतिशत है, लेकिन भारत के कुल **निर्यात** में चीन का अंश केवल 5.3 प्रतिशत है।
- चीन के साथ **व्यापार घाटा** लगभग 63 बिलियन डॉलर है।
- **फार्मास्यूटिकल:** भारत की कुल 'सक्रिय औषध सामग्री' संबंधी आवश्यकताओं का लगभग दो–तिहाई भाग चीन से आयात द्वारा पूरा किया जाता है।
- **ऑटो:** उल्लेखनीय रूप से उच्च आयात, विशेष रूप से प्रमुख उप–घटकों का।
- **सौर उद्योग:** राष्ट्रीय सौर मिशन **चीन से आयात पर अत्यधिक निर्भर** है।
- रसायन और कृषि रसायन: कच्चे माल का एक बड़ा भाग चीन से आयात किया जाता है।
- **अवसंरचना:** इस क्षेत्र में चीनी कंपनियों के मिलकर **अनेक संयुक्त उद्यम** स्थापित किए गए हैं।
- भारतीय बाजार में **लगभग 800 चीनी कंपनियां** कार्य कर रही हैं।
- **भारतीय स्टार्टअप्स में चीनी निवेश बहुत अधिक है।**
- भारत में चीन के निवेश का स्तर भी स्पष्ट नहीं है।
- कोविड–19 ने चिकित्सीय आपूर्ति के रूप में निर्भरता का एक अन्य क्षेत्र प्रस्तुत कर दिया है।

निर्भरता हेतु उत्तरदायी कारण

- घरेलू आवश्यकता की तुलना में **सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का कम हिस्सा।**
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और व्यापार की **उदारीकृत व्यवस्था।**
- **चीन की उच्च प्रतिस्पर्धी वस्तुएं** (घरेलू प्रतिस्पर्धात्मकता की तुलना में)।
- आवष्यकता से अधिक व्यापारिक आयात को कम करने के लिए **उपचारात्मक उपायों और उन्हें लागू करने में स्पष्ट विज़न की कमी।**
- घरेलू बाजार में **गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पाद के मानकीकरण का अभाव।**

घरेलू उद्योगों पर प्रभाव

- चीन से आयातित वस्तुएं श्रम प्रधान होती हैं और **घरेलू रोजगार पर नकारात्मक प्रभाव** डालती हैं।
- चीनी उत्पाद असंगठित खुदरा क्षेत्र पर प्रभावी हैं और **MSME क्षेत्र को प्रभावित करते हैं।**
- चीन पर अधिक निर्भरता से आपूर्ति श्रृंखला की नाजुकता बढ़ जाती है।
- सौर उद्योग जैसे मूल्य संवेदनशील उद्योगों की व्यवहार्यता को खतरा।
- चीन की निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं **मानव स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं।**
- घरेलू उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव **मेक इन इंडिया योजना को प्रभावित** करता है और यह **NPA** की स्थिति को बढ़ा सकता है।

चीनी आयात को कम करने के लिए उठाये गए कदम

- **परिवर्तित FDI नीति** ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश की कंपनियों के लिए पूर्व अनुमोदन अनिवार्य कर दिया है।
- भारत द्वारा **आक्रामक रूप से डंपिंग रोधी शुल्क** आरोपित किया गया है।
- भारत ने कई चीनी फर्मों को **राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार** पर वस्तुओं एवं सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए **बोली लगाने से रोक** दिया है।
- भारत ने सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की चिंता का हवाला देते हुए **टिक टॉक जैसे 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध** लगा दिया है।..

चीन पर निर्भरता कम करने से संबद्ध चुनौतियाँ

- कृत्रिम रूप से व्यापार घाटे को कम करने से **दक्षता कम हो जाएगी** और अनेक वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।
- इस तरह के व्यापार प्रतिबंध में **सबसे निर्धन उपभोक्ता सर्वाधिक प्रभावित** होते हैं, क्योंकि वे मूल्य के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं।
- यह कई भारतीय उत्पादकों और निर्यातकों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि चीन से भारत का 50 प्रतिशत से अधिक आयात या तो **पूंजीगत या मध्यवर्ती वस्तुओं** का है।
- यह चीन को मुश्किल से नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि चीन का भारत को निर्यात **चीन के कुल निर्यात का केवल 3 प्रतिशत** है।
- ऐसे कदम से अन्य विदेशी निवेशकों के सामने **भारत की नीतिगत विश्वसनीयता में कमी आएगी।**
- इस तरह के एकतरफा उपायों से पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
- भारत–चीन प्रौद्योगिकी पहुंच से जुड़े मुद्दे **वैश्विक प्रौद्योगिकी युद्ध** में वृद्धि कर सकते हैं।

आगे की राह

- **व्यापार रणनीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए:**
  - चीनी आयात की चुनिंदा मदों को और **क्रमिक व चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने पर ध्यान देना** चाहिए।
  - अन्य देशों के साथ मुक्त **व्यापार समझौतों (FTAs) की समीक्षा** करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पत्ति के नियमों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।
  - चीन विरोधी भावना को बढ़ावा देने वाले देशों के साथ व्यापार साझेदारी करनी चाहिए।
  - भारत में **मध्यवर्ती वस्तुओं के निर्माण के लिए एक रोडमैप तैयार करना चाहिए।**
  - अनिवार्य और गैर अनिवार्य आयात को निर्धारित करना चाहिए।
- व्यापार को विविधता से युक्त करने के लिए अन्य उपाय करने चाहिए।
- एक विनियामक ढांचा बनाना चाहिए, जो एक निवेश वातावरण बनाने और सुरक्षा एवं गोपनीयता की रक्षा के बीच संतुलन स्थापित कर सके।
- चीनी प्रांतों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए **राज्यों को अधिक स्वायत्तता** प्रदान करनी चाहिए।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए **शंघाई की CII शाखा को मजबूत करना** चाहिए।

1.2. भारत-नेपाल (India-Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट ने भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के लिए नेपाल में अस्थिरता के निहितार्थों के पुनर्मूल्यांकन की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।

सहयोग के क्षेत्र

- **अर्थव्यवस्था:** भारत, नेपाल का **सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार** है (8.27 बिलियन डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार) और **80 लाख नेपाली लोगों को रोजगार** प्रदान करता है।
- रक्षा: भारत, नेपाल के **आधुनिकीकरण में सहायता** प्रदान कर रहा है (30,000 से अधिक नेपाली गोरखा भारतीय सेना में सेवारत हैं), आपसी एकता को बढ़ावा देने के लिए **सूर्य किरण जैसे सैन्य अभ्यास** किये जा रहे हैं।
- **जल संसाधन:** जल संसाधन, बाढ़ प्रबंधन आदि में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए **कोसी संधि व महाकाली संधि** संपन्न की गई हैं।
- **ऊर्जा:** सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए **ऊर्जा–शक्ति विनिमय समझौता** संपन्न किया गया है, उदाहरणार्थ: मोतिहारी (बिहार) से अमलेखगंज (नेपाल) तक सीमा पार तेल उत्पादन पाइपलाइन।
- **कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स:** रक्सौल और काठमांडू रेलवे प्रोजेक्ट तथा बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल (BBIN) मंच।
- **शिक्षा:** भारत विभिन्न परियोजनाओं के लिए नेपाली छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **सांस्कृतिक:** धर्म, भाषा व संस्कृति, आहार या भोजन, फिल्मों आदि के संदर्भ में (रोटी–बेटी का नाता) मजबूत ऐतिहासिक–सांस्कृतिक संबंध।

भारत–नेपाल संबंध – एक नज़र में

संबंधों में चुनौतियां

- नेपाल की अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में चीन का बढ़ता प्रभाव भारत के पारंपरिक रूप से मजबूत और सकारात्मक प्रभाव को नुकसान पहुंचा रहा है।
- नेपाल में भारत विरोधी बयानबाजी जोरों पर चल रही है।
- सीमा विवाद पर नेपाल का आक्रामक पक्ष।
- नेपाल, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल हो गया है।
- नेपाल के बड़े व्यापार घाटे के कारण द्विपक्षीय व्यापार में असंतोष व्याप्त है।
- भारत के बिग ब्रदर या बड़े भाई जैसे दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भारत के प्रति अविश्वास, 1950 की शांति और मित्रता की संधि पर फिर से विचार करने की अनिच्छा और नदी संधियों के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव।
- लोगों की अप्रतिबंधित सीमा–पार आवाजाही, जो नेपाल के घरेलू उद्योग, स्थानीय आजीविका के अवसरों, कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है।

आगे की राह

संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए नेपाल और भारत के बीच आपसी निर्भरता अपरिहार्य है। **इसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं:**

- भारत और नेपाल के मध्य मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करना।
- विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा के लिए उपयुक्त द्विपक्षीय तंत्र स्थापित करना।
- BBIN, बिम्सटेक, सार्क आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों का साझा हितों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
- राजनीतिक स्पेक्ट्रम में नेपाल के साथ निरंतर जुड़ाव और सीमित हस्तक्षेप।
- आर्थिक सहयोग को मजबूत करना चाहिए।
- दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह द्वारा अनुशंसित 1950 की शांति और मित्रता की संधि पर फिर से विचार करना चाहिए।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

भारत-नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि

- वर्ष 1950 की **"भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि"**, भारत और नेपाल के बीच मौजूद विशेष संबंधों का आधार है।
  - संधि के प्रावधानों के अनुसार नेपाली नागरिक, भारतीय नागरिकों के लगभग समान सुविधाओं और अवसरों का लाभ उठाते हैं।
  - लगभग 80 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं।
- नेपाल में वर्तमान राजनीतिक संकट का (जिसमें दो **प्रमुख नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष** चल रहा है) का एक लंबा इतिहास रहा है। इस संकट को समय-समय पर चीनी कम्युनिस्ट नेताओं के हस्तक्षेप के माध्यम से काफी हद तक गोपनीय व नियंत्रित रखा गया था।

नेपाल में स्थिरता भारत के हित में क्यों है?

- **नेपाल की सामरिक अवस्थिति:** एक निकटस्थ पड़ोसी होने के अतिरिक्त, नेपाल भारत और चीन के मध्य एक प्राकृतिक सुरक्षा बफर के रूप में भी कार्य करता है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** अल-कायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे खतरनाक आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने, भारत व नेपाल में सक्रिय माओवादी समूहों के बीच बढ़ते गठजोड़ से निपटने तथा इन समूहों द्वारा भारत के विरुद्ध अपने गुप्त अभियानों के लिए नेपाल को पारगमन आधार के रूप में उपयोग करने से रोकने हेतु दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक हैं।
- **भारत से सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा:** नेपाल और भारत के बीच विश्वास की कमी ने नेपाल में विभिन्न भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे कि सीमा-पार रेलवे, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महाकाली नदी पर मोटर यान योग्य पुलों का निर्माण आदि को काफी हद तक प्रभावित किया है। कभी-कभी, कुछ भारतीय निवेश परियोजनाओं पर माओवादियों द्वारा हमले भी किए गए थे।
- **बाढ़ जल प्रबंधन और जल विद्युत का विकास:** नेपाल से उत्पन्न होने वाली नदियाँ (जैसे- गंडक एवं कोसी) पारिस्थितिक व जलविद्युत क्षमता के मामले में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
- **लोगों से लोगों का संपर्क:** प्राचीन काल से, नेपाल और भारत के बीच लोगों के मध्य संबंध अति विशिष्ट रहे हैं, क्योंकि यह खुली सीमा प्रणाली तथा लोगों के मध्य नातेदारी (या रोटी-बेटी) संबंधों के दोहरे स्तंभों पर आधारित है।
- **मधेसियों का सशक्तीकरण:** मधेसी भारतीय मैदानों से सटे नेपाली तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उनका राजनीतिक सशक्तीकरण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हुई कोई भी अशांति भारत को भी प्रभावित करेगी।

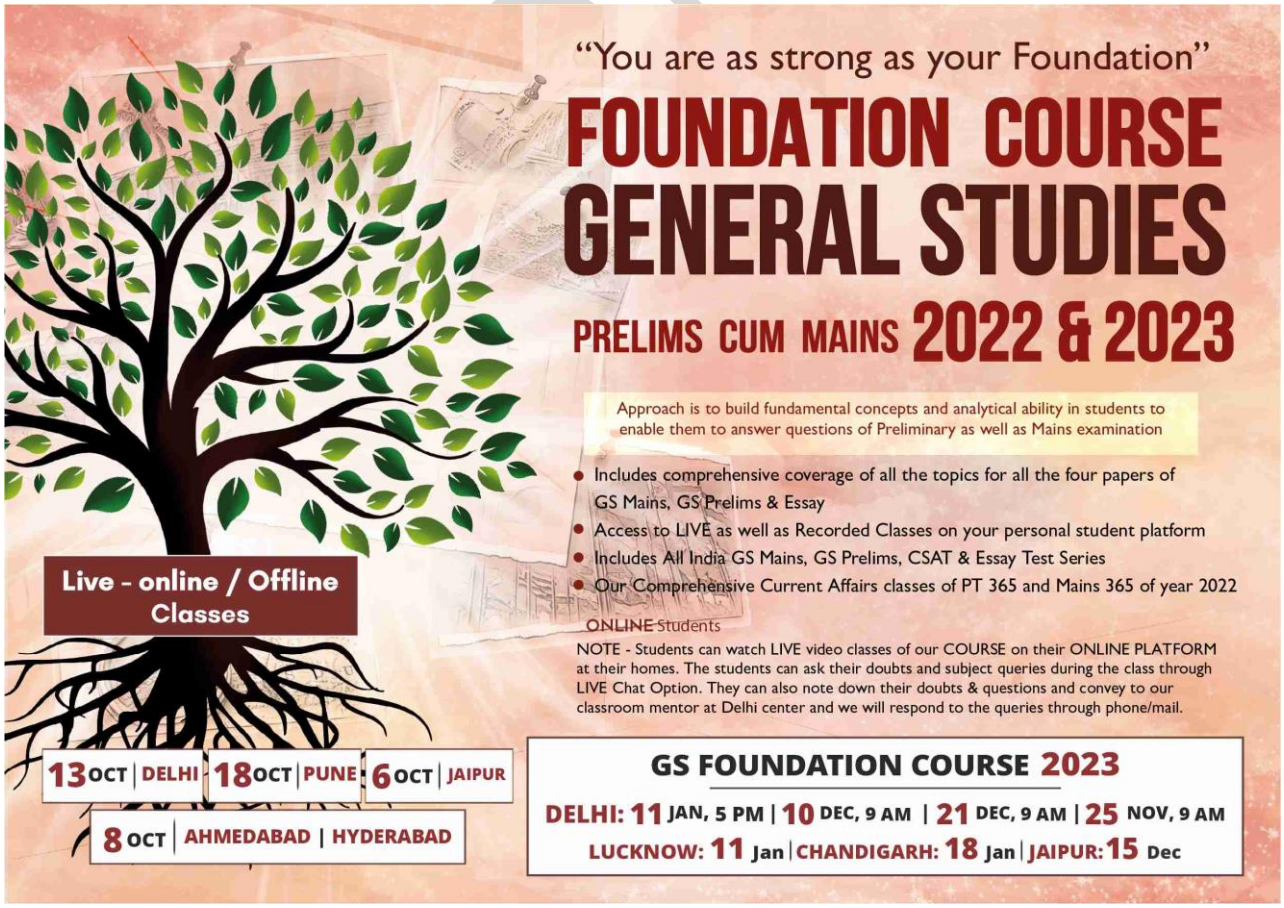

1.3. भारत-बांग्लादेश (India-Bangladesh)

सुर्ख़ियों में क्यों?

बांग्लादेश को **वर्ष 1971** में **भारत-पाकिस्तान युद्ध (वर्ष 1971)** के परिणामस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021 में इस युद्ध के **50 वर्ष (स्वर्ण जयंती) पूरे हो गए।**

सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार:** दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, लाइन ऑफ क्रेडिट का भी सबसे बड़ा लाभार्थी (8 बिलियन अमेरिकी डॉलर)।
- **रक्षा और सुरक्षा:** युद्ध अभ्यास जैसे कि मिलन और संप्रीति। पूर्वोत्तर में आतंकी शिविरों और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए खुफिया जानकारी साझा करना।
- **कनेक्टिविटी:** हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश) के बीच रेलवे–संपर्क; अखौरा–अगरतला रेल लिंक पर काम जारी है; भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल – मोटर व्हीकल एग्रीमेंट (BBIN-MVA) 2015; पूर्वोत्तर राज्यों में माल–परिवहन के लिए चटगांव और मोंगला बंदरगाह; अंतर्देशीय जलमार्ग पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (PIWTT) पर हस्ताक्षर
- **विदेश नीति:** बांग्लादेश, 'नेबरहुड फर्स्ट' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों के केंद्र में है।
- **बहुपक्षीय सहयोग:** सार्क, बिम्सटेक, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन
- **सीमा प्रबंधन:** भूमि सीमा समझौता (2015), समुद्री सीमा का परिसीमन
- **पारिस्थितिकी संरक्षण:** सुंदर वन के संरक्षण हेतु समझौता ज्ञापन (2011)

हाल के वर्षों में भारत–बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदम

- **नदी जल बंटवारा:** दोनों देशों ने वर्ष 2019 में फेनी नदी के जल बंटवारे के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- हाल ही में, फेनी नदी पर 'मैत्री सेतु' नामक एक पुल भी बनाया गया है।
- **ईंधन पाइपलाइन:** भारत, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्बतीपुर तक डीजल की आपूर्ति के लिए भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के विकास के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। इस पाइपलाइन का उद्घाटन वर्ष 2018 में किया गया था।
- **कोविड–19 के दौरान सहायता:** भारत ने टेस्ट किट, PPE किट और दवाओं के साथ–साथ चिकित्सा पेशेवरों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण के रूप में चिकित्सा सहायता प्रदान की।
- **व्यापार सुविधा:** दोनों देशों ने PIWTT के तहत दो नए मार्ग और पांच पोर्ट ऑफ कॉल को शामिल किया है, जो कोलकाता से चट्टोग्राम होते हुए अगरतला तक माल के ट्रांसशिपमेंट की सुविधा प्रदान करेगा।
- **वित्तीय सहायता:** भारत ने अगरतला–अखौरा रेल लिंक जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बांग्लादेश को 8 बिलियन डॉलर की 3 लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) और अनुदान सहायता प्रदान की है।
- भारत द्वारा बांग्लादेश में महिला उद्यमियों के लिए सॉफ्ट **स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम** शुरू किया गया है।

भारत बांग्लादेश संबंध – एक नज़र में

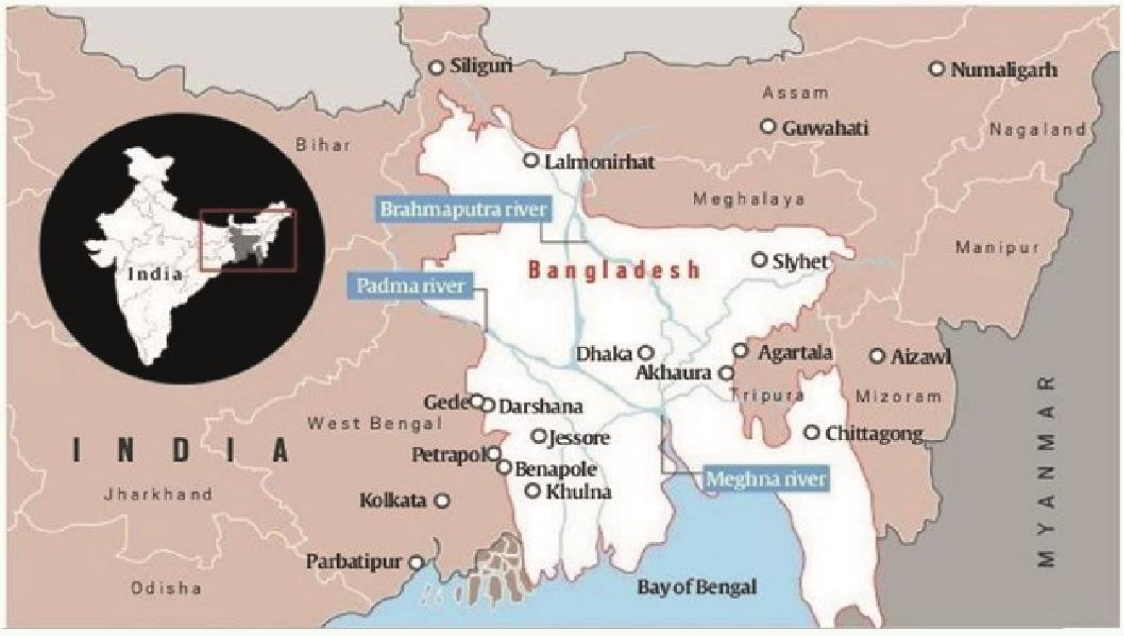

Mains 365 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चुनौतियां

- **NRC (असम में) और CAA से संबंधित मुद्दे, सीमा–पार अपराध जैसे कि तस्करी, नकली मुद्रा, अवैध प्रवास आदि।**
- **जल विवाद:** संयुक्त नदी आयोग (1972) की विश्वसनीयता से संबंधित मुद्दे, तीस्ता नदी जल बंटवारा विवाद।
- **चीन का प्रभाव:** बांग्लादेश के बाजार में मुफ्त पहुंच और विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर ऋण।
- **बढ़ता कट्टरपंथीकरण:** अल्पसंख्यकों के साथ अनुचित व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय उग्रवादी संगठन की उपस्थिति।

भारत बांग्लादेश संबंध – एक नज़र में

आगे की राह

- **सीमा पार प्रवासन प्रबंधन:** जमीनी स्तर पर डिजिटलीकरण के माध्यम से।
- **जल संसाधनों का प्रबंधन:** दोनों देशों को नदी बेसिन के संपूर्ण विस्तार पर आधारित दृष्टिकोण **(basin-wide approach)** को अपनाना चाहिए, नियमित अंतराल पर **JRC** बैठकें आयोजित करना चाहिए।
- **लोगों के मध्य संपर्क को प्रोत्साहित करना:** अधिप्रचार **(Propaganda)** और गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए।
- **बांग्लादेश में संचालित परियोजनाओं में तेजी लाना:** जैसे कि भारत–बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट आदि।

अन्य संबंधित तथ्य

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री और बांग्लादेश की प्रधान मंत्री के बीच एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ।

इस शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें

- **द्विपक्षीय दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया:** विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि हाइड्रोकार्बन क्षेत्र, **सीमा-पार हाथी संरक्षण**, **उच्च-प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाएं (High Impact Community Development Projects: HICDP)**, कृषि के क्षेत्र में सहयोग आदि।
- चिकित्सीय सहयोग और टीके के उत्पादन में साझेदारी
- बांग्लादेश के संस्थापक नेता और प्रथम प्रधान मंत्री **बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान** की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक स्मृति डाक टिकट जारी किया गया।
- दोनों पक्ष **इच्छामती, कालिंदी, रायमंगोल, हरियाभंगा और कुहसियारा नदियों** के साथ संलग्न सीमाओं के परिसीमन को अंतिम रूप देने के लिए एकसाथ कार्य करने के लिए सहमत हुए।
- **हल्दीबाड़ी (भारत) और चिल्हाटी (बांग्लादेश)** के मध्य पुनर्स्थापित किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया गया। यह वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के उपरांत से निष्क्रिय था।

भारत-बांग्लादेश बनाम भारत-पाकिस्तान: विरोधाभास और सीख

विगत 50 वर्षों के दौरान पूर्व में भारत और बांग्लादेश द्वारा द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग किया जाता रहा है। ऐसा उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान के साथ संभव नहीं हो सका है। इसके लिए निम्नलिखित कारणों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है-

- **राजनीतिक स्थिरता और नीतिगत निरंतरता:** इससे दिल्ली और ढाका को विगत एक दशक में द्विपक्षीय संबंधों को घनिष्ठ करने में सहायता प्राप्त हुई है।
  - इसके विपरीत, दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनीतिक चक्र शायद ही कभी संगत रहे हैं।
- **परस्पर सुरक्षा को लेकर चिंता:** आतंकवाद का सामना करने में परस्पर सहयोग ने ढाका और दिल्ली के मध्य घनिष्ठ पारस्परिक विश्वास का निर्माण किया है। इस घनिष्ठ विश्वास ने दोनों देशों के संबंधों के सामने आने वाले कई जटिल मुद्दों का समाधान करने में सहायता की है।
  - पाकिस्तान के मामले में, उसकी सेना ने भारत को कश्मीर पर समझौता करने हेतु विवश करने के लिए सीमा-पार आतंकवाद का एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग किया है।
- **महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दों का गैर राजनीतिकरण:** दिल्ली और ढाका व्यापार, पारगमन बिंदु और कनेक्टिविटी से संबद्ध मुद्दों पर उनसे संबंधित लाभों के आधार पर समाधान करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे हैं।
  - दूसरी ओर, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर द्विपक्षीय वाणिज्यिक सहयोग और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को बाधित करता रहा है।

बांग्लादेश: विकासशील विश्व के लिए एक आदर्श

- बांग्लादेश में प्रभावशाली आर्थिक और सामाजिक प्रगति न केवल दक्षिण एशिया के लिए बल्कि संपूर्ण विकासशील विश्व के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। वर्ष 1972 में विश्व के सबसे निर्धन देशों में शामिल **बांग्लादेश वर्तमान में इस दशक के अंत तक विश्व की शीर्ष 25 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में शामिल होने की ओर अग्रसर है।**
- इसका प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2,000 डॉलर (लगभग भारत के ही समान) से कुछ ही कम है। आगामी पांच वर्षों में (2026 तक) बांग्लादेश अल्प विकसित देश की श्रेणी से बाहर हो जाएगा और वह विकासशील देशों के वर्ग में भारत के समकक्ष हो जाएगा।

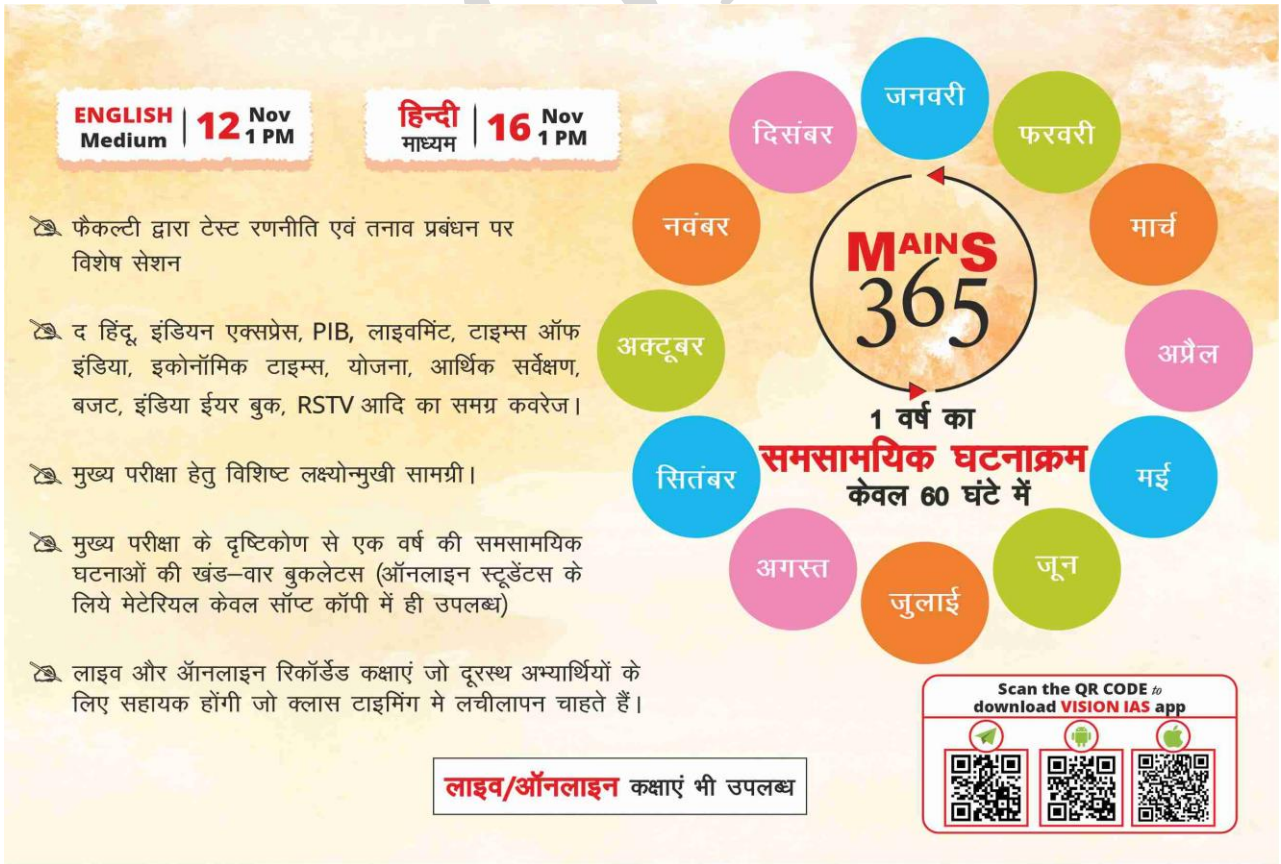

1.4. भारत-श्रीलंका (Indo-Sri Lanka)

सुर्ख़ियों में क्यों?

श्रीलंकाई सरकार ने कथित तौर पर भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। ज्ञातव्य है कि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों के कारण दोनों देशों के मध्य संबंधों में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी।

सहयोग के क्षेत्र

- **व्यापार:** श्रीलंका, सार्क में भारत के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में से एक है।
- **संस्कृति:** श्रीलंका में सम्राट अशोक द्वारा प्रसारित बौद्ध धर्म, दोनों देशों को जोड़ने वाले मजबूत स्तंभों में से एक है। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग योजना, स्टडी इन इंडिया, पर्यटन आदि।
- **विकास परियोजनाएं:** श्रीलंका, भारत के प्रमुख विकास भागीदारों में से एक है। उदाहरण के लिए– भारत द्वारा संचालित आवास परियोजना।
- **सैन्य अभ्यास:** मित्र, शक्ति, IN-SLN आदि।

भारत-श्रीलंका संबंध – एक नज़र में

चुनौतियां

- भारत के खिलाफ भू–रणनीतिक मोर्चे पर श्रीलंका द्वारा **चाइनीज कार्ड (या चीन के समर्थन)** का उपयोग किया जाना।
- **विश्वास की कमी:** श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) पर हस्ताक्षर न करना और श्रीलंका द्वारा मुद्रा अदला–बदली या करेंसी स्वैप समझौते (वर्ष 2021) से इनकार।
- **मछुआरों से संबंधित मुद्दे:** तलाईमन्नार और कच्चातिवु तट पर और आसपास के क्षेत्र में मछली पकड़ने के पारंपरिक अधिकारों के संबंध में।
- **बाधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं:** जाफना हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना, समपुर बिजली संयंत्र को रद्द करना, पूर्वी कंटेनर टर्मिनल (ETC) परियोजना को रद्द करना आदि।

आगे की राह

- रक्षा और भू–रणनीतिक क्षेत्र में **भारत के हित को प्राथमिकता देना।**
- चीन का मुकाबला करने के लिए **आर्थिक संबंधों का लाभ उठाना।**
- **लोगों के मध्य परस्पर संपर्क को मजबूत करना।**
- परस्पर संबंधों को मजबूत करने हेतु अन्य क्षेत्रों में सहयोग जैसे कि धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देना, व्यापार और निवेश को बढ़ाना, मछुआरों के मुद्दे को हल करना आदि।

1.5. भारत की तिब्बत नीति (India's Tibet Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी सीनेट ने **"तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम (Tibetan Policy and Support Act: TPSA), 2020"** को पारित किया है। इसमें तिब्बत को लेकर अमेरिका की नीति को रेखांकित किया गया है।

TPSA के बारे में

- वर्ष 2002 के ऐतिहासिक तिब्बती नीति अधिनियम के आधार पर निर्मित TPSA में **तिब्बती मानवाधिकारों, पर्यावरणीय अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता एवं निर्वासित लोकतांत्रिक तिब्बती सरकार जैसे विषयों को संबोधित किया गया है।**
- इसमें औपचारिक रूप से **केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration: CTA)** को तिब्बती लोगों के वैधानिक प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी गई है।
- इस अधिनियम ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में हस्तक्षेप करने वाले किसी भी चीनी अधिकारी के विरुद्ध **अमेरिकी सरकार द्वारा आर्थिक एवं वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाए जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है।**
- TPSA में **कुछ नए महत्वपूर्ण प्रावधान भी समाविष्ट किए गए हैं। इनका लक्ष्य तिब्बत के पर्यावरण एवं जल संसाधन की सुरक्षा करना है।** इसके अतिरिक्त, इसमें **तिब्बत के पठार के पर्यावरण की निगरानी करने के लिए व्यापक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया गया है।**

पृष्ठभूमि: तिब्बत का महत्व

- **दुर्जेय बफर (Formidable buffer):** इसका संपूर्ण दक्षिणी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसलिए, इस क्षेत्र को **तिब्बत के बाहर की शक्ति द्वारा नियंत्रित करने के मार्ग में हिमालय अवरोध/ प्रहरी का कार्य करता है।**
- **जल का स्रोत: दोनों ध्रुवों के उपरांत हिमनदों का सर्वाधिक घनत्व यहीं है।** यहाँ के ग्लेशियर लगभग 10 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे कि ब्रह्मपुत्र और सतलुज को जलापूर्ति करते हैं, जिनसे लाखों लघु जलधाराओं को निरंतरता प्राप्त होती है।
- **भौगोलिक महत्व:** तिब्बत का पठार **एशियाई मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
    - वर्तमान में, प्रचलित अवधारणा के अनुसार, **चीन तिब्बत को हथेली मानता है एवं लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश को पांच अंगुलियां,** जो आक्रामक सैन्यीकरण और बुनियादी ढांचे के निर्माण का आधार तैयार करता है।
    - **14वें दलाई लामा भारत में निर्वासित जीवन जी रह रहे हैं।** वह तिब्बत एवं तिब्बती लोगों के लिए 'वास्तविक स्वायत्तता' हेतु आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
    - **अमेरिका भी केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का समर्थन करने के अतिरिक्त, मध्य मार्गी नीति, तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता,** धार्मिक स्वतंत्रता, तिब्बत के पठार की पर्यावरणीय सुरक्षा एवं तिब्बत में स्वतंत्रता पुनर्स्थापन का समर्थन करता है।

नीति परिवर्तन में बाधाएं

- तिब्बत के भू-दृश्य में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। इस क्षेत्र में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा चीनी संस्कृति को मुख्यधारा में लाने के अतिरिक्त इसे **और अधिक आत्मनिर्भर बनाने एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक नौकरियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने पर भी बल दिया जा रहा है।**
- भारत के तिब्बती शरणार्थी अपनी मातृभूमि के **विकास से वंचित हैं।** नीति में किसी भी परिवर्तन के दौरान इस बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा।
- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2014-18 की अवधि में भारत के अनुभव से ज्ञात होता है कि "तिब्बत कार्ड" लाभ प्रदान करने की बजाए **उकसाने वाला** ही रहा है। उदाहरण के लिए, दलाई लामा के भारत में शरण ने **चीन को वैश्विक मंचों पर भारत के विरुद्ध अपनी शत्रुतापूर्ण स्थिति**

को सख्त करने के लिए प्रेरित किया है।

- तिब्बत चीन के लिए एक **"मुख्य मुद्दा"** है और इस मामले में भारत की नीति में किसी भी बदलाव को चीन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती देने वाला माना जाएगा।
- यह चीन को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में **विद्रोहियों को पुन: समर्थन** प्रदान करने के लिए भी उकसा सकता है।

तिब्बत पर भारत का रुख: क्या इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है?

- **भारत सरकार एक चीन नीति (one China policy) का पालन करती है और भारत ने सदैव तिब्बत को चीन का एक राज्यक्षेत्र स्वीकार किया है।** एक चीन नीति में यह माना जाता है कि चीन नाम से केवल एक संप्रभु राष्ट्र है। यह उस विचार के विपरित है, जिसमें माना जाता है कि चीन में दो राष्ट्र, यथा- चीनी जनवादी गणराज्य (People's Republic of China: PRC) एवं चीन गणराज्य (Republic of China: ROC) हैं।
- चीन एवं भारत ने तिब्बत पर अपनी स्थिति को संहिताबद्ध किया है और यह इस विषय से संबंधित उत्तरवर्ती किसी विवाद के समाधान हेतु एक मापदंड होगा, उदाहरण के लिए- **भारत एवं तिब्बत की सीमा के मध्य व्यापार एवं परिवहन पर हुई वर्ष 1954 की संधि,** जिसे पंचशील (शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के पांच सिद्धांत) के नाम से जाना गया। इस संधि के अनुसार, **भारत ने औपचारिक रूप से तिब्बत को चीन के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की थी।**
- वर्तमान में तिब्बत से संबंधित भारत का कोई कानून नहीं है, बल्कि एक सरकारी नीति है, जिसे **"तिब्बती पुनर्वास नीति, 2014"** के नाम से जाना जाता है। यद्यपि इस नीति में **भारत में तिब्बती लोगों के कल्याण** को केंद्र में रखा गया है, परंतु तिब्बत के मुख्य मुद्दों पर इसमें कोई ठोस प्रावधान नहीं है। तिब्बत का मुख्य मुद्दा वहां चीन की विनाशकारी नीतियां एवं तिब्बती लोगों द्वारा की जा रही तिब्बत को स्वतंत्र करने की मांग है।
- **परंतु, लद्दाख में हालिया गतिरोध में,** यह प्रथम बार था जब, भारत ने पैंगोंग त्सो के दक्षिण तट पर सामरिक ऊंचाइयों पर अधिकार करने के लिए लगभग पूर्णतया तिब्बती निर्वासित सैनिकों से निर्मित विशेष बलों का प्रयोग किया था।। **सामरिक रूप से, तिब्बती भारत के लिए रक्षा की प्रथम पंक्ति थे।**
- **विशेषज्ञों का मत है कि** राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु भारत के लिए तिब्बत के महत्व को ध्यान में रखते हुए, अब समय आ गया है कि **भारत को चीन से निपटने हेतु तिब्बत के मुद्दे पर अधिक कठोर रुख अपनाना चाहिए।**
  - तिब्बती लोगों की भांति ही, **जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लाखों भारतीय दलाई लामा को श्रद्धेय मानते हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाले लगभग आधे जल (48%) का प्रवाह प्रत्यक्षत: भारत की ओर होता है।**
  - इसके अतिरिक्त, **चीन हिमालय की सीमाओं पर लगातार अतिक्रमण कर रहा है।** लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश पर अतिक्रमण करके चीन भारत को कोई मोर्चों पर घेरने की मंशा रखता है। तिब्बत से संबंधित अधिक मुखर एवं कठोर नीति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।

1.6. सीमा पार बाढ़ प्रबंधन (Cross Border Flood Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उत्तरी बिहार (मिथिलांचल क्षेत्र) में आई बाढ़ से संकेत मिला है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण, भारत और नेपाल के मध्य अंतर-सरकारी नदी-बेसिन (inter-governmental river-basin) सहयोग पर निर्भर करता है।

भारत को सीमा पार बाढ़ प्रबंधन तंत्र की आवश्यकता क्यों है?

- **बाढ़ की उच्च बारंबारता:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र सामूहिक रूप से प्रत्येक वर्ष मौसम के बदलाव या नदी के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के साथ ही बाढ़ की समस्या का सामना करता है। उदाहरण के लिए, **कोसी क्षेत्र में निरंतर आने वाली बाढ़** भारत और नेपाल के मध्य चर्चा का एक प्रमुख बिंदु है।
- **नदियों पर वृहद निर्भरता: भारत की लगभग 80% आबादी** भोजन और आजीविका के लिए 14 प्रमुख नदियों पर निर्भर है। नदी के पारितंत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन और विवाद का व्यापक (विशेष रूप से कृषि क्षेत्रक पर) प्रभाव हो सकता है।
  - यह गरीबी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था की नाजुक प्रकृति के साथ-साथ बाढ़ जैसे खतरों को स्वाभाविक रूप से और भी विनाशकारी बना देता है।

- **बाढ़ नियंत्रण तंत्र को एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता:** नदी साझा करने वाले किसी भी देश में संबंधित विकासात्मक घटनाक्रम प्रत्यक्ष रूप से नदी पारितंत्र को साझा करने वाले सभी देशों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, चीन में ब्रह्मपुत्र पर अवसंरचनात्मक घटनाक्रम भारत और बांग्लादेश दोनों को प्रभावित करता है।
- **जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते संकट:** जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अर्थात् समुद्र का बढ़ता जलस्तर या हिमनदों के पिघलने से नदी के पारितंत्र में परिवर्तन हो सकता है। ज्ञातव्य है कि इस समस्या का शमन करने हेतु क्षेत्रीय सहयोग एक अनिवार्य घटक है।

भारत के नदी जल विवाद और वर्तमान सहयोगात्मक व्यवस्था

देश	सहयोगात्मक व्यवस्था
भारत- नेपाल	• **वर्ष 1954 की कोसी संधि** के तहत नेपाल में तटबंधों का निर्माण और उनका प्रबंधन किया गया। • **महाकाली संधि,** महाकाली नदी के जल के साझाकरण से संबंधित है।
भारत-पाकिस्तान	• **वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि** के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियां (सिंधु, चिनाब और झेलम) तथा भारत को तीन पूर्वी नदियां (रावी, व्यास एवं सतलज) आवंटित की गई हैं।
भारत-चीन	• ब्रह्मपुत्र नदी की जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के प्रावधान के संबंध में समझौता ज्ञापन। • **सतलुज नदी** की जल-विज्ञान से संबंधित सूचना के साझाकरण के संबंध में **समझौता ज्ञापन।** • बाढ़ के मौसम में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े, आपातकालीन प्रबंधन और अन्य मुद्दों पर परस्पर वार्ता करने तथा सहयोग करने के लिए एक **विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र** (Expert-Level Mechanism) की स्थापना।
भारत-बांग्लादेश	• **गंगा संधि,** फरक्का बैराज पर परस्पर सीमा के निकट सतही जल साझा करने हेतु एक समझौता है। • मानसून के मौसम के **दौरान गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और बराक** जैसी प्रमुख नदियों के संबंध में **बाढ़ पूर्वानुमान संबंधी आंकड़ों के प्रेषण** की प्रणाली।
भारत- भूटान	• भारत और भूटान दोनों में प्रवाहित होने वाली साझा नदियों के संबंध में **जल-मौसम विज्ञान एवं बाढ़ पूर्वानुमान नेटवर्क की स्थापना के लिए व्यापक योजना।** • **बाढ़ प्रबंधन पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह (Joint Group of Expert)।**

सीमा पार बाढ़ प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **जल-विज्ञान संबंधी डेटा का सीमित साझाकरण:** दक्षिण एशियाई देशों के मध्य जल वितरण बिखरा हुआ है और यह संबंधित देशों के राजनीतिक संबंधों की स्थिति पर निर्भर रहता है। उदाहरण के लिए, चीन ने वर्ष 2017 में 73 दिवसीय डोकलाम गतिरोध के दौरान भारत के साथ **ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में जल विज्ञान संबंधी आंकड़े** साझा करना बंद कर दिया था।

- **नदी प्रवाह के ऊपरी और निचले क्षेत्रों में स्थित देशों के बीच असममित नियंत्रण:** नदी प्रवाह के ऊपरी क्षेत्रों में स्थित देशों द्वारा अपनी अवस्थिति के कारण अनुचित रूप से कई प्रकार का लाभ उठाया जाता है। उदाहरण के लिए, चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहित अन्य मुद्दों पर **नदी के अनुप्रवाह मार्ग में स्थित दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों से रियायत प्राप्त करने के लिए जल के प्रवाह के संदर्भ में अपनी लाभप्रद अवस्थिति का अनुचित लाभ उठाता रहा है।**
- **बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय समझौते का अभाव:** ऐसी संधि के अभाव की स्थिति अप्रत्यक्ष रूप से देशों को द्विपक्षीय व्यवस्था को अपनाने के लिए विवश करती है। इसकी प्रभावशीलता सीमित होती है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभवत: ही कभी लागू होती है।
- **जल राष्ट्रवाद की समस्या:** कभी-कभी सीमापार सहयोग की समस्या (विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में) एक राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लेती है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान ने विश्व बैंक के समक्ष **चिनाब नदी पर भारत की बगलिहार बांध परियोजना** को बार-बार चुनौती दी है।
- **प्रचलित संधियों से संबंधित मुद्दे:**
    - **भविष्योन्मुख आधार का अभाव:** वर्तमान संधियों में तकनीकी प्रगति या नदी के तट पर परिवर्तनशील अवसंरचना के विकास का समावेश नहीं है। उदाहरणार्थ, कोसी संधि में **तटबंधों के रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। इससे नदी अपना प्रवाह मार्ग परिवर्तित करती रहती है।**
    - **संधियों का निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** उदाहरण के लिए, हालांकि महाकाली संधि प्रभावी हो चुकी है, परन्तु इसके कार्यान्वयन में उतार-चढ़ाव आते रहे हैं।
    - **बहुपक्षीय संधियों का अभाव:** सभी प्रमुख संधियाँ द्विपक्षीय प्रकृति की हैं, बावजूद इसके कि कई नदियां दो से अधिक देशों में से होकर प्रवाहित होती है। उदाहरण के लिए, भारत-बांग्लादेश सहयोग नदी पारितंत्र नेपाल द्वारा जल के उपयोग पर निर्भर है, क्योंकि नेपाल ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है।

कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं

- **अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के गैर-नौवहन उपयोगों की विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (United Nations Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses,), 1997:** यह जलमार्गों और उनके जल के उपयोग से संबंधित संरक्षण, परिरक्षण एवं प्रबंधन के उपायों से संबंधित है।
- **वर्ष 1978 में अमेजन सहयोग के लिए संधि:** इस संधि पर बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला के मध्य दक्षिण अमेरिका में नदी जल के न्यायोचित साझाकरण हेतु हस्ताक्षर किए गए थे।
- **मेकांग नदी आयोग:** यह वर्ष 1995 में थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम द्वारा हस्ताक्षरित मेकांग नदी के सतत विकास के लिए एशिया में प्रमुख बहुपक्षीय समझौता है।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है?

- **सहयोग के विकल्पों का अन्वेषण:** क्षेत्रीय सहयोग की व्यापक संभावनाओं वाले मुद्दों में जल-अल्पता की अवधि के दौरान प्रमुख नदियों का साझाकरण, जल-अल्पता की अवधि के दौरान प्रवाह में संवर्धन, जल विद्युत उत्पादन और वितरण, बाढ़ प्रबंधन में सहयोग, बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित डेटा का साझाकरण, नौवहन प्रणाली में सहयोग, जल गुणवत्ता सुधार एवं जलसंभर प्रबंधन में सहयोग करना आदि शामिल हैं।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता:** जल वितरण और उपयोग जैसे रोजमर्रा के नीतिगत मुद्दों पर प्रायः कम ध्यान दिया जाता है। इन्हें व्यापक सुरक्षा या सीमा संबंधी मुद्दों के साथ जोड़ कर देखा जाता है, या केवल प्राकृतिक आपदा के घटित होने पर ही इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है।
    - नदी साझाकरण के ऐसे मुद्दों का समुदाय के वास्तविक हित और राजनीतिक इच्छाशक्ति के आधार पर समाधान करने की आवश्यकता है, ताकि प्राप्त परिणाम सकारात्मक और समृद्धिवान हों।
- **बाढ़ प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों पर स्थायी समिति की अनुशंसाएं:** इस समिति ने सिंधु बेसिन में जल उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान के साथ संधि पर **पुनः वार्ता करने के लिए सरकार को आवश्यक राजनयिक उपाय** करने की अनुशंसा की है।
- **सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना:** दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नदी बेसिन संगठनों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है।
- **दीर्घकालीन योजना:** भारत और नेपाल को प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ के संकट को समाप्त करने के लिए वार्ता करने की आवश्यकता है और इसके लिए दोनों देशों द्वारा जल प्रबंधन सहयोग की दीर्घकालिक रणनीति अंगीकृत करनी चाहिए।

निष्कर्ष

इस क्षेत्र के देश बाढ़ से सुरक्षा के संबंध में परस्पर निर्भर हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एक **पारस्परिक उत्तरदायित्व है,** जिसका समाधान सामूहिक दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए।

1.6.1. सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty: IWT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडलों ने ढाई से अधिक वर्षों के उपरांत स्थायी सिंधु आयोग (Permanent Indus Commission) की 116वीं बैठक संपन्न की है।

सिंधु जल संधि (IWT) के बारे में

- **भारत और पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता से IWT पर हस्ताक्षर किए थे।**
- IWT ने सिंधु नदी तंत्र के जल के उपयोग से संबंधित **दोनों देशों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित एवं परिसीमित किया है।**
- इसमें **बांधों, लिंक नहरों, बैराजों और नलकूपों** विशेष रूप से सिंधु नदी पर तारबेला बांध व झेलम नदी पर मंगला बांध **के वित्तपोषण एवं निर्माण** का प्रावधान किया गया था।
- यह संधि **स्थायी सिंधु आयोग के गठन** का प्रावधान करती है। इस आयोग में दोनों देशों के आयुक्त शामिल होंगे। ये आयुक्त दोनों देशों के मध्य इस संबंध में संचार के माध्यम को बनाए रखेंगे और इस संधि के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास करेंगे।
- इस संधि के तहत सिंधु नदी तंत्र की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया गया है।
- भारत को **पूर्वी नदियों यथा सतलज, ब्यास और रावी** का संपूर्ण जल (जिनका वार्षिक जल प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट (MAF) है) आवंटित किया गया है और इसके उपयोग के संबंध में भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं है। **पश्चिमी नदियों यथा सिंधु, झेलम और चिनाब** का जल (जिनका वार्षिक जल प्रवाह लगभग 135 MAF है) **का अधिकांश भाग पाकिस्तान को आवंटित किया गया है।**
  - इस संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर रन-ऑफ-द-रिवर परियोजनाओं के माध्यम से जलविद्युत उत्पादन का अधिकार है। परन्तु इन परियोजनाओं का डिजाइन और परिचालन संधि में निर्दिष्ट विशिष्ट मानदंडों के अधीन हैं। साथ ही, इस संधि के तहत पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं के डिजाइन के संबंध में आपत्ति व्यक्त करने का अधिकार है।
    - **रन-ऑफ-द-रिवर प्रोजेक्ट:** यह जल-विद्युत उत्पादन का एक प्रकार है। इसमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए किसी नदी के प्राकृतिक और अधोमुखी प्रवाह (निचली धारा) का उपयोग किया जाता है। इसके तहत जल का संग्रह न के बराबर या अत्यल्प मात्रा में किया जाता है।

इस संधि से संबंधित प्रचलित मुद्दे क्या हैं?

- **भारतीय परियोजनाओं का पाकिस्तान द्वारा विरोध:** पाकिस्तान का विरोध मुख्य रूप से इस मुद्दे पर है कि क्या झेलम और चिनाब पर परियोजनाओं का निर्माण करने के दौरान संधि में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों का अनुपालन हो रहा है या नहीं। **इस मुद्दे को कई परियोजनाओं में अभिव्यक्त किया गया है:**
  - **किशनगंगा जलविद्युत परियोजना (KYP), झेलम:** पाकिस्तान ने इस परियोजना के निर्माण का आरंभ से ही विरोध किया है। साथ ही,पाकिस्तान ने इस संबंध में अपने पक्ष को लेकर विश्व बैंक से भी संपर्क किया है।
  - **रतले जलविद्युत परियोजना, चिनाब:** इस संधि में निर्दिष्ट तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में इस परियोजना के डिजाइन को लेकर विश्व बैंक के साथ वार्ता जारी है।
  - **अन्य परियोजनाएं:** मारुसुदर नदी (चिनाब की सहायक नदी) पर पाकल डल जलविद्युत परियोजना, मियारनाला नदी (चिनाब की सहायक नदी) पर मियार बांध और चिनाब पर लोअर कलनाई के संबंध में भी आपत्ति व्यक्त की गई है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **राजनीति:** जल विभाजन भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए संवेदनशील मुद्दा है। इसलिए, इन मुद्दों से संबंधित चर्चाएं अत्यधिक राजनीतिक रूप ग्रहण कर लेती हैं। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा पर नहरों के आसपास अधिक संख्या में सैनिकों की तैनाती और चौकसी बनाए रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि भारत द्वारा पश्चिमी नदियों पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जाएगा।
    - इन मुद्दों के अतिरिक्त, **सिंधु जल संधि भारत-पाकिस्तान संबंधों के समग्र घटनाक्रम से भी प्रभावित होती है।**

इस संधि का निरसन व्यवहार्य विकल्प क्यों नहीं है?

- **अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध:** IWT में एकपक्षीय निकास (Unilateral Exit) का प्रावधान नहीं है। तकनीकी रूप से देखें तो संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन (Vienna Convention on the Law of Treaties) के अंतर्गत संधि से पृथक होने और निकलने का प्रावधान है। हालांकि, IWT को निरस्त करने के लिए इन प्रावधानों का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है।
    - यहाँ तक कि भारत और पाकिस्तान के मध्य राजनयिक और दूतावास संबंधी संबंधों का विच्छेद भी IWT को निरस्त नहीं कर सकता है।
- **भारत से प्रवाहित होने वाली नदियों के निचले अनुप्रवाह मार्ग में स्थित देशों पर प्रभाव:** IWT का निरसन भारत **से प्रवाहित होने वाली नदियों के निचले अनुप्रवाह मार्ग में स्थित** देश बांग्लादेश में भारत की मंशा को लेकर संदेह हो सकता है। बांग्लादेश, भारत से प्रवाहित होने वाली नदियों से अपना लगभग 91% जल प्राप्त करता है।
- **जलवैज्ञानिक आंकड़ों पर चीन का सहयोग:** हालिया वर्षों में चीन और पाकिस्तान के मध्य गठजोड़ में अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसलिए, यदि इस संधि को निरस्त किया जाता है, तो चीन प्रत्युत्तरस्वरूप भारत को साझी नदियों के संबंध में जलवैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध करवाना रोक सकता है।
    - इस प्रकार के आंकड़े तिब्बत से प्रवाहित होकर अरुणाचल प्रदेश में आने वाली जल की मात्रा का मापन करने और राज्य में किसी भी बड़ी आपदा या बाढ़ को रोकने के उपाय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

आगे की राह

हालांकि, इस संधि ने अपने आरंभ में तात्कालिक रूप से कुछ उद्देश्यों की पूर्ति की थी, लेकिन द्विपक्षीय चुनौतियों का समाधान करने और सिंधु जल तंत्र के संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं:

- **विश्व स्तर पर भारत की स्थिति के प्रति समर्थन जुटाना:** नदियों के उद्गम और नदियों के ऊपरी प्रवाह मार्ग में स्थित देश होने के बावजूद भी भारत वर्षों से एक उदार देश रहा है, क्योंकि इसने संधि के तहत जल भंडारण की अपनी निर्धारित क्षमता का केवल 93% ही उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त, कश्मीर की तीन पश्चिमी नदियों (**सिंधु, झेलम और चिनाब**) में 11406 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता अनुमानित है, जबकि भारत ने अब तक केवल 3034 मेगावाट विद्युत क्षमता का ही दोहन किया है।
    - विश्व बैंक को शामिल कर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के पाकिस्तान के प्रयासों का सामना करने के लिए इस स्थिति का समर्थन लिया जा सकता है।
- **नई जल वैज्ञानिक वास्तविकताओं के आलोक में संशोधन:** वर्षों के दौरान बांध निर्माण और गाद हटाने में उन्नत इंजीनियरिंग विधियों का विकास हुआ है। इन्हें संधि में शामिल करने के लिए तत्काल संशोधन करने की आवश्यकता है।
- **सहयोग प्राप्त करना:** जहां भी संभव हो पाकिस्तान से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, IWT का अनुच्छेद VII "भविष्य में सहयोग" के बारे में उल्लेख करता है और नदियों पर संयुक्त अध्ययन एवं इंजीनियरिंग संबंधी कार्य आरंभ करने का आह्वान करता है।

मासिक समसामयिकी रिवीजन 2022

सामान्य अध्ययन
(प्रारंभिक + मुख्य परीक्षा)

प्रवेश प्रारम्भ

- इन कक्षाओं का उद्देश्य जटिल समसामयिकी मुद्दों, जिन्हें कवर करने की अपेक्षा उम्मीदवारों से की जाती है, की एक विस्तृत विषय–वार समझ विकसित करना है।
- तमाम समसामयिक मुद्दों की सर्वाधिक अद्यतित प्रासंगिक समझ, जिसमें भारतीय राजव्यवस्था और संविधान, शासन (गवर्नेंस), अर्थव्यवस्था, समाज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, संस्कृति, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा विविध विषयों के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ सम्मिलित हैं।
- इस कोर्स (लगभग 60 कक्षाएं) में विभिन्न मानक स्रोतों, जैसे– द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, PIB, PRS, AIR, राज्य सभा/लोक सभा टीवी, योजना आदि से महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों को शामिल किया जाएगा।
- प्रत्येक टॉपिक के बाद MCQ तथा मुख्य परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के माध्यम से आपकी समझ का आकलन।
- "टॉक टू एक्सपर्ट" के माध्यम से और कक्षा में ऑफ़लाइन व्याख्यान के दौरान चर्चा और विचार–विमर्श हेतु अवसर।
- प्रत्येक पखवाड़े में दो से तीन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। समय–समय पर मेल के माध्यम से शेड्यूल साझा किया जाएगा।

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

ENGLISH MEDIUM also Available

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2021: 28 Nov | प्रारंभिक 2022 के लिए 28 नवंबर

PRELIMS 2022 starting from 28 Nov

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2021: 27 Nov | मुख्य 2022 के लिए 28 नवंबर

for MAINS 2022 starting from 28 Nov

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

2. भारत को शामिल करने वाले और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मंच एवं समझौते (Bilateral, Regional and Global Groupings and Agreements Involving India and/or Affecting India's Interests)

2.1. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका रक्षा समझौता (India US Defence Agreement)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने **मंत्रिस्तरीय 2+2 वार्ता के तीसरे दौर** में **बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते (Basic Exchange and Cooperation Agreement: BECA)** पर हस्ताक्षर किए हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने रक्षा सहयोगियों के साथ जो 4 मौलिक समझौते (foundational agreement) किए गए हैं, उनमें BECA अंतिम समझौता है।
    - मौलिक समझौते से तात्पर्य आधारभूत स्तर पर कार्य का निर्माण करना तथा साझा मापदण्ड एवं प्रणाली के सृजन द्वारा सेनाओं के मध्य **अंतर-प्रचालन (interoperability) को प्रोत्साहित करना** है। ये समझौते उच्च स्तर की प्रौद्योगिकियों के **हस्तांतरण और बिक्री को भी निर्देशित** करते हैं।

तृतीय भारत-अमेरिका 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक

- **"2+2 वार्ता"** एक पद है, जो **दो देशों के रक्षा और विदेश मंत्रालयों के मध्य एक संवाद तंत्र** की स्थापना के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका उद्देश्य सामरिक और सुरक्षा हितों पर विचार-विमर्श करना है।
    - भारत ने **अन्य क्वाड (Quad) देशों यथा जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ** भी 2+2 वार्ता तंत्र स्थापित किया है।
- **तीसरी बैठक की मुख्य विशेषताएं:**
    - **रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाना: बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौते (BECA) पर हस्ताक्षर किए गए।**
    - **अमेरिका-भारत द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना:** हस्ताक्षर के लिए कुछ प्रमुख समझौते-
        - पृथ्वी विज्ञान (Earth Sciences) पर तकनीकी सहयोग।
        - परमाणु सहयोग पर जारी व्यवस्था का विस्तार।
        - डाक सेवाओं पर समझौता।
        - आयुर्वेद और कैंसर शोध में सहयोग।

कोविड-19 महामारी के दौरान सहयोग: मंत्रियों ने वैश्विक स्तर पर उच्च गुणवत्ता वाली, सुरक्षित, प्रभावी और वहनीय **कोविड-19 की वैक्सीन और उपचार** उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

ये चार मौलिक समझौते हैं:

भू-स्थानिक आसूचना के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता (BECA for Geospatial Intelligence)	• BECA भारत और अमेरिकी सेनाओं को **एक दूसरे के साथ भू-स्थानिक और उपग्रह द्वारा प्रेषित डेटा साझा करने** की अनुमति प्रदान करेगा। इसके तहत निम्नलिखित का आदान-प्रदान किया जाएगा: ○ मानचित्र, चार्ट, वाणिज्यिक और अन्य अवर्गीकृत चित्र। ○ भू-गणितीय (Geodetic), भू-भौतिकी (geophysical), भू-चुंबकीय (geomagnetic) और गुरुत्वाकर्षण संबंधी डेटा (gravity data)।

	○ मुद्रित या डिजिटल रूप में संबंधित उत्पाद, प्रकाशन और सामग्री। ○ परस्पर तकनीकी सहयोग और सूचना प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान। • यह भारत को अमेरिका की उन्नत भू-स्थानिक आसूचना का उपयोग करने तथा **मिसाइलों एवं सशस्त्र ड्रोन जैसी स्वचालित प्रणालियों और हथियारों की सटीकता को बढ़ाने में सक्षम बनाएगा।** • इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं।
लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (Logistics Exchange Memorandum of Agreement: LEMOA)	• LEMOA दोनों देशों को **ईंधन आपूर्ति और मरम्मत (replenishment) के लिए एक-दूसरे की निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है।** • इस समझौते के दायरे में प्राथमिक रूप से **चार क्षेत्र** होंगे यथा– पोर्ट कॉल्स (port calls), संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण एवं **मानवीय सहायता तथा आपदा राहत।** दोनों पक्ष विषय या मामले के आधार पर अन्य आवश्यकताओं पर भी सहमत हो सकेंगे। • **भारतीय भूमि पर अमेरिकी सेनाओं या संपत्तियों का कोई आधार-स्थल या अड्डा नहीं होगा।** यह विशुद्ध रूप से एक **रसद आधारित (logistical) समझौता** है। ○ भारत रसद सहयोग के लिए संपूर्ण विश्व में विस्तृत अमेरिकी सुविधाओं को प्राप्त कर सकता है और अमेरिका, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर परिचालनरत है, भारतीय सुविधाओं का लाभ उठा पाएगा। • **इस पर वर्ष 2016 में हस्ताक्षर किए गए थे।**
संचार संगतता एवं सुरक्षा समझौता (Communications Compatibility and Security Agreement: COMCASA)	• COMCASA, **संचार और सूचना सुरक्षा समझौता ज्ञापन** का एक भारत-विशिष्ट संस्करण है। • यह **दोनों पक्षों को एक ही संचार प्रणाली पर कार्य करने की अनुमति देता है और सेनाओं के "अंतर-प्रचालन (interoperable)" वाले परिवेश को सक्षम बनाता है।** • यह **अमेरिकी पक्ष को विधिक प्रारूप प्रदान करता है, ताकि वह अपने संवेदनशील संचार उपकरणों और कूटों (Code)** की **वास्तविक समय परिचालन सूचना (realtime operational information)** के स्थानांतरण में सक्षम हो सके। • COMCASA, भारत को C-17, C-130 और P-8Is जैसे अमेरिकी मूल के सैन्य मंचों हेतु **कूटबद्ध (encrypted) संचार स्थापित करने के क्रम में विशेष उपकरण हस्तांतरित करने की अनुमति प्रदान करता है।** • **इस पर वर्ष 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे तथा यह 10 वर्ष तक वैध है।**
सैन्य सूचना की सामान्य सुरक्षा समझौता (General Security Of Military Information Agreement: GSOMIA)	• यह **भारत और अमेरिका के मध्य** अधिक से अधिक **आसूचना साझाकरण प्रयासों को बढ़ावा देता है।** हाल ही में, GSOMIA के लिए दोनों देशों ने औद्योगिक सुरक्षा अनुबंध (Industrial Security Annex: ISA) पर हस्ताक्षर किए हैं। • ISA, **अमेरिकी और भारतीय रक्षा उद्योगों के मध्य गोपनीय सैन्य सूचनाओं** के आदान-प्रदान और संरक्षण हेतु एक ढांचा प्रदान करता है। • GSOMIA के अंतर्गत, ऐसी सूचनाओं का विनिमय सरकारी अधिकारियों के मध्य किया जाता है। • **इस पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे।**

मौलिक समझौते (Foundational Agreement) का महत्व

- दोनों देशों की सेनाओं के मध्य परस्पर विश्वास **की पुष्टि।**
- **बेहतर रक्षा संबंधों को सुगम बनाना।**
- **भारत की परंपरागत आक्रमण और रक्षा क्षमता को मजबूत करना।**
- **चीन का प्रतिरोध करने में:** भारत और अमेरिका तथा भविष्य में अन्य समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के मध्य निकट रक्षा एवं सैन्य सहयोग इस क्षेत्र में **चीनी आक्रामकता का सामना करने में सहायक** सिद्ध होगा।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक अभिसरण (Strategic Convergence):** अमेरिका और भारत के मध्य निकटतम साझेदारी एक मुक्त, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र का केंद्र है।
- **मानवीय सहायता में वृद्धि:** सफल शांति-स्थापना कार्रवाइयों को संपन्न करने के लिए विश्व स्तर पर क्षमता निर्माण करने में सहायक होना, जिसमें अन्य देशों को ऐसे अभियानों के लिए प्रशिक्षित और सक्षम सेना को रणक्षेत्र में उतारने हेतु समर्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

समझौते से संबंधित चुनौतियाँ

- **रूस का मुद्दा (Russia Factor):** अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी उपकरणों और प्लेटफॉर्मों से पीछे हट जाए, क्योंकि उसे अनुभव होता है कि इससे उसकी प्रौद्योगिकी और जानकारियां मॉस्को तक पहुंच जाएंगी।
- **अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल:**
  - आलोचकों का कहना है कि समझौते का उद्देश्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था और अमेरिकी कामगारों के लाभ के लिए भारत में अमेरिकी हथियारों की बिक्री को बढ़ावा देना है।
  - ये समझौते, विशेष रूप से LEMOA, प्रमुख रूप से अमेरिका के लिए लाभदायक हैं, क्योंकि अमेरिकी बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों के ईंधन भरने या पुन:आपूर्ति करने की संभावना कम ही है।
- **रणनीतिक स्वायत्तता की भारतीय नीति का मुद्दा:** आलोचकों का मत है कि ये समझौते भारतीय क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों या बंदरगाहों के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे या अमेरिकी प्रणाली और प्रक्रियाओं से भारत को अनावश्यक रूप से बाध्य कर भारत की दीर्घ काल से संचालित रणनीतिक स्वायत्तता की विदेश नीति के समक्ष खतरा उत्पन्न कर देंगे।
- **महत्वपूर्ण डेटा को साझा करने का मुद्दा:** COMCASA को लागू करने में डेटा की साझेदारी सम्मिलित है, जिससे भारतीय सैन्य परिसंपत्तियों की अवस्थिति पाकिस्तान या अन्य तीसरे पक्ष के सामने प्रकट हो सकती है।

निष्कर्ष

वर्ष 2005 के असैन्य परमाणु समझौते के बाद से, भारत-यू.एस. रक्षा सहयोग तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका ने भारत के पक्ष में प्रौद्योगिकी व्यापार पर प्रतिबंधों में काफी ढील दी है, और भारत को एक 'प्रमुख रक्षा भागीदार' नामित किया गया है। मूलभूत समझौतों के होने से रक्षा सहयोग और गहरा होगा और निश्चित रूप से भारत रणनीतिक रूप से लाभप्रद स्थिति में होगा। हालाँकि, भारत के नीति निर्माता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ये समझौते भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को प्रभावित नहीं करेंगे।

2.2. भारत-जापान (India-Japan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वाराणसी के **रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर** का उद्घाटन करते हुए, भारत के प्रधान मंत्री ने साझा मौलिक मूल्यों के साथ **जापान** को **भारत के सबसे भरोसेमंद मित्र** के रूप में स्वीकार किया।

अन्य संबंधित विवरण

- **वर्ष 2014** में, भारत और जापान ने संस्कृति, कला, शिक्षा, विरासत संरक्षण, शहरी आधुनिकीकरण आदि के क्षेत्रों में सहयोग के लिए **वाराणसी और क्योटो** शहरों के बीच एक **साझीदार शहर/सिस्टर सिटी** संबद्धता समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- **रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर (वाराणसी)** इन्हीं परियोजनाओं में से एक है, जिसे शहर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध**
  - **व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA)**
  - जापान, भारत में **FDI** के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है और भारत, जापान के **आधिकारिक विकास सहायता (ODA)** का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है।
  - भारत और जापान द्वारा ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल **(SCRI)** पर कार्य किया जा रहा है।
- **रक्षा और सामरिक सहयोग**
  - भारत और जापान द्वारा **UNSC** की स्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी तथा ब्राजील के साथ कार्य किया जा है (G4 या ग्रुप ऑफ़ फोर के रूप में)।
  - **2+2 संवाद (विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय संवाद),**
  - भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त और खुले इंडो–पसिफिक के लिए चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड)।
  - सैन्य अभ्यास जैसे कि जिमेक्स, शिन्यू मैत्री आदि।
- **कौशल विकासः** जापान द्वारा **12 जापान–भारत विनिर्माण संस्थान** स्थापित किए गए हैं और इसने 30,000 भारतीय युवाओं को जापानी शैली के विनिर्माण में प्रशिक्षित करने की पेशकश की है।
- **फ्रंटियर और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों** जैसे कि **अंतरिक्ष (JAXA, LUPEX) डिजिटल साझेदारी (I-JDP)** के क्षेत्र में सहयोग तथा **AI एवं IoT** के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए **भारत–जापान उभरती प्रौद्योगिकी और नवाचार कोष।**

भारत जापान संबंध – एक नजर में

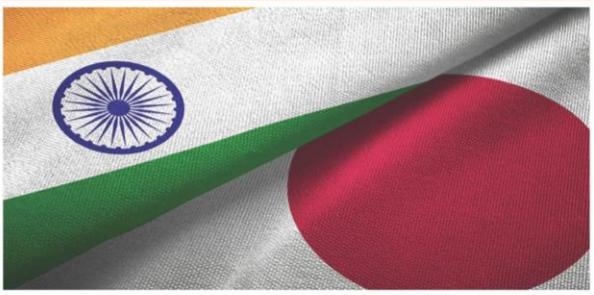

चुनौतियां

- **CEPA की सीमित सफलताः** आयात पर प्रशुल्क समाप्त करने के बावजूद, दोनों देशों के बीच व्यापार में मामूली वृद्धि हुई है।
- भारत का जापान के साथ व्यापार घाटा बढ़ता ही जा रहा है, अर्थात् द्विपक्षीय व्यापार जापान के पक्ष में है।
- जापान में प्रत्येक वस्तु के संबंध में उच्च न्यूनतम मानक की स्थिति भारतीय कंपनियों और उत्पादों के लिए जापान के बाजार में प्रवेश करने हेतु एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। साथ ही, निवेश में गतिशीलता को भी कम करते हैं।
- **दोनों देशों के मध्य प्रवाह में अंतरः** जहाँ भारत द्वारा डेटा स्थानीयकरण (जैसे भुगतान प्रणालियों पर RBI के नियम) को लागू किया जा रहा है, वहीं जापान द्वारा अन्य G-20 देशों के साथ 'ओसाका ट्रैक' के तहत सीमा–पार डेटा प्रवाह के मानकीकरण का प्रस्ताव किया गया है।
- एशिया–अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC) से अब तक कोई ठोस उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है।

सहयोग बढ़ाने के लिए आगे की राह

- डेटा स्थानीयकरण संबंधी मुद्दों को हल करना
- व्यापार की विसंगतियों को दूर करके आर्थिक अभिसरण में तेजी लाना, और
- वैश्विक स्तर पर सहयोग में तेजी लाना

2.3. भारत-रूस (India-Russia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **वर्ष 1971** में हस्ताक्षरित **"शांति, मित्रता और सहयोग पर भारत-सोवियत संधि"** की **50वीं वर्षगांठ** मनाई गई।

इस संधि की प्रमुख विशेषताएं

शांति	मित्रता	सहयोग
• इसके द्वारा दोनों देशों को एक दूसरे के पक्ष की **स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता** का सम्मान करने के साथ, एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने हेतु प्रतिबद्ध किया जाता है। • यह संधि दोनों देशों के **दृढ़ संकल्प (हथियारों की प्रतिस्पर्धा को रोकना)** को भी उजागर करती है। साथ ही, इसके द्वारा प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत, परमाणु और पारंपरिक अस्त्रों के सामान्य और **पूर्ण निरस्त्रीकरण** पर भी बल दिया जाता है।	• यह संधि **उपनिवेशवाद की विरोधी** रही है। साथ ही इसके द्वारा किसी अन्य रूप में उपनिवेशवाद की उपस्थिति और प्रसार के पूर्ण उन्मूलन पर भी बल दिया जाता है। • इस संधि का उद्देश्य एक दूसरे के मध्य **नियमित संपर्क को बनाए (दोनों देशों के हितों को प्रभावित करने वाली प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर बैठकों के आयोजन और उनके प्रमुख राजनेताओं के बीच विचारों के आदान-प्रदान के माध्यम से) रखने हेतु दोनों देशों को प्रोत्साहित** करना है।	• यह संधि दोनों पक्षों को, किसी **तीसरे पक्ष** (जो दोनों या किसी एक पक्ष के साथ सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो) को सहायता न प्रदान करने के लिए बाध्य करती है। • **समानता, पारस्परिक लाभ और 'मोस्ट फेवर्ड नेशन'** व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत और विस्तारित करना।

इस संधि का महत्व

- **सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत का समर्थन करना:** यह कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। बल्कि इसके विपरीत, इसने भारत की सामरिक स्वायत्तता और स्वतंत्र कार्रवाई के लिए आवश्यक आधार को सशक्त किया है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौता:** विशेषज्ञों के अनुसार यह संधि, स्वतंत्रता के पश्चात् भारत द्वारा किया गया सर्वाधिक परिणामी अंतर्राष्ट्रीय समझौता रहा है।
- **हितों का अभिसरण:** यह संधि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने में हितों के अभिसरण (alignment of interests) को प्रदर्शित करती है। साथ ही, युद्ध और शांति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर, दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के उल्लेखनीय अभिसरण को भी प्रदर्शित करती है।
- **समकालीन महत्व:** हालांकि, यह संधि ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है, जिसे एक ऐसे युग में हस्ताक्षरित किया गया था जो "अब अप्रासंगिक हो चला है"। इसके बावजूद, इस संधि का भू-राजनीतिक आधार एवं मूल्य अब भी प्रासंगिक बने हुए हैं, जो 21वीं सदी में भारत और रूस के मध्य घनिष्ठ साझेदारी में भी परिलक्षित होता है। ये चिरस्थायी मूल्य, विशिष्ट एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के रूप में अभिलक्षित होते हैं।

भारत-रूस संबंधों का सामरिक महत्व

- **रक्षा साझेदारी:** रक्षा संबंध वस्तुतः भारत और रूस के अत्यधिक प्रभावशाली पहलुओं में से एक रहे हैं। ये **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त विकास, विपणन व बिक्री एवं उपकरणों के निर्यात** जैसे तीन घटकों के इर्द-गिर्द केंद्रित रहे हैं। ये रक्षा संबंध विशिष्ट समझौते का परिणाम हैं, जिसे किसी अन्य देश के साथ स्थापित नहीं किया गया है। साथ ही इसने भारत के स्वदेशी रक्षा निर्माण को महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान की है।
  - दोनों देशों के मध्य संचालित कुछ प्रमुख रक्षा सहयोग कार्यक्रमों में शामिल हैं- **ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल कार्यक्रम,** सुखोई एसयू-30 और सामरिक परिवहन विमान (Tactical Transport Aircraft)।
- **आर्थिक संबंध:** यह दोनों देशों के मध्य सुदृढ़ संबंधों की स्थापना की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है फिर भी इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। हालांकि द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत और रूस द्वारा विभिन्न तरीके तलाशे जा रहे हैं।

- **ऊर्जा सुरक्षा:** ऊर्जा क्षेत्र में, रूस प्रारंभ से ही भारत में परमाणु रिएक्टर (कुडनकुलम रिएक्टर) के निर्माण की दिशा में सहयोगी रहा है। साथ ही, यह परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी सामरिक दृष्टिकोण के अंगीकरण हेतु प्रतिबद्ध रहा है। रूस अपने ईंधन क्षेत्र में तेल, गैस और निवेश के अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने में मददगार रहा है, उदाहरण के लिए, सखालिन-1 (Sakhalin-1) आदि।
  - दोनों देशों द्वारा, **तीसरी दुनिया के देशों (3rd countries)** जैसे कि बांग्लादेश को असैन्य परमाणु सहयोग प्रदान किया गया है।
- **अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी:** अंतरिक्ष के क्षेत्र में, भारत और रूस के **चार दशक से घनिष्ठ संबंध** रहे हैं। पूर्व सोवियत संघ की मदद से भारत के पहले दो उपग्रहों नामतः, आर्यभट्ट तथा भास्कर को प्रक्षेपित किया गया था। रूस ने भारी रॉकेट के निर्माण के लिए भारत को क्रायोजेनिक तकनीक प्रदान करने में भी मदद की है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:** रूस ने **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC) में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी** का समर्थन किया है। यह परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Supplier Group: NSG) में भारत के प्रवेश का समर्थन करता रहा है। दोनों देश ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO), जी20 (G20) आदि सहित विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे के सहयोगी रहे हैं।
- **सांस्कृतिक संबंध:** लोगों-से-लोगों तक संपर्क ('नमस्ते रूस' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से) तथा जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक केंद्र (Jawaharlal Nehru Cultural Centre) जैसे संस्थानों के माध्यम से, दोनों देशों के मध्य शैक्षिक प्रतिभा को साझा करने हेतु प्रयास किए जाते रहे हैं। यह दोनों देशों के बीच बेहतर सांस्कृतिक संबंधों को प्रतिबिंबित करता है।

समकालीन मुद्दे

वैसे तो भारत-रूस संबंध हमेशा से अत्यधिक घनिष्ठ रहे हैं, लेकिन इनमें भारत-सोवियत संबंधों के समय की तुलना में प्रगाढ़ता में कमी आयी है। हाल ही में, भारत-रूस संबंधों में गिरावट देखी गई है। इसकी वजह निम्नलिखित हैं:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) से भारत की बढ़ती नजदीकी:** भारत और USA के बीच तेजी से बेहतर होते संबंधों व बढ़ते रक्षा संबंधों तथा USA के नेतृत्व में भारत के क्वाड्रीलेटरल समूह (quadrilateral group) में शामिल होने से, रूस की विदेश नीति में एक सामरिक परिवर्तन आया है। पिछले कुछ समय से रूस के पश्चिमी देशों के साथ संबंध अत्यधिक प्रतिकूल रहे हैं, जिसके कारण वह चीन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रेरित हुआ है।
- **रक्षा साझेदारी:**
  - मौजूदा समय में, भारत द्वारा **USA, इजरायल आदि देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को विविधता** प्रदान की जा रही है। भारतीय रक्षा आयात में रूस की हिस्सेदारी वर्ष 2008-2012 के बीच 79 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2013-2017 के मध्य 62 प्रतिशत हो गई है।
  - **भारत और USA के मध्य चार मूलभूत समझौतों** (जैसे कि लॉजिस्टिक्स समझौता, आधारभूत विनिमय और सहयोग समझौता आदि) **पर हस्ताक्षर किए गए हैं,** जो दोनों सैन्य शक्तियों के बीच बढ़ी हुई अंतर-संचालन क्षमता को दर्शाता है। भारत-रूस संबंध में इस पहलू का अभाव है।
    - हालांकि, भारत-रूस द्विपक्षीय लॉजिस्टिक्स समझौता- **'लॉजिस्टिक्स समझौते का पारस्परिक आदान-प्रदान' (RELOS)** जल्द ही संपन्न होना है।
- **व्यापार:**
  - व्यापार हमेशा से एकल आयामी यानी **रक्षा आधारित** रहा है। वर्ष 2017-18 में दोनों देशों के मध्य 10.7 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था, जो चीन के साथ (89.7 अरब डॉलर) और संयुक्त राज्य अमेरिका (74.5 अरब डॉलर) के साथ भारत के व्यापार की तुलना में काफी कम है।
  - इसके अतिरिक्त ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जो भारत-रूस व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कनेक्टिविटी के मुद्दे, अत्यधिक दूरी, निम्नस्तरीय बैंकिंग लिंक, दोनों पक्षों के बोझिल नियामकों का अनुपालन और रूस की प्रतिबंधात्मक वीजा व्यवस्था।
- **विदेश नीतियों के संदर्भ में रूस का बदला हुआ रूख:**
  - **पाकिस्तान के प्रति:** रूस ने वर्ष 2014 में पाकिस्तान पर आरोपित हथियारों के व्यापार के प्रतिबंध को हटा लिया था। साथ ही सितंबर 2016 में रूस और पाकिस्तान के मध्य एक सैन्य अभ्यास को भी संचालित किया गया था। वर्ष 2017 में दोनों देशों के

VISION IAS

मध्य एक सैन्य-तकनीकी सहयोग समझौते (military-technical cooperation agreement) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जो हथियारों की आपूर्ति और हथियार विकास से संबंधित है। इन सभी कारकों ने भारत की चिंता को और अधिक बढ़ा दिया है।

- **चीन के प्रति:** रूस और चीन के बीच बढ़ते सामरिक सैन्य संबंधों ने भी भारत-रूस संबंधों को प्रभावित किया है। रूस ने बीजिंग को उन्नत सैन्य तकनीक का विक्रय किया है और इसके द्वारा चीन के 'वन बेल्ट वन रोड' का समर्थन भी किया गया है। ब्रिक्स जैसे मंचों पर रूस का चीन के प्रति झुकाव भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त रूस के सुदूर-पूर्वी क्षेत्रों से चीन को प्राकृतिक गैस मुहैया कराने के लिए चीन और रूस के मध्य पहली सीमा पार पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है, जिसे **"पॉवर ऑफ़ साइबेरिया"** के रूप में संदर्भित किया गया है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग को दर्शाती है।

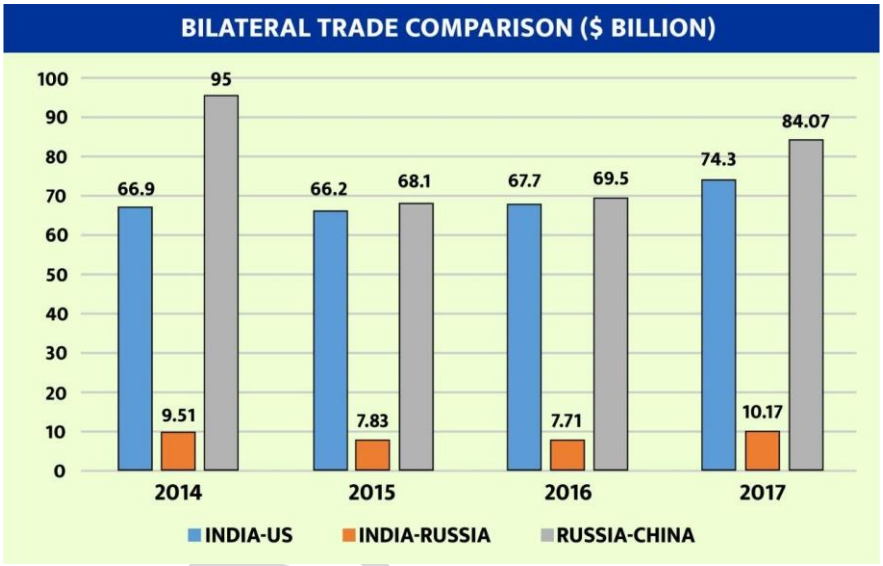

- **तालिबान के प्रति:** रूस, **अफ़गानिस्तान में तालिबान का पक्षधर** रहा है जबकि भारत के लिए तालिबान एक चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, रूस द्वारा (अफ़गानिस्तान में तेजी से बदलते परिदृश्य को देखते हुए) बुलाई गई एक महत्वपूर्ण बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया था।

आगे की राह

- **सहयोग के विविध क्षेत्र:** भारत और रूस को ऊर्जा तथा रक्षा से परे, सहयोग के अपने क्षेत्रों में विविधता लाने हेतु प्रयास करना होगा। इन दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों (अपेक्षा के अनुरुप न होने के कारण) की स्थिति को सुदृढ़ किया जाना चाहिए तथा साथ ही 'मेक इन इंडिया' जैसी नीतियों का लाभ उठाने के लिए, संबंधों में सक्रिय हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  - भारत और रूस अपने संबंधों के लिए एक साझा सामरिक साझेदारी के तर्काधार (common strategic rationale) के सहभागी होने पर बल देते रहे हैं। द्विपक्षीय तालमेल के अतिरिक्त, दोनों देश **ब्रिक्स, रिक समूह** अर्थात् रूस-भारत-चीन (Russia-India-China: RIC) समूह, **जी20, पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन** (East Asia Summit) और **SCO** सहित विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों के सदस्य भी हैं। ये ऐसे संगठन हैं, जहां आपसी महत्व के मुद्दों पर सहयोग के अवसर मौजूद हैं। **आतंकवाद रोधी अभियानों (counter terrorism), साइबर सुरक्षा, अफ़गानिस्तान संघर्ष, बाह्य अंतरिक्ष और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी इन दोनों देशों के मध्य सहयोग** की आवश्यकता है।
- **पारस्परिक आवश्यकता:** भारत के लिए यह बेहतर होगा कि उसके द्वारा रूस के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास किए जाएं, ताकि रूस को चीन पर पहले से अधिक निर्भर होने से रोका जा सके। साथ ही, रूस को भी भारत सहित पूरे क्षेत्र में अपने संबंधों में विविधता लाने से लाभ प्राप्त हो सकता है, ताकि उसकी **एशिया के लिए धुरी (pivot to Asia) की नीति, चीन के लिए (pivot to China) धुरी की नीति बनकर न रह जाए।**
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रासंगिकता:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रूस के साथ घनिष्ठ सहयोग से भारत को लाभ होगा।
- **यूरेशियन पहुँच को सुदृढ़ बनाना:** यूरेशिया में अपनी पहुँच को सुदृढ़ बनाने के लिए, भारत द्वारा **'अधिक व्यापक यूरेशियाई साझेदारी'** के रूस के प्रस्ताव का उपयोग किया जाना चाहिए। इस साझेदारी के अंतर्गत यूरेशियन आर्थिक संघ (Eurasian Economic Union: EAEU), चीन, भारत, पाकिस्तान एवं ईरान को शामिल करने की बात की गई है।

2.4. भारत-यूनाइटेड किंगडम (India-UK)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत-यूनाइटेड किंगडम के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।

भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) का महत्व

- **आर्थिक:**
- **व्यापार:** भारत के पक्ष में 15.5 बिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष।
- **निवेश:** भारत, यू.के. में निवेश करने वाला दूसरे सबसे बड़ा निवेशक राष्ट्र है और यू.के., भारत में निवेश करने वाला चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश है।
- **रणनीतिक:** अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता में यूनाइटेड किंगडम एक समान विचारधारा वाला देश है, जो हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत के रणनीतिक हित को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा सकता है।
- **चीन पर निर्भरता कम करना:** यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चीन से संबंधित जोखिमों से बचाव करने में सहायक है, जैसे– यू.के. द्वारा अपने 5G नेटवर्क में हुवावे (Huawei) के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाया जाना।
- **आतंकवाद विरोधी एजेंडे के लिए समर्थन:** चरमपंथी समूह जैश–ए–मोहम्मद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में सह–प्रायोजित प्रयास।
- **यू.के. की वृद्ध आबादी:** श्रम बल की कमी को पूरा करने के लिए भारत योगदान दे सकता है।
- **सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध:** भारतीय मूल के लगभग 15 लाख लोग ब्रिटेन में रहते हैं।

भारत–यू.के. संबंध – एक नज़र में

भारत–यू.के. संबंधों में व्याप्त मुद्दे

- **औपनिवेशिक दृष्टिकोण:** ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेश विरोधी आक्रोश।
- **भारत का जटिल कारोबारी माहौल:** कर, आयात और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि से संबंधित जटिल कानून।
- **यू.के. की आप्रवास नीतियां:** लोगों की आवाजाही पर अनावश्यक प्रतिबंध।
- **रक्षा सहयोग:** सरकार से सरकार के ढांचे के बजाए वाणिज्यिक नेतृत्व वाले लेनदेन पर निर्भरता।
- **पाकिस्तान और चीन के साथ निकटता:** पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर ब्रिटेन की नरमी और ब्रेक्जिट के बाद की चीन को अपनी आर्थिक नीति में मुख्य भूमिका के रूप में शामिल करने हेतु किए जा रहे ठोस प्रयास।
- **यू.के. की लेबर पार्टी का हालिया रवैया:** कश्मीर और किसान आंदोलन सहित भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप।

आगे की राह

- **हिंद–प्रशांत क्षेत्र का प्रबंधन:** क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है।
- **ब्रेक्जिट साझेदारी के बाद:** यू.के. के साथ FTA, सेवा क्षेत्र के लिए बेहतर माहौल, कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए अधिक रोजगार के अवसर आदि।
- **व्यापक सहयोग:** शहरीकरण, डिजिटलीकरण और कौशल विकास के साथ–साथ शिक्षा, विज्ञान और रचनात्मक उद्योगों आदि में।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस शिखर सम्मेलन के दौरान **द्विपक्षीय संबंधों को "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" (Comprehensive Strategic Partnership)** तक बढ़ाने के लिए **"रोडमैप 2030"** अपनाया गया है।

रोडमैप 2030				
देशों और लोगों को जोड़ना	**व्यापार और समृद्धि**	**रक्षा और सुरक्षा**	**जलवायु**	**स्वास्थ्य**
• G-20, विश्व व्यापार संगठन आदि जैसे बहुपक्षीय मंचों पर **सहयोग और समन्वय को मजबूत करना।** • **व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी को लागू करना।** • **भावी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए साझेदारी हेतु प्रयास** करना। • भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए **"भारत-यू.के. टुगेदर"** ('साथ-साथ') पहल को समर्थन प्रदान करना।	• **उन्नत व्यापार भागीदारी (Enhanced Trade Partnership: ETP) आरंभ करना,** जो एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता को शामिल करती हो। • **सेवा क्षेत्र में विनिमय एवं सहयोग बढ़ाना।** • उत्पादन-से संबद्ध प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाकर **यू.के. की कंपनियों को भारत के विनिर्माण क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना।**	• वर्ष 2015 में स्वीकृत **रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा भागीदारी (Defence and International Security Partnership: DISP) के तहत सहयोग का विस्तार करना।** • **नौवहन और सार्वभौमिक पहुंच की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना तथा समुद्री सहयोग में सुधार करना।** • **साइबर स्पेस में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देना।**	• भारत के **'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड' (OSOWOG)** के विज़न को पूरा करने में मदद करने के लिए कॉप26 में 'ग्लोबल ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव' की शुरुआत।	• **टीके, चिकित्साविधान और निदान पर भारत-यू.के. साझेदारी विकसित करना** तथा **अप्रैल 2022 तक समान वैश्विक आपूर्ति की गारंटी** में सहायता करते हुए, कोविड-19 से संबंधित वितरण नीति, नैदानिक परीक्षण, विनियमन, अनुसंधान और नवाचार विकसित करने के लिए यू.के.-भारत वैक्सीन हब का विस्तार करना।

2.4.1. ब्रेक्जिट व्यापार समझौता (Brexit Trade Deal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम (ब्रिटेन) एवं यूरोपीय संघ (EU) के बीच ब्रेक्जिट उपरांत स्वतंत्र व्यापार समझौते को लेकर सहमति बनी है। तात्पर्य यह है कि यूरोपीय संघ-यूनाइटेड किंगडम व्यापार एवं सहयोग समझौते (Trade and Cooperation Agreement: TCA) ने इस समूह से UK की निकासी पर मुहर लगा दी है।

यूरोपीय संघ

- यह एक आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन है। **27 यूरोपीय देश** इसके सदस्य हैं।
- यह सदस्य देशों को स्वतंत्र व्यापार की अनुमति प्रदान करता है। यह सदस्य देशों के निवासियों को अपनी इच्छानुसार किसी भी सदस्य देश में निवास करने, व्यापार करने एवं नौकरी करने के लिए स्वतंत्र रूप से आवागमन करने की अनुमति देता है।
- इस संघ की स्वयं की मुद्रा है, जिसका नाम **यूरो** है। इस मुद्रा का प्रयोग 19 सदस्य देशों द्वारा किया जाता है। इसकी स्वयं की संसद एवं अन्य संस्थाएं हैं।
- **लिस्बन संधि के अनुच्छेद 50** में सदस्य देशों द्वारा

यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने का प्रावधान किया गया है।
- ब्रिटेन वर्ष 1973 में इसमें सम्मिलित हुआ था।

पृष्ठभूमि

- **ब्रेक्जिट (ब्रिटिश एग्जिट)** वस्तुतः यूनाइटेड किंगडम (अर्थात् ब्रिटेन) द्वारा यूरोपीय संघ एवं यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय (European Atomic Energy Community) की सदस्यता के परित्याग को संदर्भित करती है।
- **वर्ष 2016 में एक जनमत संग्रह** के उपरांत, **ब्रिटेन जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ की सदस्यता त्यागने वाला प्रथम देश बन गया।** इसके पश्चात, समूह से निकासी के समझौते के अनुसार 11 माह की संक्रमण (परिवर्तनशील) अवधि प्रारंभ हुई।
- ब्रिटेन एवं यूरोपीय संघ अंततः एक समझौते पर सहमत हो गए हैं। यह समझौता उनके भविष्य के संबंधों को परिभाषित करेगा।

इस समझौते के मुख्य प्रावधान

- **वस्तुओं में व्यापार:** इस समझौते के अंतर्गत, EU एवं ब्रिटेन के मध्य वस्तुओं के व्यापार पर न कोई प्रशुल्क लगाया गया है और न कोई कोटा निर्धारित किया गया है।
  - कृषि उत्पादों पर प्रशुल्क आरोपित नहीं होगा और न ही उनका कोई कोटा निर्धारित होगा। परंतु निर्यातकों को सीमा संबंधित नई शर्तों के परिणामस्वरूप नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी लागत भी बढ़ जाएगी।
- **कुछ मामलों में एक-समान नियमों पर सहमति:** EU और ब्रिटेन, दोनों अपने पर्यावरणीय, सामाजिक, श्रम एवं कर से संबंधित पारदर्शिता मानदंडों को बरकरार रखने के लिए सहमत हुए।
- **विवाद:** व्यापार को लेकर होने वाले किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में दोनों पक्षों में संवाद होगा, परंतु EU के न्यायालयों की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- **पेशेवर सेवाएं:** पेशेवर योग्यताओं को स्वतः परस्पर मान्यता देने की व्यवस्था अब प्रभावी नहीं रह जाएगी।
- **कानून:** EU एवं ब्रिटेन के मध्य, विशेषकर आतंकवाद से संबद्ध मामलों की जांच करने एवं अन्य गंभीर अपराध के मामले में सहयोग किया जाएगा। नए समझौते के अंतर्गत DNA, फिंगरप्रिंट एवं हवाई यात्रियों की सूचना के आदान-प्रदान की अनुमति होगी।
- **आवागमन की स्वतंत्रता:** ब्रिटेन के नागरिकों को अब EU के सदस्य देशों में कार्य करने, अध्ययन करने, कारोबार करने या निवास करने की स्वतंत्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, 90 दिनों से अधिक समय तक ठहरने के लिए वीजा अनिवार्य होगा।

भारत, ब्रिटेन एवं EU: व्यापार संबंध

- **ब्रिटेन भारत का 14वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है।** भारत एवं ब्रिटेन के मध्य व्यापार 15.5 अरब डॉलर की सीमा तक पहुंच गया है। **भारत के पक्ष में 2 अरब डॉलर का व्यापार अधिशेष है।**
  - ब्रिटेन, **भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है** एवं **भारत** अब ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में **निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक है।**
- **EU, भारत का तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रीय व्यापारिक भागीदार है**, जबकि भारत वर्ष 2018-19 में EU का 9वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। यूरोपीय संघ के साथ भारत का समग्र द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए 115.64 अरब अमेरिकी डॉलर था।
  - EU भारत के लिए FDI के सबसे बड़े स्रोतों में से एक रहा है। **भारत उन कुछ राष्ट्रों में से एक है, जो EU के साथ सेवा व्यापार के क्षेत्र में अधिशेष की स्थिति में हैं।**
- ब्रिटेन में **भारतीयों के स्वामित्व वाली लगभग 800 कंपनियां हैं।** इसमें लगभग 1,10,000 लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। उदाहरणार्थ- जगुआर लैंड रोवर पर टाटा समूह का स्वामित्व है। इनमें से कई कंपनियां व्यापक यूरोपीय बाजार को ध्यान में रखकर निवेश करती हैं।
- **ब्रिटेन और यूरोप में,** भारत अपना एक चौथाई (लगभग 30 अरब डॉलर मूल्य) सूचना प्रौद्योगिकी (IT) का निर्यात करता है।

भारत पर ब्रेक्जिट डील का प्रभाव

- **ब्रेक्जिट** से भारत के लिए **अवसर एवं चुनौतियां, दोनों सृजित होंगे।** परंतु, ब्रेक्जिट समझौते से **भारत को शुद्ध रूप से लाभ हो सकता है।**
- **सेवा क्षेत्रक:** सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, स्थापत्य एवं वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रकों में, **भारत को दोनों बाजारों से लाभ हो सकता है, परंतु विशेष रूप से ब्रिटेन के बाजार से अधिक लाभ होगा।**

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- उदाहरण के लिए, सूचना प्रौद्योगिकी विशेषकर सेवाओं के निचले स्तर पर यूरोपीय संघ में भारत का प्रतिद्वंद्वी **पोलैंड** है। अब, पेशेवरों के स्वतंत्र रूप से आवागमन को लेकर पोलैंड पर प्रतिबंध होगा, जो भारत के लिए लाभदायक हो सकता है।

- **जो भारतीय निर्यातक** EU और ब्रिटेन के बाजारों में आपूर्ति कर रहे थे, **उन्हें दोनों बाजारों के लिए पृथक-पृथक मानकों एवं पंजीकरण की शर्तों को पूर्ण करने की चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा।**
- **व्यापार समझौता:** ब्रेक्जिट से भारत के लिए EU एवं ब्रिटेन, दोनों के साथ भिन्न-भिन्न व्यापार समझौता करने का अवसर भी उत्पन्न हुआ है
  - UK एवं भारत के मध्य पर्याप्त चर्चा के उपरांत होने वाले द्विपक्षीय व्यापार समझौते से द्विपक्षीय व्यापार के 26% तक बढ़ने की संभावना है।
- **भारतीय उत्पादकों के लिए बाधा:** जिन भारतीय कंपनियों के मुख्यालय ब्रिटेन या EU में हैं, उन्हें दोनों बाजारों को अपनी सेवा देने में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। **इन चुनौतियों में शामिल हैं - पेशेवरों के आने-जाने पर प्रतिबंध, शून्य प्रशुल्क के लिए उत्पत्ति के नियमों (rules of origin) को पूर्ण करना**

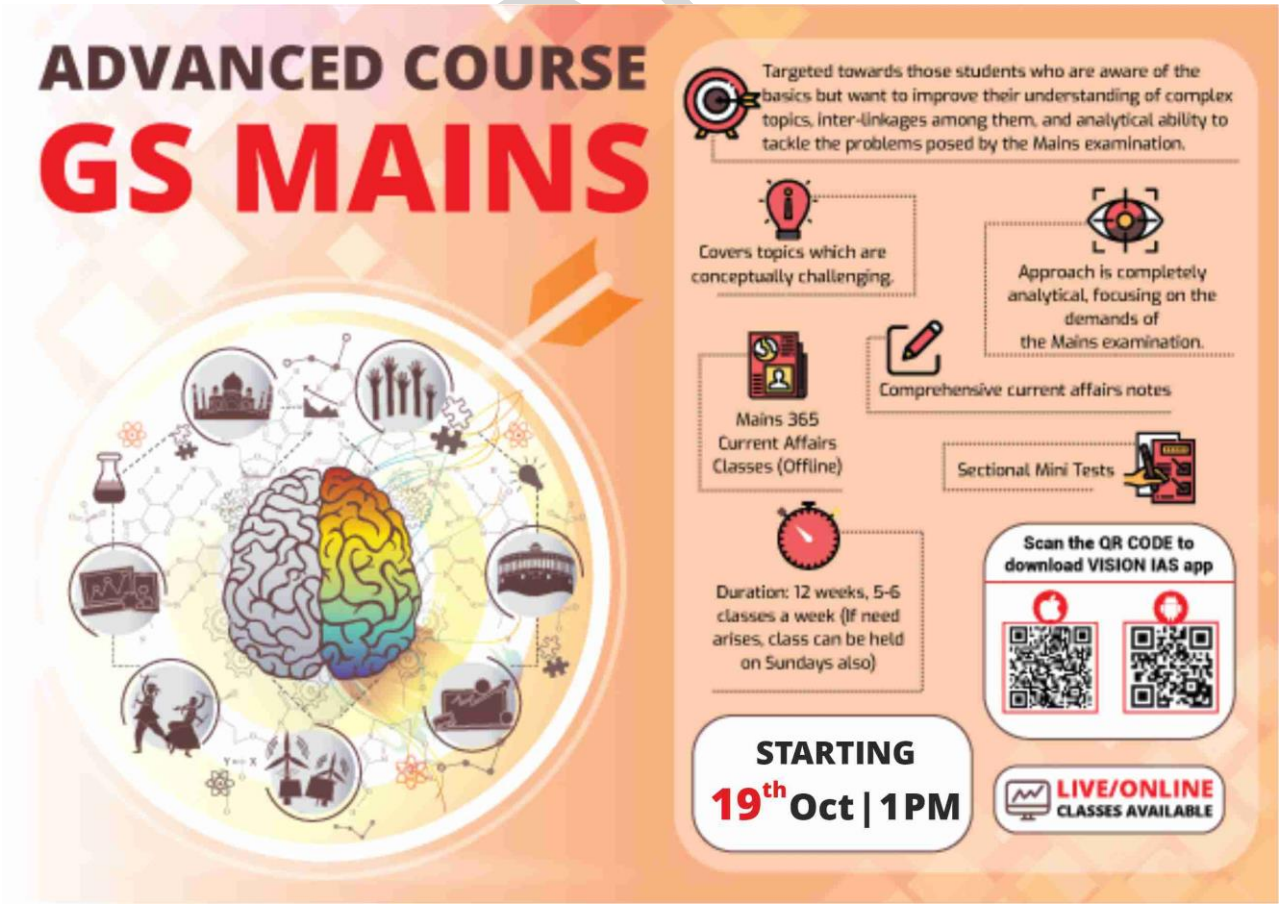

2.5. भारत-ऑस्ट्रेलिया (India-Australia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और ऑस्ट्रेलिया के **विदेश** और **रक्षा मंत्रियों** ने **पहली भारत-ऑस्ट्रेलिया "2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता"** आयोजित की।

सहयोग के क्षेत्र

- **आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध:**
  - द्विपक्षीय वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार 24.4 अरब डॉलर और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 1.4 अरब डॉलर।
  - ऑस्ट्रेलिया का "एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू 2035" एक विज़न दस्तावेज है। इसका उद्देश्य भारत–ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंध को आकार देना है।
  - भारत–ऑस्ट्रेलिया खाद्यान्न साझेदारी का उद्देश्य फसल कटाई के बाद ऑस्ट्रेलिया की प्रबंधन विशेषज्ञता का उपयोग करना है।
- **रक्षा और सुरक्षा सहयोग:** सामरिक साझेदारी, सुरक्षा सहयोग और असैनिक परमाणु सहयोग समझौता पर संयुक्त घोषणा–पत्र।
- **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** ऑस्ट्रेलिया–भारत सामरिक अनुसंधान कोष और साइबर एवं साइबर–सक्षम महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी पर समझौता।
- **वैश्विक सहयोग:**
  - चीन की आक्रामकता और मुखर विदेश नीति दोनों देशों के लिए चिंता का एक विषय है।
  - स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम–आधारित हिंद–प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण में दोनों के साझा हित हैं।
  - दोनों ही क्वाड और आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI) में शामिल हैं।
  - ऑस्ट्रेलिया का **पैसिफिक स्टेप** अप और भारत का **फिपिक या हिंद–प्रशांत द्वीपसमूह सहयोग मंच (FIPIC)** दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दोनों के मध्य सहयोग की अभिपुष्टि करता है।
- **लोगों से लोगों के बीच संपर्क:** ऑस्ट्रेलिया में लगभग 7 लाख छात्रों सहित अनेक प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति।

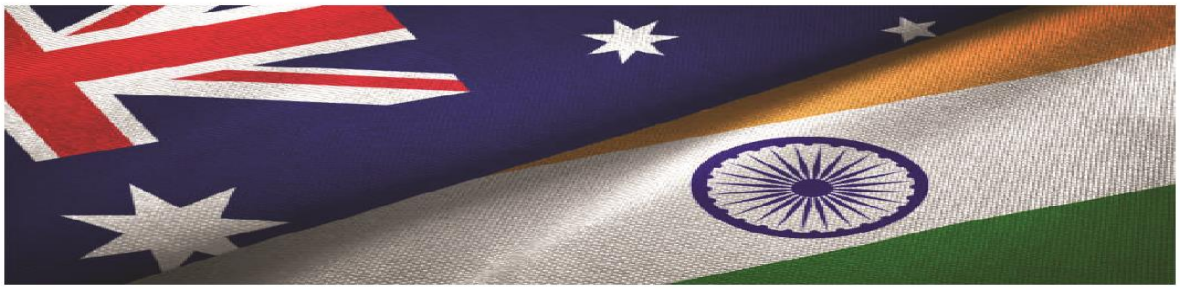

भारत–ऑस्ट्रेलिया संबंध एक नज़र में

चुनौतियां

- व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (CECA), नौ दौर की वार्ता के बाद भी अनिर्णायक बना हुआ है।
- भारत, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) से बाहर हो गया है। इसके अलावा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कृषि एवं डेयरी उत्पादों से संबंधित बाजार पहुंच पर सहमति नहीं बन पाई है, आदि।
- ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था चीन पर बहुत अधिक निर्भर है। साथ ही चीन, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है।

आगे की राह

- आर्थिक अवसरों को साकार करने के लिए दोनों देशों को जल्द से जल्द CECA को संपन्न करना चाहिए।
- रक्षा उद्योग और वाणिज्यिक साइबर गतिविधि आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहभागिता का विस्तार करना चाहिए।

वार्ता के प्रमुख केंद्रित क्षेत्र:

- **इंडो-पैसिफिक पर फोकस:** एक खुला, मुक्त, समृद्ध और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र बनाए रखना।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल पर ध्यान देना।**
- **तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान पर साझा दृष्टिकोण अपनाना।**
- **आतंकवाद का मुकाबला करना।**
- **द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाना।**
- **कोविड-19 में सहयोग।**

2.6. भारत-वियतनाम (India-Vietnam)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय प्रधान मंत्री और उनके वियतनामी समकक्ष ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

भारत के लिए वियतनाम का महत्व

- **भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण घटक:** यह एक्ट ईस्ट नीति, हिंद–प्रशांत विज़न, और सागर (SAGAR) नीति का महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंध वर्ष 2007 में सामरिक भागीदारी (स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप) स्तर तक थे, जो वर्ष 2016 मे "व्यापक रणनीतिक साझेदारी" तक पहुंच गए।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को समर्थन:** जैसे कि UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन।
- **दक्षिण चीन सागर में चीन को प्रतिसंतुलित करने में।**
- **समान हितों की पूर्ति:** भारत और वियतनाम मुख्य रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रीय मंचों, जैसे– आसियान, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, मेकांग गंगा सहयोग (MGC), एशिया यूरोप बैठक (ASEM) आदि में घनिष्ठ सहयोगी हैं।
- **मजबूत व्यापार पूरकताएं:** जैसे रक्षा क्षेत्र में (सामान्य रूप से द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2019–20 में 12.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया)।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** दक्षिण चीन सागर में तेल और पेट्रोलियम का अन्वेषण।
- **समुद्री सुरक्षा और सेफ्टी:** भारत का लगभग 50 प्रतिशत व्यापार हिंद–प्रशांत क्षेत्र से होता है।

भारत–वियतनाम संबंध – एक नज़र में

चिंताए

- **दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा:** इस क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन की खोज संबंधी भारत की संभावना के समक्ष खतरा पैदा कर सकता है।
- **RCEP से बाहर होने का भारत का निर्णय:** व्यापार संबंधों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- **असंगत व्यापार वृद्धि:** विदेश नीति में अंतर के कारण।

आगे की राह

- **दोनों देशों के लोगों में घनिष्ठ संपर्क को बढ़ावा देना:** बौद्ध और चाम संस्कृति, सीधी उड़ानें, यात्रा में आसानी आदि।
- **आर्थिक सहयोग बढ़ाना:** हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और बिम्सटेक जैसे उप क्षेत्रीय मंचों के माध्यम से।
- **वर्ष 2015–2020 के लिए रक्षा सहयोग पर सयंक्त दृष्टि कोण का नवीनीकरण:** रक्षा और सुरक्षा संबंधी घनिष्ठ संबंधों की पुष्टि करना।

इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- दोनों देशों द्वारा **रक्षा, परमाणु ऊर्जा, पेट्रो-रसायन, नवीकरणीय ऊर्जा, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सहयोग और कैंसर के उपचार** जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित **सात समझौतों** पर हस्ताक्षर किए गए।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान भविष्य में **भारत-वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी (India-Vietnam Comprehensive Strategic Partnership)** का मार्गदर्शन करने के लिए **'शांति, समृद्धि और लोगों के लिए एक संयुक्त दृष्टिकोण' दस्तावेज़** को अपनाया गया।
- **अन्य प्रमुख घोषणाओं में शामिल हैं:**
  - भारत सरकार द्वारा वियतनाम को प्रदत्त **100 मिलियन अमरीकी डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट (रक्षा क्षेत्र में ऋण)** के तहत **वियतनाम बॉर्डर गार्ड कमांड** के लिए **हाई स्पीड गार्ड बोट (High-Speed Guard Boat: HSGB)** विनिर्माण परियोजना का कार्यान्वयन किया जाएगा।
  - वित्त वर्ष 2021-2022 तक वर्तमान में पाँच वार्षिक **त्वरित प्रभाव वाली परियोजनाओं (Quick Impact Projects: QIPs)** की संख्या बढ़ाकर 10 करना।
    - QIPs लघु अवधि वाली परियोजनाएं हैं, जिसके अंतर्गत अधिकांशत: सड़क, स्थानीय सामुदायिक केंद्र, सामाजिक अवसंरचना जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता या सामुदायिक विकास क्षेत्र आदि भौतिक अवसंरचना का उन्नयन शामिल है।
  - **भारत-वियतनाम सभ्यता और सांस्कृतिक संबंध पर एक विश्वकोश** को तैयार करने के लिए द्विपक्षीय परियोजना का शुभारंभ किया गया।

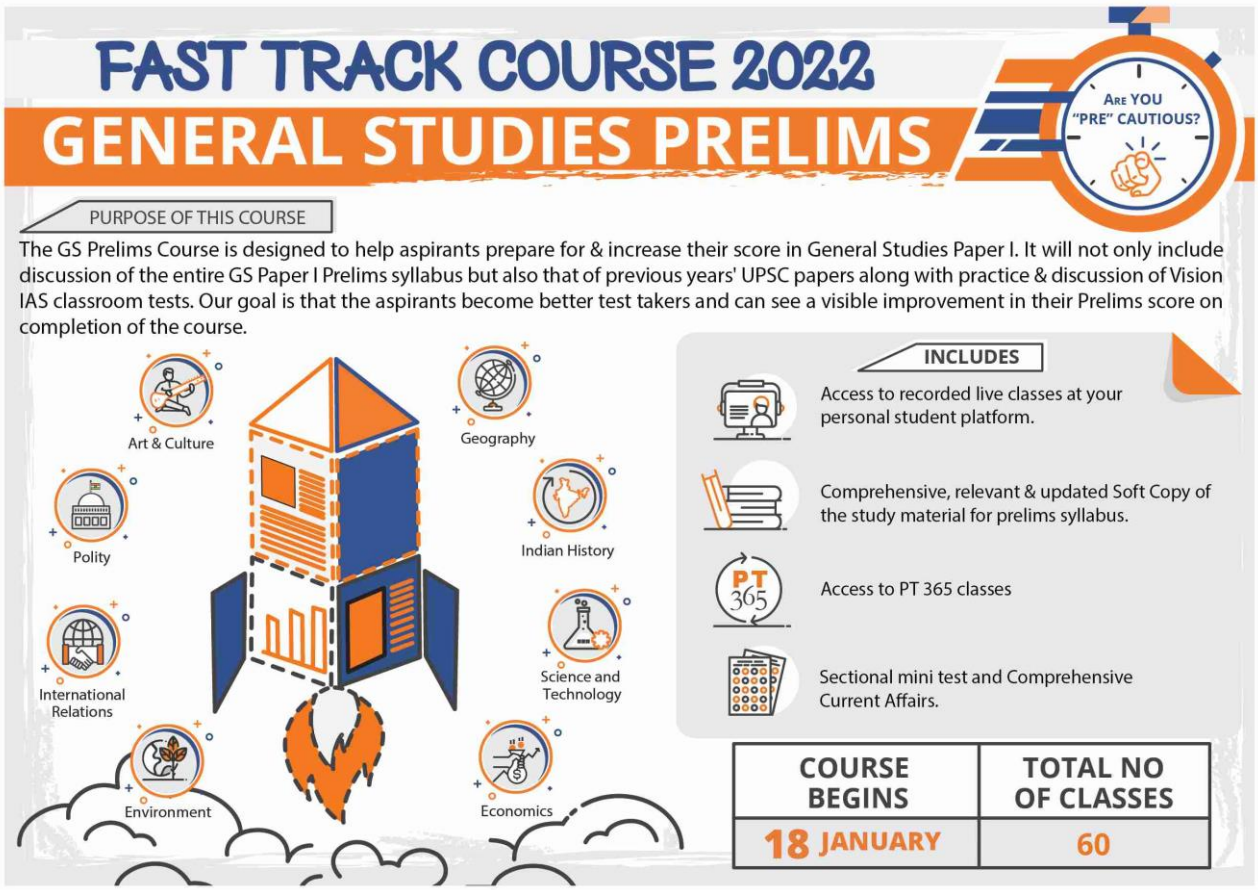

2.7. भारत-मॉरीशस (India-Mauritius)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और मॉरीशस ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते (Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement: CECPA) पर हस्ताक्षर किए हैं।

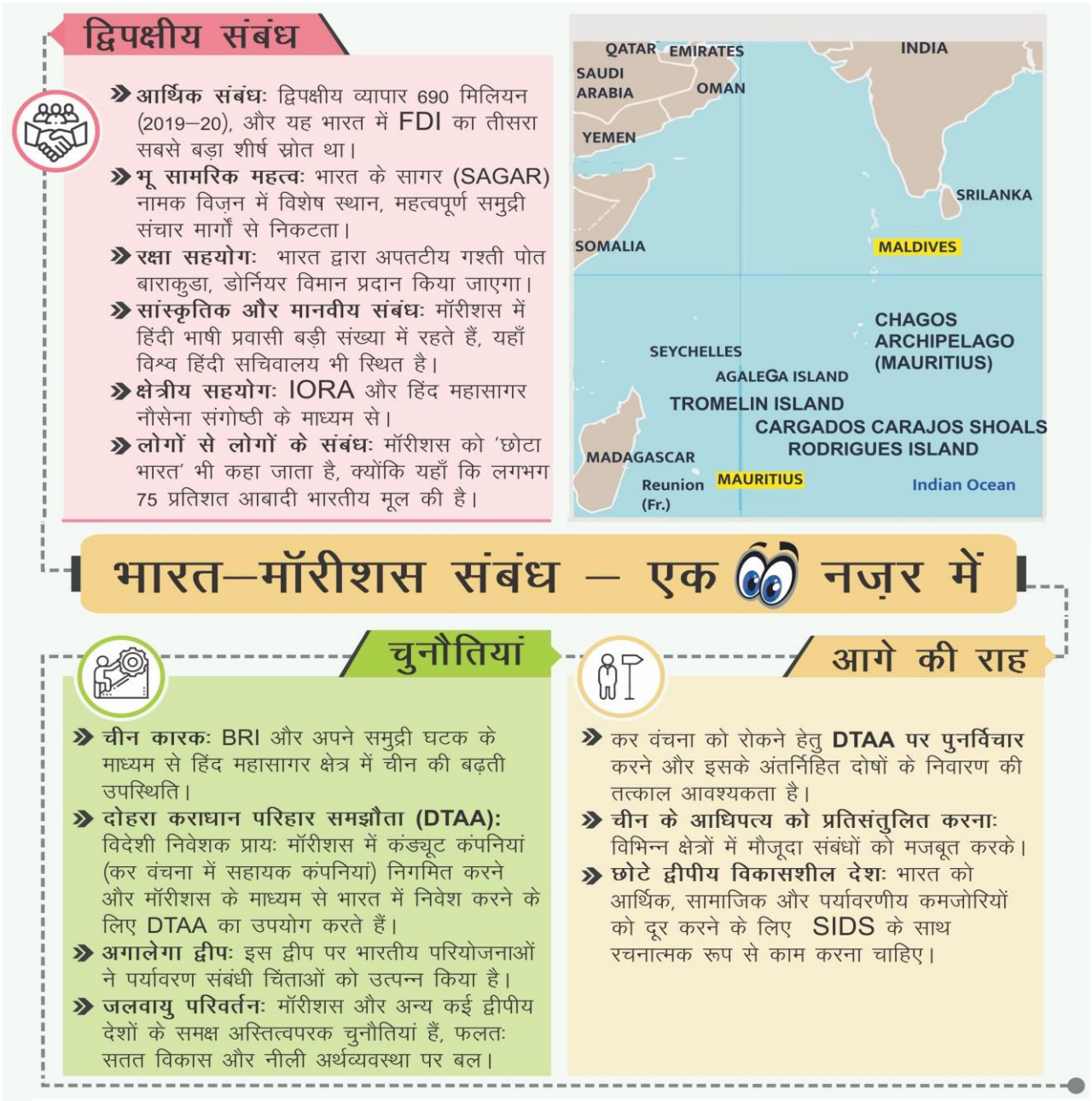

CECPA के बारे में

- यह **किसी अफ्रीकी देश के साथ भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया जाने वाला प्रथम** व्यापार समझौता होगा।
- यह समझौता एक सीमित समझौता है। इसमें **वस्तुओं का व्यापार, उद्गम के नियम, सेवाओं का व्यापार, व्यापार में तकनीकी बाधाएं (Technical Barriers to Trade: TBT), स्वच्छता और पादप स्वच्छता (Sanitary and Phytosanitary: SPS) उपाय, विवाद निपटान, नागरिकों का आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएँ, सीमा शुल्क प्रक्रियाएँ** तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग शामिल होगा।
- भारत और मॉरीशस के मध्य हस्ताक्षरित इस CECPA में **भारत से निर्यात की जाने वाली अनेक वस्तुएँ,** जैसे- कपड़ा और वस्त्र सामग्रियाँ, इलेक्ट्रिकल्स एवं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं आदि शामिल हैं।

- मॉरीशस को उसके विभिन्न उत्पादों के लिए भारत में अधिमान्य बाजार पहुँच (preferential market access) प्राप्त होगी।
- दोनों पक्ष समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 वर्षों के भीतर सीमित संख्या में अत्यधिक संवेदनशील उत्पादों हेतु **ऑटोमेटिक ट्रिगर सेफगार्ड मैकेनिज्म (ATSM)** पर वार्ता करने पर भी सहमत हुए।
  - **जब आयात एक निश्चित सीमा को पार कर जाएगा तो ऐसे में ATSM तंत्र स्वचालित रूप से लेवी अर्थात् आयात शुल्क को बढ़ा देगा।**
  - ATSM को बहुपक्षीय भागीदारों के मध्य **व्यापार को संतुलित करने का एक प्रभावी साधन** माना जाता है।
  - यह ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) वार्ताओं का भी हिस्सा था।
- भारत ने भारतीय रक्षा उपकरणों की खरीद को सुगम बनाने के लिए **मॉरीशस को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता (line of credit)** भी प्रदान की है।

2.8. भारत-मालदीव (India-Maldives)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने **समुद्री क्षमता बढ़ाने के लिए मालदीव के साथ 50 मिलियन डॉलर के एक रक्षा समझौते** पर हस्ताक्षर किए हैं।

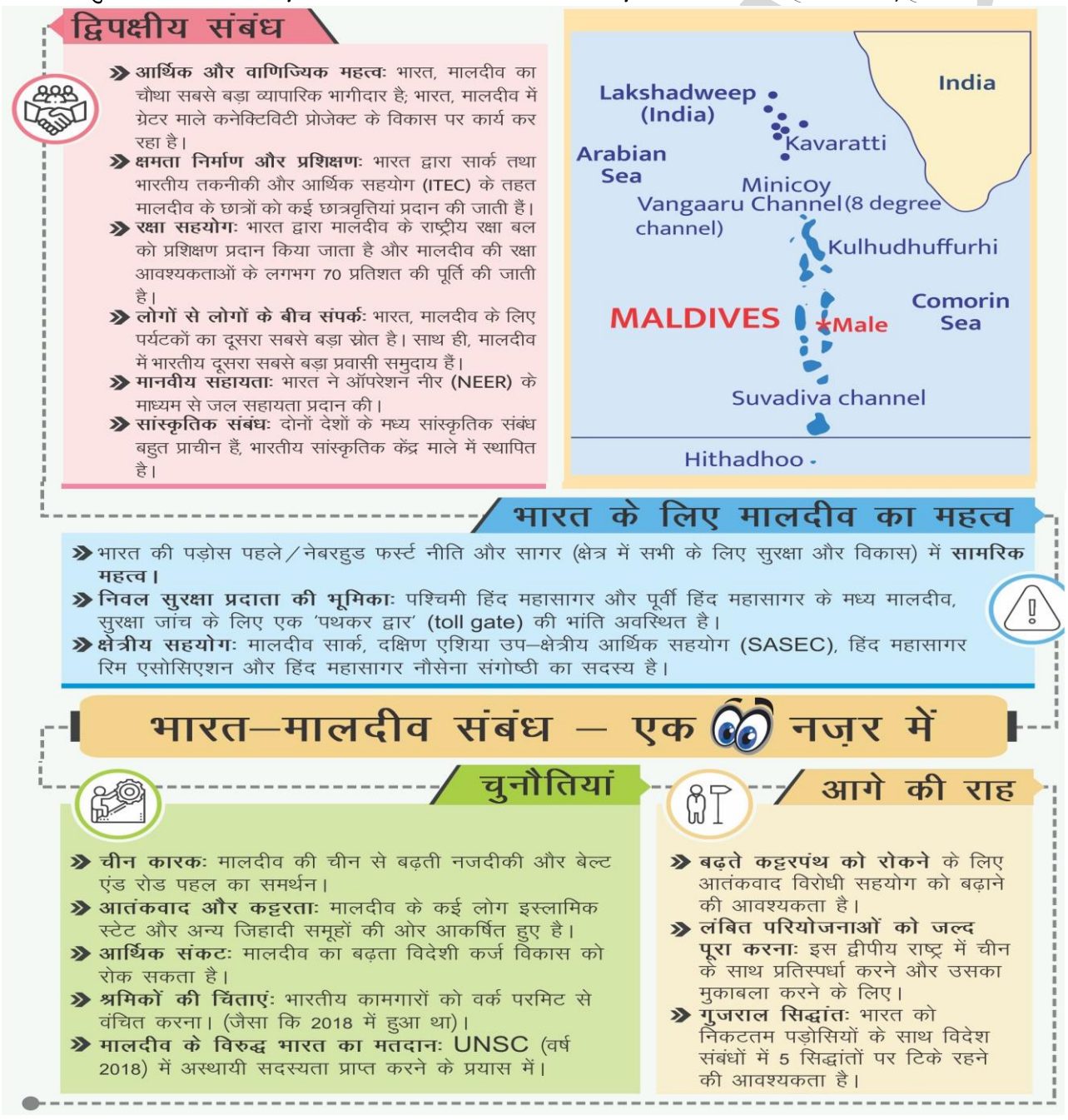

अन्य संबंधित तथ्य

- यह समझौता **समुद्री क्षेत्र में क्षमता निर्माण** में सहायता प्रदान करेगा तथा क्षेत्रीय मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रयासों को सुगम बनाएगा।
    - भारत **मालदीव के सशस्त्र बलों** के लिए महत्वपूर्ण नौसैनिक सुविधा का विकास करेगा, सहायता प्रदान करेगा और रखरखाव करेगा। उदाहरण के लिए- **सिफावारु (उथुरु थिलाफालु)** {Sifvaru (Uthuru Thilafalhu)} में मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स कोस्टगार्ड बंदरगाह के विकास, समर्थन एवं रखरखाव के लिए समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
- भारत ने **अड्डू (Addu) में सड़कों के निर्माण के लिए** परियोजना निष्पादन अनुबंध पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

2.9. भारत-कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) {India-Republic of Korea (South Korea)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और दक्षिण कोरिया ने **रक्षा सहयोग पर अपनी द्विपक्षीय वार्ता** संपन्न की है।

द्विपक्षीय संबंध

- **राजनीतिक:** वर्ष 1945 में कोरिया की स्वतंत्रता में भारत की भूमिका; वर्ष 1962 में दूतावास संबंध; वर्ष 2015 में द्विपक्षीय संबंधों को **'विशेष रणनीतिक साझेदारी'** तक अपग्रेड किया गया; भारत, दक्षिण कोरिया के "न्यू एशिया कम्युनिटी प्लस" रूपरेखा का हिस्सा है।
- **वाणिज्यिक:** वर्ष 2010 में **CEPA;** भारत में दक्षिण कोरियाई निवेश को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए **'कोरिया प्लस' पहल।**
- **सांस्कृतिक संबंध:** भारत का **एक वार्षिक उत्सव सारंग (SARANG),** भारत द्वारा कोरियाई नागरिकों को **छात्रवृत्ति व फेलोशिप,** बॉलीवुड, K-pop और कोरियन व्यंजन।
- **सहयोग का उभरता क्षेत्र:**
    - रक्षा,
    - क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से अफगानिस्तान में सहयोग,
    - दक्षिण कोरिया ने NSG की सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया है,
    - भारत अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए दक्षिण कोरिया के **न्यू विलेज मूवमेंट** के अनुभव से सीख सकता है।

भारत–दक्षिण कोरिया संबंध – एक नज़र में

चुनौतियाँ

- **CEPA,** द्विपक्षीय व्यापार में सुधार लाने हेतु **कारगर नहीं रहा है।**
- सामरिक साझेदारी के बावजूद, **किसी विशिष्ट द्विपक्षीय लक्ष्य को निर्धारित नहीं किया गया है।**
- **व्यापार करने में सुगमता का अभाव:** कोरियाई कंपनियों को मंजूरी देने में देरी और परियोजनाओं को निरस्त करना।
- **कोरिया और जापान के बीच बिगड़ते संबंध** भारत को प्रभावित कर रहे हैं।
- हिंद महासागर क्षेत्र के सुरक्षा तंत्र में **कोरिया की अनुपस्थिति।**

आगे की राह

- **चीन के साथ आर्थिक भागीदारी को लेकर** दक्षिण कोरिया की **नीतियों में परिवर्तन** ने भारत सहित अन्य एशियाई शक्तियों के प्रति दक्षिण कोरिया की रणनीति को प्रभावित किया है।
- भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि **दक्षिण कोरिया भारत की आर्थिक संवृद्धि में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार बन सकता है।**
- इस प्रकार की सहभागिता से भारत को मुख्य रूप से हिंद–प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारत और दक्षिण कोरिया ने रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों का समग्र विस्तार करते हुए **सैन्य हार्डवेयर का संयुक्त उत्पादन और निर्यात करने, खुफिया जानकारी साझा करने तथा साइबर एवं अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने** पर सहमति व्यक्त की है।
- दक्षिण कोरिया ने **भारत के दो रक्षा गलियारों में भी अपनी रुचि प्रकट की** है।
  - सरकार विभिन्न रक्षा औद्योगिक इकाइयों के मध्य कनेक्टिविटी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दो रक्षा औद्योगिक गलियारों **(एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में)** की स्थापना पर कार्य कर रही है।
- वर्ष 2019 में, दोनों पक्षों ने दो समझौतों को संपन्न किया, अर्थात्: **नौसेना संभार-तंत्र साझेदारी समझौता (Naval logistics sharing pact) और रक्षा संबंधी शैक्षणिक विनिमय। दोनों देशों ने** एक **भविष्य उन्मुख रोडमैप** तैयार किया था, जो **द्विपक्षीय रक्षा उद्योग सहयोग** को सुचारू और सुदृढ़ बनाएगा।

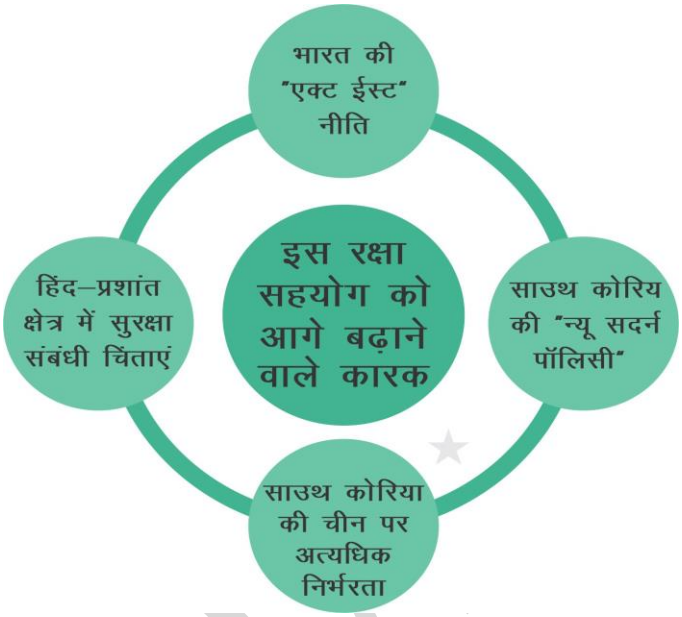

2.10. भारत की फिलिस्तीन नीति (India's Palestine Policy)

सुर्ख़ियों मे क्यों?

हाल ही में, गाज़ा पट्टी में **इज़रायल और फिलिस्तीनी गुटों** के मध्य हिंसक संघर्ष हुआ था। यह **इज़रायल और हमास के बीच मिस्र की मध्यस्थता वाले युद्धविराम पर सहमत होने के साथ समाप्त हुआ है।**

इज़रायल-फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि

- **विवाद का मूल:** अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इज़रायल और फिलिस्तीन के मध्य सहमति नहीं बन पाई है, जैसे-
  - फ़िलिस्तीनी शरणार्थियों के संबंध में क्या किया जाना चाहिए?
  - क्या अधिकृत वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को बने रहने देना चाहिए या हटा दिया जाना चाहिए?
  - क्या दोनों पक्षों के मध्य यरूशलम को साझा किया जाना चाहिए?
  - क्या इज़रायल के साथ एक फिलीस्तीनी राज्य का भी निर्माण किया जाना चाहिए?
- **इज़रायल** का अभी भी **वेस्ट बैंक** पर अधिकार है और यह **गाज़ा पट्टी** से हट गया है, लेकिन, संयुक्त राष्ट्र अभी भी इसे अधिकृत क्षेत्र के रूप में ही मानता है।
  - **हमास** अनेक फिलीस्तीनी उग्रवादी इस्लामी समूहों में सबसे बड़ा है, जिसका गाज़ा पट्टी पर नियंत्रण है।

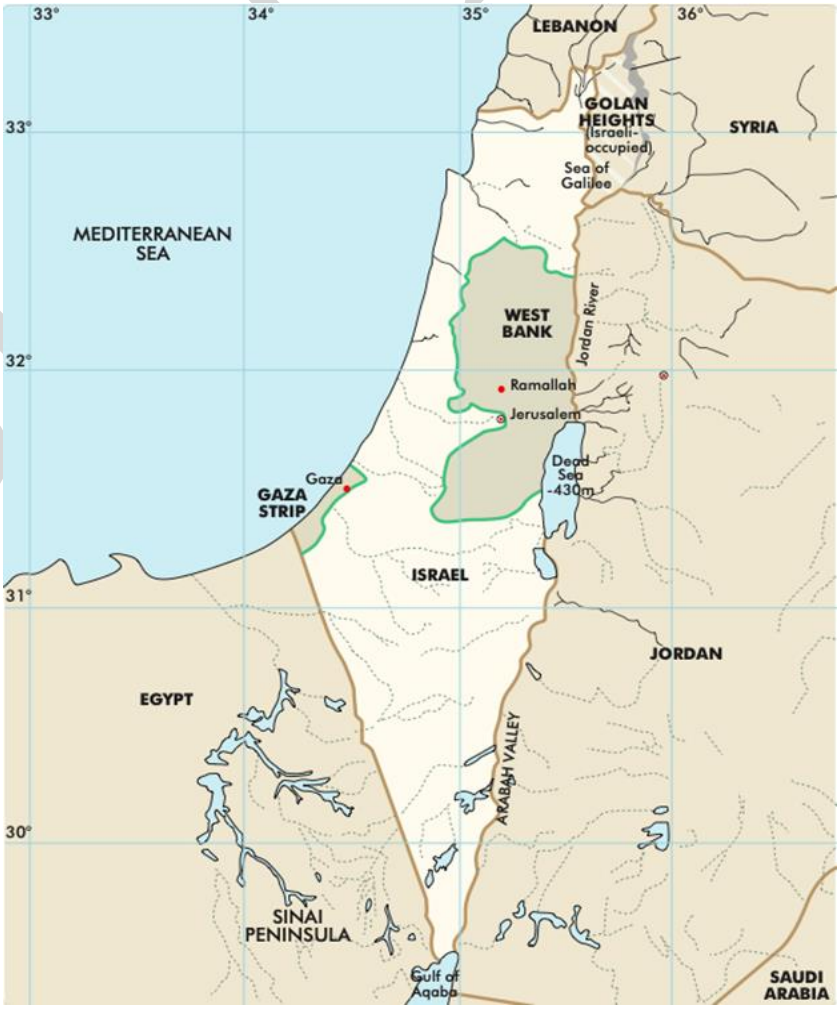

Mains 365 – अंतर्राष्ट्रीय संबंध

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **इज़रायल संपूर्ण यरुशलम पर अपनी राजधानी के रूप में दावा करता है,** जबकि फिलिस्तीन **पूर्वी यरुशलम** पर भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में दावा करता है।

यरूशलम का धार्मिक महत्व

- यरूशलम वस्तुतः यहूदी, इस्लाम और ईसाई धर्मों के पवित्र स्थलों के लिए जाना जाता है:
  - **अल अक्सा मस्जिद**, इस्लाम समुदाय हेतु विश्व का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है।
  - **वेस्टर्न वाल,** यहूदी धर्म का एक पवित्र स्थल है।
  - **चर्च ऑफ द होली सेपल्कर,** यह यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने और उनके समाधि स्थल पर निर्मित एक चर्च है, जिसे ईसाई धर्म एक पवित्र स्थल मानता है।

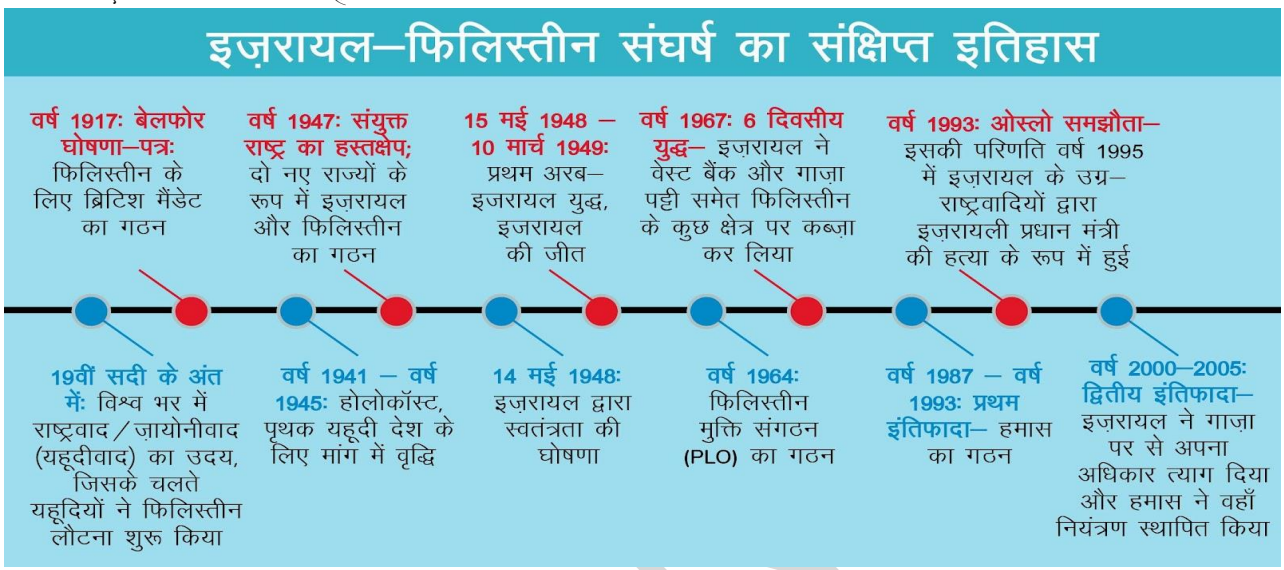

भारत की इज़रायल-फिलिस्तीन नीति क्या रही है?

प्रारंभिक चरण	**भारत ने वर्ष 1947 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऐतिहासिक फिलिस्तीन में इज़रायल के निर्माण के विरुद्ध मतदान किया था** और फिलिस्तीन के विभाजन का विरोध किया था।
शीत युद्ध का चरण	• इज़रायली अधिग्रहण के विरुद्ध भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों के अनुरूप फिलिस्तीन को अपना नैतिक एवं कानूनी समर्थन प्रदान किया था। साथ ही, फिलिस्तीनी स्वतंत्रता का एक दृढ़ समर्थक बना रहा था। • **वर्ष 1967 के छह दिवसीय के युद्ध** के दौरान जब इज़रायल ने **फिलिस्तीन के 78% क्षेत्रों पर अधिकार** कर लिया था, तो भारत ने वर्ष 1967 की सीमा पर आधारित एक **स्वतंत्र व संप्रभु फिलिस्तीन राज्य के निर्माण का समर्थन** किया था तथा भारत ने पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी के रूप में स्वीकार किया, जिसकी सीमा इज़रायल के साथ लगती है। इस प्रकार भारत **दो राज्य समाधान नीति** का समर्थनकर्ता रहा है।
मैड्रिड शांति सम्मेलन	**वर्ष 1991 के मैड्रिड सम्मेलन** (जहां **दो राज्य समाधान** पर सहमति हुई थी) और सोवियत संघ के विघटन तथा वैश्विक व्यवस्था में परिवर्तन के उपरांत **भारत ने वर्ष 1992 में इज़रायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए थे,** परन्तु वह फिलिस्तीनियों का सदैव समर्थक बना रहा है।
समसामयिक चरण	• हालांकि, वर्ष 2017 में भारत की नीति में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस दौरान भारत ने **पूर्वी यरुशलम और वर्ष 1967 की सीमा** (पूर्व में और शीत युद्ध के दौरान भारत इसी सीमांकन को आधार मानता था) का संदर्भ देना त्याग दिया। • वर्ष 2018 में, भारत ने **डी-हाइफ़नेशन की नीति** अपनाई, जिसका सीधा सा अर्थ है कि **इज़रायल के साथ भारत के स्वतंत्र संबंध हैं। साथ ही, भारत को अपने हितों के आधार पर इन संबंधों को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है तथा यह फिलिस्तीनियों के साथ भारत के संबंधों से भिन्न होंगे।** • इज़रायल और फिलिस्तीन (हमास) के बीच हालिया हिंसा के उपरांत, संयुक्त राष्ट्र में **भारत ने 'न्यायपूर्ण फिलिस्तीनी हित' और द्विराष्ट्र समाधान के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता एवं अपने दृढ़ समर्थन को दोहराया है।**

भारत की नीति के पीछे तर्क

फ़िलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन निम्नलिखित कारणों से प्रेरित है:

- **भारतीय मूल्यों के अनुरूप:** फिलिस्तीन के प्रति भारत की नीति सदैव भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के अनुरूप रही है, अर्थात् साम्राज्यवाद विरोधी, नस्लवाद विरोधी, विश्व भर में स्वतंत्रता संघर्षों का समर्थन आदि।
- **मध्य-पूर्व सहयोग:** भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है और इसके लिए मध्य-पूर्व के इस्लामी देशों पर बहुत अधिक निर्भर रहा है।
  - फिलिस्तीन का विरोध करने से, पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर **कश्मीर मुद्दे** को उठाने के लिए तुर्की, मलेशिया आदि देशों को शामिल कर एक अखिल-इस्लामिक गठबंधन के निर्माण का प्रयास कर सकता है।
- **वैश्विक नेतृत्व की आकांक्षा:** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता हेतु आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त करने के लिए, भारत को संयुक्त राष्ट्र के कुल 193 सदस्यों में से **इस्लामिक सहयोग संगठन (Organization of Islamic Cooperation: OIC)** के 57 सदस्य देशों के समर्थन की भी आवश्यकता है।

फ़िलिस्तीन को दिए गए समर्थन का आधार डी-हाइफ़नेशन नीति रही (आर्थिक, सामाजिक और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक स्तर पर इज़रायल के साथ बढ़ते संबंधों के कारण इस नीति का आश्रय लिया गया था) है। उदाहरण के लिए, इज़रायल भारत के साथ बराक 8 मिसाइल जैसी कई संयुक्त रक्षा परियोजनाओं के विकास में संलग्न है।

द्विराष्ट्र समाधान (Two-State Solution) क्या है?

- यह एक स्वतंत्र एवं संप्रभु **फिलिस्तीन राज्य** (अर्थात् देश) और एक स्वतंत्र व संप्रभु **इज़रायली राज्य** के शांतिपूर्ण अस्तित्व को संदर्भित करता है।
- **वर्ष 1937 के पील आयोग की रिपोर्ट** में फिलिस्तीन के ब्रिटिश मैंडेट में यहूदी और अरब राज्यों के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया था। इसके तहत फिलिस्तीन को तीन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना था, यथा- **एक अरब राज्य, एक यहूदी राज्य और पवित्र स्थानों वाले एक तटस्थ क्षेत्र के रूप में।**
- भारत फिलिस्तीनियों की वैध आकांक्षाओं और इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए **द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है।**

भारत की इज़रायल नीति से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- **भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षाएं वैश्विक मुद्दों पर निष्क्रिय बने रहने की अनुमति नहीं देती हैं:** भारत का इज़रायल और फिलिस्तीन के बीच संतुलनकारी कार्य जारी है। परन्तु, जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की स्थिति बेहतर होगी, वैसे-वैसे इन मुद्दों पर तटस्थ पक्ष अपनाना इज़रायल के लिए कठिन होता जाएगा।
- **भारत द्वारा फिलिस्तीन का समर्थन एवं भारत का आतंकवाद के प्रति रुख, दोनो में विरोध है:** अच्छे आतंकवाद और बुरे आतंकवाद के बीच अंतर करने के विचार के खिलाफ भारत का वैश्विक रुख उसे फिलिस्तीनी शासन में आतंकवादी गतिविधियों (हमास द्वारा) का समर्थन करने की अनुमति नहीं देता है।

निष्कर्ष

भारत की नीति की सफलता इस क्षेत्र में **इसके संतुलनकारी कार्यों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है।** इसे मजबूत करने का सबसे उचित/बेहतर तरीका एक पूर्वानुमेय, सैद्धांतिक और निष्पक्ष पक्ष अपनाना हो सकता है। इस प्रकार का पक्ष भारत को स्थिति के अनुसार **अपने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए लचीलापन प्रदान करेगा**, साथ ही साथ इसे भू-राजनीतिक रूप से सैद्धांतिक पक्ष अपनाने में सक्षम भी बनाएगा।

2.11. हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत, चीन, सिंगापुर, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों का आर्थिक उत्थान होने से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा एशिया तथा विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र की ओर बढ़ रही है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में

- इंडो-पैसिफिक एक **भू-राजनीतिक संरचना** है जो एक एकीकृत थिएटर का प्रतिनिधित्व करता है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर और उनके चारों ओर की भूमि को जोड़ता है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- इसने हाल के दिनों में **महत्वपूर्ण समुद्री संचार मार्गों (sea lines of communication)** की उपस्थिति, समुद्री सुरक्षा चिंताओं, एशियाई अर्थव्यवस्था के उदय और चीन की आक्रामक सैन्य और विदेश नीति जैसे कारणों से प्रासंगिकता प्राप्त की है।
- **भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस** आदि जैसे कई क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय देशों ने इंडो-पैसिफिक पर केंद्रित नीतियां जारी की हैं, जो इस क्षेत्र की ओर रणनीतिक बदलाव को स्वीकार करती हैं और संबंधों को मजबूत करने तथा **इंडो-पैसिफिक देशों के साथ सहयोग का विस्तार करने को महत्व देती हैं।**

भारत और हिंद–प्रशांत क्षेत्र – एक नज़र में

हिंद–प्रशांत क्षेत्र में भारत के हित

- हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में।
- इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने में, विशेष रूप से अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया में।
- निवल सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को बनाए रखने में।
- चीन का मुकाबला करने में।
- व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने तथा सतत विकास को बढ़ावा देने में।
- अन्य हितः समुद्री प्रदूषण को रोकने में; अवैध, अनियमित और असूचित (IUU) मत्स्यन पर लगाम लगाने में; गहरे समुद्र में खनिज की खोज में और प्रभावी आपदा जोखिम प्रबंधन में।

हिंद–प्रशांत के लिए भारत के विज़न के प्रमुख तत्व (पी.एम. का शांगरी ला डायलॉग, 2018)

- एक स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी क्षेत्र।
- हिंद–प्रशांत के केंद्र में दक्षिण पूर्व एशिया।
- क्षेत्र के लिए एक साझा नियम–आधारित व्यवस्था।
- अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत समुद्र एवं वायु तक समान पहुंच के अधिकार को मान्यता देना।
- साझेदारी के माध्यम से शक्ति की प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना।

IOR में पारंपरिक भूमिकाओं को मजबूत और संरक्षित करना

- सुरक्षा प्रदाता और प्रथम उत्तरदाता (responder)
- पूर्व चेतावनी और मौसम पूर्वानुमान सेवाएं
- विकासात्मक सहायता प्रदान करना
- क्षेत्र में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बनाए रखना

हिंद–प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की नीति

विदेश नीति

- **विदेश मंत्रालय के तहत अलग प्रभागः** इनमें हिंद–प्रशांत प्रभाग (IPD) और हिंद महासागर क्षेत्र प्रभाग (IOR) शामिल हैं।
- **अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोगः** भारतीय डायस्पोरा, सांस्कृतिक आदान–प्रदान की सहायता से। उदाहरण– प्रोजेक्ट मौसम।
- **हिंद–प्रशांत विज़न के अनुरूप नीतियांः** जैसे– एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर (SAGAR)।

नौसेना रणनीति

- **समुद्री क्षेत्र में जागरूकता (MDA):** सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र (IMAC) तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिए सूचना समेकन केंद्र (IFC-IOR) जैसे संस्थानों एवं IOR द्वीपों के संबंध में वाइट शिपिंग समझौते और तटीय निगरानी रडार श्रृंखला जैसी पहल के माध्यम से।
- **भारत की नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार करना /बनाए रखनाः** मिशन आधारित तैनाती (MBDS) और संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से।

पहल

- हिंद–प्रशांत महासागर पहल
- हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी
- एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
- आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना गठबंधन

भागीदारी

- क्वाड और आसियान
- **क्षेत्रीय समूहः** उदाहरण– बहु–क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC), हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), मेकांग गंगा सहयोग, फोरम फॉर इंडिया–पैसिफिक आइलैंड्स सहयोग (FIPIC)।
- **मंत्रिस्तरीयः** उदाहरण– फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ त्रिपक्षीय वार्ता।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- सीमित नौसेना क्षमता और सैन्य ठिकानों की कमी
- व्यापार संबंधी चुनौतियांः प्रशुल्क और गैर–प्रशुल्क उपाय और खराब अवसंरचना कनेक्टिविटी
- विकासात्मक पहलों की धीमी गति
- महाद्वीपीय और समुद्री रणनीतियों को संतुलित करना
- **MDA के लिए चुनौतियांः** पनडुब्बी की तैनाती, ग्रे शिपिंग और डार्क शिपिंग
- गुटनिरपेक्षता पर पारंपरिक स्थितियों से विचलन के कारण अंतरिक अस्वीकृति
- **सार्थक साझेदारी में बाधाएंः** निश्चित सहमति का अभाव और प्राथमिकताओं में अंतर

आगे की राह

- बर्डन शेयरिंग मॉडल के तहत निर्धारित मुद्दों पर आधारित गठबंधन और भागीदारी करना।
- माइक्रोनेशिया जैसे गैर–पारंपरिक अभिकर्ताओं के साथ जुड़ाव को बढ़ाना।
- द्वीपीय क्षेत्रों का सामरिक उपयोग करना।
- कमजोर देशों के लिए ऋण संबंधी समाधान करना।
- क्वाड + जैसी नवाचारी व्यवस्था करना।

2.11.1. यूरोपीय संघ की हिंद-प्रशांत रणनीति (EU Indo-Pacific Strategy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, यूरोपीय संघ (EU) ने **"हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति"** की घोषणा की है।

यूरोपीय संघ को हिंद-प्रशांत रणनीति की आवश्यकता क्यों?

- **चीन की आक्रामक प्रवृत्ति:** चीन के उदय एवं उसकी आक्रामक और विस्तारवादी नीतियों तथा भावी यूरोपीय संघ-चीन संबंधों से जुड़ी चिंताओं ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों पर प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया है।
  - इससे पूर्व, जर्मनी द्वारा भी सितंबर 2020 में "हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए नीतिगत दिशा-निर्देश" जारी किए गए थे। इसके उपरांत नीदरलैंड ने भी नीतिगत दिशा-निर्देश जारी किए थे।

- **अमेरिका-चीन के बीच बढ़ती प्रतिद्वंद्विता** और इससे यूरोपीय हितों के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की संभावना के कारण यूरोप इस मुद्दे को लम्बे समय तक अनदेखा नहीं कर सकता है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका:** यूरोपीय संघ को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसे अब एशिया में पहले से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने, अधिक जिम्मेदारी का वहन करने और यूरोप के इस क्षेत्र से अंतर्संबंधित महत्वपूर्ण मामलों की दिशा में गंभीर प्रयास करने के लिए आगे आना चाहिए।
- **समुद्री मार्गों को सुरक्षित करना:** यूरोप के इस क्षेत्र के साथ अधिकतर व्यापारिक संबंध रहे हैं। इसलिए, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और वाणिज्यिक जहाजों का सुरक्षित पारगमन यूरोपीय संघ के लिए चिंता का एक महत्वपूर्ण विषय है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र को हाल ही में ऐसे कई अन्य मुद्दों का भी सामना करना पड़ा है, जो यूरोपीय संघ के सुरक्षा हितों पर भी प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। इन मुद्दों में उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने की संभावनाओं को सुनिश्चित करना और किए जाने वाले दुष्प्रचार का सामना करना आदि शामिल हैं।

2.11.2. ऑकस का गठन (Formation of Aukus)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम** तथा **यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका** ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में गहन सहयोग करने के लिए **ऑकस (AUKUS)** नामक एक नए **त्रिपक्षीय कार्यक्रम की घोषणा** की है।

ऑकस के बारे में

- ऑकस, **एक नया सुरक्षा गठबंधन है।** इसका उद्देश्य गठबंधन में शामिल देशों के मध्य **रक्षा क्षमताओं को अधिक से अधिक साझा करना है।**
- इसके तहत अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम द्वारा **ऑस्ट्रेलिया को अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी सुविधा उपलब्ध प्रदान कराने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।** इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम तकनीक जैसी भविष्य की क्षमताएं शामिल हैं।

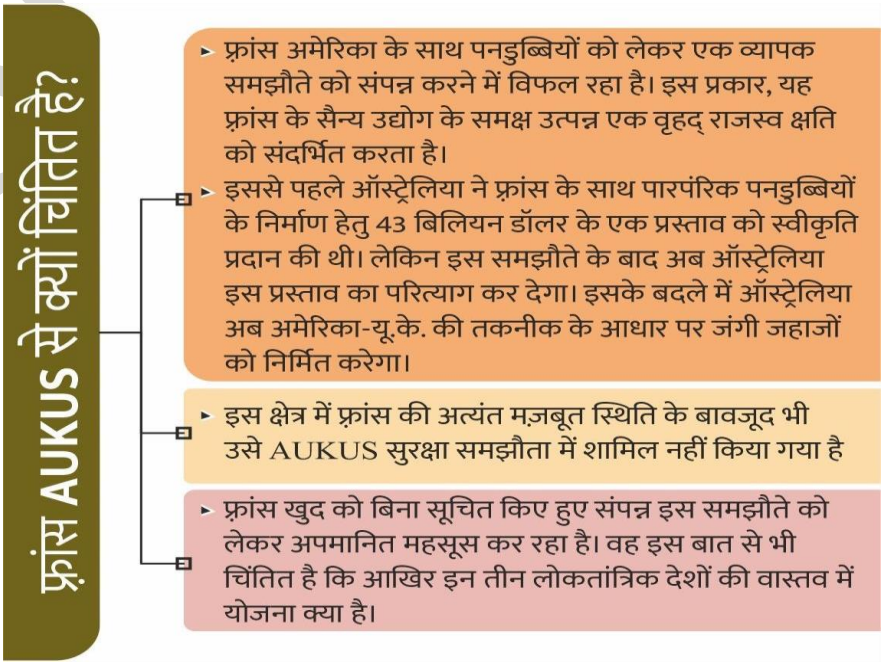

ऑकस और भारत

- **जटिलताएं:**
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नई चुनौतियां:** यह आशंका व्यक्त की गयी है कि इस समझौते के बाद पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में परमाणु हमले करने में सक्षम पनडुब्बियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी। इससे भारत का क्षेत्रीय प्रभाव समाप्त हो सकता है।
  - **अमेरिका की अविश्वसनीयता:** ऑकस समझौते से फ्रांस चिंतित है, जिसके कारण इसके प्रति भारत का दृष्टिकोण भी जटिल हो गया है। इन मुद्दों को देखते हुए कुछ विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि अमेरिका पर पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो/NATO) का भागीदार होने के बावजूद भी अपने पुराने सहयोगी, फ्रांस को इस समूह से बाहर रखा है।
  - **ऑकस बनाम क्वाड:** ऑकस के कारण क्वाड से ध्यान विस्थापित हो गया है। इस समझौते के तहत संभवतः यूनाइटेड किंगडम के साथ गठबंधन रखने वाले करीबी भागीदारों को अमेरिका की ओर से अतिरिक्त वरीयता भी प्रदान की जाएगी।
  - हाल ही में, भारत के विदेश सचिव ने सूचित किया है कि **ऑकस का क्वाड से कोई संबंध** नहीं है तथा यह क्वाड समूह की कार्यप्रणाली को प्रभावित नहीं करेगा।
  - **अन्य बहुपक्षीय गतिविधियों पर प्रभाव:** हाल ही में, ऑकस का विरोध करते हुए फ्रांस ने स्वयं को भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय गठबंधन (चीन को संतुलित करने के लिए गठित) से बाहर कर लिया है।
- **अवसर:**
  - यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र को मुक्त, खुला और समावेशी बनाए रखने के क्वाड के एजेंडे को मजबूत** करेगा।
    - ऑकस **समुद्री अभ्यासों, सुरक्षा एवं कोविड-19 तथा जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने,** महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करने और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करने के लिए क्वाड द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सशक्त करने हेतु भी अपने प्रयासों का विस्तार कर सकता है।
  - **ऑकस के अस्तित्व में आने से भारत को राजनयिक और रक्षा व्यापार दोनों क्षेत्रों में,** संभावित लाभ प्राप्त हो सकता है, विशेष रूप से फ्रांस के साथ।
  - यह **चीन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की निरंतर बढ़ती चिंताओं को प्रकट करता है।** इसके अतिरिक्त, इसे इस क्षेत्र में भागीदारों की क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए तैयार किया गया है। इससे क्वाड की समग्र क्षमताओं में भी वृद्धि होगी।

2.11.3. भारत-फ्रांस (India-France)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत और फ्रांस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह कदम मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा **ऑकस के निर्माण पर फ्रांस की नाराजगी को देखते हुए उठाया गया है।**
- इससे भारत को राजनयिक और रक्षा व्यापार दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से फ्रांस के साथ अपनी अनुकूल स्थिति का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

इस द्विपक्षीय सहयोग को अत्यधिक मजबूत बनाने से भारत को होने वाले लाभ

- **दृष्टिकोणों के एकीकरण में सहायक:** बहुपक्षवाद, बहुलवाद एवं गैर-सैन्य और प्रतिरोध-आधारित नीति भारत के आदर्श रहे हैं। इन आदर्शों को महत्व प्रदान करने वाले साझेदार के साथ संबंधों को और अधिक मजबूत करने से भारत को लाभ मिलेगा।
  - इसके अतिरिक्त, इससे भारत को इस क्षेत्र (भारत के पश्चिम में अदन की खाड़ी से लेकर पूर्व में बर्मा और थाईलैंड तक का हिंद महासागरीय क्षेत्र) के महत्व को समझने वाले देश के साथ सहयोग/भागीदारी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
- **रक्षा सेवा का आधुनिकीकरण:** महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकियों की खरीद के लिए भारत को एक बेहतर बाजार विकल्प प्राप्त हो सकता है, क्योंकि भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग अभी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाए हैं। हालांकि, इस दिशा में भारत अभी प्रयासरत है। वहीं रक्षा सेवा के लिए पर्याप्त बजट की व्यवस्था न हो पाने के कारण भी भारत को अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
  - उदाहरण के लिए, भारत **महत्वपूर्ण नौसैनिक परमाणु रिएक्टर प्रौद्योगिकी हासिल करने के लिए** फ्रांस के साथ संबंध बढ़ा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा विनिर्मित किए गए राफेल जेट, विगत 2 दशकों में भारत द्वारा अधिग्रहित किए गए प्रमुख लड़ाकू विमानों में प्रथम स्थान पर हैं।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **नए आर्थिक अवसर:** भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच संयुक्त आर्थिक सहयोग के भलीभांति स्थापित होने के कारण खाड़ी क्षेत्र में भावी आर्थिक साझेदारी के लिए साझा आधार खोजना भारत के लिए सरल होगा।
    - कई खाड़ी राष्ट्र पेट्रोलियम उत्पादों से भिन्न अपने भविष्य को सुरक्षित करने हेतु अधिक उदार आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को अपनाने हेतु प्रयासरत हैं।
- **अंतरिक्ष गतिविधियों में सहयोग:** भारत उपग्रह नेविगेशन, अंतरिक्ष परिवहन और मानव आधारित अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त समुद्री क्षेत्रों के बारे में भी जागरूकता विकसित करने के लिए फ्रांस के साथ साझेदारी कर सकता है।
- **अतिरिक्त सुरक्षा:** प्रस्तावित संयुक्त सैन्य अभ्यास को उत्तर-पश्चिमी हिंद महासागर में निष्पादित किया जाएगा। इससे भारत को अतिरिक्त सुरक्षा मिल सकती है।
    - फ्रांस द्वारा समर्थित यूरोपियन यूनियन क्रिटिकल मेरीटाइम रूट्स इन द इंडियन ओशन (EU-CRIMARIO) कार्यक्रम के अंतर्गत हिंद महासागर क्षेत्रीय सूचना साझाकरण और घटना प्रबंधन वेब-प्लेटफॉर्म (IORIS) की सुविधा को शुरू किया गया है।
- **अन्य:** स्वास्थ्य, शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पहले से अधिक सहयोग के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
    - **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के साथ**, फ्रांस और भारत बहुपक्षीय पहलों के विकास का नेतृत्व करके सबसे अधिक जोखिम की संभावनाओं वाले देशों के हितों को भी समायोजित करने में मदद कर सकते हैं।
    - **कोवैक्स (COVAX) तथा एक्ट (ACT) जैसे ढांचे के अंतर्गत सहयोग करके,** फ्रांस और भारत निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों के हितों का ध्यान रखने व उनकी रक्षा करने की दिशा में भी कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष

इस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को संकुचित करने की बजाए, ऑकस (AUKUS) ने भारत को एक रणनीतिक अवसर प्रदान किया है। इस अवसर से भारत, फ्रांस के साथ अपनी साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में प्रयास कर सकता है तथा इस अवसर को रणनीतिक तौर पर प्रयोग कर सकता है। भारत दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों का लाभ उठाकर फ्रांस का उपयोग यूरोप में अपने बढ़त हेतु कर सकता है। भारत, अपनी कूटनीति को सुदृढ़ कर और इसे बेहतर बनाकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक अशांति के प्रबंधन हेतु ऑकस को महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग कर सकता है। साथ ही, क्वाड के महत्व को बढ़ाने के लिए भी भारत इस गठबंधन का उपयोग कर सकता है।

फ्रांस के लिए महत्व

- भारत के साथ घनिष्ठ संबंध और हिंद महासागर में बढ़ती भागीदारी से **फ्रांस को दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिली है।**
- इससे फ्रांस को अपने मौजूदा संबंधों में विविधता लाने और **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।**
- **व्यापक रूप से वैश्विक शक्ति संतुलन के एक नए केन्द्र के रूप में संदर्भित किए जाने वाले पटल पर अपना प्रत्यक्ष प्रभाव डालने और अपना मजबूत प्रतिनिधित्व स्थापित करने से** अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में फ्रांस अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है।
- **रक्षा संबंधी बिक्री के लिए भारत एक विशाल बाजार है।** यह एक ऐसा प्रतिस्पर्धी बाजार है, जिस पर पकड़ बनाए रखने के लिए फ्रांसीसी कंपनियों ने अथक संघर्ष किया है।
    - वर्ष 2013-17 (पिछले पांच वर्षों की तुलना में) के आंकड़ों के अनुसार, फ्रांस ने भारत को किए जाने वाले हथियारों के निर्यात में 500 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।

संबंधित तथ्य

भारत और फ्रांस ने **अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (SSD)** के आयोजन पर सहमति व्यक्त की है।

- भारत के लिए यह द्विपक्षीय अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता का **तीसरा संस्करण** है। इससे पूर्व, भारत ने दो देशों यथा- **जापान (2019)** और **संयुक्त राज्य अमेरिका (2015)** के साथ भी ऐसी वार्ता का आयोजन किया है।
    - फ्रांस के लिए **भारत प्रथम एशियाई देश होगा,** जिसके साथ वह इस प्रकार की वार्ता आयोजित करेगा।
    - अंतरिक्ष और परमाणु क्षेत्रों में भारत और फ्रांस के मध्य स्थापित सहयोग, दोनों देशों के एक दूसरे के प्रति गहन विश्वास की ओर संकेत करता है।

- SSD के माध्यम से, दोनों देश **उभरते हुए अंतरिक्ष परिवेश और बाह्य अंतरिक्ष तक सुरक्षित, कुशल, सतत व निरंतर पहुंच के समक्ष संभावित खतरों की एक साझी बहुपक्षीय समझ** विकसित करेंगे।
- **अंतरिक्ष सुरक्षा वार्ता (SSD) का महत्व:**
  - **भारत के अंतरिक्ष संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन का संकेत:** भारत का विभिन्न देशों के साथ **असैन्य अंतरिक्ष सहयोग** अंतरिक्ष सुरक्षा पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए विकसित हुआ है।
  - **यह अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,** क्योंकि चीन द्वारा काउंटर-स्पेस क्षमताओं का शीघ्रता से विकास करना भारत, फ्रांस, जापान और अमेरिका के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - SSD **वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों, अंतरिक्ष संबंधी स्थितिजन्य जागरूकता, अंतरिक्ष सुरक्षा, बाह्य अंतरिक्ष परिवेश की संधारणीयता और बाह्य अंतरिक्ष में टकराव से बचाव** को संबोधित करने हेतु भी महत्वपूर्ण है।
  - समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ इस प्रकार की वार्ता से भारत को **वैश्विक अभिशासन में एक प्रमुख नेतृत्व की भूमिका** प्राप्त होगी।

2.11.4. लघुपक्षीय समूहों का उद्भव (Rise of the Minilaterals)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक आभासी (virtual) त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की है। यह वार्ता हिंद-प्रशांत क्षेत्र (Indo-Pacific region) में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित थी।

'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों के उद्भव हेतु उत्तरदायी कारक

हालांकि, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संवाद, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत का 2+2 संवाद, क्वाड (Quad) आदि प्रायः आयोजित किए जाते रहे हैं, तथापि हाल के समय में **'लघुपक्षीय' (minilaterals) समूहों** के गठन को बढ़ावा मिला है। ज्ञातव्य है कि एक भारत-अमेरिका-जापान त्रिपक्षीय समूह पहले से ही विद्यमान है और भारत-ऑस्ट्रेलिया-इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समूह भी आकार ग्रहण कर रहा है। इसकी वजह निम्नलिखित हैं:

- **हितों के अभिसरण में सरलता:** लघु साझेदारी विशिष्ट पारस्परिक उद्देश्यों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है।
- **रणनीतिक तर्क:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र, खुली और समावेशी व्यवस्था सुनिश्चित करने में अपनी भागीदारी के कारण भारत-फ्रांस-ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समूह इन तीनों देशों के लिए प्राकृतिक रूप से उपयुक्त है।
- **कुछ साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं से आगे बढ़ना:** विशिष्ट साझेदारों द्वारा उत्पन्न अनिश्चितताओं के निवारणार्थ बड़े समूहों के साझेदार अपने हितों के लिए लघु साझेदारियों को अपना रहे हैं। उदाहरण के लिए- अमेरिकी नीतियों की अस्थिरता।
- **अनौपचारिक संवादों की खोज करना:** त्रिपक्षीय समूह, कठोर प्रतिबद्धताओं की स्थापना और विस्तृत औपचारिक वार्ताओं के बिना लोचशील नीति के अंतर्गत उभरते मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक प्रभावी मंच है।
- **यह बहुपक्षवाद और बहुपक्षीय संस्थानों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु प्रभावी है:**
  - **ध्रुवीकरण और वैचारिक संघर्ष:** बहुपक्षीय संस्थान / समूह प्रायः कुछ प्रभावशाली देशों के नेतृत्व में संचालित होते हैं। इससे विचारधाराओं या विशेष मुद्दों में मतभेदों की तर्ज पर विसंगति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, जहाँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण को संबोधित करने के लिए अत्यल्प या कोई स्थान नहीं बचता है।
  - **वि-भूमंडलीकरण (Reverse globalization) और संरक्षणवादी प्रवृत्तियों में वृद्धि:** देश अब अधिक अंतर्मुखी होते जा रहे हैं अर्थात् वे अपने राष्ट्रीय हितों को ही सर्वोच्च मान्यता प्रदान कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें अपने राष्ट्रीय हितों से परे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग करना कठिन प्रतीत हो रहा है।
  - **संस्थागत कठिनाई:** यह एक ऐसी अवस्था है, जहां संस्थान पर्याप्त गति से अनुकूलन और परिवर्तन करने में विफल होते हैं। मौजूदा बहुपक्षीय संस्थानों को नई और उभरती वैश्विक चुनौतियों, जैसे- जलवायु परिवर्तन, डेटा की निजता, साइबर सुरक्षा आदि को संबोधित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

विचार-विमर्श के विषय:

- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और भू-रणनीतिक चुनौतियां एवं सहयोग।**
- **आसियान, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से मरीन ग्लोबल कॉमन्स और अन्य संभावित क्षेत्रों में सहयोग।**
- **बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करने व उनमें सुधार करने के सर्वोत्तम उपायों** पर चर्चा की गई।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

2.12. बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल {Bay of Bengal Initiative for multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, बिम्सटेक (BIMSTEC) सचिवालय द्वारा अपनी **स्थापना के 23 वर्ष उपरांत बिम्सटेक-चार्टर को अंतिम रूप** प्रदान किया गया।

बिम्सटेक के बारे में

- **वर्ष 1997 में बैंकाक घोषणा–पत्र** के माध्यम से इसका आरंभ।
- सात देशों के समूह का उद्देश्य कई क्षेत्रों में सदस्यों के बीच **आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना है।**
- विश्व की 22 प्रतिशत आबादी और $2.8 ट्रिलियन GDP का प्रतिनिधित्व।
- संस्थापक सिद्धांत जैसे **संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता आदि।**
- **सहयोग के क्षेत्र:** संचार, आतंकवाद का मुकाबला करने आदि सहित **14 प्राथमिकता वाले क्षेत्र।**

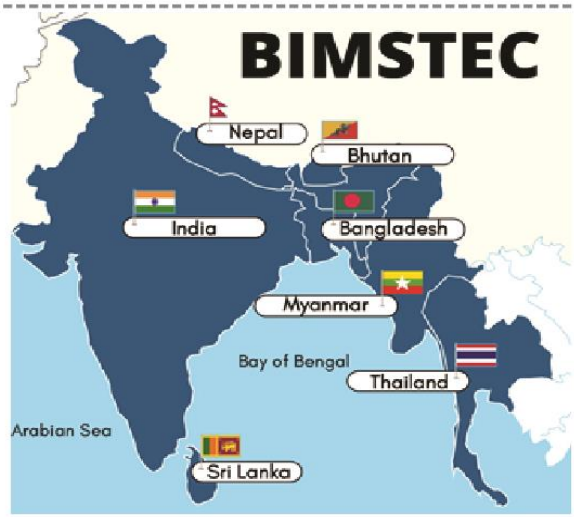

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्व

- **आर्थिक:** बंगाल की खाड़ी एक प्रमुख व्यापार मार्ग है और यहाँ अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधन जैसे प्राकृतिक गैस आदि विद्यमान हैं।
- **दक्षिण एशिया के एकीकरण में तेजी लाना:** सार्क "निष्क्रिय" हो रहा है, इस प्रकार यह एक पसंदीदा मंच बनने लगा है।
- **दक्षिण एशिया और दक्षिणपूर्व एशिया को जोड़ना:** भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और बिम्सटेक मोटर वाहन समझौता।
- **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास:** म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह, आदि।
- BRI संबंधी चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** म्यांमार के रखाइन तट पर ऊर्जा संबंधी संसाधनों की खोज करने में।

बिम्सटेक — एक नज़र में

चुनौतियाँ

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** वर्ष 1997 से अब तक केवल 4 शिखर स्तरीय वार्ता।
- **FTA के संबंध में रुकी हुई प्रगति:** वर्ष 2004 में **FTA** पर बातचीत करने के लिए एक रूपरेखा को अपनाया गया, लेकिन अभी भी यह लंबित है।
- **क्षेत्रीय भू–राजनीति:** चीन विरोधी धारणा को व्यक्त करने के प्रति अनिच्छा दर्शाना।
- **भौतिक अवसंरचना:** खराब सड़क और रेल संपर्क, अंतिम छोर (लास्ट माईल) तक अपर्याप्त संपर्क और बोझिल सीमा शुल्क और क्लीयरेंस प्रक्रियाएं।
- **मजबूत संस्थागत ढांचे का अभाव:** बजट की कमी के कारण बिम्सटेक सचिवालय के पास क्षमता का अभाव।

आगे की राह

- भू–राजनीति पर कम और साझा क्षेत्रीय चिंताओं पर अधिक ध्यान देना।
- **FTA** को संपन्न करना।
- **सदस्यता आधार को बढ़ाना:** इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर (तीन प्रमुख एशियाई शक्तियां) को सदस्यता प्रदान करना।
- **सतत भौतिक संपर्क** एवं उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना को प्राथमिकता देना।
- **अधिक वित्तीय संसाधनों** के साथ बिम्सटेक सचिवालय को सशक्त बनाना।
- **बहुपक्षवाद को प्राथमिकता देना** इसमें पर्यटन कूटनीति, अकादमिक और छात्र–एक्सचेंज कार्यक्रम एवं सीमा–पार लोक स्वास्थ्य पहल की सुविधा शामिल हैं।

इस चार्टर के बारे में

- **चार्टर से की जा रही अपेक्षाएं:**
  - यह सहयोग संबंधी दीर्घकालिक दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेगा;

- यह संस्थागत संरचना में शामिल विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से निरूपित करेगा; तथा
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को परिभाषित करेगा।

- एक समर्पित चार्टर के अभाव में, बिम्सटेक का संचालन वर्ष 1997 के **बैंकाक घोषणा-पत्र** के आधार पर किया जा रहा है। इसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं:
  - इसमें व्यापक प्रावधान नहीं किए गए हैं।
  - यह घोषणा-पत्र परिवर्तित हुए भू-राजनीतिक परिदृश्य के अनुरूप नहीं है।

2.13. भारत और फारस की खाड़ी क्षेत्र (India and Persian Gulf region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय वायु सेना ने **पहली बार संयुक्त अरब अमीरात की वायु सेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास डेजर्ट फ्लैग-VI (वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास)** में भाग लिया। यह फारस की खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के बढ़ते सैन्य संबंधों को इंगित करता है।

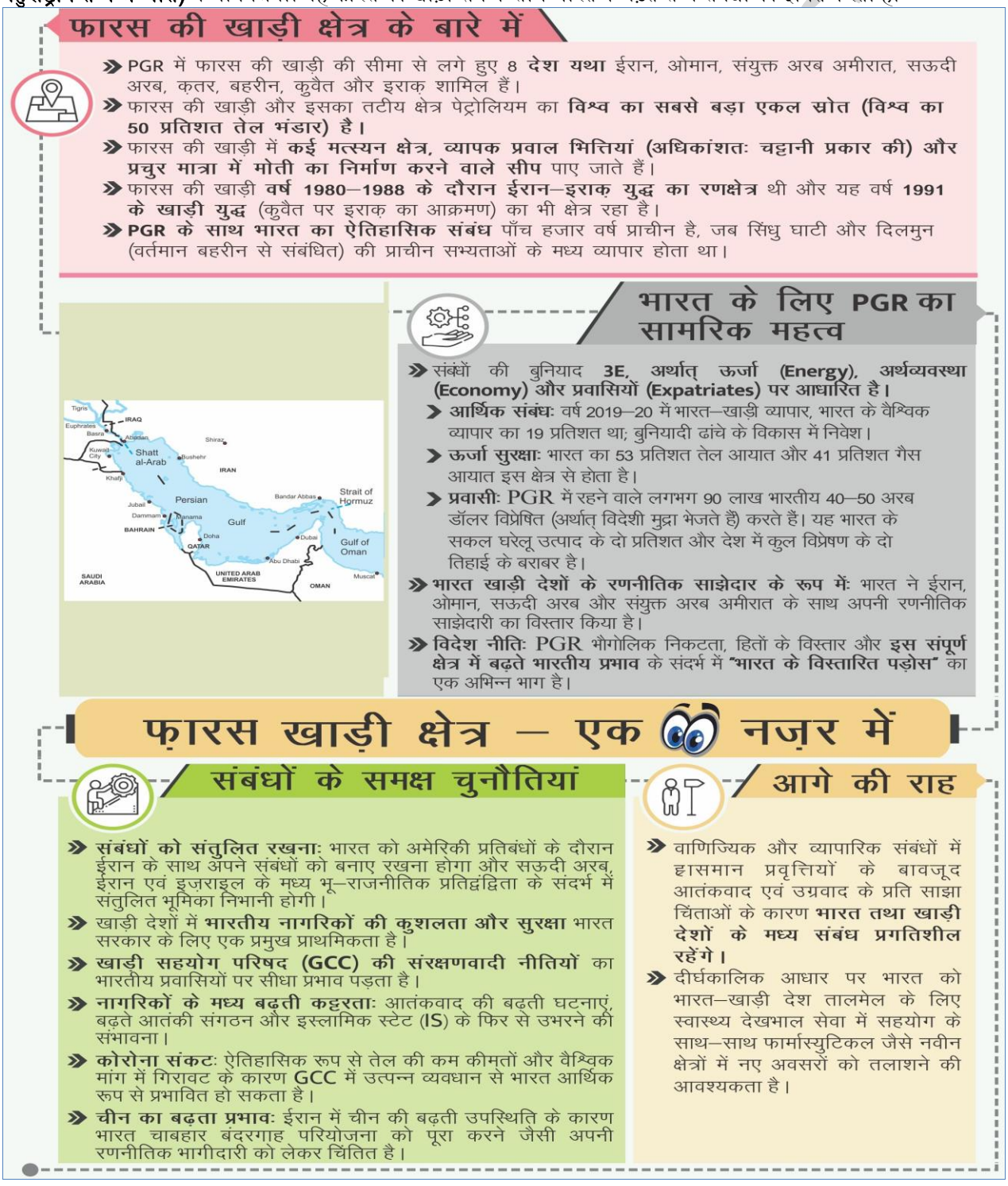

2.14. भारत-आसियान (India-ASEAN)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **17वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन आभासी तौर पर आयोजित** किया गया था।

आसियान के साथ भारत के संबंधों का विकास

- वर्ष 2011 में आसियान के साथ सामरिक भागीदारी; वर्ष 2014 में एक्ट–ईस्ट नीति की घोषणा।
- **आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंध:** आसियान के साथ FTA; आसियान, भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है; भारत से आसियान की ओर FDI प्रवाह में 98 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- **राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग:** आसियान का वार्ता भागीदार; आसियान क्षेत्रीय फोरम (ARF), पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आदि जैसे मंच। साथ ही, भारत द्वारा **एनुअल ट्रैक 1.5 ईवेंट दिल्ली डायलॉग** को स्थापित भी किया गया है।
- **सामाजिक–सांस्कृतिक सहयोग:** क्षमता विकास और लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे एक्सचेंज कार्यक्रम, पर्यटन और भारतीय प्रवासी।
- **कनेक्टिविटी:** भारत–म्यांमार–थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कलादान मल्टीमॉडल परियोजना।
- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:** आसियान–भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष।
- **पर्यावरण:** समर्थन और सहयोग के लिए **आसियान–इंडिया ग्रीन फंड।**

आसियान के सदस्य देश

भारत के लिए आसियान का महत्व

- **भारत की विदेश नीति के केंद्र में आसियान:** भारत का हिंद–प्रशांत दृष्टिकोण और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी।
- **समुद्री सुरक्षा:** व्यापार, ऊर्जा और सामरिक महत्व के संबंध में।
- **भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर:** उत्पादन की कम लागत के संदर्भ में।
- **भारतीय कंपनियों के लिए एक लाभप्रद बाजार।**
- **चीन का मुकाबला:** चीन के साथ क्षेत्रीय एवं सीमा से संबंधित साझा मुद्दों में।
- **क्षेत्रीय एवं वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण:** यूरोपीय संघ के साथ वियतनाम के FTA से भारत को लाभ।
- **क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का समाधान:** विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर समान हित और सरोकार।
- **दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की विफलता की स्थिति में लाभ।**

आसियान – एक नज़र में

चिंताए

- **व्यापार घाटा:** भारत और आसियान के मध्य दो तरफा व्यापार के संदर्भ में वर्ष 2018–19 में लगभग 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ आसियान अधिशेष की स्थिति में है।
- **RCEP:** भारत का RCEP से बाहर होना।
- **भारत की सीमित क्षमता:** विकास सहायता, बाजार पहुंच और सुरक्षा गारंटी के संदर्भ में।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** पर्याप्त भौतिक एवं संस्थागत बुनियादी ढांचे का अभाव।
- **चीन का प्रभाव:** आसियान, चीन का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है।

आगे की राह

- भारत के हिंद–प्रशांत महासागर पहल और आसियान आउटलुक ऑन इंडो–पैसिफिक के मध्य समन्वय के माध्यम से **सहयोग बढ़ाना।**
- **साझा हित के क्षेत्रों** जैसे कि समुद्री डकैती से निपटने में **सहयोग करना।**
- **कोविड काल के बाद की दुनिया में अवसरों की खोज करना:** कौशल को अपग्रेड करना, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में सुधार करना और परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना; **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल (SCRI)।**
- **पूर्वोत्तर भारत की भूमिका: क्षेत्रीय संपर्क।**
- **सांस्कृतिक संपर्क को प्रोत्साहित करना:** भाषा, संस्कृति, नृत्य, पौराणिक कथा, आध्यात्मिकता और धर्म आदि में।
- **FTA की समीक्षा:** उत्पत्ति के नियमों (rules of origin) के प्रावधानों को मजबूत करना, गैर–प्रशुल्क बाधाओं को दूर करने की दिशा में कार्य करना आदि।

17वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

- भारत ने **कोविड-19 आसियान अनुक्रिया कोष (COVID-19 ASEAN Response Fund) में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर** के योगदान की घोषणा की है।
- भारत और आसियान दोनों ने **वर्ष 2021-2025 के लिए नई आसियान-भारत कार्य योजना** को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- आसियान और भारत के मध्य व्यापक भौतिक और डिजिटल संपर्क (कनेक्टिविटी) को बढ़ावा देने हेतु आसियान संपर्कता (कनेक्टिविटी) को सहयोग प्रदान करने के लिए भारत ने **1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रस्ताव** को दोहराया है।
- दोनों पक्षों ने इस समझौते को व्यवसाय के लिए अधिक अनुकूल, अधिक सरल और व्यापार के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement: FTA) की समीक्षा की संभावनों को निर्धारित करने के लिए चर्चाएं भी प्रारंभ की हैं।

2.15. सार्क का पुनः प्रवर्तन (SAARC Revival)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन" (सार्क / SAARC) देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक** अफगानिस्तान की भागीदारी पर सदस्य देशों के बीच असहमति की वजह से **रद्द कर दी गई।**

वर्तमान परिदृश्य की पृष्ठभूमि

- अंतिम SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ) शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2014 में किया गया था। उल्लेखनीय है कि इसके उपरांत शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया जा सका है, क्योंकि वर्ष 2016 में पाकिस्तान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन को पठानकोट और उरी में हुए आतंकवादी हमलों की पृष्ठभूमि में रद्द कर दिया गया था।
- वर्ष 2016 में, भारत सहित अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इस्लामाबाद में आयोजित होने वाले सार्क शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिया था।
- वर्ष 2019 में सार्क की मंत्रिस्तरीय बैठक में दोनों देशों के मंत्रियों ने एक दूसरे के अभिभाषण का बहिष्कार किया।
- वर्ष 2016 में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन की क्षेत्रीय आउटरीच वार्ता में, सार्क के स्थान पर "बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल" (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation: BIMSTEC) अर्थात् बिम्सटेक के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। इसमें यह संकेत दिए गए थे कि बिम्सटेक (जिसका पाकिस्तान सदस्य नहीं है) को सार्क के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

बेहतर क्षेत्रीय एकीकरण और क्षेत्र के विकास के लिए सार्क के पुनरुद्धार पर लगातार चर्चा होती रही है। हाल ही में, श्रीलंका के पूर्व प्रधान मंत्री ने भी इसे पुनः ट्रैक पर लाने का आह्वान किया था।

सार्क के पुनः प्रवर्तन की आवश्यकता

- **एक संगठन के रूप में सार्क, ऐतिहासिक और समकालीन रूप से इस क्षेत्र के देशों की दक्षिण एशियाई पहचान को प्रतिबिंबित** करता है। इसके अतिरिक्त, इसकी अपनी एक भौगोलिक पहचान भी है। इसी प्रकार, इस क्षेत्र में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और खान-पान संबंधी समानताएं भी विद्यमान हैं, जो दक्षिण एशिया को परिभाषित करती हैं।
- **दक्षिण एशियाई देश** अपनी सामाजिक-राजनीतिक स्थिति के कारण घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वे परंपरागत के साथ-साथ उभरते मुद्दों, जैसे- आतंकवाद, ऊर्जा की कमी, जल-कूटनीति, जलवायु परिवर्तन इत्यादि का सामना कर रहे हैं। सार्क इन मुद्दों के समयबद्ध समाधान करने के लिए चर्चा प्रारंभ करने हेतु एक मंच प्रदान कर सकता है।
- **बिम्सटेक, सार्क का पूरक बन सकता है, लेकिन सार्क को प्रतिस्थापित नहीं कर** सकता है, क्योंकि दोनों के मध्य अत्यधिक अंतर विद्यमान है। सार्क की स्थापना के उपरांत विगत 32 वर्षों में इसके 18 शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया चुका है और इसके पास विभिन्न तंत्र, क्षेत्रीय केंद्रों और सम्मेलनों के एक व्यापक नेटवर्क के साथ-साथ एक स्थायी सचिवालय भी है। दूसरी ओर, बिम्सटेक ने हाल ही में प्रगति करना प्रारंभ किया है और अभी तक इसे इसकी स्पष्ट भूमिका प्राप्त नहीं हो पाई है।
- **अन्य संगठनों के प्रति झुकाव:** यदि सार्क निरर्थक हो जाता है तो इसकी संभावना हो सकती है कि अन्य पड़ोसी देश SCO (शंघाई सहयोग संगठन) में शामिल हो जाएं, क्योंकि कई देशों द्वारा इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया जा चुका है या पहले से ही उन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। यदि भारत का इस क्षेत्र में प्रभाव कम होता है, तो यह उसकी वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवरोधक सिद्ध हो सकता है।

- **आर्थिक एकीकरण:** विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार सदस्यों के कुल व्यापार के 5% से भी कम है। अतः, सार्क इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए महत्वपूर्ण है।
- **नेबरहुड फर्स्ट नीति** के निर्माण में सार्क केंद्रीय भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इसकी क्षेत्रीय भूमिका इसका प्रमुख स्तंभ है। 21वीं सदी को एशियाई सदी बनाने के लिए दक्षिण एशिया को विखंडित नहीं बने रहना चाहिए।

इस संदर्भ में यूरोपीय संघ (EU) और आसियान (ASEAN) का अनुभव, सदस्य देशों की आर्थिक संवृद्धि में क्षेत्रीय सहयोग के महत्व की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC) के बारे में

- इसकी स्थापना वर्ष 1985 में **सार्क चार्टर** पर हस्ताक्षर के माध्यम से **ढाका** (बांग्लादेश) में की गई थी। इसका सचिवालय **काठमांडू** (नेपाल) में अवस्थित है।
- **उद्देश्य:** दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना तथा आर्थिक संवृद्धि, क्षेत्रीय अखंडता, परस्पर विश्वास तथा लाभ आदि को तीव्रता प्रदान करना।

सार्क की विफलताएं और चुनौतियां

- वर्ष 2006 में लागू **'दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता'** (South Asia Free Trade Agreement: SAFTA) को सामान्यत: सार्क के एक प्रमुख परिणाम के रूप में रेखांकित किया जाता है, लेकिन इसकी संवेदनशील सूची (sensitive lists) की उपस्थिति को देखते हुए इसकी स्थापना में निहित मूल उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना अभी भी शेष है।
- सार्क के अंतर्गत पाकिस्तान के असहयोग के कारण कुछ बड़ी पहलों के समक्ष अवरोध उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए: सार्क-मोटर वाहन समझौता (Motor Vehicles Agreement: MVA) और सार्क उपग्रह परियोजना (उक्त परियोजनाओं को क्रमशः BBIN-MVA और दक्षिण एशिया उपग्रह द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है)।
- सार्क के पास संघर्ष की स्थिति में मध्यस्थता करने या विवादों के समाधान हेतु कोई ठोस व्यवस्था विद्यमान नहीं है।
- **भारत और अन्य सदस्य देशों के मध्य विषमता:** अन्य राष्ट्र भारत को "बिग ब्रदर" के रूप में देखते हैं और यहीं कारण है कि सार्क के तहत विभिन्न समझौतों को लागू करने के लिए ये देश अनिच्छुक रहे हैं।
- सार्क के पास संसाधनों का अभाव है और सदस्य देश अपने योगदानों में वृद्धि करने के भी अनिच्छुक हैं।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय सहयोग के लिए अन्य पहल

- वर्ष 1982 में गठित **"दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम" (SACEP)** का उद्देश्य इस क्षेत्र में पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रबंधन को बढ़ावा देना और समर्थन करना है।
- **दक्षिण एशिया समुद्र कार्यक्रम (SASP)** का उद्देश्य समुद्री पर्यावरण और क्षेत्र से संबंधित तटीय पारिस्थितिक तंत्र की पर्यावरण की दृष्टि से और टिकाऊ तरीके से रक्षा और प्रबंधन करना है।
- **दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)** कार्यक्रम का उद्देश्य सीमा-पार से संपर्क में सुधार, सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को मजबूत करके क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- **बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौता (MVA)** जिसका उद्देश्य यात्री, कर्मियों और कार्गो वाहन यातायात का नियमन करना है।

आगे की राह

सार्क को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, संगठन में सुधार किया जाना चाहिए तथा सदस्य देशों को आवश्यक परिवर्तनों के बारे में आम सहमति बनानी चाहिए।

- इसलिए, इस दिशा में प्रथम कदम इस क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप अनौपचारिक वार्ता, औपचारिक मध्यस्थता और समाधान तंत्र के लिए एक तंत्र की स्थापना करना हो सकता है।
- **श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित 'आर्थिक एकीकरण रोड मैप':** यह एक प्रस्तावित "उप-क्षेत्र" है, जिसके अंतर्गत भारत के पांच दक्षिणी राज्य और श्रीलंका शामिल हैं, जिसके द्वारा 300 मिलियन लोगों और 500 बिलियन डॉलर से अधिक की कुल GDP का दोहन किया जाएगा।
    - सफल क्षेत्रीय एकीकरण के लिए पैरा-टैरिफ और नॉन-टैरिफ बाधाओं को दूर करते हुए, ई-कॉमर्स का दोहन एवं पर्यटन को बढ़ावा देना, इस प्रकार के रोड मैप के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।
- BBIN मोटर वाहन समझौते जैसी उप-क्षेत्रीय सहयोग परियोजनाओं में तेजी लाने से सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ाने और सहयोग जारी रखने में मदद मिलेगी।

2.16. ब्रिक्स (Brics)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2020 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन **आभासी स्वरूप (virtual format)** में रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

इस शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

इस सम्मेलन के दौरान **मॉस्को घोषणा-पत्र (Moscow Declaration)** को अपनाया गया, जो इस संगठन के भावी विकास हेतु पाँचों देशों के समेकित दृष्टिकोण को व्यक्त करता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन के दो आधार स्तंभ **अर्थव्यवस्था (economy)** और **आतंकवाद प्रतिरोध (counterterrorism)** हैं:

- **ब्रिक्स आर्थिक भागीदारी 2020-2025 के लिए रणनीति पर हस्ताक्षर किए गए:** इसमें प्राथमिकता वाले तीन क्षेत्रों, यथा - व्यापार, निवेश और वित्त; डिजिटल अर्थव्यवस्था; और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ब्रिक्स आतंकवाद-रोधी रणनीति:** आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों में योगदान देने के साथ-साथ क्षेत्र में अंतर-ब्रिक्स संबंधों (Intra BRICS relations) को भी मजबूत करने के उद्देश्य से इस रणनीति की शुरुआत की गयी है।
- **अन्य निष्कर्ष:**
    - भविष्य में संक्रामक रोगों के प्रकोप को रोकने और ऐसे प्रकोपों के वैश्विक महामारी में परिवर्तित होने के जोखिमों को कम करने के लिए **ब्रिक्स एकीकृत प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (BRICS Integrated Early Warning System)** स्थापित करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
    - ब्रिक्स देशों ने सामरिक आक्रामक हथियारों को सीमित करने तथा उनमें और अधिक कटौती करने के उपायों पर वर्ष 2010 की रूस-अमेरिका संधि के अविलंब विस्तार पर सहमत होने की अनिवार्यता को भी रेखांकित किया। यह सहमति वैश्विक रणनीतिक स्थिरता के लिए इन पांच देशों के साझा दृष्टिकोण की दृढ अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करती है।
    - इन देशों ने संयुक्त राष्ट्र और उसकी सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के तंत्रों की समीक्षा तथा इन संगठनों में अधिक प्रतिनिधित्व एवं दक्षता लाने के लिए एक **व्यापक वैश्विक व्यवस्था मॉडल (Comprehensive Global Governance Model)** की आवश्यकता को दोहराया। साथ ही, पहली बार इस समूह ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) में सुधारों का आह्वान किया।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

ब्रिक्स (BRICS) के बारे में

- ब्रिक्स की **शुरुआत वर्ष 2001** में BRIC के रूप में हुई थी, जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए गोल्डमैन सैश द्वारा गढ़ा गया एक संक्षिप्त नाम है।
- दक्षिण अफ्रीका को वर्ष 2010 में शामिल किया गया था।
- **उद्देश्य:** विश्व में शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना।
- ब्रिक्स राष्ट्र, **विश्व जनसंख्या के 43% और विश्व के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।**

ब्रिक्स की उपलब्धियां

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB):** इसकी स्थापना एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक की तर्ज पर की गई है।
- **आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था (CRA) की स्थापना:** पारस्परिक वित्तीय समर्थन प्रदान करना और वैश्विक वित्तीय सुरक्षा तंत्र में योगदान करना।
- **चिकित्सा सहयोग: वर्ष 2015 में 7वें शिखर सम्मेलन में ऊफ़ा (Ufa) घोषणा–पत्र को अपनाया गया था।**
- वर्ष 2015 में **ब्रिक्स विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) फ्रेमवर्क कार्यक्रम** ने कोविड–19 के लिए एक सामान्य प्रतिक्रिया की सुविधा प्रदान की।
- **व्यापार का विस्तार:** पिछले पांच वर्षों में, अंतरा–ब्रिक्स (intra-BRICS) निर्यात में 45% की वृद्धि हुई है।

भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व

- **विकासशील देशों की आवाज:** विश्व व्यापार संगठन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक उनके अधिकारों की सुरक्षा करना।
- **प्रतिद्वंद्विता को संतुलित करने हेतु सुरक्षित स्थान:** वर्ष 2017 के डोकलाम गतिरोध और हाल के लद्दाख गतिरोध के दौरान भी चीन और भारत दोनों ब्रिक्स के माध्यम से जुड़े रहे।
- **अंतर–महाद्वीपीय पहुंच:** ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे सदस्य देशों की उपस्थिति।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन आदि में **संस्थागत सुधारों के लिए भारत की मांग को बढ़ावा देना।**
- **एक समावेशी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना निर्मित करने में योगदान देना।**
- **आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना।**
- **आयात निर्भरता:** भारत के कुल आयात का 34 प्रतिशत अन्य चार ब्रिक्स देशों से होता है।
- **भुखमरी एवं निर्धनता उन्मूलन हेतु SDGs को प्राप्त करना:** कृषि अनुसंधान और नवाचारों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच का गठन किया गया है।

ब्रिक्स BRICS – एक नज़र में

समूह के समक्ष चुनौतियां

- **सदस्यों के मध्य विषमता:** लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शासन वाले देशों का मिश्रण।
- चीन की क्षेत्रीय और वैश्विक महत्वाकांक्षा को लेकर **सदस्यों में संदेह** की स्थिति, भविष्य में इस समूह के कामकाज को प्रभावित कर सकती है।
- **संस्थागत सुधारों के प्रति दृष्टिकोण:** ब्रिक्स, UNSC में चयनात्मक सुधार करना चाहता है।
- **अन्य वैश्विक संस्थानों पर निर्भरता:** जैसे कि G-20
- **बदलती विश्व व्यवस्था:** यदि अमरीका–चीन प्रतिद्वंद्विता तीव्र होती है तो इससे समूह में 'आंतरिक विभाजन' की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं।
- **पूंजी का अभाव:** NDB को और अधिक निवेश एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता है।
- **सदस्य देशों के मध्य कम व्यापार:** ब्रिक्स देशों के मध्य आयात और निर्यात कम है।

आगे की राह

- **ब्रिक्स का भविष्य** इस बात पर निर्भर करेगा कि इसके नेता सामूहिक रूप से कितने एकजुट हैं।
- ब्रिक्स देशों को निजी क्षेत्रक और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक **उर्ध्वगामी (बॉटम–अप) दृष्टिकोण की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता** है।
- कोविड–19 वैश्विक महामारी ने **समूह को वर्ष 2018 में सहमत ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र की स्थापना में तीव्रता** लाने का अवसर प्रदान किया है।

2.17. ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी या जी-20 (G-20)

सुर्ख़ियों में क्यों?

सऊदी अरब द्वारा आभासी प्रारूप में G-20 के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।

G20 (20 देशों का समूह) के बारे में

- यह विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 80%, वैश्विक व्यापार के 75% और जनसंख्या के 60% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।
- **उद्देश्य:**
  - नीतिगत समन्वय
  - वित्तीय विनियमनों को प्रोत्साहित करना
  - नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना निर्मित करना
  - **G20 समूह के दो कार्यशील ट्रैक हैं,** यथा– **फाइनेंस ट्रैक**, जो वैश्विक आर्थिक एवं वित्तीय मुद्दों पर केंद्रित है और शेरपा ट्रैक, जो राजनीतिक संबद्धता, भ्रष्टाचार–विरोधी जैसे व्यापक मुद्दों पर केंद्रित है।

G20 का महत्व

- **प्रतिनिधि समूह:** इसमें विकसित एवं विकासशील देश शामिल हैं।
- **संवृद्धि एवं विकास का समर्थन:** विकासशील एवं कम आय वाले देशों के लिए नीतिगत सामंजस्य, विश्लेषण और व्यावहारिक साधन।
- **G20 की प्राथमिकता में शामिल अन्य मुद्दे:** सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक स्वास्थ्य, आतंकवाद–रोधी आदि।

G20 की उपलब्धियां

- वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान आपातकालीन वित्त पोषण।
- **कराधान संबंधी सुधार:** G20/OECD आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क।
- वित्तीय विनियामक निकायों की गुणवत्ता में सुधार।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि करना।
- कोविड–19 वैश्विक महामारी से प्रभावित क्षेत्रों में अर्थव्यवस्थाओं एवं आपूर्ति शृंखलाओं का समर्थन करना, **वैश्विक अर्थव्यवस्था में 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का वित्तपोषण करने हेतु प्रतिबद्धता।**
- **विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते के अनुसमर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका।**

भारत एवं G20

- भारत G20 का **संस्थापक सदस्य** है।
- विगत G20 शिखर सम्मेलनों में भारत द्वारा किए गए कुछ प्रस्ताव:
  - **आतंकवाद पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई।**
  - **आर्थिक अपराधियों से निपटना।**
  - **वैश्विक कराधान:** आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) फ्रेमवर्क।
  - **नई डिजिटल प्रौद्योगिकीयों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटना।**

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी या G20 - एक नज़र में

चुनौतियां

- **G20 में एक उद्देश्य ढाँचे का अभाव है** जिसके माध्यम से लक्ष्यों का निर्धारण और उनकी दिशा में प्रगति को मापा जा सके।
- अध्यक्ष पद ग्रहण करने वाला देश अपने दृष्टिकोण के आधार पर कुछ मुद्दों को इसमें शामिल करता है। **जैसे– जापान द्वारा "एजिंग एंड सोसाइटी 5.0" आदि।**
- **इसकी सदस्यता की विशिष्ट प्रकृति संबंधी आलोचना:** अफ्रीकी देशों का अनुपातहीन गैर–प्रतिनिधित्व।
- कमजोर प्राधिकरण के कारण कार्यान्वयन संबंधी समस्याएं।

आगे की राह

- **अध्यक्ष देश** द्वारा उठाये गए मुद्दों के हल होने तक उन पर वार्ता जारी रखना चाहिए।
- सभी देशों विशेषकर **उभरते/विकासशील देशों को एकजुट करने हेतु दृष्टिकोण** प्रदान करना।
- विकास को बढ़ावा देने हेतु **संयुक्त राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना।**
- साथ ही बुनियादी ढांचें एवं खाद्य सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित करना।
- कोविड के पश्चात् मजबूत **वैश्विक आपूर्ति शृंखला निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना।**

2.18. शंघाई सहयोग संगठन {Shanghai Cooperation Organization (SCO)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, SCO **राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् का 20वां शिखर सम्मेलन** आयोजित हुआ।

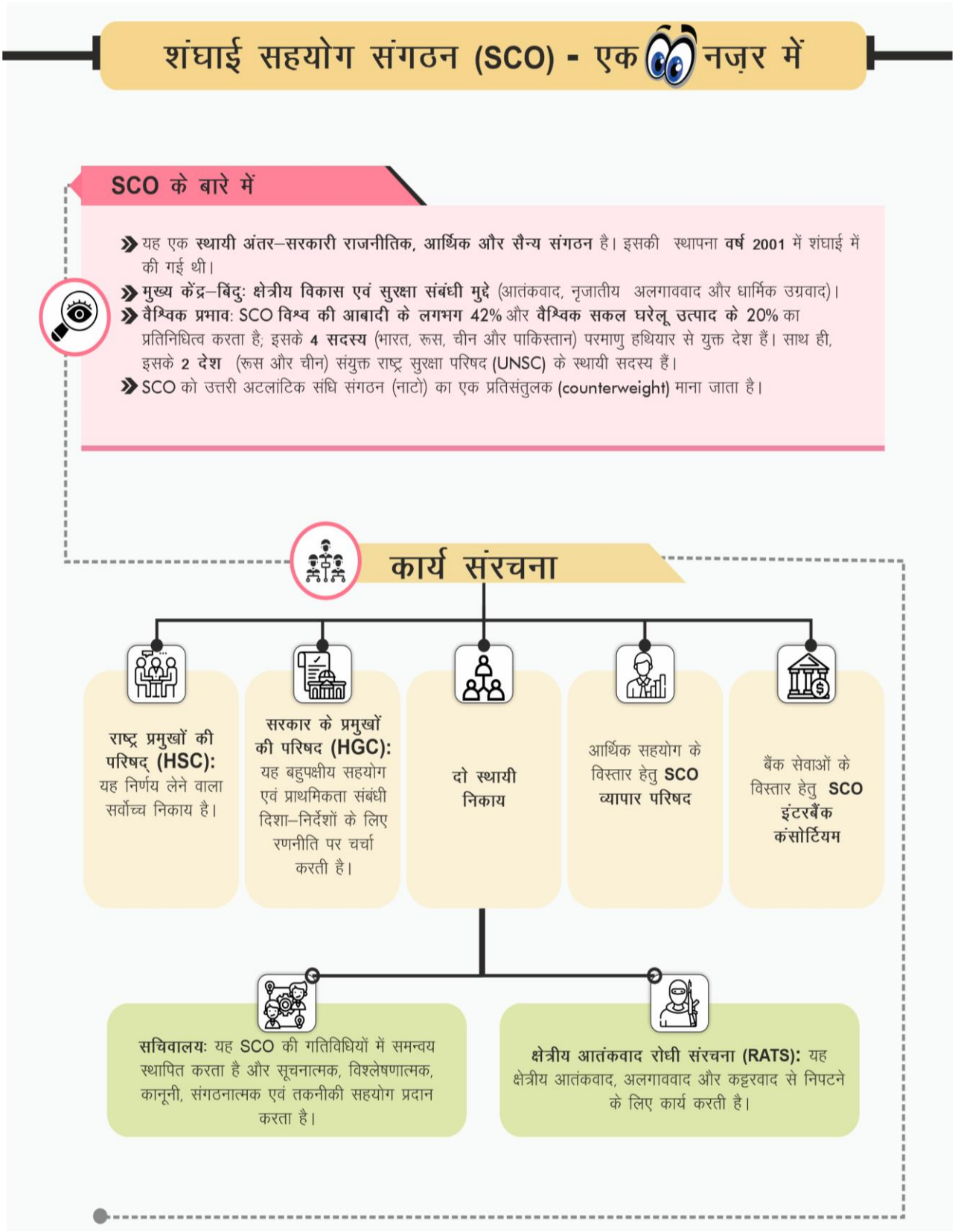

भारत के लिए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की प्रासंगिकता

- **क्षेत्रीय आतंकवाद पर नियंत्रण:** SCO की रक्षा–केंद्रित संरचना और RATS की गतिविधियों ने क्षेत्रीय आतंकवाद को रोकने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।
- **अफगानिस्तान की राजनीतिक गतिशीलता में भागीदारी।**
- **राजनीतिक:** SCO के वार्षिक सम्मेलनों के दौरान भारत को क्षेत्रीय देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नए तरीके से आरंभ करने का अवसर प्राप्त होता है।
- **आर्थिक:** मध्य एशियाई गणतंत्र (CAR) लौह–अयस्क, कोयला, तेल, गैस, यूरेनियम आदि में समृद्ध हैं। SCO के तहत नेताओं के साथ और भारत–मध्य एशिया व्यापार परिषद की निरंतर बैठकों से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।
- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी:** भारत की लंबित ऊर्जा परियोजनाएं, जैसे– तापी/TAPI (तुर्कमेनिस्तान – अफगानिस्तान – पाकिस्तान – इंडिया) पाइपलाइन, IPI (ईरान – पाकिस्तान – इंडिया) पाइपलाइन और CASA (सेंट्रल एशिया – साउथ एशिया) – 1,000 विद्युत पारेषण परियोजनाएं, जो पाकिस्तान के कारण रुकी हुई हैं, उन्हें SCO के माध्यम से पुनः आरंभ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा।

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) - एक नज़र में

चुनौतियां

- **चीन का प्रभुत्व:** भारत को छोड़कर, सभी सदस्यों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का समर्थन किया है।
- **रूस–पाकिस्तान–चीन धुरी:** रूस और चीन के मध्य बढ़ते संबंध भारत के समक्ष आने वाली कठिनाइयों को और बढ़ा देते हैं, जिनका भारत SCO में चीन–पाकिस्तान धुरी के कारण पहले से ही सामना कर रहा है।
- **मध्य एशिया और उसके बाहर संपर्क का अभाव:** वर्तमान में भारत और अफगानिस्तान के मध्य प्रत्यक्ष भूमि संपर्क तथा पाकिस्तान के बाहर से सीधे भूमि संपर्क के रणनीतिक रूप से न होने से मध्य एशिया व यूरेशिया के साथ संपर्क में एक बड़ी बाधा उत्पन्न होती है।

भारत के लिए आगे की राह

- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना:** भारत को चीन के प्रभुत्व के विरुद्ध अपने स्वतंत्र दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए।
- **कनेक्टिविटी–परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना:** चाबहार बंदरगाह के खुलने और अश्गाबात समझौते के प्रवर्तन को यूरेशिया में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के लिए प्रयुक्त किया जाना चाहिए।
- **पाकिस्तान को रचनात्मक रूप से शामिल करना:** भारत को SCO में अपने पक्ष में समर्थन जुटाना चाहिए कि पड़ोसी देशों तक विस्तृत इसकी संपर्क परियोजनाओं में पाकिस्तान द्वारा कोई अवरोध उत्पन्न न किया जाए।
- **मध्य एशियाई गणतंत्रों (CAR) में रचनात्मक भूमिका निभाना:** भारत मध्य एशिया में युवाओं के मध्य कट्टरपंथी विचारधारा को समाप्त करने में भूमिका निभा सकता है और अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।

संबंधित सुर्ख़ियां

वर्ष 2017 में SCO की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद पहली बार **SCO की 19वीं बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई** थी।

- **मुख्य बिंदु:**
  - भारत ने SCO सदस्य देशों से आतंकवाद का समर्थन करने वाले सुरक्षित ठिकानों, इसके बुनियादी ढांचे और वित्तीय नेटवर्क को व्यापक रूप से उन्मूलन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कानूनी संधियों को लागू करने का आह्वान किया।
  - SCO के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, जिसमें वार्ता, निगरानी और विवाद समाधान जैसे प्रमुख कार्यों में सुधार करना शामिल हैं।
  - भारत ने चीन की 'बेल्ट एंड रोड' पहल का समर्थन करने से इनकार कर दिया, जिसे अन्य सभी सदस्यों का समर्थन प्राप्त है।
  - 2021-2025 के लिए बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना को स्वीकृति।

2.19. भारत और क्वाड (India and the Quad)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, क्वाड्रीलेटरल ग्रुपिंग (Quadrilateral grouping-चतुष्कोणीय समूह) के विदेश मंत्रियों की बैठक टोक्यो में हुई।

क्वाड के बारे में

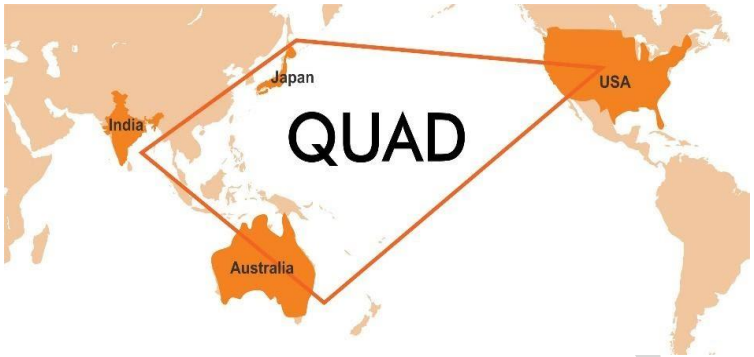

- क्वाड को चतुष्कोणीय सुरक्षा संवाद (Quadrilateral Security Dialogue) के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह **भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया** और **जापान** द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक अनौपचारिक संगठन है। **वर्ष 2007 में दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान/ASIAN) के शिखर सम्मेलन** के दौरान इस समूह की **पहली अनौपचारिक बैठक** हुई थी।
    - इसकी शुरुआत **प्रथम मालाबार सैन्य अभ्यास और वर्ष 2004 की सुनामी** से जुड़ी हुई है। इस दौरान भारत ने स्वयं के लिए और पड़ोसी देशों हेतु राहत एवं बचाव अभियान संचालित किए थे। बाद में, इस अभियान में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गए थे।
- **चीन की बढ़ती आर्थिक और सैन्य शक्ति** का सामना करने के लिए इसका गठन किया गया था। हालांकि, क्वाड का यह संस्करण वर्ष 2008 में लुप्त हो गया था।
    - भारत उस समय चीन की प्रतिक्रिया के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील था, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य बने। इसके अतिरिक्त, इस दौरान भारत **क्वाड की उपयोगिता को लेकर भी चिंतित** था। क्योंकि भारत द्वारा पहले से ही जापान एवं अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया व जापान के साथ त्रिपक्षीय संबंध संचालित किए जा चुके थे।
- **वर्ष 2017 में पुनः चीन के विस्तारवादी स्वरूप को देखते हुए** चारों देशों ने क्वाड को **पुनर्जीवित** किया। हालांकि, **"क्वाड 2.0" वर्ष 2017 से 2021 के मध्य ज़मीनी स्तर पर सुदृढ़ता से किए गए कार्यों का परिणाम है।**
    - क्वाड के मुख्य उद्देश्यों में **नियम आधारित विश्व व्यवस्था को सुनिश्चित करना, नौवहन की स्वतंत्रता और उदार व्यापार प्रणाली को स्थापित करना आदि शामिल हैं।**
    - इसे समुद्री क्षेत्र वाले लोकतांत्रिक देशों का एक गठबंधन माना जाता है। इसके द्वारा सभी सदस्यों के मध्य समय-समय पर बैठकें, अनियमित शिखर सम्मेलन, सूचनाओं का आदान-प्रदान और सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता रहा है।

भारत के संदर्भ में क्वाड की प्रासंगिकता

- **चीन के प्रभाव को संतुलित करना:** यदि सीमा पर चीन की गतिविधियों में बढ़ोतरी होती है, तो भारत उस पर दबाव डालने के लिए अन्य क्वाड राष्ट्रों की सहायता ले सकता है।
    - भारत अपने क्वाड भागीदारों के साथ मिलकर चीन की बेल्ट और रोड पहल का विकल्प तलाशने की दिशा में प्रयासरत है। चीन की इस परियोजना ने भारत की प्रादेशिक स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रमुखता को कमजोर किया है।
- **हिंद-प्रशांत क्षेत्र की बढ़ती प्रासंगिकता:** इसकी अनुकूल भू-भौगोलिक और प्रायद्वीपीय भौगोलिक स्थिति के कारण भारत, हिंद-प्रशांत के तटीय देशों के साथ व्यापक पैमाने पर व्यापार एवं सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने में सफल रहा है। क्वाड वस्तुतः भारत को **पूर्वी एशिया से संबंधित हितों में वृद्धि करने और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने हेतु एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।**
    - इसके अतिरिक्त, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, हिंद महासागर आयोग आदि जैसे विभिन्न मंचों में भागीदारी के माध्यम से यह क्षेत्र में समावेशिता की भावना को भी बढ़ावा देता है।
- **उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति:** औपचारिक गठबंधन स्थापित किए बिना समान विचारधारा वाले देशों के साथ जुड़ना या क्वाड के बाहर के देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना, भारत की उभरती विदेश नीति संबंधी रणनीति की पहचान है।
- **भारत की रक्षा क्षमताओं में सहयोगी:** क्वाड सदस्यों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, सामरिक सूचनाओं के आदान-प्रदान आदि से रक्षा क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। इससे, भारत को अपनी कुछ कमियों जैसे कि वित्तीय कमी, नौसैन्य क्षमता, सैन्य जासूसी, और तकनीकी एवं निगरानी क्षमता की कमी को दूर करने में भी मदद मिलेगी।

- **उभरते ख़तरों पर अतिरिक्त सहभागिता:** साइबर, अंतरिक्ष और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों की निगरानी तथा संदिग्ध कार्यकलापों को रोकने में अतिरिक्त सहभागिता की अपेक्षा की जा सकती है। इन चारों देशों को बड़े पैमाने पर सतत साइबर हमलों से संबंधित ख़तरों का सामना करना पड़ा है। इनमें ऐसे ख़तरे भी शामिल हैं, जो किसी देश, मुख्य तौर पर चीन से सहायता प्राप्त संस्थानों द्वारा उत्पन्न किए गए हैं।

संबंधित तथ्य
चीन ने अपना नया समुद्री कानून लागू किया है

- इस क़ानून के अनुसार, चीन के 'जलीय क्षेत्र' से होकर गुजरने वाले **विदेशी जलीय जहाजों को अब चीनी अधिकारियों को सूचित करना होगा।**
  - अपने जलीय क्षेत्र के बारे में चीन के दावे को उसके पड़ोसी देशों के साथ-साथ अमेरिका भी विरोध करता रहा है।
  - चीन के आसपास के जलीय क्षेत्र को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं। चीन अपने **"नाइन डैश लाइन (nine-dash line)"** मानचित्र के तहत, **दक्षिण चीन सागर** के अधिकांश क्षेत्र पर स्वायत्त दावा करता है।

क्वाड के समक्ष चुनौतियां

- **भारत के अन्य द्विपक्षीय/बहुपक्षीय संबंधों के निहितार्थ:** हाल ही में, चीन ने यह तर्क दिया है कि हालिया वर्षों में अमेरिका और अमेरिका के नेतृत्व वाले क्वाड के साथ बढ़ती निकटता के कारण भारत ने चीन व रूस के साथ अपने संबंधों को कमजोर कर लिया है। चीन के अनुसार इससे ब्रिक्स (BRICS) और शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की प्रगति भी बाधित हुई है।
- **अस्पष्ट उद्देश्य:** इस तरह की अस्पष्टता कमजोर स्थिति को प्रकट करती है। इसी कारण कई राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे केवल चीन विरोधी गठबंधन के तौर पर ही देखते हैं। इससे, अन्य आवश्यक क्षेत्रों जैसे कि जलवायु परिवर्तन की समस्या और वैक्सीन कूटनीति में इसकी भागीदारी कमज़ोर हो सकती है।

अनसुलझे मुद्दे:

- **कोविड और वैक्सीन पहल का विरोध:** कोवाक्सीन को लेकर भारत के प्रस्ताव को WTO से स्वीकृति मिलने में अत्यधिक विलंब हुआ। भारत ने भी अमेरिकी टीकों को विधायी प्रक्रियाओं से छूट देने पर रोक लगा दी है।
- **जलवायु परिवर्तन की समस्या:** भारत ने क्वाड देशों के साथ सौर गठबंधन, पेरिस समझौता आदि पहलों पर कार्य किया है, लेकिन अब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन और कोयले के उपयोग को ख़त्म करने संबंधी समयसीमा पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।
- **महत्वपूर्ण तकनीक और लचीली आपूर्ति श्रृंखला:** भारत विशेष रूप से चीन पर निर्भरता को समाप्त करने के इच्छुक भागीदारों के साथ तकनीक संबंधी वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना की दिशा में प्रयासरत रहा है। हालांकि, एक देश से दूसरे देश में डेटा के प्रवाह के संदर्भ में भारत ओसाका ट्रैक का हिस्सा नहीं है, जबकि अन्य क्वाड देश इसमें सहभागी हैं।

क्वाड का महत्व

जापान

- जापान विश्व के अन्य देशों के साथ **अपने व्यापार हेतु खुले समुद्री मार्गों पर** अत्यधिक निर्भर है।
- **चीन, दक्षिण चीन सागर पर अपने स्वायत्त अधिकार का दावा करता है।** इसके अलावा, पूर्वी चीन सागर में कुछ द्वीपों को लेकर चीन और जापान के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रही है तथा पूर्वी चीन सागर में स्थित इन द्वीपों पर दोनों देश अपना दावा करते रहे हैं। इन कारणों ने, **चीन की बढ़ती हुई सैन्य शक्ति के आलोक में जापान की चिंताओं और अधिक बढ़ा दिया है।**

ऑस्ट्रेलिया

- चीन का अत्यधिक विस्तारवादी स्वरुप हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में **ऑस्ट्रेलिया की स्थिति को प्रभावित कर सकता है।** दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया विशेषकर इस क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए बाह्य शक्ति के तौर पर अमेरिका के सहयोग पर अत्यधिक निर्भर है।
- क्वाड, आसियान समेत **ऑस्ट्रेलिया के अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग का एक पूरक है।**

संयुक्त राज्य अमेरिका

- **हिंद–प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, अमेरिका के समुद्री हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।** वर्ष 2019 में, 1.9 ट्रिलियन डॉलर मूल्य वाले अमेरिकी वस्तुओं का व्यापार इस क्षेत्र से होकर किया गया था।
- क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को बदलने हेतु चीन के आक्रामक रवैये ने अमेरिका की चिंता को अत्यधिक बढ़ा दिया है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **अमेरिका से विरोधाभासी संकेत:** ज्ञातव्य है कि क्वाड बैठकों के लिए अभी कार्य योजनाएं विकसित की जा रही हैं, फिर भी इसी दौरान अमेरिका ने सहयोगियों और भागीदारों को चकित करते हुए एक त्रिपक्षीय रक्षा भागीदारी की घोषणा की है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं, जिसे **ऑकस (AUKUS)** नाम दिया गया है।
- **स्वीकार्य जोखिम और उसके परिणाम को लेकर असहमति:** भावी खतरे को लेकर सभी सदस्य देशों के मध्य मौजूदा असहमति अनेक कारणों पर आधारित है। इनमें चीन के साथ सीधे तौर पर राज्यक्षेत्रीय विवादों की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी, बीजिंग द्वारा संभावित प्रतिशोध संबंधी जोखिम, अन्य उच्च स्तरीय राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और खतरे तथा अंतत: प्रत्येक देश की रणनीतिक संस्कृति की सीमाएं इत्यादि शामिल हैं।
- **चीन का प्रभाव:** चीन का क्वाड देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के साथ मजबूत आर्थिक संबंध रहा है। चीन इसका उपयोग अपने पक्ष में देशों को बाध्य या प्रभावित करने के लिए कर सकता है। ऐसी स्थिति भारत के लिए समस्या उत्पन्न कर सकती है।

क्वाड के संदर्भ में आगे की राह

- **सामूहिक कार्रवाई:** सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्वाड राष्ट्रों को सामूहिक सुरक्षा की दिशा में कार्य करना चाहिए। क्वाड समूह अपने 30 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त GDP (महामारी पूर्व स्थिति के अनुरूप) और 800 बिलियन डॉलर के संयुक्त रक्षा बजट के साथ, चीन को आसानी से प्रतिसंतुलित कर सकता है।
- **स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता:** क्वाड राष्ट्रों को एक व्यापक फ्रेमवर्क के आधार पर अपने हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को स्पष्ट करने पर विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि प्रत्येक देश के आर्थिक और सुरक्षा हितों को पूरा किया जा सके। इससे तटीय देशों को भी यह आश्वासन प्रदान करने में मदद मिलेगी कि क्वाड की उपस्थिति से क्षेत्र को लाभ प्राप्त होगा।
- **क्वाड का विस्तार:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में कई अन्य देश हैं, जिनके भारत के साथ बेहतर संबंध हैं। इसलिए, भारत को ऐसी रणनीति निर्मित करनी चाहिए, ताकि इंडोनेशिया, सिंगापुर आदि जैसे देशों को भविष्य में क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जा सके।
- **समुद्री सिद्धांत/नीति की आवश्यकता:** भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ में एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए। इससे मौजूदा और भावी समुद्री चुनौतियों के निपटान, अपने सैन्य और असैन्य साधनों को परस्पर समेकित करने तथा अपने सामरिक भागीदारों को शामिल करने की दिशा में वैचारिक प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा।

क्वाड शिखर सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष

कोविड और वैश्विक स्वास्थ्य

- क्वाड देशों ने **वैश्विक स्तर पर टीकों की 1.2 बिलियन से अधिक खुराक प्रदान करने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर की है।** क्वाड ने कोवैक्स (COVAX) के ज़रिए खुराकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए हैं।
- क्वाड ने अक्टूबर 2021 से कोवैक्स के साथ-साथ अन्य देशों को **कोविड-19 टीकों के सुरक्षित और प्रभावी निर्यात को फिर से शुरू करने की भारत की घोषणा का स्वागत किया है।**
- वर्ष 2022 में कम से कम एक महामारी की तैयारी से संबंधित सक्रिय वार्ता या अभ्यास का आयोजन करके **हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा को बहाल करना।**
- **100 दिनों का मिशन:** 100 दिनों के अंदर सुरक्षित और प्रभावी तरीके से टीका लगाने के अलावा उपचार और निदान की सुविधा उपलब्ध कराना।

अवसंरचना

- G7 की **बिल्ड बैक ए बेटर वर्ल्ड (B3W)** की घोषणा को पूर्ण करने की दिशा में कार्य करना।
- क्षेत्रीय अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित मूल्यांकन/अवलोकन को साझा करने और पारदर्शी एवं उच्च स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए संबंधित रणनीतिक समन्वय प्रदान करने हेतु **क्वाड अवसंरचना समन्वय समूह** का गठन।

जलवायु

- क्वाड देशों द्वारा एक **क्वाड शिपिंग टास्कफोर्स** लॉन्च किया जाएगा। इसकी सहायता से विश्व के प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरणों को एक ऐसा नेटवर्क विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा जो **शिपिंग मूल्य श्रृंखला को पर्यावरण अनुकूल बनाने और कार्बनमुक्त करने की दिशा में समर्पित हो।**
- क्वाड शिपिंग टास्कफोर्स का लक्ष्य यह होगा कि वर्ष 2030 तक दो से तीन **निम्न उत्सर्जन या शून्य उत्सर्जन वाले शिपिंग कॉरिडोर** को विकसित किया जाए।
- क्वाड समूहों द्वारा एक स्वच्छ हाइड्रोजन भागीदारी की घोषणा की जाएगी, ताकि स्वच्छ हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में शामिल सभी घटकों की लागत कम और उन्हें बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए अन्य क्षेत्र में संचालित मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हाइड्रोजन पहल का भी उपयोग किया जाएगा।
- क्वाड देशों की मदद से एक **जलवायु और सूचना सेवा टास्कफोर्स** का गठन किया जाएगा। इसके अलावा, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन के माध्यम से क्वाड समूहों द्वारा एक नई तकनीकी सुविधा को भी विकसित किया जाएगा। यह तकनीकी सुविधा छोटे द्विपीय विकासशील देशों में तकनीकी सहायता प्रदान करने में मदद करेगी।

महत्वपूर्ण और उभरती तकनीक

- क्वाड देशों द्वारा **तकनीकी डिज़ाइन, उसके विकास, प्रबंधन, और उपयोग के संबंध में सिद्धांतों का एक ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा।** यह ब्यौरा उत्तरदायी, खुले व उच्च स्तरीय नवाचार की दिशा में एक मार्गदर्शक के तौर पर कार्य करेगा।
- **सेमिकंडक्टर** और उसके अहम घटकों की क्षमता का पता लगाने, सुभेद्यता के आकलन और आपूर्ति श्रृंखला संबंधी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्वाड भागीदार देशों द्वारा एक संयुक्त पहल लॉन्च किया जाएगा।
- **यह 5G के कार्यान्वयन और विविधीकरण** में सहायता करेगा और जैवप्रौद्योगिकी की स्कैनिंग की निगरानी को सुनिश्चित करेगा।

अन्य

- **क्वाड फ़ेलोशिप का शुभारंभ:** यह अपनी तरह का पहला स्कॉलरशिप कार्यक्रम है। इसके तहत **स्टेम (विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों** पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। कल्याणकारी पहल के तहत इसका संचालन और प्रबंधन, एक गैर–सरकारी टास्कफोर्स के परामर्श से किया जाएगा। टास्कफोर्स में प्रत्येक क्वाड देश के नेतृत्वकर्ता शामिल होंगे।
- क्वाड देशों द्वारा **भू–अवलोकन सैटेलाइट डेटा के आदान–प्रदान और जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिम** तथा समुद्र एवं समुद्री संसाधानों के संधारणीय प्रयोग के विश्लेषण के संबंध में वार्ता कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा।
- क्वाड देश द्वारा **साझे साइबर मानकों के कार्यान्वयन;** सुरक्षित सॉफ़्टवेयर के निर्माण और कार्यबल तथा प्रतिभा के विकास के लिए **सीनियर साइबर ग्रुप** का गठन किया जाएगा।

2.20. दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति (India's Economic Diplomacy in South Asia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैश्विक स्तर पर, यह आम धारणा प्रचलित है कि दक्षिण एशिया में व्यापार से लेकर अवसंरचना के विकास तक भारत का व्यवहार या इसके द्वारा किए गए वादे अत्यधिक आशाजनक होते हैं, जबकि उन्हें पूर्ण करने में भारत पीछे रह रह जाता है।

आर्थिक कूटनीति

- आर्थिक कूटनीति वस्तुतः देशों के मध्य परस्पर संबंधों के सतत संचालन में आर्थिक साधनों के उपयोग द्वारा देश की आर्थिक सुरक्षा और सामरिक हितों को बनाए रखने की एक कला है।
- कूटनीति के संबंध में **कौटिल्य के "अर्थशास्त्र"** को भारत का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में कूटनीति के संचालन में **'साम, दाम, दंड और भेद'** की प्रासंगिकता को मान्यता प्रदान की गई है।
- इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ विदेशी सरकारों की नीतियों एवं विनियामक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों से संबंधित अनेक कारणों के समाधान से लेकर व्यापार एवं निवेश तक कूटनीति के सभी विषयों का उल्लेख मिलता है।

दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति की सफलता

- **अवसंरचना:** भारत एक संयुक्त, संप्रभु, लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण, स्थिर, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र के रूप में उभरने की अपनी यात्रा में पड़ोसी देशों की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है।
  - इस संबंध में भारत द्वारा किए गए प्रयासों में **सलमा बांध (अफगान-भारत मैत्री बांध)** का पुनर्निर्माण, **ज़ारंज-डेलाराम सड़क के माध्यम से अफगानिस्तान के गारलैंड राजमार्ग** तक पहुंच प्रदान करना, **नेपाल** में 900 मेगावाट (MW) के **अरुण III जलविद्युत परियोजना** का निर्माण आदि शामिल है।

- **नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी:** यह भारत की विदेश नीति का एक भाग है। इसका उद्देश्य **क्षेत्रीय शांति व आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना,** भारत के प्राकृतिक भौगोलिक लाभों के आधार पर एक **क्षेत्रीय रणनीति विकसित करना** तथा **सीमा-पार कनेक्टिविटी (संपर्कता)**, साझा सांस्कृतिक विरासत और प्रमुख रणनीतिक स्थिति में सुधार करना है। यह नीति दक्षिण एशियाई देशों में चीन के प्रभाव को कम करने में भी सहायता करती है।
- **निवेश:** भारत द्वारा दक्षिण एशियाई देशों को समय-समय पर सामग्री और सेवा संबंधी सहायताएं प्रदान की जाती रही हैं। वैश्विक नेतृत्व की अपनी आकांक्षा के साथ, भारत ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/SAARC) देशों के लिए **कोविड-19 आपातकालीन कोष की भी स्थापना** की है।
- **ऊर्जा: दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC)** कार्यक्रम के तहत मुख्य ध्यान ऊर्जा सहयोग पर केंद्रित किया गया है।
    - उदाहरण के लिए, भारत ने हाल ही में नेपाल से विद्युत परिवहन के उद्देश्य से पारेषण और वितरण लाइनों के निर्माण हेतु 1.69 बिलियन डॉलर के निवेश की योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है।
    - **रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना** बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए **भारत और रूस** द्वारा संचालित एक पहल है।
- **पर्यटन:** दक्षिण एशिया अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता व मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता के कारण एक आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में उभरा है। पड़ोसी देशों से आने वाले पर्यटकों की संख्या भारत में आने वाले कुल विदेशी पर्यटकों की तुलना में लगभग एक तिहाई रही है।
    - वर्ष 2019 में, **विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum: WEF) के विश्व यात्रा व पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक (World Travel, Tourism Competitiveness Index: TTCI)** में वर्ष 2017 के उपरांत से दक्षिण एशिया को सर्वाधिक सुधार वाले क्षेत्र के रूप में रैंकिंग प्रदान की गई है। इस दौरान, **भारत** ने शीर्ष 25% देशों के मध्य अपनी रैंकिंग में **अत्यधिक सुधार को प्रदर्शित** किया है। इस सूचकांक में भारत ने वर्ष 2017 के 40वें स्थान से सुधार करते हुए वर्ष 2019 में 34वां स्थान प्राप्त किया है।

दक्षिण-एशिया में कनेक्टिविटी परियोजनाएं

दक्षिण एशिया में भारत की आर्थिक कूटनीति से संबंधित मुद्दे

- **व्यापार:** भारत की दक्षिण एशियाई देशों के साथ व्यापार असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, जिसे निम्नलिखित के रूप में संदर्भित किया जा सकता है:
    - **अंतर-क्षेत्रीय व्यापार:** दक्षिण एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार वैश्विक स्तर पर सबसे कम है, जो इस क्षेत्र के कुल व्यापार का केवल 5% ही है।
    - **संरक्षणवाद:** वैश्विक व्यापार आंकड़ों के अनुसार, शेष विश्व की तुलना में दक्षिण एशिया (विशेष रूप से भारत, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान के संदर्भ में) से किए जाने वाले आयात के मामले में व्यापार प्रतिबंध सूचकांक 2 से 9 गुना अधिक रहा है।

- **व्यापार की अनुपातहीन लागत:** दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय व्यापार लागत आसियान (ASEAN) की तुलना में 20% अधिक है।

- **अवसंरचना:** भारत द्वारा अधिकांश देशों में **सड़क और रेलवे लाइनों, एकीकृत चेक पोस्ट की स्थापना और जल विद्युत परियोजनाओं** जैसी अनेक परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया है। किन्तु, ये परियोजनाएं आपूर्ति संबंधी अभाव (delivery deficit) से ग्रसित रही हैं अर्थात् इन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका है।
  - **उदाहरण के लिए,** नेपाल में, पुलिस अकादमी, जिसके 32 वर्ष पहले ही पूर्ण होने की अपेक्षा की गयी थी, किंतु यह अभी भी पूरी नहीं हुई है।
  - **एकीकृत चेक पोस्ट** को बोझिल प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे कि कागजी कार्रवाई में देरी जो समय और लाभ दोनों की खपत करती है। यह **बांग्लादेश-भूटान-इंडिया-नेपाल मोटर वाहन समझौते (BBIN-MVA), तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत गैस पाइपलाइन (TAPI)** जैसी परियोजनाओं की संभावनाओं को बाधित करती है।
- **भेदभावपूर्ण आर्थिक सहयोग:** भारत ने मालदीव, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान के प्रति असाधारण उदारता प्रदर्शित की है। भारत ने अपने बजट में सार्क के अन्य देशों की तुलना में इन चार देशों को अधिक सहायता प्रदान की है। भारत की इस नीति के कारण अन्य पड़ोसी देशों के मध्य असुरक्षा की भावना में वृद्धि हुई है।
  - उदाहरण के लिए- वर्ष 2019 के बजट में भूटान को 28.1 अरब रुपये, नेपाल को 10.5 अरब रुपये व मालदीव को 5.8 अरब रुपये आवंटित किए गए थे, **किन्तु श्रीलंका को केवल 2.5 अरब रुपये** ही प्रदान किए गए थे। श्रीलंका इसे भेदभावपूर्ण सहायता के रूप में देखता है। साथ ही श्रीलंका यह भी मानता है कि भारत रणनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण देशों को अत्यधिक सहायता प्रदान करता है।
- **प्रवासन:** नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटीजन (NRC) आदि जैसी नीतियों का दृष्टिकोण भी संरक्षणवादी रहा है, जो उपमहाद्वीप में पहचान और प्रवासन की वास्तविकताओं के प्रति असंवेदनशील है।
- **संस्थागत बाधाएं: दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/दक्षेस/SAARC)** जैसी संस्थाओं की विकृत प्रस्थिति न केवल **अदूरदर्शी आर्थिक नीतियों** और विवादास्पद भारत-पाकिस्तान संबंधों का परिणाम है, बल्कि यह **प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में गहन अविश्वास** का भी प्रतिफल है। इन संबंधों को प्रतिबिंबित एवं निर्धारित करने वाला अविश्वास जटिल घरेलू राजनीति का परिणाम रहा है।
- **ऊर्जा:** दक्षिण एशिया में ऊर्जा की मांग और स्वदेशी स्रोतों से इसकी आपूर्ति के मध्य असंतुलन की स्थिति परिलक्षित हुई है। इसके परिणामस्वरूप आयात निर्भरता को बढ़ावा मिला है।
- **चीनी कारक:** वर्षों से दक्षिण एशियाई क्षेत्र पर भारत द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण चीन इस क्षेत्र में अपना निवेश बढ़ा रहा है।
  - चीन द्वारा **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण किया गया है, जो दक्षिण एशिया में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति में सबसे महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है।
  - **उदाहरण के लिए,** चीन **पूर्व-पश्चिम राजमार्ग** को पूर्ण करने में व्यस्त है, जिसे नेपाल तक निर्मित किया जा रहा है। साथ ही, तिब्बत से ल्हासा तक एक रेलवे लाइन का भी निर्माण किया जा रहा है। बांग्लादेश, श्रीलंका और अफगानिस्तान में भी चीन द्वारा कई परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

आगे की राह

- **ऊर्जा सुरक्षा:** बेहतर कनेक्टिविटी (संपर्कता) के माध्यम से ऊर्जा व्यापार तंत्र को सुदृढ़ करने से दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के देशों को अत्यधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए, दक्षिण एशिया के भीतर अधिक सहयोग इस क्षेत्र में ऊर्जा की कमी से निपटने और क्षेत्र की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक हो सकता है।
- **क्षेत्रीय अवसंरचना:** एक मजबूत कनेक्टिविटी न केवल अंतः एवं अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को सुदृढ़ करती है, बल्कि इससे आय में वृद्धि एवं समृद्धि भी उत्पन्न होती है। इसलिए, क्षेत्रीय अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- **संस्थाओं को सुदृढ़ बनाना:** यदि भारत अपने पड़ोसियों की भ्रामक धारणाओं का निवारण करने तथा दक्षिण एशिया में चीनी निवेश के साथ प्रतिस्पर्धा करने का इच्छुक है, तो संस्थागत बाधाओं में सुधार करना आवश्यक है।
  - इसके लिए, भारत को **गैर-प्रशुल्क बाधाओं एवं अन्य व्यापार बाधाओं,** शर्त के साथ सहायता (strings-attached aid) आदि को समाप्त करना होगा। साथ ही, पड़ोसियों के विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए सभी मौजूदा परियोजनाओं को तय समय पर पूर्ण करना होगा।
- **व्यापार और निवेश:** भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ **अत्यधिक क्षेत्रीय और आर्थिक एकीकरण** के लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने निवेश एवं व्यापार में वृद्धि करनी चाहिए, जिससे भारत अपने पड़ोसियों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए बंद अर्थव्यवस्था बनने की बजाय एक खुली अर्थव्यवस्था बना रहे।
- **उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग:** दक्षिण-एशियाई क्षेत्र के **परिवहन और सुरक्षा** का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी, उच्च दक्षता और अतिरिक्त यातायात के प्रबंधन के माध्यम से **व्यापार लागत को कम करने** में सहायता करेगी।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

2.20.1. दक्षिण एशिया में ऊर्जा सुरक्षा (South Asia Energy Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विदेश मंत्रालय (MEA) के अधीन एक उच्च स्तरीय समूह की स्थापना की गई है। यह समूह **दक्षिण एशिया ऊर्जा समूह (South Asia Group for Energy: SAGE)** नामक दक्षिण एशिया केंद्रित ऊर्जा सुरक्षा अवसंरचना के निर्माण में सहायता प्रदान करेगा।

SAGE के बारे में

- यह दक्षिण एशिया क्षेत्र में संधारणीय ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने के लिए **दक्षिण एशियाई सरकारों तथा ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों के मध्य सहभागिता पर आधारित एक संघ** है।
- **इसके उद्देश्य हैं:**
  - संपूर्ण दक्षिण एशिया में **ऊर्जा क्षेत्रक से संबंधित अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देना।**
  - रणनीतिक निवेश को सुनिश्चित करने के लिए **USAID के सहभागी सरकारों को महत्वपूर्ण सूचनाएं** उपलब्ध करवाना।
  - **ऊर्जा के माध्यम से एशियाई संवृद्धि और विकास को बढ़ावा देने (एशिया EDGE) के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सहयोग करना। एशिया EDGE** वस्तुतः हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्वत्र संधारणीय और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों के विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा संचालित एक पहल है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्र

- **दक्षिण एशिया में,** एशिया के उप-क्षेत्र में हिमालय श्रेणी और हिंद महासागर (उत्तर से दक्षिण) तथा गंगा और सिंधु नदी घाटियों (पूर्व से पश्चिम) के बीच स्थित देश, मुख्य रूप से, **नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, भारत, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव और पाकिस्तान** शामिल हैं।
- यह दुनिया की एक चौथाई आबादी का घर है, और एक **प्रमुख ऊर्जा उपभोक्ता** है। यू.एस. वर्ल्ड एनर्जी इनफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार, वर्ष 1991 और 2000 के बीच इस क्षेत्र की **प्राथमिक ऊर्जा खपत** में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथा **अगले तीन दशकों में और 40 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद** है।
- अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए तकनीकी और बुनियादी ढांचे के विकास और ऊर्जा संसाधनों में व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता है।

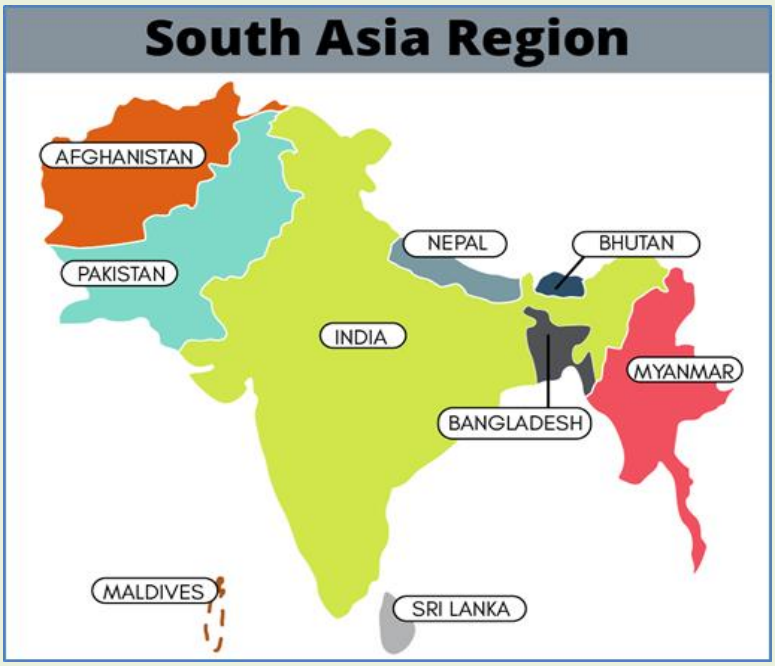

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में ऊर्जा सहयोग की आवश्यकता

- **ऊर्जा मांग और संसाधन निधियों के मध्य असंतुलन:** दक्षिण एशियाई देशों के मध्य वाणिज्यिक ऊर्जा संसाधन निधियों और वाणिज्यिक ऊर्जा मांग में व्यापक भिन्नताएं मौजूद हैं।
  - उदाहरण के लिए- **भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस व कोयला संसाधनों में प्रमुख हिस्सेदार रहे हैं।** हालांकि, इन देशों का क्षेत्रफल और साथ-साथ जनसंख्या के संदर्भ में बड़ा आकार होने से संसाधनों की मांग में भी वृद्धि होती है।
  - वहीं दूसरी ओर, **भूटान एवं नेपाल में जलविद्युत क्षमताएं** मौजूद हैं। ये देश निकट भविष्य में अपनी विद्युत मांग से अधिक **विद्युत का उत्पादन** कर सकते हैं तथा अंत: क्षेत्रीय विद्युत निर्यात संबंधी सर्वोत्तम संभावनाएं उपलब्ध करा सकते हैं। पड़ोसी

क्षेत्रों में भी, विशेष रूप से मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया में दक्षिण एशिया केन्द्रित अंतर-क्षेत्रीय ऊर्जा निर्यात की क्षमता मौजूद है।

- **ऊर्जा खरीद में आकारिक मितव्ययता (economies of scale) का लाभ उठाना:** क्षेत्रीय ऊर्जा हस्तांतरण वस्तुतः देशों को ऊर्जा संसाधनों (क्षेत्र के बाहर) तक पहुंच प्रदान करने तथा साथ ही वृहद पैमाने की किफ़ायतों का लाभ उठाने में भी सहायता करेगा।
  - विश्व बैंक का अनुमान है कि क्षेत्रीय सहयोग और जुड़ाव से वर्ष 2045 तक पूंजीगत लागत में कटौती से लगभग 17 अरब डॉलर की ऊर्जा बचत होगी।
- **स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच न होना:** यह क्षेत्र विशाल जनसंख्या की आश्रयस्थली है, जो स्वच्छ ऊर्जा उपलब्धता के अभाव से ग्रसित है। जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र) विद्युत उपलब्धता से वंचित है और खाना पकाने हेतु बायोमास के पारंपरिक उपयोग पर निर्भर है।
  - सभी दक्षिण एशियाई देशों में नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन और बायोमास) से संबंधित संभावनाएं मौजूद हैं। ऐसे में, **अनियत आपूर्ति का कनेक्टेड क्षेत्रीय अवसंरचना के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रीति से प्रबंधन किया जा सकता है।**

दक्षिण एशिया में बहुपक्षीय ऊर्जा सहयोग

ORG	यह ऊर्जा सहयोग की दिशा में काम करता है
SAARC (सार्क) 1985	वर्ष 2006 में **इस्लामाबाद में सार्क ऊर्जा केंद्र** की स्थापना
SASEC 2001	परिवहन और व्यापार सुविधा के साथ–साथ **ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग**
BIMSTEC 1997	**ऊर्जा** (व्यापार, प्रौद्योगिकी, परिवहन और पर्यटन के साथ) सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है; पहले बिम्सटेक ऊर्जा मंत्री सम्मेलन (2005) के बाद **भारत में बिम्सटेक ऊर्जा केंद्र** स्थापित किया गया।

अन्य दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग

- **भारत इस क्षेत्र में प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश** है और विगत सात वर्षों में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग हेतु भारत के सतत उत्साह के कारण **अनेक ऊर्जा परियोजनाओं (अन्य देशों में) पर ठोस प्रगति** हुई है।
- **भारत और भूटान:**
  - भारत ने जल विद्युत के विकास/उत्पादन हेतु भूटान को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की है। भूटान भारत को लगभग 1,000-1,200 मेगावाट (MW) अधिशेष विद्युत का निर्यात करता है। वर्ष 2010 में संचालित भारत-भूटान जल विद्युत व्यापार के माध्यम से अब तक के प्रथम स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism: CDM) के लाभ को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।
- **भारत और बांग्लादेश** द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत बांग्लादेश को 100 मेगावाट विद्युत का निर्यात किया जाएगा।
- **भारत और नेपाल:** भारत की सहायता से नेपाल में लगभग 50 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार जल विद्युत योजनाओं को कार्यान्वित किया गया है।
  - दोनों देशों द्वारा 1.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते के तहत **अरुण नदी** पर 900 मेगावाट के संयंत्र का निर्माण किया जाएगा।
- **द्रवित प्राकृतिक गैस (Liquefied Natural Gas: LNG):** भारत, बांग्लादेश और संभवतः नेपाल के सहयोग से बंगाल की खाड़ी तट पर एक बड़े LNG संयंत्र को प्रारम्भ किया गया है। **हल्दिया और धामरा** में एक नए LNG टर्मिनल को भी विकसित किया जा रहा है।

भारत के लिए प्रमुख अवसर

- **जल प्रबंधन:** वर्तमान में नेपाल की जलविद्युत क्षमता 60 GW है। इसमें से केवल 2% का ही उपयोग किया जा रहा है। भंडारण बांधों के माध्यम से सह-विकास द्वारा नेपाल की विद्युत आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी तथा विद्युत के निर्यात से आय और राजस्व में वृद्धि होगी। **भारत आयातक देशों में से एक होने के कारण विभिन्न तरीकों से लाभान्वित होगा:**
  - उदाहरण के लिए, **कोसी नदी** पर प्रस्तावित सप्त-कोसी और सन-कोसी परियोजनाएं जलविद्युत उत्पादन में तथा भारत में (उत्तर प्रदेश एवं बिहार के निचले तटवर्ती क्षेत्रों में) बार-बार आने वाली बाढ़ों को रोकने में सहायता करेंगी। साथ ही, ये दोनों

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

देशों में सिंचाई और पेयजल उपलब्धता को भी सुनिश्चित करेंगी। इसके अतिरिक्त, नेपाल से कोलकाता तक प्रत्यक्ष समुद्र-पत्तन कनेक्टिविटी के साथ अंतर्देशीय नौवहन चैनल को बनाए रखने में भी मदद करेंगी। ज्ञातव्य है कि इन परियोजनाओं से दोनों देशों में आजीविका संबंधी व्यापक अनपेक्षित लाभों के सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

- **प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में LNG की हिस्सेदारी बढ़ाना:** भारत ने अपने प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में **प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को 6% से बढ़ाकर 15%** करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। साझा पाइपलाइनों, टर्मिनलों और गैस भंडारण सुविधाओं को विकसित करने के लिए बांग्लादेश, भारत तथा नेपाल के मध्य त्रिपक्षीय साझेदारी, इन निवेशों की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ा सकती है और साथ ही, इस क्षेत्र को निवल-शून्य उत्सर्जन मार्ग की ओर ले जा सकती है।
- **नवीकरणीय विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाना:** श्रीलंका, वर्तमान में आयातित जीवाश्म ईंधन और घरेलू जलविद्युत पर निर्भर है। यह वर्ष 2050 तक नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 100% विद्युत उत्पादन को प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है। उल्लेखनीय है कि श्रीलंका का यह प्रयत्न भारतीय निजी क्षेत्रक के लिए उपयोगिता-पैमाने पर पवन और सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए निवेश का अवसर प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिए, भारत और उत्तर-पश्चिमी श्रीलंका के मध्य प्रचुर मात्रा में मौजूद पवन ऊर्जा आधारित पारेषण लिंक विकसित किया जा सकता है। साथ ही यह भारतीय सौर ऊर्जा का पूरक भी हो सकता है।

विचाराधीन क्षेत्रीय परियोजनाएं

- **TAPI पाइपलाइन:** इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गल्किनिश क्षेत्र से अफ़गानिस्तान के माध्यम से पाकिस्तान और फिर भारत में गैस आपूर्ति करना है। हालाँकि परियोजना के वर्ष 2019 में पूरी होने की उम्मीद थी, परंतु पाइपलाइन का निर्माण अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, और निवेश आकर्षित करने के प्रयास चल रहे हैं।
- **BBIN संयुक्त कार्य समूह (JWGs):** इसका उद्देश्य चार देशों द्वारा साझा की जाने वाली गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन की जलविद्युत क्षमता का सामूहिक रूप से दोहन करना है। अब तक JWGs की चार बैठकें हो चुकी हैं तथा जलविद्युत और जल संसाधनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई हैं।

दक्षिण एशिया के ऊर्जा सहयोग में मौजूदा अंतराल

- **संसाधनों की कमी:** हालांकि कोयला भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु समाज पर अपने नकारात्मक प्रभावों के कारण (प्रदूषक प्रभावों एवं खनन प्रेरित सुभेद्य समुदायों के विस्थापन के कारण) इसे भविष्य का ईंधन नहीं माना जाता है। वहीं दूसरी ओर, जहाँ गैस को तुलनात्मक रूप से स्वच्छ ईंधन माना जाता है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसकी आपूर्ति में कमी आई है।
- आवश्यक ऊर्जा अवसंरचना विकसित करने के लिए **वित्तीय संसाधनों का संग्रहण,** इस क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक बड़ी चुनौती है। इसका एक प्रमुख कारण ऊर्जा सुरक्षा के प्रति राज्य केंद्रित दृष्टिकोण है, जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अंतर क्रिया और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के उपयोग पर आधारित है।
- **ईंधन बास्केट के विविधीकरण का अभाव:** सभी सार्क/SAARC (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) देशों में ऊर्जा मिश्रण में एक ही ईंधन की व्यापक हिस्सेदारी रही है। उदाहरण के लिए, भारत कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, बांग्लादेश और पाकिस्तान गैस पर जबकि भूटान व नेपाल मुख्य रूप से जलविद्युत आधारित ऊर्जा उत्पादक देश रहे हैं। इस प्रकार की एकल ईंधन स्रोत पर अत्यधिक निर्भरता देशों को, बाजार जनित व्यवधानों और तकनीकी विफलता के प्रति सुभेद्य बना सकती है।
- **नवीकरणीय ऊर्जा पर सीमित ध्यान:** संपूर्ण क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बावजूद, उनका कुशलतापूर्वक दोहन नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में प्रचुर मात्रा में नवीकरणीय संसाधन उपलब्ध हैं, जिनके पूर्ण दोहन से आपूर्ति अंतराल को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **क्षेत्रीय और बहुपक्षीय परियोजनाओं की धीमी प्रगति:** वार्ताओं की प्रगति के बावजूद, परियोजनाओं के संबंध में अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जा सके हैं और परियोजनाओं की पूर्णता को लेकर संदेह प्रकट किया गया है। गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) नदी

बेसिन की जलविद्युत क्षमता के दोहन को लेकर बहुपक्षीय सहयोग आरंभ करने का प्रस्ताव दशकों से अस्तित्व में है। परन्तु ये परियोजनाएं केवल वार्ता चरण तक ही सीमित रही हैं, जिन पर अभी तक स्पष्ट निर्णय नहीं लिए जा सके हैं।

- **SAARC सदस्य देशों के मध्य व्यापक राजनीतिक मतभेद,** क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के अल्प सफल रहे प्रयासों के लिए उत्तरदायी एक प्रमुख मुद्दा है।

निष्कर्ष

दक्षिण एशियाई देशों को विभिन्न ऊर्जा क्षेत्रकों में तुलनात्मक लाभों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्हें व्यापार संपर्कों के माध्यम से एक दूसरे को लाभान्वित करने के लिए एक साझे प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए।

भारत द्वारा वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर, सुसंगत तकनीकी विनियम विकसित कर तथा पेशेवर नेटवर्क मजबूत करते हुए और क्षेत्रीय व्यापार अवसरों को बढ़ाकर अग्रणी भूमिका के निर्वहन की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। पड़ोसी देशों को विकेंद्रीकृत ऊर्जा समाधान प्रदान करने में अधिक से अधिक सहयोग भी, क्षेत्र में शांति और विकास को बनाए रखने में मदद कर सकता है।

VISION IAS

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

3. भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीति का प्रभाव (Effect of Policies and Politics of Developed and Developing Countries on India's Interests)

3.1. अफ़गानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण (Taliban control over Afghanistan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका (U.S.A.) की वापसी के पश्चात् तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मौजूदा सत्ता पर अपना नियंत्रण और काबुल पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है।

तालिबान द्वारा अधिग्रहण के बाद के प्रमुख घटनाक्रम

- अफ़गानिस्तान से भारतीय नागरिकों और अफ़गान भागीदारों सहित 800 से अधिक लोगों को निकालने के लिए **भारत द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति संचालित किया गया।**
- **भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा भी दोहा में आयोजित बैठक में तालिबान के साथ वार्ता स्थापित करने हेतु प्रयास किए गए हैं,** जिसमें बचाव, सुरक्षा और अफ़गानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की शीघ्र वापसी तथा अफ़गान नागरिकों, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों की भारत वापसी पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- अफ़गानिस्तान में प्राणघाती हमलों की निंदा करते हुए **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा भी एक प्रस्ताव को अंगीकृत** किया गया। साथ ही, तालिबान से उसके द्वारा की गई प्रतिबद्धता (स्वतंत्र रूप से अफ़गानिस्तान छोड़ने वाले लोगों की निकासी में बाधा न उत्पन्न करने की) का सम्मान करने और आतंकवाद का मुकाबला करने तथा मानवाधिकारों को बहल रखने के लिए आह्वान किया गया है।
- अफ़गान केंद्रीय बैंक से संबंधित **लगभग 9.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की परिसंपत्तियों को भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रीज़ (अवरुद्ध) कर दिया है** और राष्ट्र को प्रदान की जाने वाली नकदी के शिपमेंट (प्रवाह) को भी रोक दिया है।

तालिबान द्वारा अफ़गानिस्तान के अधिग्रहण से भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाली चिंताएं

- **भारत के मौजूदा दृष्टिकोण की सीमाएं:** भारत शुरू से ही अफ़गानिस्तान में स्थायी शांति और सुलह के लिए **"अफ़गान-नेतृत्व वाली, अफ़गान-स्वामित्व वाली और अफ़गान-नियंत्रित"** प्रक्रिया का समर्थक रहा है। साथ ही तालिबान शासन से पृथक रहते हुए भारत निर्वाचित अफ़गान सरकार के साथ सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल रहा है।
- **आतंकवाद का पुनरुद्धार:** भारत के समक्ष **हक्कानी समूह जैसे आतंकवादी गुट जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं,** यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आतंकवादी समूह के रूप में नामित इकाइयों में से एक रहा है और तालिबान का एक प्रमुख सदस्य भी है। यह काबुल स्थित भारतीय दूतावास सहित भारतीय परिसंपत्तियों पर हमले की साजिश रचने और हमले करने के लिए भी कुख्यात रहा है।
  - इसके अतिरिक्त, अफ़गानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता, अन्य आतंकवादी समूहों, जैसे अल कायदा और इस्लामिक स्टेट (IS) के पुनरुत्थान का कारण बन सकती है।
- **वित्तीय और रणनीतिक निवेश के लिए खतरा:** विगत वर्षों में, भारत ने अफ़गानिस्तान में संचालानरत परियोजनाओं (इन्फोग्राफिक देखें) में अनुमानतः 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है और दो राष्ट्रों के मध्य मित्रता और सद्भावना को सुदृढ़ करने के लिए भारत अन्य रणनीतियों (सॉफ्ट पावर से संबंधित) में भी संलग्न रहा है। तालिबान द्वारा अधिग्रहण (अफ़गानिस्तान का) न केवल भारत की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा है, अपितु यह भारत के प्रयासों को भी निष्प्रभावी कर सकता है।
- **चीन और पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव: तालिबान और पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) के बीच गठजोड़** देश के भीतर पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी वित्तीय और सैन्य सहायता की अनुपस्थिति ने भी चीन के लिए राष्ट्र पर प्रभुत्व हासिल करने के अवसर प्रदान किए हैं।
- **सतत क्षेत्रीय अस्थिरता:** तालिबान के पास कोई भी अफ़गान पहचान नहीं है, और यह भिन्न-भिन्न क्षेत्रों, जनजातियों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न गुटों पर अत्यधिक रूप से निर्भर रहा है। इस प्रकार, आंतरिक संघर्ष, इस अधिग्रहण के पश्चात् एक स्थायी अस्थिरता उत्पन्न कर सकता है, जिसमें भारत के लिए सुरक्षा (आतंकवाद में वृद्धि, अवैध नशीली दवाओं के व्यापार आदि) के साथ-साथ आर्थिक (द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार आदि पर प्रभाव) निहितार्थ शामिल हैं।
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन:** तालिबान के शासन के दौरान महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हो सकता है। साथ ही, इसके द्वारा मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित (Overturning) किया जा सकता है जो भारत के लिए एक चिंता का विषय है।

अफ़गानिस्तान में भारतीय निवेश

इमारतों और विभिन्न प्रकार के अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार में भारत द्वारा अफ़गानिस्तान को प्रदान की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- काबुल में अफ़गानिस्तान की संसद का निर्माण।
- सलमा बांध का पुनर्निर्माण, जिसे अब अफ़गान–भारत मैत्री बांध के रूप में जाना जाता है।
- पुल–ए–खुमरी से काबुल तक विद्युत पारेषण लाइन की स्थापना।
- जरांज–डेलाराम सड़क का निर्माण।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, सरकारी भवनों, खेल सुविधाओं, कृषि और सिंचाई आदि जैसे क्षेत्रों में मध्यम स्तर की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना (High Impact Community Development Project: HICDP) कार्यक्रम।

विभिन्न वस्तुओं जैसे कि एम्बुलेंस, बस, बिस्कुट, दवा, सैन्य वाहन और हेलीकॉप्टर आदि के स्थानांतरण में भारत द्वारा की जाने वाली सहायता। उदाहरण के लिए–

- वायुसेना के लिए MI-25 और MI-35 हेलिकॉप्टर।
- राष्ट्रीय एयरलाइंस के लिए एयरबस विमान।
- फ़रयाब प्रांत में उपकेंद्रों और पारेषण लाइन के लिए सामग्री।
- अफ़गान राष्ट्रीय सेना के लिए सैन्य वाहन।
- सरकारी अस्पतालों के लिए एंबुलेंस।

अफ़गान नागरिकों को भारत से ज्ञान और अनुभव प्राप्त करने के लिए लोगों से लोगों के मध्य आदान–प्रदान। उदाहरण के लिए–

- अफ़गान संस्थानों को भारतीय तकनीकी सलाहकार प्रदान करना।
- अफ़गान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- अफ़गान सैनिकों, पुलिसकर्मियों और लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन।

भारत के पास उपलब्ध नीतिगत विकल्प

इन सभी चिंताओं को देखते हुए, भारत के पास निम्नलिखित विकल्प मौजूद हैं। हालांकि इनमें से कोई भी विकल्प न तो सरल है और न ही प्रतिप्रभाव रहित है:

विकल्प	पक्ष	विपक्ष
काबुल में केवल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का समर्थन	• यदि तालिबानी शासन विफल रहता है तो संभावित आगामी सरकार द्वारा	• अफ़गानिस्तान में स्थायी शासन स्थापित करने में तालिबान के सफल रहने की स्थिति में; तालिबान

करना।	भारतीय हितों के साथ गठबंधित और संचित सद्भावना अर्जित करने की दिशा में प्रयास किया जा सकता है। • तालिबान के नेतृत्व वाले शासन से जुड़े संभावित मानवतावादी मुद्दों पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करने हेतु भारत प्रयास कर सकता है। • क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने हेतु भी प्रयास किए जा सकते हैं।	भारत-अफ़गान संबंधों को विकृत कर सकता है, साथ ही चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में भारत की स्थिति प्रभावित हो सकती है क्योंकि ये देश पहले से ही तालिबान के साथ संवाद स्थापित करने की दिशा में प्रयासरत बने हुए हैं। • आतंकवादी खतरों सहित भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण कार्रवाई की आशंका में बढ़ोतरी हो सकती है।
तालिबान के साथ त्वरित रूप से संपर्क स्थापित करना।	• अंतर-अफगान वार्ता और समझौता वार्ता में भारत की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु संपर्क स्थापित किया जा सकता है। • आतंकवाद, अल्पसंख्यकों के कल्याण आदि के संबंध में भारत की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक मंच के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।	• तालिबान में मौजूद भारत विरोधी गुटों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा सकती है। • भारत के भीतर राजनीतिक विरोध को प्रोत्साहन मिल सकता है।
"रुको और देखो (वेट एंड वॉच)" की रणनीति को अपनाना, जब तक संघर्ष वाली कुव्यवस्था से कोई विजेता बनकर नहीं उभरे, और फिर उसी अनुरूप अपने विकल्पों का चयन करना	• संतुलित दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है जो भारत को रणनीतिक रूप से सुरक्षित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय और ज्ञान प्रदान करता हो।	• अफ़गानिस्तान के भविष्य पर चर्चा हेतु स्थापित "उच्च मंच (High table)" पर भारत की प्रासंगिकता को नकारा जा सकता है।

क्या तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती है?

- अफ़गानिस्तान में तालिबान के विगत शासन (तालिबान सरकार) को, **केवल कुछ ही देशों (जैसे कि पाकिस्तान)** ने मान्यता प्रदान की थी।
- लेकिन वर्तमान में उनका नियंत्रण अधिक व्यापक है, और विदेशी अधिकारी कुछ समय से तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विभिन्न कारक हैं जो यह निर्धारित करने में सहयोग कर सकते हैं कि तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त कर सकता है अथवा नहीं, जिनमें शामिल हैं-
  - महिलाओं तथा देश के नृजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिक समावेशी नेतृत्व का गठन।
  - अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं और लोकतंत्र के बुनियादी नियमों तथा विधि के शासन का सम्मान।
  - अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों को अफ़गानिस्तान को प्रस्थान बिंदु या बेस के रूप में उपयोग करने से रोकना।

आगे की राह

- **तालिबान सरकार के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित करना:** यह नई दिल्ली को अफ़गानिस्तान में उसकी परिसंपत्तियों और निवेशों को किसी प्रकार की क्षति नहीं होने को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त स्थिति प्रदान कर सकता है।
- **विकासात्मक और मानवीय सहायता:** हिंसा के निरंतर स्तरों और अफ़गान अर्थव्यवस्था पर कोरोना वायरस के प्रभाव को देखते हुए, भारत को अपनी विकास सहायता का विस्तार करना चाहिए।
- **दूसरों के साथ और उनके माध्यम से कार्य करना:** भारत को ईरान और रूस के साथ अपने संबंधों को व्यापक बनाने, चीन के साथ सहयोग के अवसरों का पता लगाने तथा अफ़गानिस्तान के भविष्य पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा आधार खोजने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  - इस प्रकार के सहयोगों में अभिसरण के क्षेत्रों को तराशने की दृष्टि से एक व्यापक राजनयिक पहल में निवेश करना आदि शामिल होना चाहिए।

निष्कर्ष

भारत को अफ़गानिस्तान के प्रति एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो एक विस्तृत रणनीति के ढांचे के भीतर राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और राजनयिक आयामों को एक सुसंगत तरीके से एकीकृत करता हो। भारत की अफ़गान नीति इस क्षेत्र में भारत के रणनीतिक लक्ष्यों और क्षेत्रीय एवं वैश्विक रणनीतिक वातावरण की स्पष्ट समझ पर आधारित होनी चाहिए।

3.2. ओपेक+ द्वारा संपन्न नवीन तेल समझौता (New Oil Deal by OPEC+)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात और **सऊदी अरब** के मध्य चले एक संक्षिप्त गतिरोध के उपरांत, अंततः ओपेक+ (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस) राष्ट्र अपने सदस्य देशों के लिए, तेल उत्पादन स्तर (oil production level) के एक समझौते पर पहुंच गए हैं।

कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें तथा ओपेक+ राष्ट्र

- कच्चा तेल, वैश्विक व्यापार की एक प्रमुख कमोडिटी (दूसरे शब्दों में जिंस या वस्तु) है तथा इसका वैश्विक वितरण अत्यंत विषम है। इसके कारण तेल की कीमतें **न केवल आर्थिक मांग और आपूर्ति अपितु वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं से भी निर्धारित** होती हैं।
- **विश्व का 80% सिद्ध तेल भंडार: वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन के 40% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 60% के साथ** ओपेक, तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा समूह है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) के बारे में

- इसकी स्थापना **वर्ष 1960** में **बगदाद सम्मेलन** में हुई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक थे। यह एक **स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है।**
- **उद्देश्य:** ओपेक अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है। इससे उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित हो पाता है।

ओपेक+

- ओपेक+ को **वियना समूह (Vienna Group)** के नाम से भी जाना जाता है। यह ओपेक सदस्यों और **प्रमुख गैर-ओपेक तेल-निर्यातक देशों** से युक्त शिथिल रूप से संबद्ध इकाई है।
  - इसके सदस्यों में ओपेक के सदस्यों के साथ **मेक्सिको, रूस, ओमान, उज्बेकिस्तान** आदि शामिल हैं।

- वर्ष 2016 में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशों ने ओपेक के साथ सहयोग हेतु घोषणा-पत्र (Declaration of Cooperation) पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा-पत्र का प्रयोजन तेल की कीमतों के स्थिरीकरण की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करना था।
- इस नए समूह को **ओपेक+ या वियना समूह** के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य **उत्पादन समायोजन (production adjustments)** के माध्यम से वैश्विक तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए कच्चे तेल में समृद्ध देशों के दो प्रमुख समूहों या वर्गों को एकजुट करना है।

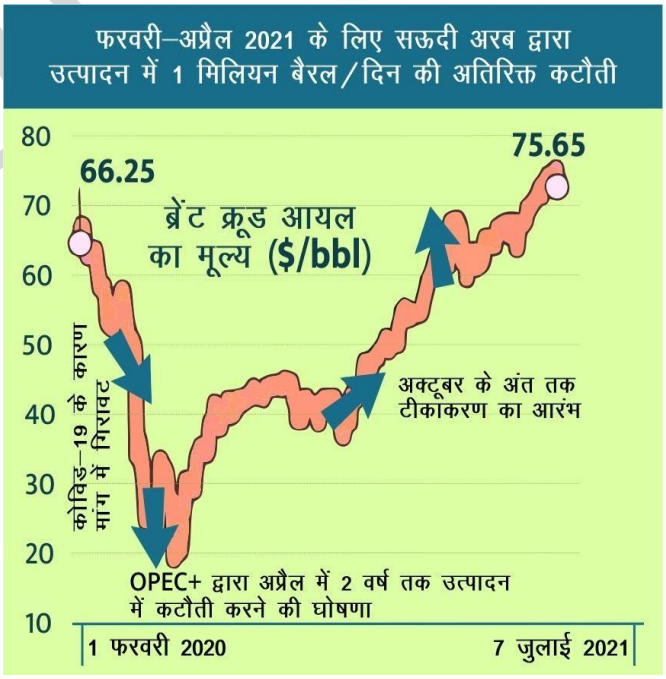

कोविड-19 महामारी से प्रेरित उत्पादन कटौती और नया उत्पादन समझौता

- कोविड-19 महामारी के कारण, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक गिरावट आई है। मांग में कमी आने से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट तथा अन्य घटनाओं के कारण ओपेक+ राष्ट्रों को कच्चे तेल के उत्पादन में अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिदिन **10 मिलियन बैरल (mb/d)** की कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा था। (जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है)।
- हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें वर्ष के अंत तक पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंच गईं, परन्तु सऊदी अरब द्वारा तेल उत्पादन में और कटौती की गई।
- इससे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे **वैश्विक आर्थिक रिकवरी,** विशेष रूप से विकासशील और निम्न आय वाले देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- भारत सहित वैश्विक आलोचना के बावजूद, ओपेक+ की प्रतिक्रिया धीमी थी तथा सऊदी अरब और UAE के बीच एक संक्षिप्त गतिरोध के उपरांत ही, ओपेक+ एक नए समझौते पर पहुंचा है। इस समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **अप्रैल 2020 के समझौते** को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाना; तथा
- अगस्त 2021 से मासिक आधार पर 0.4 mb/d का उर्ध्व उत्पादन (Upward production) करना, जब तक कि 5.8 mb/d उत्पादन समायोजन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता।

तेल की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है?

भारत विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा** तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) के **एनर्जी आउटलुक** के अनुसार, इस संदर्भ में भारत वर्ष 2040 तक **प्रथम स्थान** पर आ सकता है। इस प्रकार, तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव भारत को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं:

- **बढ़ता आयात बिल:** वर्ष 2019-20 में देश की तेल आवश्यकताओं का 76% आयात के माध्यम से पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष 2019-20 में **8.43 ट्रिलियन रुपये के तेल का आयात किया गया था।** इसके अतिरिक्त, प्रत्येक **1 डॉलर की कीमत वृद्धि** भारत के आयात बिल को वार्षिक आधार पर **10,700 करोड़ रुपये तक** बढ़ा सकती है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** घरेलू स्तर पर तेल की उच्च कीमतें, खुदरा ईंधन की कीमतों और मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को उत्पन्न करती हैं।
- **भारत की भू-रणनीतिक स्थिति से समझौता:** ओपेक+ राष्ट्रों का धीमी प्रतिक्रियाओं के साथ कम-से-कम आगामी दशक या उससे अधिक समय तक भी सभी तेल की कीमतों पर नियंत्रण होगा, क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण में विभेद और ओपेक सदस्यों के भीतर हितों में अंतर बना रहेगा।
  - उदाहरण के लिए, हाल ही में **सऊदी अरब** ने फ्री ज़ोन (संयुक्त अरब अमीरात के फ्री ज़ोन केंद्रों पर लक्षित) में निर्मित उत्पादों के लिए अधिमान्य प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया है। साथ ही, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय वर्ष 2024 तक सऊदी अरब में नहीं है, के साथ व्यापार समाप्त करने की घोषणा भी की है।
- यह नवीन समझौता उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति से **मंद अस्थायी राहत** प्रदान कर सकता है। भारत को अपनी वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन के लिए अधिक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

आगे की राह

- भारत की कच्चे तेल की मांग वर्ष 2019 के 4.7 मिलियन बैरल प्रति दिन से बढ़कर वर्ष 2045 तक 10.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन होने का अनुमान है। ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारत को न केवल एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण बल्कि निवारक कदमों पर ध्यान देने सहित एक व्यापक ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। **इसमें तेल आयात में कमी और ओपेक+ उत्पादन समायोजन से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का निम्नीकरण शामिल है।**
- इसके आधार पर भारत ने एक **पांच-स्तरीय रणनीति (five-pronged strategy)** विकसित की है, जिसमें शामिल हैं:
  - ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना,
  - माँग प्रतिस्थापन पर बल देना,
  - जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधन/नवीकरणीय को बढ़ावा देना,
  - घरेलू तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाना, तथा
  - परिशोधन (रिफाइनरी) प्रक्रियाओं में सुधार करना।

भारत-ओपेक संबंध में अन्य मौजूदा मुद्दे

- **ईरान पर प्रतिबंध:** अमेरिका के साथ-साथ ओपेक के विभिन्न सदस्य देश ईरान से तेल आयात में कटौती करने का दबाव बना रहे हैं, जिससे भारत के लिए आपूर्ति संबंधी गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।
- **विदेशी मुद्रा भंडार में कमी:** ओपेक सदस्य देशों के साथ अधिकांश व्यापार अमेरिकी डॉलर या यूरो में होता है। यह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कम करता है।
- **एशियाई प्रीमियम:** सऊदी अरब **प्रीमियम** के रूप में भी एक शुल्क वसूलता है। यह एशियाई देशों को तेल का विक्रय करने के दौरान ओपेक देशों द्वारा वसूला जाने वाला अतिरिक्त शुल्क है।
  - **एशियाई देशों से लिया जाने वाला मूल्य यूरोप और अमेरिका से लिए जाने वाले मूल्य की तुलना में 1-2 डॉलर अधिक** ही रहा है।
  - भारत इस व्यवहार के विरुद्ध अपनी असहमति जताता रहा है और हाल ही में इस मुद्दे को 'ओपेक-भारत संवाद' की चौथी बैठक में उठाया गया।

3.3. प्रौद्योगिकी की भू-राजनीति (Geopolitics of Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G और बिग डेटा आदि जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों की दिशा में वैश्विक संक्रमण ने वैश्विक भू-राजनीति को प्रभावित करना आरंभ कर दिया है। विश्व स्तर पर 5G के अंगीकरण में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

भू-राजनीति और प्रौद्योगिकी के मध्य क्या संबंध है?

आधुनिक भाषा में, भू-राजनीति को व्यापक रूप से राष्ट्र-राज्यों के मध्य अंतर्क्रिया और संबंध के रूप में समझा जा सकता है। प्रौद्योगिकी का विकास और अंगीकरण न केवल भू-राजनीति की प्रकृति पर प्रभाव उत्पन्न करता है, बल्कि इससे प्रभावित भी होता है। उदाहरण के लिए, रूस का सैन्य तकनीकी विकास मुख्य रूप से उसकी पश्चिमी सीमाओं पर उसकी अतिसंवेदनशीलता से प्रेरित था।

निम्नलिखित को तकनीकी पहुँच, अंगीकरण और विकास को **प्रभावित करने वाले प्रमुख भू-राजनीतिक कारकों** के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

- **भौगोलिक स्थिति:** वैश्विक भौगोलिक स्थिति तकनीकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, अपने कठोर भूगोल और दुर्लभ जल संसाधनों के कारण, इज़राइल ने जल संरक्षण, पुन: उपयोग और विलवणीकरण वाली प्रौद्योगिकियां विकसित करने पर काफी समय और संसाधन व्यय किया है।
- **संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच:** संसाधनों तक सापेक्ष पहुंच देश को वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थान दिलाती है। उदाहरण के लिए, श्रम की व्यापक पैमाने पर उपलब्धता चीन को श्रम गहन क्षेत्रों में तुलनात्मक लाभ की स्थिति प्रदान करती है। इसी प्रकार अमेरिका में पूंजी की वृहद पैमाने पर उपलब्धता इसे अनुसंधान और विकास के लिए तुलनात्मक लाभ प्रदान करती है। यह सापेक्षिक पहुंच तकनीकी विकास और अंगीकरण को भी प्रभावित करती है।
- **अन्य देशों के साथ संबंध:** भूमंडलीकृत विश्व में, तकनीकी विकास सामूहिक रूप से होता है न कि एकल रूप से। परिणामस्वरूप, देशों के मध्य संबंध प्रौद्योगिकी के सहभाजन को सक्षम बनाता है। इस प्रकार, सामूहिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। उदाहरण के लिए, भारत-इजरायल संबंधों का एक प्रमुख पहलू इनके मध्य कृषि प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान रहा है।
- **राष्ट्रीय प्राथमिकताएं और घरेलू बाधाएं:** नीति का विनियामकीय परिवेश जैसी प्रकृति, शिक्षा प्रणाली की प्रकृति, प्रौद्योगिकी के प्रति सामाजिक स्वीकृति की सीमा इत्यादि भी प्रौद्योगिकीय उन्नति का वैश्विक वितरण संचालित करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी संचालित निजी क्षेत्र अनुकूल परिवेश वाले राष्ट्रों की ओर बढ़ता है, उदाहरणार्थ- मजबूत स्टार्ट-अप संस्कृति वाले देश।

इन प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों द्वारा संभावित रूप से भू-राजनीतिक परिदृश्य को कैसे बदला जा सकता है?

इन परिवर्तनों द्वारा संयुक्त होकर पहले से ही भूमंडलीकृत विश्व के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करना आरंभ कर दिया गया है। जिन उभरते क्षेत्रों में यह प्रत्यक्ष उपभोक्ताओं द्वारा अनुभव किया जाएगा, उनमें सूचना के लिए सोशल मीडिया, वित्तीय प्रौद्योगिकियां, ई-कॉमर्स, गतिशीलता को प्रभावित करने वाली ई-सेवाएं और सामाजिक सेवाएं तथा ऊर्जा स्रोतीकरण एवं प्रबंधन में परिवर्तन सम्मिलित हैं। इन प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों से व्यापक रूप से निम्नलिखित तीन क्षेत्र प्रभावित होंगे:

- **सुरक्षा:** नई प्रौद्योगिकियां साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में, हाइब्रिड युद्ध जैसे खतरों के उद्भव में और दूरसंचार जैसे महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुभेद्यताओं के दोहन में नई चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। **देशों के भीतर इन प्रौद्योगिकियों का सापेक्ष अभाव देशों के मध्य सुरक्षा संतुलन में परिवर्तन लाता है।**
  - उदाहरण के लिए, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका भी अपनी सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं को उद्धृत करते हुए अपनी दूरसंचार प्रणालियों में हुवावे टेक्नोलॉजी की घुसपैठ की आशंका व्यक्त कर रहे हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्थिति:** प्रौद्योगिकीय विकास की सीमा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अस्थिर पड़ोस में एक छोटा-सा देश होने के बावजूद इज़राइल काफी वैश्विक प्रभाव रखता है। यह इज़राइल में हुए प्रौद्योगिकीय विकास के कारण संभव हो सका है।
- **आर्थिक संवृद्धि:** तकनीकी विकास या अंगीकरण किसी भी देश के लिए दीर्घकालिक आर्थिक संवृद्धि सुनिश्चित करने में एक प्रमुख कारक है। इससे उच्चतर श्रमिक उत्पादकता सक्षम बनती है, दक्षताओं में सुधार होता है तथा उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में वर्धन होता है। इस प्रकार, प्रौद्योगिकी तक पहुंच देशों के मध्य सापेक्ष आर्थिक संवृद्धि और समृद्धि में एक प्रमुख चर बन जाती है।
  - उदाहरण के लिए, **डेटा चालित प्रौद्योगिकियों का नियंत्रण** ऐसे प्रमुख तकनीकी चर के रूप में परिलक्षित होता है, जो देशों के बीच भविष्य की आर्थिक प्रतिस्पर्धा का संचालन करेगा।

VISION IAS

विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी की वर्तमान भू-राजनीति कैसे कार्य कर रही है?

नई प्रौद्योगिकियों का उद्भव भिन्न-भिन्न देशों से विविध प्रतिक्रिया प्राप्त कर रहा है। व्यापक रूप से इन प्रतिक्रियाओं को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

- **तकनीकी रूप से सर्वाधिकारवादी प्रतिक्रिया:** इस श्रेणी में अपने डेटा बाजार को बंद करने या प्रौद्योगिकी का प्रवाह प्रतिबंधित कर देने वाले देश आएंगे (उदाहरणार्थ- **चीन**)।
- **तकनीकी रूप से लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया:** इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश वर्गीकृत किए जा सकते हैं, जो न्यायिक मानकों व विधि के शासन से निर्देशित होते हैं और डेटा व प्रौद्योगिकी की मुक्त (परन्तु सदैव मुक्त नहीं) आवाजाही का समर्थन करते हैं।

इन दो प्रकारों के मध्य परस्पर क्रिया ने वैश्विक क्षेत्र में राजनीतिक, वैचारिक और आर्थिक तनाव उत्पन्न किया है और निम्नलिखित भू-राजनीतिक वाद-विवादों का सृजन किया है:

- **प्रौद्योगिकी का अमेरिका-चीन संबंधों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा?** देशों के भीतर वर्तमान तकनीकी प्रतिस्पर्धा और चीन से उभरते खतरे को लेकर अमेरिका की आशंका ने इन देशों में प्रौद्योगिकी, प्रतिभा एवं निवेश के संबंध में वियुग्मन (decoupling) की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है। जिस प्रकार यह मुद्दा आगे बढ़ेगा, उसका प्रौद्योगिकी और उससे संबद्ध भू-राजनीति के भविष्य पर व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा।
- **क्या इंटरनेट 'स्प्लिन्टरनेट' में विभाजित हो जाएगा?** इंटरनेट शासन दृढ़ होने के साथ-साथ, वर्ल्डवाइड वेब के स्वतंत्र डिजिटल पारितंत्रों के संग्रह या "स्प्लिन्टरनेट" में खंडित होने की संभावना भी बढ़ सकती है। यह उभरता हुआ मॉडल साइबर स्पेस में अधिक से अधिक बाजार नियंत्रण का प्रयोग करने और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बाहर करने के इच्छुक राज्यों एवं व्यवसायों के लिए आकर्षक हो सकता है।
- **क्या वैश्विक विनियामकीय व्यवस्था का निर्माण संभव है?** हालांकि वर्तमान प्रवृत्तियां विभूमण्डलीकरण और खंडित विश्व की ओर संकेत कर रही हैं, परन्तु वैश्विक समन्वय से प्रौद्योगिकी का विकास तीव्रतम ही रहता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए, यह संभव है कि निकट भविष्य में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विनियामकीय व्यवस्थाएं उत्तरोत्तर एक साथ आ सकती हैं।

वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य में भारत की स्थिति क्या है और उसे क्या करना चाहिए?

हो सकता है कि वर्तमान में भारत के पास उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए स्पष्ट विनियामकीय रूपरेखा न हो परन्तु विश्व का सबसे बड़ा खुला डेटा बाजार होने के कारण वह इस भू-राजनीतिक वाद-विवाद में संलग्न है। वर्तमान में लगभग 600 मिलियन भारतीय 4G तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में भारत में प्रति व्यक्ति डेटा उपभोग सर्वाधिक (10 GB प्रति माह से अधिक) है।

अपनी स्थिति को बनाए रखने और प्रौद्योगिकी पर भू-राजनीतिक बहस में अपने प्रभाव का प्रयोग करने के लिए भारत को निरंतर तकनीकी विकास करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर तकनीकी विनियमन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

- **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून (Personal Data Protection Law: PDPL):** PDPL का अधिनियमन त्वरित करना चाहिए, क्योंकि यह डेटा की सीमा पार आवाजाही पर स्पष्टता प्रदान करेगा और अन्य उपबंधों के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा के उपयोग को भी विनियमित करेगा।
- **नई प्रौद्योगिकियों पर विनियामकीय स्पष्टता:** ब्लॉकचेन, ड्रोन प्रौद्योगिकी आदि जैसी नई प्रौद्योगिकियों पर भारत की अनुक्रिया अस्पष्ट रही है, जिससे उनके विकास में बाधा आई है। उल्लेखनीय है कि स्पष्ट दृष्टिकोण से सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों द्वारा तेजी से अंगीकरण का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **वैश्विक मंच लिए स्पष्ट पक्ष विकसित करना चाहिए:** 5G व ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकियों को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, इस पर स्पष्ट पक्ष अपनाने से भारत की स्थिति को अधिक विश्वसनीयता प्राप्त होगी। साथ ही, इस पक्ष को घरेलू दृष्टिकोण के अनुरूप बनाने की भी आवश्यकता है।
- **प्रौद्योगिकी कूटनीति:** विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2020 में नई, उभरती और सामरिक प्रौद्योगिकियों (NEST) के प्रभाग का गठन किया है। समर्पित **प्रौद्योगिकी राजदूत या प्रौद्योगिकी समन्वयकों** की नियुक्ति करके इस विचार को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **तकनीकी पहुंच को राजनयिक संबंधों का प्रमुख भाग बनाना:** प्रौद्योगिकी तक पहुंच विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देश के लिए भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों की एक प्रमुख विशेषता होनी चाहिए, जिसमें बड़ी अवशोषी क्षमता है।

निष्कर्ष:

भू-राजनीतिक कूटनीति वैश्विक विनियमन में भारत के पक्ष में सुधार कर सकती है और प्रौद्योगिकी तक पहुंच बढ़ा सकती है। परन्तु, यह केवल तभी पूंजीकृत किया जा सकता है जब यह घरेलू तकनीकी विकास के साथ-साथ हो। उद्यमशीलता संस्कृति का निर्माण करने,

अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने, निजी क्षेत्रक में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए पारितंत्र उपलब्ध कराने और सबसे बढ़कर नई शिक्षा नीति, 2020 द्वारा यथा परिकल्पित शिक्षा सुधारों के कार्यान्वयन के अनुरूप प्रयास किए जा सकते हैं।

3.3.1. डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (Data Free Flow with Trust: DFFT)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत ने **डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र** पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है। यह घोषणा-पत्र **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** की अवधारणा का प्रस्ताव करती है।

DFFT के बारे में

- DFFT का विचार विश्व आर्थिक मंच 2019 में पूर्व जापानी प्रधान मंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- इसका उद्देश्य उत्पादकता, नवाचार और सतत विकास के लिए **इलेक्ट्रॉनिक साधनों** द्वारा व्यक्तिगत जानकारी और विदेशी सर्वरों में डेटा संग्रहित करके **सूचना के सीमा-पार अंतरण पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।**
- यह सुरक्षा, डेटा संरक्षण और बौद्धिक संपदा जैसी चुनौतियों के समाधान के महत्व पर भी बल देता है, जो अन्यथा डिजिटल प्रौद्योगिकियों में लोक विश्वास को क्षति पहुँचा सकती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ओसाका घोषणा-पत्र के बारे में

- **वर्ष 2019 में G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान** इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- इसके तहत **"ओसाका ट्रैक"** के शुभारंभ की घोषणा की गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा, व्यक्तिगत जानकारी और साइबर सुरक्षा के लिए वर्धित सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था (विशेष रूप से डेटा प्रवाह) और ई-कॉमर्स पर अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्माण के प्रयासों को तीव्र करना है।
- ओसाका ट्रैक, **डेटा फ्री फ्लो विद ट्रस्ट (DFFT)** के विचार से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य सीमा-पार डेटा प्रवाह पर प्रतिबंध को समाप्त करना है।

DFFT की आवश्यकता

- **सीमा-पार डेटा विवादों को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ढांचे का अभाव:** हाल के समय में डेटा प्रवाह से संबंधित मुद्दों, जैसे- वाक् स्वातंत्र्य, बौद्धिक संपदा, गोपनीयता, साइबर अपराध, उपभोक्ता संरक्षण, कराधान, वाणिज्यिक विनियमन और अन्य संबद्ध मुद्दों के संदर्भ में विवाद में वृद्धि परिलक्षित हुई है।
- **व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) पर प्रभाव:** डेटा अंतरण और डेटा स्थानीयकरण नीतियों की विनियामक शर्तें या अनिवार्यताएं निर्यातकों को उनके संचालन से संबंधित प्रत्येक देश में डेटा सेंटर बनाने या पट्टे (लीज़) पर लेने के लिए बाध्य कर सकती हैं। ऐसा करना निषेधात्मक रूप से उच्च अनुपालन और प्रवेश लागत को आरोपित कर सकता है।
- **डिजिटल क्षेत्र के दिग्गजों द्वारा प्रतिस्पर्धा-रोधी व व्यापार-विकृत करने वाले कार्यों की वृद्धि:** इस हेतु उत्तरदायी कारण परस्पर विरोधी नीतियों और डेटा प्रवाह के प्रबंधन हेतु व्यापक ढांचे का अभाव है।
- **"सोसायटी 5.0" की ओर बढ़ना:** यह रेखांकित करता है कि डिजिटलीकरण वर्तमान की सामाजिक चुनौतियों से कैसे निपट सकता है तथा सामाजिक और कल्याणकारी प्रणालियों के अनुकूलन द्वारा किस प्रकार व्यापक परिवर्तन ला सकता है। उदाहरण के लिए-
  - सरकारी संस्थाओं के मध्य डेटा के पुनरुपयोग और साझाकरण से अधिक सटीक निवारक देखभाल व बढ़ती लागत के शमन के साथ **वृद्धजनों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित चुनौतियों से निपटने में सहायता प्राप्त हो सकती है।**
  - **संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति और उनकी प्रगति की निगरानी** के लिए डेटा तक कुशल एवं स्वतंत्र पहुँच आवश्यक है।
- **डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण:** डेटा प्रवाह द्वारा समर्थित डिजिटल अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक गतिविधि का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ देशों द्वारा वर्तमान डेटा प्रवाह पर आरोपित प्रतिबंधों और डेटा स्थानीयकरण संबंधी आवश्यकताओं ने अर्थव्यवस्था और उपायों की गंभीरता के आधार पर उनकी GDP को 0.4% से 1.7% तक कम कर दिया है।

भारत के लिए चिंता

- **स्पष्टता का अभाव:** DFFT को न तो भलिभांति समझा गया है और न ही इसे कई देशों के क़ानूनों में व्यापक स्थान प्राप्त है।
- **नीति-निर्माण में विकासशील देशों के लिए स्थान संरक्षित करने की आवश्यकता:** भारत, कई अन्य विकासशील देशों की भांति, अभी भी अपने डेटा संरक्षण और ई-कॉमर्स क़ानूनों के लिए एक कानूनी व विनियामक ढांचा तैयार करने के चरण में है।
  - विदेशी निगरानी और हमलों को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर भारत **डेटा स्थानीयकरण** को महत्वपूर्ण मानता है। भारत के डेटा स्थानीयकरण नियमावली (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 के तहत प्रस्तावित) को DFFT द्वारा कमजोर किया जा सकता है।

VISION

- **डेटा तक समान पहुंच के निहितार्थ:** मौजूदा विनियम, जिन पर DFFT को आधार बनाने की मांग की जाती है (जैसे कि डेटा का निर्बाध सीमा-पार प्रवाह), डेटा तक पहुँच पर भारत की चिंताओं के निवारणार्थ अपर्याप्त हो सकते हैं और देशों के मध्य डिजिटल विभाजन को और अधिक बढ़ा सकते हैं।
- **विश्व व्यापार संगठन (WTO) के इतर की जाने वाली वार्ताओं पर आशंका:** ओसाका ट्रैक, **डब्ल्यू.टी.ओ. वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स** के तहत आयोजित हो रही बहुपक्षीय और सर्वसम्मति पर आधारित वार्ताओं को कमजोर कर सकता है।
    - "डब्ल्यू.टी.ओ वर्क प्रोग्राम ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स" वैश्विक ई-कॉमर्स से उत्पन्न होने वाले व्यापार से संबंधित मुद्दों को शामिल करता है। इनमें से कुछ मुद्दों में **गोपनीयता और सार्वजनिक नैतिकता** का संरक्षण तथा धोखाधड़ी की रोकथाम, सार्वजनिक दूरसंचार परिवहन नेटवर्क और सेवाओं तक पहुंच व उनका उपयोग, उत्पत्ति के नियम आदि सम्मिलित हैं।
    - उदाहरण के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के तहत भुगतान कंपनियों को अपने वित्तीय डेटा का स्थानीयकरण करने की अनिवार्यता है। साथ ही, **व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019** भारत के बाहर डेटा अंतरण पर कुछ प्रतिबंध आरोपित करता है।

आगे की राह

- **WTO में संलग्नताओं को प्रोत्साहित करना:** डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को WTO के प्रमुख सिद्धांतों (यथा- सर्वसम्मति आधारित निर्णयन, बहुपक्षीय सहमति आधारित नियम और विवाद निपटान निकाय द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र कार्यप्रणाली) के अनुरूप होना चाहिए।
- **विकासशील देशों को पर्याप्त सहायता प्रदान करना:** विकासशील देशों में क्षमता की कमी को समय-समय पर प्रशिक्षण आधारित समर्थन से पूर्ण किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही, डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक समान अवसर उपलब्ध करवाने और डेटा मुक्त प्रवाह का समान लाभ उठाने हेतु डिजिटल अवसंरचना का निर्माण भी अपरिहार्य है।
- कुछ सिद्धांत और नीतियां निम्नलिखित हैं, जिनका पालन वर्तमान डेटा ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए किया जा सकता है:
    - डेटा के संग्रहण या प्रसंस्करण के स्थान से निरपेक्ष, **कंपनियों को डेटा के प्रबंधन (जिन्हें वे एकत्रित करते हैं) हेतु जवाबदेह बनाया जाना चाहिए**। यह स्थानीय जवाबदेही और अंतर-संचालनीयता (interoperability) को सक्षम बनाएगा।
    - **उन अक्षम प्रक्रियाओं और अप्रचलित कानूनी समझौतों को संशोधित करना**, जिनके माध्यम से किसी अन्य देश के अधिकार-क्षेत्र में संग्रहित डेटा तक पहुंच हेतु कानून प्रवर्तन अनुरोधों को शासित किया जाता है।
    - पारदर्शिता के लिए **अंतर्राष्ट्रीय नियम स्थापित करना,** क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रश्नों का निपटान करना और कानून प्रवर्तन निकायों के सीमा-पार अनुरोधों में सहयोग एवं समन्वय बढ़ाना।
    - **गैर-कानूनी सामग्री के अवैध वितरण और उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी एवं प्रशासनिक ढांचे का विकास करना।**
    - **डेटा प्रवाह और डिजिटल तकनीकों को सुरक्षित** करने के लिए **कूटलेखन (encryption) का समर्थन** करना।

निष्कर्ष

आर्थिक संवृद्धि, विकास और सामाजिक कल्याण के एक प्रवर्तक के रूप में डेटा द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए, सीमा-पार डेटा प्रवाह से संबंधित किसी भी सुधार को प्रमुख मूल्यों एवं बुनियादी सिद्धांतों, जैसे- गैर-भेदभाव, समावेशिता, विशिष्ट व विभेद आधारित व्यवहार की पहचान तथा सर्वसम्मति-आधारित निर्णयन प्रक्रिया को संरक्षित करना चाहिए।

3.4. चीन की ऋण जाल कूटनीति (China's Debt Trap Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मोंटेनेग्रो राजमार्ग परियोजना के निर्माण के उद्देश्य से चीन से लिए गए ऋण के भुगतान हेतु संघर्षरत है तथा इस ऋण भुगतान के संघर्ष ने देश में एक गंभीर वित्तीय अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मोंटेनेग्रो ने वर्ष 2014 में एक द्रुतमार्ग (motorway) (बार पत्तन को सर्बिया की सीमा से जोड़ने हेतु) के निर्माण के प्रयोजनार्थ चीन के एक्ज़िम बैंक से 944 मिलियन डॉलर ऋण प्राप्त करने हेतु चीन के साथ एक समझौता किया था।
    - वर्तमान में, यह ऋण मोंटेनेग्रो के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 65.9% हो गया है। आकंड़ों के अनुसार, **मोंटेनेग्रो के सार्वजनिक ऋण में चीन के कर्ज का हिस्सा 25% है।**
- वर्तमान में कई अन्य देश जैसे कि लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव आदि अत्यधिक चीनी ऋणग्रस्तता के कारण ऋण संकट का सामना कर रहे हैं। इसने **ऋण जाल कूटनीति (अर्थात् अनिर्देशित विकास सहायता कूटनीति)** के उपयोग के संबंध में चिंताएं बढ़ा दी हैं।

- वर्ष 2018 में, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में उन आठ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) भागीदार देशों को रेखांकित किया गया है, जो BRI ऋण के कारण ऋण संकट के उच्च जोखिम से ग्रसित हैं। इन देशों में **जिबूती, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मोंटेनेग्रो, पाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान** शामिल हैं।
    - ये देश 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धिमान ऋण-GDP अनुपात की ओर अग्रसर हैं तथा उनके विदेशी ऋण में चीन की लगभग 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

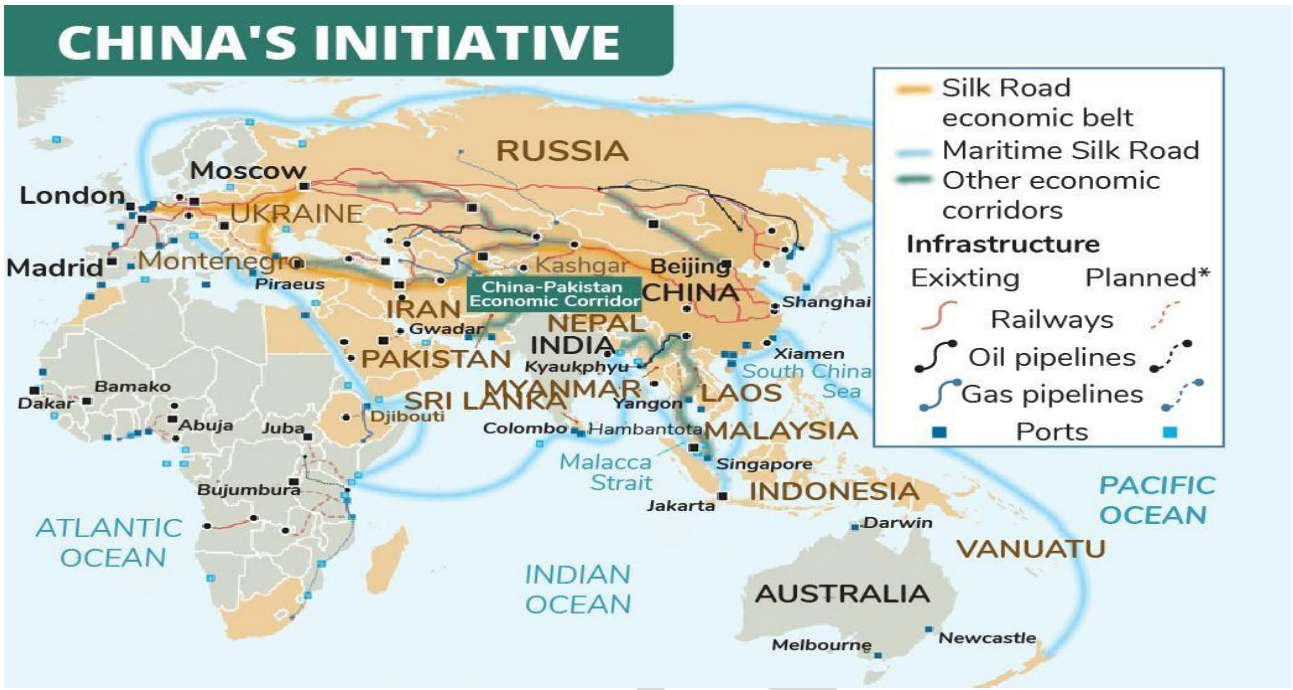

ऋण जाल कूटनीति (Debt Trap Diplomacy) के बारे में

- वर्ष 2017 में इस पद को भारतीय भू-रणनीतिकार **ब्रह्म चेलानी** द्वारा परिकल्पित किया गया था। यह कूटनीति वस्तुतः उन शर्तों पर आवंटित की गई परियोजनाओं/किए गए ऋणों को संदर्भित करती है, जिनके आधार पर देशों के लिए पुनर्भुगतान करना अत्यधिक कठिन हो जाता है। अंततः ऋण प्राप्तकर्ता देश को राजनीतिक या आर्थिक रियायतों को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है।

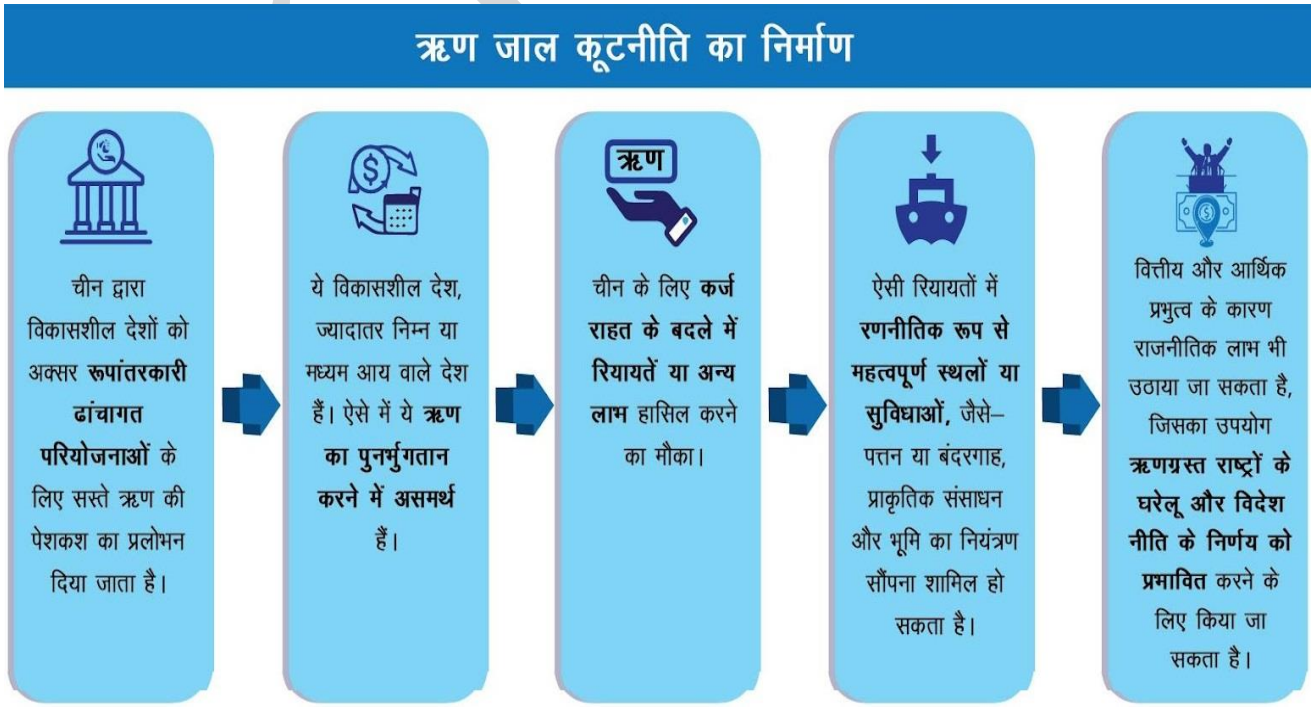

चीन द्वारा किए गए नित्य प्रयोग (Practices) जो ऋण जाल कूटनीति में उसकी भागीदारी की ओर संकेत करते हैं

- **गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्तपोषण:** यह अभिकथित है कि चीन द्वारा उचित जोखिम मूल्यांकन के बिना प्रायः गैर-व्यवहार्य परियोजनाओं को वित्त पोषित किया जाता रहा है।
  - उदाहरणार्थ, वर्ष 2014 में, मोंटेनेग्रो द्वारा एक राजमार्ग परियोजना के वित्तपोषण के लिए चीनी भागीदारों के साथ मिलकर उस परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। ज्ञातव्य है कि यह इस तथ्य के बावजूद था कि उस परियोजना को दो व्यवहार्यता अध्ययनों के निष्कर्षों में आर्थिक रूप से अव्यवहार्य माना गया था।
- **जानबूझकर ऋण देना और ऋण जाल में फंसाना अर्थात् हानिप्रद ऋण प्रदायगी और ऋण संकट (Predatory Lending and Debt Distress):** चीन द्वारा उन सभी मध्यम और निम्न-आय वाले विकासशील देशों में अत्यधिक निवेश को बढ़ावा दिया गया है, जो ऋण संधारणीयता संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहे हैं। साथ ही, उनके पास अवसंरचना को प्रत्यक्षतः वित्तपोषित करने हेतु आवश्यक राजकोषीय क्षमता का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त, वे निवेश आकर्षित करने के लिए व्यावसायिक रूप से भी असमर्थ रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए, चीन ने अफ्रीकी देशों जैसे कि इथियोपिया, नाइजीरिया आदि में अनेक अवसंरचनागत परियोजनाओं में निवेश किया है।
- **अपारदर्शी ऋण प्रथाएं:** चीनी सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणों/उधारियों पर आधिकारिक डेटा उपलब्ध नहीं करवाती। साथ ही, यह इस संदर्भ में भी स्पष्ट विवरण प्रदान नहीं करती है कि आवंटित ऋण राशि अथवा ऋण की शर्तें क्या होंगी तथा ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहने वाले ऋणग्रस्त देशों के संबंध में कैसे निर्णय किए जाएंगे।
- **उधार लेने वाले देशों के लिए ऋण समाधान सहायता जैसे विकल्पों की अनुपलब्धता:** चीन ऋण संधारणीयता संबंधी समस्याओं के प्रति ऋणग्रस्त देशों हेतु अपने दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी मार्गदर्शक बहुपक्षीय ढांचे के अनुपालन पर बल नहीं देता है। इसके स्थान पर वह मामलों के आधार पर देशों की ऋण निपटान प्रक्रिया को वरीयता प्रदान करता है।
  - प्रायः चीन उधारकर्ता देशों के राजकोषीय कुप्रबंधन का लाभ उठाता रहा है और कर्ज/ऋण उन्मूलन के अन्य उपायों की बजाय इक्विटी स्वैप आधारित ऋण वार्ताओं को अधिमान्यता देता रहा है।
- **सामरिक परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना:** चीन के साथ अवसंरचनात्मक समझौते प्रायः चीनी फर्मों को संपार्श्विक के रूप में बंधक भूमि और परिसंपत्तियों तक पहुँच एवं उन्हें नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इस प्रकार, इन विधियों का उपयोग कर चीन ने अनेक देशों में परिसंपत्तियों को अधिग्रहित किया है **(इन्फोग्राफिक देखें)।** इन देशों में ऋण पुनर्वार्ता (Renegotiation) प्रक्रिया के एक भाग के रूप में BRI परियोजनाओं के अंतर्गत वित्तपोषित देश भी शामिल हैं।

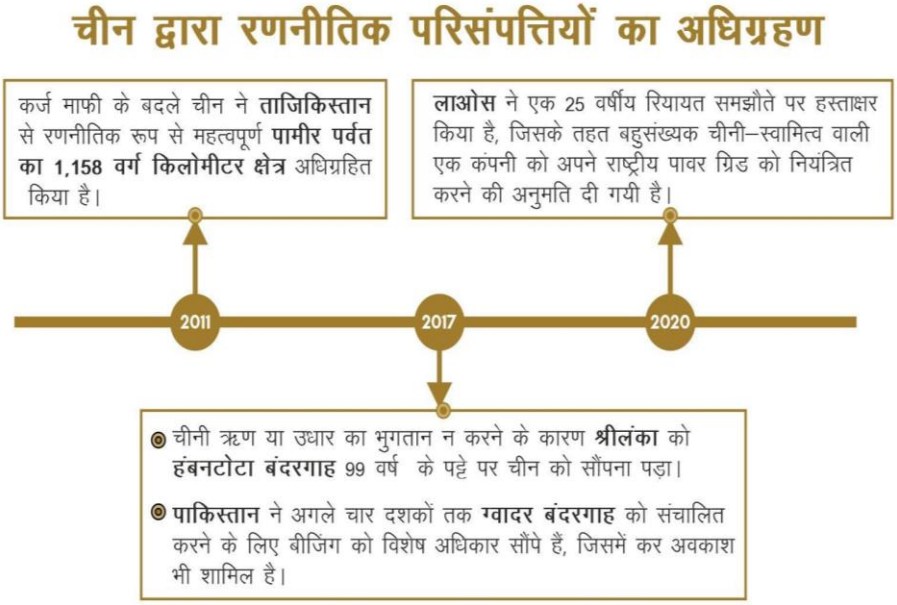

  - ये अधिग्रहित परियोजनाएं अपने आर्थिक उपयोग से कहीं अधिक सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, **श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह** का उपयोग हिंद महासागरीय क्षेत्र में चीन की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए किया जा सकता है।
- **परियोजनाओं में चीनी हितों का प्रभुत्व:** चीन के लगभग सभी विदेशी ऋण चीन सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किए गए हैं और इन ऋणों के प्राप्तकर्ता भी राज्य स्वामित्व वाले उद्यम हैं। इसके अतिरिक्त, विदेशों में अवसंरचनागत परियोजनाओं में चीनी श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा श्रम बल में संलग्न है।

- **विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए गैर-सहायिकीकृत और महंगे ऋण का उपयोग:** अधिकतर मामलों में चीन द्वारा प्रदान किए गए ऋण गैर-रियायती और महंगे होते हैं।
    - यह उन्नत औद्योगिक देशों द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसंरचनात्मक ऋण/उधारी के विपरीत है। औद्योगिक देश अविकसित अर्थव्यवस्थाओं को वित्तपोषित करने के लिए सहायिकीकृत एवं रियायती ऋण प्रदान करते हैं।

वे कारण जो देशों को ऋण जाल हेतु सुभेद्य बनाते हैं

- **मध्यम और निम्न आय वाले देशों की अवसंरचनात्मक वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताएं:** अवसंरचनागत निवेश को व्यापक रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास के एक महत्वपूर्ण वाहक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। हालांकि, राजकोषीय क्षमता के अभाव के कारण मध्यम और निम्न-आय वाले विकासशील देश अवसंरचनागत परियोजनाओं को घरेलू रूप से वित्त पोषित करने में अक्षम होते हैं।
    - BRI में भाग लेने वाले देशों को सामाजिक-आर्थिक रूपांतरण और विकास के वादे का प्रलोभन दिया जाता रहा है।
- **सुलभ वित्त पोषण का अभाव:** बहुपक्षीय ऋण प्रदाता एजेंसियों जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रस्तावित विकास सहायता तक पहुँच प्राप्त करने के लिए देशों द्वारा उनकी शर्तों को पूरा करना प्राय: कठिन प्रतीत होता है। ऐसी शर्तों के अंतर्गत संरचनात्मक और शासन संबंधी सुधार, समष्टि आर्थिक संकेतकों के लक्ष्य, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण प्रणाली आदि शामिल किए जाते हैं।
    - रक्षोपायों और सुधारों हेतु आवश्यक अनुपालन आवश्यकताओं के संदर्भ में चीनी ऋण उतने कठोर नहीं हैं।
- **अभिशासन से संबंधित मुद्दे:** उदाहरणार्थ, परियोजना के परिचालन से पूर्व पर्याप्त व्यवहार्यता विश्लेषण का अभाव, भ्रष्टाचार, उधार लेने की लापरवाह प्रवृत्ति, राजकोषीय कुप्रबंधन आदि की मौजूदगी ने अव्यवहार्य परियोजनाओं के लिए भी ऋण आवंटन प्रक्रिया को सरल (चीन के लिए) बना दिया है।
    - उदाहरण के लिए, किर्गिस्तान में पूर्व प्रधान मंत्री सपर इसाकोव और जंतोरो सात्यबाल्डीव ने चीनी अधिकारियों के साथ कथित तौर पर BRI परियोजनाओं के लिए निर्धारित निधि के गबन हेतु प्रयास किए थे।

आगे की राह

- **पर्याप्त जोखिम मूल्यांकन:** समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पूर्व देशों को उचित जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना चाहिए।
- **संधारणीय ऋण समाधान और बहुपक्षीय सहयोग:** BRI में शामिल देशों के ऋणग्रस्तता स्तर का अनुमान लगाने के लिए चीन को बहुपक्षीय संस्थानों के साथ सहयोग करना चाहिए।
    - इसके साथ ही, इसे संधारणीय ऋण समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य प्रथाओं का अनुपालन भी करना चाहिए।
    - चीन **पेरिस क्लब की सदस्यता** ग्रहण कर सकता है, ताकि देशों को ऋण वृद्धि में संधारणीय समाधान प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
        - पेरिस क्लब **आधिकारिक लेनदारों का एक अनौपचारिक समूह है।** यह कर्जदार/ऋणग्रस्त देशों के समक्ष आने वाली भुगतान संबंधी कठिनाइयों के समन्वित और संधारणीय समाधान खोजने में उनकी मदद करता है।
        - चूंकि देनदार देशों को अपनी समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिति को स्थिर बनाए रखने तथा पुनःस्थापित करने के लिए आर्थिक सुधार करना पड़ता है, इस संबंध में पेरिस क्लब के देनदार ऋणग्रस्त देश को उचित ऋण उपचार सुविधाएँ प्रदान करते हैं।
        - **भारत** पेरिस क्लब का एक **तदर्थ भागीदार** (स्थायी सदस्य नहीं) है।
- **अवसंरचना के वित्तपोषण के लिए अन्य विकल्प:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को निम्न और मध्यम आय वाले देशों में अवसंरचना वित्तपोषण संबंधी कमियों के निवारण के लिए **चीन समर्थित अवसंरचनात्मक वित्तपोषण के समान अन्य विकल्पों को उपलब्ध कराना चाहिए।**

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

अवसंरचना वित्तपोषण के लिए अन्य वैश्विक पहलें

- **ब्लू डॉट नेटवर्क:** यह पहल संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस. इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन), जापान (जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन) और ऑस्ट्रेलिया (डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड) के वित्तीय संस्थानों को शामिल करते हुए आरंभ की गई है। **यह नेटवर्क एक प्रमाणन निकाय के रूप** में कार्य करेगा। साथ ही, यह **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण परियोजनाओं के मूल्यांकन में भी मदद करेगा।**
- **आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना के लिए गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI):** यह राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र के एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों एवं वित्तपोषण तंत्रों, निजी क्षेत्र तथा ज्ञान संस्थानों की संयुक्त भागीदारी में संचालित एक साझेदारी है। इसका उद्देश्य सतत विकास को बनाए रखने के क्रम में जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध नई एवं मौजूदा अवसंरचना प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देना है।
- **एशिया-अफ्रीका विकास गलियारा (Asia-Africa Growth Corridor: AAGC):** यह गलियारा **भारत और जापान** के मध्य संपन्न एक आर्थिक साझेदारी समझौता है। इसका उद्देश्य अफ्रीका में भारत-जापान सहयोग से अवसंरचना और डिजिटल कनेक्टिविटी (संपर्क) में सुधार करना है।
- **यूरोपीय संघ की नई कनेक्टिविटी रणनीति:** सितंबर 2018 में, **यूरोपीय संघ** ने 'कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया - बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर एन ई.यू. स्ट्रेटेजी' पर एक संयुक्त पत्र व्यवहार को अंगीकृत किया था। यह रणनीति एक संधारणीय, व्यापक और नियम-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से मौजूदा एवं नियोजित यूरोपीय संघ नेटवर्क के उपयोग पर बल देती है, ताकि यूरोपीय संघ अपने एशियाई भागीदारों के साथ संपर्क को सुनिश्चित कर सके।
- **ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क (Trans-European Transport Network: TEN-T) नीति:** इस नीति के तहत रेलवे लाइनों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, समुद्री नौवहन मार्गों, बंदरगाहों, विमान पत्तनों और रेलमार्ग टर्मिनलों के **यूरोप-व्यापी नेटवर्क** के कार्यान्वयन एवं विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **वैश्विक अवसंरचना सुविधा (Global Infrastructure Facility: GIF):** यह G20 देशों द्वारा संचालित एक पहल है। यह विकासशील देशों और उभरते बाजारों की संधारणीय व गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को एकीकृत करने वाला एक वैश्विक सहयोग मंच है।
- **बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) पार्टनरशिप:** इसे हाल ही में G7 द्वारा आरंभ किया गया है। यह विकासशील देशों में 40 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अवसंरचना आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के नेतृत्व में संचालित एक नई वैश्विक अवसंरचना साझेदारी है। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 महामारी ने इस अवसंरचना आवश्यकता को और बढ़ा दिया है।

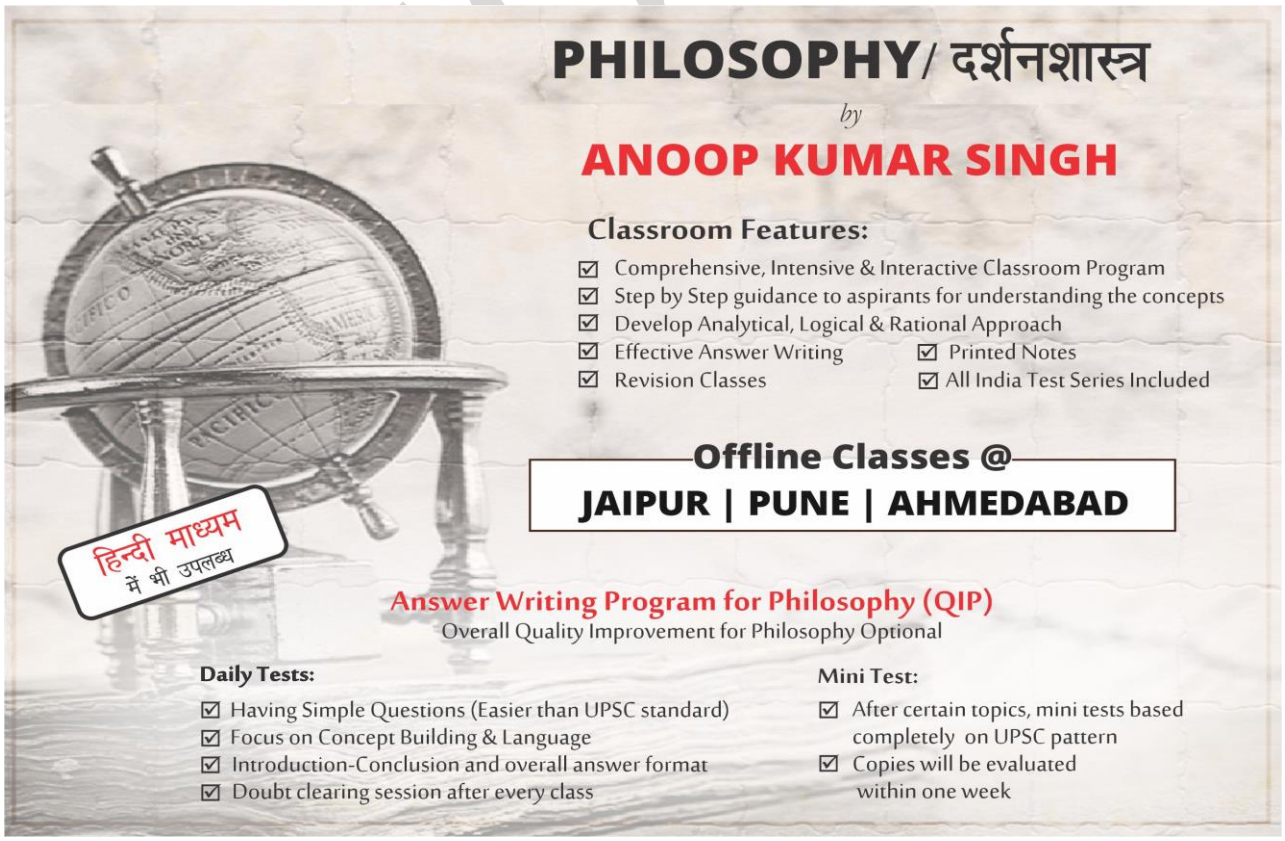

3.5. ग्रुप ऑफ सेवन (जी-7) {Group of Seven (G-7)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने भारतीय प्रधान मंत्री को इस वर्ष जून में ब्रिटेन में आयोजित होने वाले G-7 शिखर सम्मेलन (G7 Summit) के लिए आमंत्रित किया है।

G7 के बारे में

- G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे औद्योगिक एवं लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है।
- **वर्ष 1998 से लेकर वर्ष 2014 तक रूस के इस समूह में शामिल रहने तक** इस समूह को ग्रुप ऑफ ऐट (G–8) के रूप में जाना जाता था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2014 में क्रीमिया के अवैध रूप से अधिग्रहण के कारण **रूस को इस समूह से निष्कासित कर दिया गया था।**
- वर्तमान में, **G7 सदस्य राष्ट्रों का समग्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) विश्व के 40% से अधिक है, जो कि तीन दशक पूर्व (70%) की तुलना में कम है।**
- **वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा** करने के लिए G7 राष्ट्रों की बैठक को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है।
- **भारत, G7 समूह का सदस्य नहीं है।**

G7 का गणित
- **7** सदस्य देश
- **वर्ष 1975** में प्रथम बैठक।
- वैश्विक GDP का **40 प्रतिशत**
- वैश्विक आबादी का **1/10**
- वर्ष 2014 में क्रीमिया के अवैध रूप से अधिग्रहण के कारण **रूस को इस समूह से निष्कासित** कर दिया गया था।

भारत के लिए G7 का महत्व

- **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मुद्दों को उठाने में सहायक:** G7 के साथ संबंध से विशेषकर परमाणु क्लब तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के संदर्भ में भारतीय **सुरक्षा तथा विदेश नीति में अंतर्निहित हितों** को आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- **चीन विरोधी गठबंधन के रूप में: भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण कोरिया** के समावेशन के साथ G7 के विस्तार का प्रस्ताव अंततः **चीन–विरोधी गठबंधन को आकार** प्रदान कर सकता है। साथ ही, यह चीन की हठधर्मी कूटनीति को रोकने में भी सहयोग करेगा।
- **हिंद–प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग।**
- **अर्थव्यवस्था तथा व्यापार: कोविड–19 महामारी के पश्चात् अपनी आर्थिक संवृद्धि को पुनर्जीवित करने** के लिए भारत इसका एक उपयोगी मंच के रूप में उपयोग कर सकता है।
- **लोकतंत्रों का मंच:** विस्तारित G7, **मुक्त तथा नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए लोकतंत्रों (Democracies–10)** के एक विश्वसनीय **मंच** के रूप में कार्य करेगा।

ग्रुप ऑफ़ सेवेन या G7 – एक नज़र में

चुनौतियां

- **G20 समूह: G20 और इसके उद्भव को G7 के लिए एक वैकल्पिक मंच** के रूप में देखा जाता है जो G7 के महत्व और प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है।
- **अमेरिकी आधिपत्य:** हाल ही में, आयातों पर करों के संदर्भ में अमेरिका एवं अन्य सदस्यों के मध्य मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से भी पृथक हो गया था।
- **गैर–समावेशी:** G7 में किसी भी अफ्रीकी या मध्य–पूर्वी राष्ट्र का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं है।
- रूस का पुनः समावेशन: रूस को दोबारा सम्मिलित करने के प्रस्ताव को G7 के अन्य सदस्यों से कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि **रूस को चीन के सहयोगी के रूप में देखा जाता रहा है।**

आगे की राह

- G7 का प्रस्तावित विस्तार इसकी वर्तमान संरचना की तुलना में इसे और अधिक प्रतिनिधित्व वाले संस्थान के रूप में परिवर्तित करने में सहायता कर सकता है, जो इसे वैश्विक स्तर पर अन्य मंचों के समान स्थापित करेगा।
- भारत को रूस तथा G20 के साथ अपने मौजूदा संबंधों को क्षति पहुंचाए बिना G7 के साथ अपने संबंधों को बनाए रखने की दिशा में और अधिक जागरूक व व्यवहारमूलक होने की आवश्यकता है।

3.6. म्यांमार में सैन्य तख्तापलट (Military Coup in Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **म्यांमार (पूर्ववर्ती बर्मा) की सेना ने एक सैन्य तख्तापलट के उपरांत देश के शासन पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया है।** ज्ञातव्य है कि वर्ष 1948 में ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् ऐसा देश के इतिहास में तीसरी बार हुआ है।

अन्य संबंधित तथ्य

- म्यांमार सेना {जिसे जुंटा और तात्मडो (Tatmadaw) भी कहा जाता है} ने आरोप लगाया है कि **नवंबर 2020 में आयोजित आम चुनावों में अत्यधिक अनियमितताएं हुई थीं** और इसलिए, परिणाम मान्य नहीं हैं।
- यह **म्यांमार के अल्पकालिक लोकतंत्र की समाप्ति** को दर्शाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी, जब सेना ने संसदीय निर्वाचनों तथा अन्य सुधारों को कार्यान्वित किया था।

म्यांमार के सैन्य तख्तापलट पर वैश्विक प्रतिक्रिया

- **बांग्लादेश ने शांति तथा स्थायित्व का आह्वान किया है** तथा आशा व्यक्त की है कि म्यांमार में रोहिंग्या शरणार्थियों की ऐच्छिक वापसी जारी रहेगी।
- चीन का कहना है कि उसे अपेक्षा है कि म्यांमार के सभी पक्ष संवैधानिक तथा कानूनी ढांचे के भीतर अपने मतभेदों से निपट लेंगे।
- **यूरोपीय संघ सैन्य नेताओं की एक काली सूची तैयार कर रहा है,** ताकि जो इसके लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं, उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक उपाय किए जा सकें।
- **भारत ने तख्तापलट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है** और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पुनर्स्थापित करने का आह्वान किया है।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि "यह लोकतांत्रिक सुधारों पर गंभीर चोट है।"**
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने तख्तापलट से जुड़े नेताओं पर प्रतिबंध आरोपित किया है। इसने व्यक्तियों के साथ-साथ कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया है।

स्थिर म्यांमार, भारत के लिए क्यों जरूरी है?

- **भू-राजनीतिक हित:** म्यांमार की भारत की 'पड़ोसी प्रथम' तथा 'एक्ट ईस्ट' नीतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्थिति है और इसलिए यह हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय कूटनीति के भारत के प्रयास का महत्वपूर्ण अंश है। साथ ही, इस तथ्य की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती कि म्यांमार दक्षिण एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के मध्य एक भू-सेतु के रूप में कार्य करता है।
- **सामरिक अवस्थिति:** यह भारत तथा चीन के मध्य एक मध्यस्थ (बफर) देश के रूप में स्थित है। म्यांमार बंगाल की खाड़ी के तट से संलग्न है। यह बांग्लादेश, चीन तथा भारत के अशांत पूर्वोत्तर राज्यों को संबद्ध करता है। यह भारत के निकोबार द्वीप समूह के भी समीपवर्ती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा:** म्यांमार-चीन सीमा म्यांमार की भूमि से संचालित हो रहे स्थानीय सशस्त्र अलगाववादी समूहों और साथ ही असम के यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ़ असम (उल्फा/ULFA) तथा नागालैंड के नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ़ नागालैंड (NSCN) जैसे भारतीय विद्रोही समूहों के लिए भी एक शरणस्थली बन गई है।
- **आर्थिक हित:** भारत का म्यांमार के प्राकृतिक संसाधनों से हित जुड़ा हुआ है। वह भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान बहुविध परियोजना जैसी कुछ परियोजनाओं का विकास कर रहा है। उल्लेखनीय है कि म्यांमार की अस्थिरता इन परियोजनाओं के समक्ष एक बाधा है।
  - कलादान बहुविध परियोजना भारत के स्थलरुद्ध पूर्वोत्तर राज्यों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित म्यांमार के सितवे पत्तन से जोड़ेगी।

- **चीन का प्रत्युत्तर:** भारत की सीमा पर स्थित म्यांमार की राजनीतिक असफलता तथा शक्तिहीनता उसे चीन के प्रभावाधीन कर देगी। इससे क्षेत्रीय मामलों में चीन के हस्तक्षेप में वृद्धि होगी, जो भारत के लिए अहितकारी भी हो सकता है।

म्यांमार के इतिहास में प्रमुख घटनाओं का कालानुक्रम

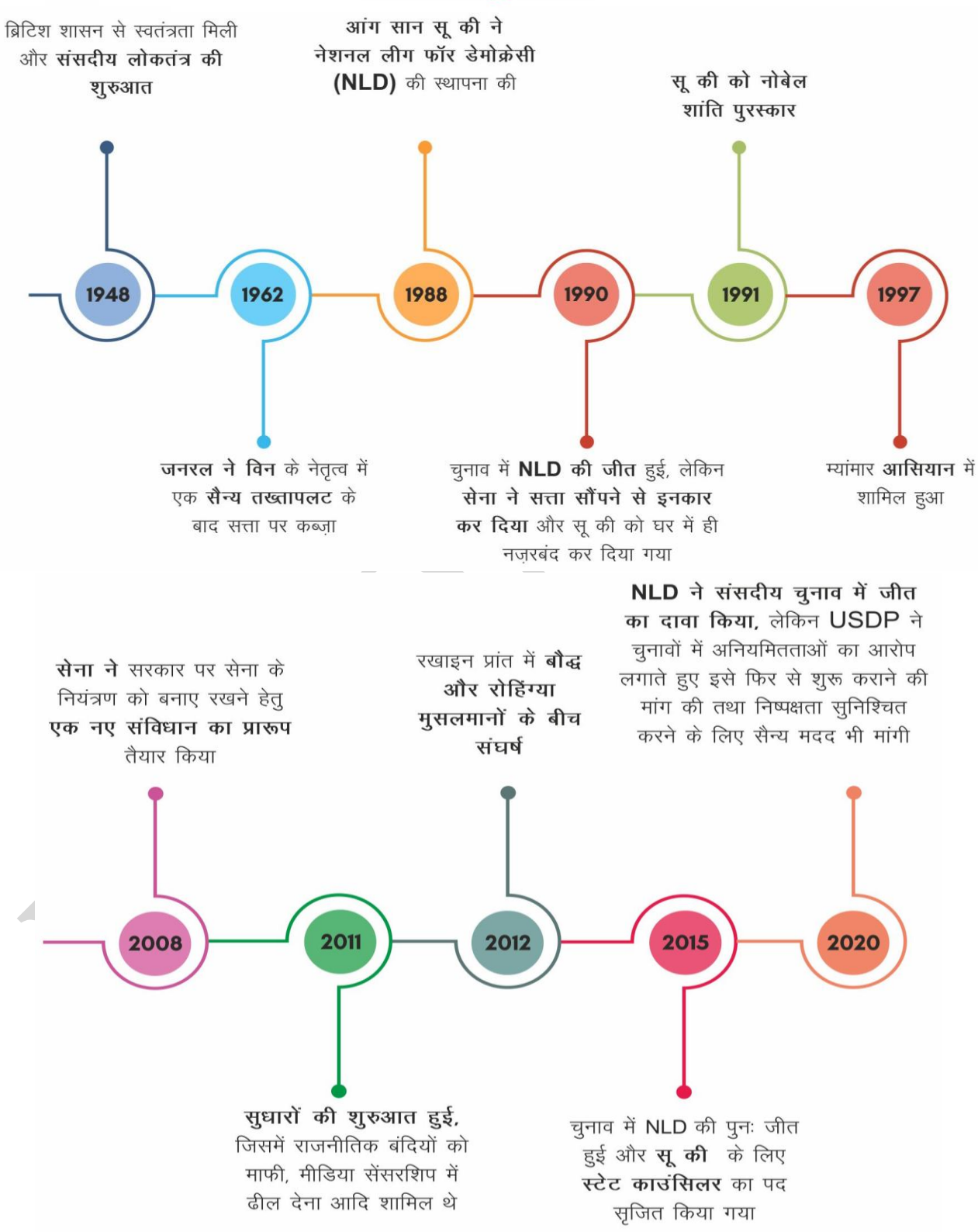

4. प्रवासी भारतीय (Indian Diaspora)

4.1. भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारतीय प्रवासियों की भूमिका (Role of Indian Diaspora in Making India Self-Reliant)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नई दिल्ली में वर्चुअल रूप में **16वां प्रवासी भारतीय दिवस (PBD) सम्मेलन** आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का विषय (थीम) था- **"आत्मनिर्भर भारत में योगदान" (Contributing to Aatmanirbhar Bharat)।**

डायस्पोरा या प्रवासियों के बारे में

- प्रमुख रूप से, भारत सरकार के लिए, डायस्पोरा/प्रवासियों में ऐसे लोगों का एक समूह शामिल है, जो भारतीय मूल के हैं या जो अस्थायी या स्थायी रूप से विदेशों में निवास करने वाले भारतीय नागरिक हैं।
  - **'डायस्पोरा'** शब्द में सामान्य रूप से **अनिवासी भारतीय** (Non Resident Indians: NRIs), **भारतीय मूल के व्यक्ति** (Persons of Indian Origin: PIOs) और **प्रवासी भारतीय नागरिक** (Overseas Citizens of India: OCI) सम्मिलित किए जाते हैं। इनमें से PIO और OCI कार्डधारकों वाली श्रेणियों को वर्ष 2015 में एक ही श्रेणी, यथा- प्रवासी भारतीय नागरिक (OCI) के तहत विलय कर दिया गया था।
- **भारतीय डायस्पोरा की स्थिति:** ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट- 2020 के अनुसार, भारत वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के मूलस्थान के मामले में अग्रणी देश था, जिसके डायस्पोरा की संख्या 17.5 लाख थी।
  - वर्ष 2018 में, प्रवासियों द्वारा **भारत में किया जाने वाला धन प्रेषण अंतर्वाह 79 बिलियन डॉलर का था, जो विश्व भर में सर्वाधिक था।**

भारत को आत्मनिर्भर बनाने में प्रवासियों द्वारा क्या भूमिका निभाई जा सकती है?

- **ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत करना:** प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत निर्मित उत्पादों के उपयोग से विश्व स्तर पर भारतीय उत्पादों के प्रति विश्वास में वृद्धि होगी। प्रवासी भारतीयों का आचरण भी भारतीय रीतियों और आदर्शों में रुचि सृजित करता है। इससे विश्व भर में 'भारत निर्मित' उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी की जा सकती है।
- **विशेषज्ञता और ज्ञान की साझेदारी के माध्यम से सहायता:** प्रवासियों की तेजी से बढ़ती आबादी ने शिक्षा जगत, समाज सेवा, चिकित्सा, व्यापार, आई.टी. आदि जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस प्रकार, प्रख्यात प्रवासी

समुदाय संवादों और चर्चाओं के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल, अनुसंधान एवं विकास, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने हेतु देश के प्रयास का समर्थन करने में सहायता कर सकते हैं।

- इसके साथ ही, विदेशों के उपभोक्ता बाजारों से परिचित होने के कारण, प्रवासी भारतीय उपभोक्ता व्यवहार में विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकते हैं और विदेशी बाजारों के लिए अनुकूलित उत्पादों के निर्माण में भारतीय फर्मों की मदद कर सकते हैं।
- कोविड महामारी के दौरान, प्रवासी समुदाय विभिन्न देशों में स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सक्रिय रूप से संलग्न था। ये स्वास्थ्य विशेषज्ञ भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल आपात स्थितियों से निपटने के लिए भारत की अपनी रणनीतियों को मजबूत करने में सहायता कर सकते हैं।

- **सामाजिक-आर्थिक विकास में धन प्रेषण से सहायता:** धन प्रेषणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोग व्यवहार में परिवर्तन करके निर्धनता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे भारत में असंख्य परिवारों को शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार सक्षम मानव संसाधन उत्पन्न करते हैं।
- **उद्यमिता को सुगम बनाना:** प्रवासी जन, भारत में तकनीकी ज्ञान हस्तांतरण और वित्तपोषण के रूप में उद्यमियों और लघु व्यवसायों का समर्थन करके, अंतर्राष्ट्रीय उद्यमिता का निर्माण करने में सहयोग कर सकते हैं।
- **सुरक्षित निवेश प्रवाह:** प्रवासियों को भारत की बाजार स्थितियों, घरेलू श्रमिकों और आर्थिक नीतियों के बारे में बेहतर जानकारी होती है। इस कारण, परियोजनाओं की समाप्ति एवं निवेशों के प्रतिफल हेतु समय सीमाओं के संबंध में उनकी अपेक्षाएं वास्तविकता के निकट होती हैं। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड फर्मों में पूंजी का अंतर्वाह भारत में विनिर्माण के विस्तार में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- **प्रवासी कूटनीति:** जैसे-जैसे प्रवासी विदेशों में वित्तीय और राजनीतिक संपन्नता प्राप्त करते जाएंगे, वे भारत के साथ मजबूत राजनीतिक एवं व्यापारिक संबंधों के लिए अपनी सरकारों के मत को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते जाएँगे। इससे सरकार और उद्योग स्तर पर लगातार यात्राओं, प्रतिनिधिमंडलों एवं सम्मेलनों के क्रम को बढ़ावा मिलेगा।

चिंताएं

- **विनियामक बाधाएं**, जैसे नई फर्मों की स्थापना के लिए जटिल मानदंड, FDI पर सीमाएं आदि व्यवसाय सुगमता को बाधित करती हैं और निवेश को रोकती हैं।
- **संवाद का सीमित दायरा:** अधिकांश संवाद, विकसित देशों जैसे यू.एस.ए., यू.के. आदि में निवासरत प्रवासी भारतीय समुदाय पर केंद्रित हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आदि जैसे उदीयमान देशों में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती संख्या के साथ नए अवसरों पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता है।

आगे की राह

आत्मनिर्भर भारत के विकास में प्रवासियों की भूमिका को निम्नलिखित प्रकार से और भी अधिक बढ़ाया जा सकता है:

- निवेश के अवसरों के बारे में प्रवासियों को जानकारी देने के लिए उनके बीच **संपर्क कार्यक्रमों तथा सूचना अभियानों का आयोजन करना** और निर्बाध निवेश माध्यम स्थापित करना, जिन्हें भारतीय आप्रवासियों (immigrants) द्वारा किए जाने वाले निवेश से प्रेरित किया जाए।
- भारतीय प्रवासियों में से सलाहकारों के क्षेत्रीय या क्षेत्रक संबंधी समूहों का निर्माण करके **भारत में सार्वजनिक नीति की समुचित जानकारी देने के लिए चर्चाओं को सुविधाजनक बनाना आवश्यक है।**
- दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों आदि जैसे **उभरते राष्ट्रों में बढ़ते प्रवासियों को विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।**
- विशेष रूप से प्रवासियों को भारत में अपनी कंपनियों के संचालन का विस्तार करने में समर्थ करके **व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार करना चाहिए।**

5. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच- उनकी संरचना एवं अधिदेश (Important International Institutions, Agencies and Fora- their Structure, Mandate)

भारत और बहुपक्षीय विकास संस्थानों {India And Multilateral Development Institutions (MDIs)} पर एक नज़र

बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDI) क्या हैं?

इन संस्थानों की शुरुआत युद्ध से प्रतिकूल रूप से प्रभावित राष्ट्रों का पुनर्निर्माण करने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में स्थिरता लाने के लिए **ब्रेटन वुड्स संस्थानों** के गठन से हुई थी। इन्हें "निर्धन देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो या दो से अधिक देशों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान" के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- MDI का प्राथमिक उद्देश्य निर्धन या विकासशील देशों को **अनुदान और कम लागत वाले ऋण** प्रदान करना है, ताकि उनकी **सामाजिक और आर्थिक स्थितियों** में सुधार लाया जा सके।
- MDIs को परंपरागत रूप से विकसित देशों द्वारा स्थापित किया जाता था। हालांकि, विगत कुछ दशकों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने भी इसे स्थापित करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB), एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) आदि।
- MDIs विकासशील देशों को उनकी **बुनियादी ढांचे, ऊर्जा, शिक्षा** और **पर्यावरणीय स्थिरता** जैसी पूंजी गहन गतिविधियों के वित्तपोषण में मदद करते हैं।

भारतीय सदस्यता वाले प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास संस्थान (MDIs)

बहुपक्षीय विकास संस्थानों के नाम	स्थापना वर्ष	मुख्यालय	कुल सदस्य	वित्तपोषण का प्रकार
विश्व बैंक समूह*	IBRD - 1944 IFC - 1956 IDA - 1960 MIGA - 1988	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	IBRD - 189 IFC - 185 IDA - 173 MIGA - 182	रियायती और गैर रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, अनुदान (ग्रांट) और ऋण संबंधी गारंटी (अधीनस्थ / उप–संस्थानों के लिए)
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)	1944	वॉशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका	190	यह मुख्य रूप से नीतिगत सुधारों को अपनाए जाने के शर्त पर ऋण देता है। इन नीतिगत सुधारों में शामिल हैं– निजीकरण, कृषि या विद्युत क्षेत्र में नीतिगत सुधार आदि।
अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (AFDB)	AFDB – 1964 अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड (ADF) – 1972	आबिदजान (आइवरी कोस्ट)	81	गैर–रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और ADF द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
एशियाई विकास बैंक (ADB)	ADB – 1966 एशियन डेवलपमेंट फंड (ADF) – 1973	फिलीपिंस के मनीला शहर का मंडालुयोंग	68	गैर–रियायती और रियायती ऋण, इक्विटी निवेश, और एशियन डेवलपमेंट फंड द्वारा ऋण की गारंटी के रूप में अनुदान
न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)	2004	शंघाई, चीन	8 (हालिया विस्तार के बाद)''	गारंटी, निजी निवेशकों की मदद से सामूहिक ऋण, इक्विटी निवेश, प्रोजेक्ट बॉण्ड और अन्य प्रमुख विकास संस्थानों के साथ मिलकर वित्तपोषण की व्यवस्था
एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB)	2016	बीजिंग, चीन	103	ऋण, किसी उद्यम की इक्विटी पूंजी में निवेश, अंडर–राइटिंग (जोखिम अंकन) के ओपन ऑप्शन के साथ गारंटी प्रदान करना

*विश्व बैंक समूह (World Bank Group) के अंतर्गत शामिल हैं– (i) अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), (ii) अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA), (iii) अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC), (iv) बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी (MIGA), और (v) निवेश संबंधी विवादों के निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (ICSID)। ज्ञातव्य है कि विश्व बैंक पद सामूहिक रूप से IBRD और IDA को संदर्भित करता है।

नोट– भारत ICSID का सदस्य नहीं है।

** यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि **यू.ए.ई.** और **उरुग्वे** को भावी सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया है। हालांकि, ये देश तभी इसमें सदस्य के रूप में शामिल हो पाएंगे, जब ये दाखिला दस्तावेज़ (instrument of accession) सौंप देंगे।

भारत जैसे विकासशील देशों के लिए बहुपक्षीय विकास संस्थानों का महत्व

- MDIs विकासशील देशों के **सार्वजनिक और निजी क्षेत्र** के साथ अत्यधिक भागीदारी रखते हैं। इसी के परिणामस्वरूप MDIs विकासशील देशों के लिए **वित्तीय और तकनीकी मदद के प्रमुख स्रोत** होते हैं।
- MDIs ऋण और अनुदान सहायता प्रदान करते हैं। साथ ही, ये नीतियों, वित्त पोषित परियोजनाओं के कार्यान्वयन और निगरानी आदि पर विशेषज्ञ सहायता भी प्रदान करते हैं।
    - उदाहरण के लिए, **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के नीतिगत सुधार या शर्त आधारित ऋणों** ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लाइसेंस-कोटा-परमिट (LQP) व्यवस्था से उदारीकरण-निजीकरण-वैश्वीकरण (LPG) व्यवस्था की ओर संक्रमण में मदद की है।
- विकासशील देशों को ऋण प्रदान करने के लिए MDIs सामान्यतः **अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से वित्तीय सहयोग प्राप्त करते हैं।** ये विकासशील देशों को **कम क्रेडिट रेटिंग** के कारण होने वाले **नुकसान से निपटने** में भी मदद करते हैं।
- MDIs क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों के निवारण में सहयोग प्रदान करते हुए **निम्नलिखित क्षेत्रों में विकासशील देशों की सहायता करते हैं:**
    - **सामाजिक (स्वास्थ्य एवं शिक्षा)** और **भौतिक (सड़क, रेलवे आदि) बुनियादी ढांचे** में सुधार लाना। उदाहरण के लिए, विश्व बैंक ने भारत में सर्व शिक्षा अभियान, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना आदि के लिए ऋण सहायता प्रदान की है।
    - उच्च विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से **निर्धनता को कम करने में।**
    - **अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग** को बढ़ावा देने में।
    - सतत विकास लक्ष्यों जैसे **वैश्विक लक्ष्यों तक पहुँच प्राप्त करने में।**
    - जबरन विस्थापन के कारकों को दूर करने के लिए **जलवायु वित्त सहायता प्रदान करने** में आदि।
- ये तेजी से बढ़ते नए बाजारों के विस्तार के माध्यम से **निवेशकों और व्यापार जगत के नेताओं** को भी सहयोग प्रदान करते हैं।

बहुपक्षीय विकास संस्थानों को लेकर चिंताएँ जिन्हें भारत द्वारा प्रकट किया गया है

- **विकसित देशों का वर्चस्व:** IMF और विश्व बैंक जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण MDIs पर ग्लोबल नॉर्थ के देशों का वर्चस्व है, जबकि इसमें ग्लोबल साउथ के देशों का प्रतिनिधित्व कम रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि इनके गवर्नेंस या अभिशासन में विकासशील देशों का अल्प प्रतिनिधित्व रहा है।
- **शर्तों को थोपना:** कुछ फंडिंग एजेंसियों द्वारा विशेष शर्तों को लागू किया जाता है। ये विशेष शर्तें उपकरणों की सोर्सिंग से संबंधित होती हैं। इनके कारण संप्रभुता के उल्लंघन को बढ़ावा मिलता है, और ये घरेलू उद्योगों के हितों के लिए भी नुकसानदायक होती हैं।
    - उदाहरण के लिए, विश्व बैंक अपने विकास नीति आधारित वित्तपोषण के हिस्से के तौर पर, ऋण शर्तों का प्रयोग करता है। यह सीमित नीति संभावना के साथ उधारकर्ता देश के सम्प्रभुत्व स्थिति को कमजोर करता है। प्राय: इसे नवउदारवादी पूर्वाग्रहों पर आधारित एक अनुचित राजनीतिक गतिविधि के रूप में देखा जाता है।
- **सहायता का उद्देश्य:** MDIs की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही के रूप में व्यवहार करने के कारण आलोचना की जाती है। ये परिणाम उत्पन्न करने की बजाए विकासशील देशों में पूंजी स्थानांतरित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, दशकों से कई MDIs की मौजूदगी के बावजूद अफ्रीका में गरीबी का स्तर उच्च बना हुआ है।
- **सरकार की उच्च कर व्यवस्था के कारण निजी वित्त पोषण का उपयोग न होना:** विकासशील देशों के लिए पूंजी तक पहुँच बढ़ने से, MDIs वित्त पोषण, विकासशील देशों में निजी निवेश को प्रभावित कर सकता है।

VISION IAS

- **पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी:** अपने अधिकारों के स्वयं निर्णयकर्ता होने के कारण, MDIs मुख्य रूप से स्व-विनियामकीय ढांचे से संचालित होते हैं। इसमें कोई बाहरी निगरानी नहीं होती।

आगे की राह: MDIs को अधिक समावेशी, लोकतांत्रिक और विकासात्मक बनाना

- कोविड-19 महामारी के बाद, वित्तीय संकट से उबरने के संदर्भ में MDIs, विकासशील देशों के लिए **वित्तपोषण और कौशल निर्माण सहायता के एक महत्वपूर्ण स्रोत** हो सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए, वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान, MDIs ने तरलता/चलनिधि संकट दूर करने के लिए **लगभग 222 बिलियन डॉलर** का वित्तपोषण प्रदान किया था, जबकि लाभोन्मुख वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्रदत्त इस वित्तपोषण की मात्रा अत्यंत कम थी।
  - हाल ही में, IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड के प्रभाव को कम करने हेतु **वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 650 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आहरण अधिकार** का आवंटन किया था।
- विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 'सभी देशों के लिए एक समाधान उपयुक्त नहीं' (no one-size fit all) दृष्टिकोण के साथ **प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष शर्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त** किया जा रहा है। यह विकासशील देशों की चिंताओं को दूर करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
- **आंतरिक प्रशासनिक कानूनों** में बदलाव लाने और बेहतर पारदर्शिता एवं जवाबदेही के लिए MDIs को **बाह्य निगरानी** के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- एक समावेशी और लोकतांत्रिक शासन संरचना हेतु विश्व बैंक एवं IMF में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए **शासन सुधार** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- विकल्पों में विविधता लाने और दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए **नए MDIs को मजबूत बनाया जाना चाहिए।**

सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि, MDIs को स्थानीय उत्पादन और वितरण के साथ **स्थानीय बाजारों के विकास पर ध्यान केंद्रित** करना चाहिए। साथ ही, विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्भरता के निर्माण हेतु प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि महामारी से **बेहतर और स्थायी** तरीके से निपटा जा सके।

संबंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से देशों का निलंबन/निष्कासन

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान की सत्ता पर अधिकार करने के बाद से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अफगानिस्तान की सदस्यता को लेकर प्रश्न किए जा रहे हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार को मान्यता न मिल जाने तक **अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष** ने अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध को निलंबित रखने की घोषणा की है।
- **विश्व बैंक** ने भी अफगानिस्तान में परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण पर रोक लगा दी है।
- संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान की सदस्यता पर निर्णय लंबित है।
  - संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1996 से वर्ष 2001 तक अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज रहने के दौरान तालिबान सरकार को मान्यता देने से इनकार कर दिया था।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) में भी, तालिबान को अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति प्रदान करने के पाकिस्तान के आग्रह पर SAARC के अन्य सदस्य देशों की सहमति नहीं मिल पाई है। इसके कारण हाल ही में आयोजित होने वाली इस समूह की बैठक को रद्द कर दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून

इस मुद्दे पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को सामान्य तौर पर दो वर्गों में विभाजित किया गया है:

सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के प्रावधान को स्पष्ट रूप से लागू करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन	**अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिनके द्वारा अपने सदस्य देशों के निष्कासन या निलंबन के संबंध में किसी प्रकार के कोई प्रावधान लागू नहीं किए गए हैं**
• **उदाहरण के लिए,** ○ संयुक्त राष्ट्र चार्टर का **अनुच्छेद 6** संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, संयुक्त राष्ट्र महासभा को किसी देश को निष्कासित करने की शक्ति प्रदान करता	• ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किसी सदस्य राज्य को निष्कासित या निलंबित करने हेतु कोई अंतर्निहित प्रावधान नहीं किए गए हैं। **SAARC इसी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है।** • हालांकि, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को **होने वाले नुकसानों के**

है, यदि उस देश द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दर्शाए गए सिद्धांतों का लगातार उल्लंघन किया गया है।
  - संयुक्त राष्ट्र चार्टर का **अनुच्छेद 5** किसी भी देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है।
  - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के **अनुच्छेद XXVI (2)** में भी किसी सदस्य देश के निलंबन और निष्कासन की संभावना पर विचार करने का अधिकार प्रदान किया गया है, यदि वह IMF के अनुच्छेदों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। IMF की शब्दावली में इसे 'अनिवार्य निकासी' (compulsory withdrawal) के रूप में संदर्भित किया जाता है।

क्षतिपूर्ति के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत के आधार पर देशों को निलंबित या निष्कासित करने की अंतर्निहित शक्ति प्रदान की गई है।

- इस सिद्धांत के अनुसार, निम्नलिखित तीन स्थितियों के आधार पर किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन से निष्कासित या निलंबित किया जा सकता है:
  - यदि **किसी देश की शासन प्रक्रिया लोकतांत्रिक से अलोकतांत्रिक हो जाती है।** उदाहरण के लिए, अफ्रीकी संघ ने रक्तपात आधारित तख्तापलट के बाद वर्ष 2010 में माली और नाइजर को निलंबित कर दिया था।
  - यदि **मानवाधिकारों का उल्लंघन** होता है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रमंडल ने वर्ष 2009 में फिजी को मानवाधिकारों के उल्लंघन (जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध, संघ निर्माण पर प्रतिबंध और मनमानी गिरफ्तारी) के लिए निलंबित कर दिया था।
  - यदि वह देश **सशस्त्र आक्रमण** जैसी गतिविधियों में शामिल है।

5.1. भारत-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (India-UNSC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (United Nations Security Council: UNSC) के अस्थायी सदस्य के रूप में अपना आठवाँ कार्यकाल आरंभ कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **भारत, परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।** यह पद प्रत्येक सदस्य देश द्वारा सदस्य देशों के नामों के वर्णमाला क्रम के अनुसार बारी-बारी से एक माह तक धारण किया जाता है।
  - अध्यक्ष के दायित्वों में **बैठकों की अध्यक्षता करना, कार्रवाइयों का समन्वय करना, UNSC के वाद-विवाद के विषय निर्धारित करना आदि शामिल हैं।**
- भारत अस्थायी सदस्य के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान **संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान और लीबिया प्रतिबंध समितियों तथा आतंकवाद निरोधक समिति की भी अध्यक्षता करेगा।**

अपने दो वर्ष के कार्यकाल में भारत के लिए अवसर

- **UNSC को प्रभावी और अधिक प्रतिनिधिक बनाना:** प्रमुख शक्तियों के मध्य गहन मतभेदों के कारण सुरक्षा परिषद अल्प प्रभावी होती जा रही है।

आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते भारत ऐसा नेतृत्व प्रदान करने की विशिष्ट स्थिति में है, जो इस प्रकार की वार्ताओं में व्यापक सहयोग करेगा।

- **जलवायु परिवर्तन पर संवादों को मजबूत करना:** आगामी समय में जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा और भारत को इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर नई पहल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मंच का अवश्य प्रयोग करना चाहिए।
    - भारत की प्रमुख पहल, यथा- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance: ISA)** और **आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना हेतु गठबंधन (Coalition for Disaster Resilient Infrastructure: CDRI),** वैश्विक तापन से निपटने में भारत की संभावित नेतृत्वकारी भूमिका को रेखांकित करते हैं।
- **आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष:** चूँकि आतंकवादी गतिविधियाँ नई सीमाओं तक पहुँच गई हैं, इसलिए कोई भी देश परिवर्तित होती आतंकी गतिविधियों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता है।
    - भारत को अपने कार्यकाल का उपयोग समाधान तलाशने के लिए देशों को बाध्य करने, विशेष रूप से आतंकी वित्तपोषण अवसंरचना, साइबर खतरों और राज्य एवं गैर-राज्य अभिकर्ताओं द्वारा सूचना व संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग तथा दुरुपयोग को रोकने हेतु करना चाहिए। भारत को आतंकवाद के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (Financial Action Task Force: FATF) के मध्य और अधिक सहयोग एवं समन्वय करने के लिए प्रयास करने चाहिए।
- **चीन की बढ़ती शत्रुता से निपटना:** UNSC में भारत की उपस्थिति, चीन की कपटपूर्ण मंशाओं से देशों को अवगत कराने और आम सहमति निर्मित करने में सहयोग करेगी। साथ ही, सीमा विवाद का समाधान करने और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का विस्तार करने की स्थितियाँ सृजित करने में भी उपयोगी सिद्ध होगी।
- **क्वाड (QUAD) जैसे नए गठबंधनों को मजबूत करना:** भारत सुरक्षा के क्षेत्र में फ्रांस और जर्मनी जैसे अपने यूरोपीय भागीदारों के साथ सहयोग गहन करने तथा ब्रिटेन के साथ संबंधों को और अधिक सुदृढ़ करने के अवसरों का अन्वेषण करने के लिए भी UNSC कार्यकाल का उपयोग कर सकता है। ज्ञातव्य है कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से पृथक होने के पश्चात् अपने लिए नया अंतर्राष्ट्रीय मार्ग तराश रहा है।
- **वैश्विक दक्षिण में अपने पारंपरिक भागीदारों के साथ संबंधों को पुनर्जीवित करना:** विश्व भर के कई लघु द्वीपीय देश वैश्विक तापन और समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अस्तित्व संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वे अपनी व्यापक समुद्री संपदाओं पर नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। UNSC में इन द्वीपीय देशों की शांति एवं सुरक्षा चिंताओं को व्यक्त करके इनकी संप्रभुता और उत्तरजीविता का समर्थन करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्य है।
    - **इसके साथ ही**, UNSC का कार्यकाल भारत के लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अफ्रीका में शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों पर भारत की संलग्नता गहन करने का एक उत्तम क्षण है।
- **उभरते मुद्दों पर वाद-विवाद को आकार देना:** भारत को वर्तमान की कुछ सबसे गंभीर वैश्विक शांति और सुरक्षा चुनौतियों पर बहस को आकार देने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें म्यांमार में व्याप्त मानवीय संकट, ईरान परमाणु समझौता, कोविड-19 महामारी आदि शामिल हैं।
    - **जैविक युद्ध:** महामारी ने रोगजनकों के दुर्भावनापूर्ण उपयोग की संभावनाओं और जैविक युद्ध की संभाव्यता को संवेदनशील बनाया है। भारत के पास रचनात्मक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ नेटवर्क निर्मित करने का अवसर विद्यमान है।
    - **बढ़ता परमाणु जोखिम:** भारत परमाणु जोखिमों और हथियारों के उन्मूलन की दिशा में हो रही प्रगति का सार्थक परीक्षण करने के लिए निरस्त्रीकरण पर विशेष सत्र का समर्थन कर सकता है।
- **स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी:** सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत का प्रवेश चीन द्वारा बार-बार अवरुद्ध किया गया है। विशेषकर वर्तमान ध्रुवीकृत परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सरोकारों पर ईमानदार नेतृत्व का प्रदर्शन भारत के दावे को और अधिक मजबूत करेगा।
- **शांति बनाए रखने के प्रयासों में सुधार लाना:** भारत संयुक्त राष्ट्र में शांति सैनिकों के सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है और विश्व भर में शांति प्रयासों में सुधार लाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology: ICT) में अपने सामर्थ्य का लाभ उठाने का प्रयास करेगा।

आतंकवाद पर समितियों के अध्यक्ष के रूप में भारत

- भारत संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद के वैश्विक संकट के विरुद्ध लड़ाई में एक अग्रणी आवाज है। विशेष रूप से पाकिस्तान द्वारा प्रेरित सीमा-पार आतंकवाद से इस क्षेत्र में उत्पन्न खतरे पर भारत ने स्पष्टता से अपना पक्ष रखा है।
- ये तीन समितियाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् की अत्यधिक महत्वपूर्ण सहायक संस्थाएँ हैं और इनकी अध्यक्षता करना इस तथ्य का समर्थन है, कि भारत इन समितियों का बेहतर संचालन कर सकता है।
- **आतंकवाद-रोधी समिति:** संयुक्त राज्य अमेरिका में 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद इस समिति की स्थापना की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की अपनी सीमाओं के भीतर और सीमाओं से परे आतंकवादी कृत्यों को रोकने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए काम करती है।
- **तालिबान प्रतिबंध समिति**: इसे **1988 प्रतिबंध समिति** के रूप में भी जाना जाता है। यह समिति तालिबान से जुड़ी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को नामित करती है।
- **लीबिया प्रतिबंध समिति:** इस समिति के तहत, सभी सदस्य देशों को लीबिया को हथियारों और संबंधित सामग्री की बिक्री या आपूर्ति को रोकने की आवश्यकता है। इसमें सभी सूचीबद्ध व्यक्तियों के अपने क्षेत्रों में प्रवेश या पारगमन को रोकना; सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रित सभी निधियों, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और आर्थिक संसाधनों को फ्रीज/जब्त करना भी शामिल है।

भारत के समक्ष चुनौतियां

- **आतंकवाद की परिभाषा पर आम सहमति का अभाव:** भारत ने वर्ष 1996 में **अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (Comprehensive Convention on International Terrorism: CCIT)** का मसौदे प्रस्तुत करने की पहल की थी। हालांकि, CCIT को संयुक्त राष्ट्र में गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आतंकवाद की सटीक परिभाषा पर विभिन्न देशों के मध्य बुनियादी मतभेद मौजूद हैं।
- **चीन कारक:** बीजिंग वैश्विक स्तर पर पहले से कहीं अधिक सख्ती से स्वयं पर बल दे रहा है। वह संयुक्त राष्ट्र के कम से कम छह संगठनों की अध्यक्षता कर रहा है और उसने कई वैश्विक नियमों को भी चुनौती दी है। चीन द्वारा बहुपक्षीय स्तर पर पाकिस्तान का सतत समर्थन करते रहना भी भारतीय हितों को आगे और कमजोर करता है।
- **कोविड पश्चात् वैश्विक व्यवस्था:** वैश्विक अर्थव्यवस्था **मंदी और स्वास्थ्य आपात स्थिति** का सामना कर रहे विभिन्न देशों के साथ अव्यवस्था के दौर से गुजर रही है। इसके साथ ही, विश्व भर में संकीर्ण राष्ट्रवाद तेजी से प्रसारित हो रहा है, जो वैश्विक सहयोग की संभावनाओं को चुनौती दे रहा है। इन सभी स्थितियों के प्रबंधन के लिए विश्व को इस बोझिल चुनौती से निपटने हेतु सावधानीपूर्ण रणनीति की आवश्यकता है।
- **वैश्विक भू-राजनीति: संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस** के मध्य जटिल होते संबंध तथा **संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ईरान** के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए, भारत के लिए वैश्विक समस्याओं हेतु बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देना कठिन होगा।

आगे की राह

- अब जब भारत शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तीसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश कर रहा है, तो वर्तमान स्थिति वर्ष 1991-92 और वर्ष 2011-12 के कार्यकाल के दौरान सामने आने वाली स्थिति की तुलना में बहुत भिन्न है। भारत में भी विगत दशक में बहुत कुछ परिवर्तित हो गया है। भारतीय हितों की सीमा का विस्तार हुआ है और इसलिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।
- **इस कारण UNSC में भारत का नया कार्यकाल अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक होना चाहिए।** उद्देश्यपूर्णता से तात्पर्य भारत के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों को इसके UNSC संबंधों के साथ एकीकृत करने से है और व्यावहारिकता से अभिप्राय UNSC में बदली हुई परिस्थितियों से अनुकूलन करने तथा अति महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से बचने से है।
- **वसुधैवकुटुंबकम** (संपूर्ण विश्व एक परिवार है) की उक्ति में भारत का विश्वास भू-राजनीतिक विभाजन को समाप्त करने में अभिव्यक्त होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत को स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक संस्थानों में सुधार जैसे साझा चिंतनीय मुद्दों में वैश्विक न्याय सुनिश्चित करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

भारत और UNSC– एक नज़र में

ऐतिहासिक संघ

- भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है।
- भारत ने 7 बार UNSC के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य किया है। इसे अब 8वें कार्यकाल (2021–2022) के लिए चुना गया है।

भारत और UNSC

परिषद में स्थायी सीट हेतु भारतीय हित

संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भारत

- भारत संयुक्त राष्ट्र की सभी पहलों उदाहरण के लिए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य (MDG), सतत विकास लक्ष्य (SDG), संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC)में सक्रिय भागीदार रहा है।
- भारत, विकासशील देशों के G77 समूह, यूनिसेफ, UNEP आदि की स्थापना में सहायक रहा था।
- सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना प्रदाता।

भारत के आंतरिक मूल्य

- जनसंख्या, क्षेत्रीय आकार, सकल घरेलू उत्पाद, आर्थिक क्षमता, सभ्यता से जुड़ी विरासत, सांस्कृतिक विविधता, राजनीतिक व्यवस्था आदि जैसे विभिन्न मानदंडों से भारत स्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख रूप से योग्यता रखता है।

भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा

- मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR), ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट आदि जैसे विभिन्न मंचों में भारत का शामिल होना तथा NSG में शामिल होने के लिए किये जा रहे व्यापक प्रयास से भारतीय विचारों और हितों के अनुरूप विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं नियमों को आकार देने व संरेखित करने की भारत की इच्छा के संकेत प्राप्त होते हैं।

UNSC स्थायी सीट के लिए भारत की रणनीति

संयुक्त राष्ट्र महासभा में अधिकतम समर्थन प्राप्त करना तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिरोध को कम करना

- G–77 और गुट–निरपेक्ष आंदोलन (NAM) जैसे विभिन्न वैश्विक दक्षिण मंचों का निरंतर नेतृत्व करना।
- P5 के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी (वर्ष 2005 में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक परमाणु समझौता, रूस के साथ इस ऐतिहासिकता को दोहराना और सबसे महत्वपूर्ण, चीन के साथ संबंधों में सुधार करना)
- भारत ने ब्राजील, जर्मनी व जापान के साथ मिलकर G4 का भी गठन किया है।

UNSC क्या है?

- यह संयुक्त राष्ट्र के 6 मुख्य अंगों में से एक है।
- निर्णय लेने की शक्ति केवल सुरक्षा परिषद के पास है।
- इसके 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं।

प्रस्तावित सुधार

- सदस्यता की श्रेणियाँ– स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों की सदस्यताओं में विस्तार करना।
- वीटो का प्रश्न।
- क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व।
- एक विस्तारित परिषद का आकार और परिषद के कार्य करने के तरीके।
- सुरक्षा परिषद और महासभा के बीच संबंध।

UNSC सुधारों हेतु भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- बहुपक्षीय कूटनीति के लिए कर्मचारियों, वित्त, बौद्धिक और संस्थागत आधारभूत संरचना आदि संसाधनों की कमी होना।
- UNSC मुद्दों के नियामक पहलुओं के साथ अपर्याप्त संलग्नता।
- क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों द्वारा G4 का विरोध करना।
- मौजूदा P5 के देश यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं।

सुधारों की आवश्यकता

- अभी भी यह सन् 1945 की एक संस्था की तरह ही कार्य करती है।
- अधिभावी शक्तियां (ओवरराइडिंग पावर्स) राष्ट्रों की संप्रभुता का अतिक्रमण करती हैं।
- स्थायी सीट के लिए नए उम्मीदवारों का आना।
- अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों का प्रतिनिधित्व कम होना

5.2. अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ष 2003 से अफ़ग़ानिस्तान में अमेरिकी सेना और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी (CIA) द्वारा किए गए कथित युद्ध अपराधों की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (International Criminal Court: ICC) के अधिकारियों पर आर्थिक प्रतिबंध आरोपित किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के बारे में

- ICC **एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है।** इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विरुद्ध सबसे गंभीर अपराध करने वाले **आरोपी व्यक्तियों की जांच करने, मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने के लिए** की गई है।
- इसकी **स्थापना वर्ष 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा की गई थी।**
- **रोम संविधि में 123 देश पक्षकार हैं।**
- **वे देश जिन्होंने कभी भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए उनमें भारत**, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब, तुर्की आदि शामिल हैं।

रोम संविधि पर भारत की प्रमुख आपत्तियां

- न्यायालय को मामले संदर्भित करने के लिए **UNSC को प्राप्त असाधारण विशेषाधिकार।**
- **निर्देशात्मक प्रथागत कानून और संधि दायित्वों के बीच कानूनी भेद को अस्पष्ट कर दिया गया है।**
- **भारत एक विशुद्ध पूरक व्यवस्था का समर्थन करता है।**
- भारत द्वारा **परमाणु हथियारों के उपयोग और आतंकवाद** को ICC के दायरे अंतर्गत अपराधों की श्रेणी में नामित करने की प्रस्तावित व्यवस्था को अस्वीकृत कर दिया गया था।
- ICC के मुख्य अभियोजक को **स्वेच्छा से मामलों को शुरू किए जाने की शक्ति** प्रदान करना।

ICC की सीमाएं

Cour Pénale Internationale
International Criminal Court

- अफ्रीकी महाद्वीप को **अविवेकपूर्ण रीति से लक्षित करना।**
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन स्थायी सदस्यों (चीन, अमेरिका, रूस) की **भागीदारी का अभाव।**
- वन साइज फिट फॉर आल दृष्टिकोण रखना।
- आंतरिक संघर्षों पर **ICC की अधिकारिता।**
- न्यायालय को विश्व के सभी राष्ट्रों से समर्थन की कमी।
- **पक्षपातपूर्ण चरित्र।**

इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (ICC) – एक नज़र में

ICC की उपलब्धियां

- पीड़ितों और गवाहों को **सहायता प्रदान करने के लिए विशिष्ट तंत्र** होना।
- प्रभावित देशों में **महत्वपूर्ण न्यायालय के बुनियादी ढांचे और आउटरीच कार्यक्रम की स्थापना करना।**
- **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो, युगांडा, दारफुर और मध्य अफ्रीकी गणराज्य** की स्थितियों से निपटने में न्यायपालिका को कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं।

आगे की राह

- न्यायालय को **अफ्रीका से परे अपना ध्यान केंद्रित** करने की आवश्यकता है।
- **ICC को** अपनी वैधता और कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए **निष्पक्षता, स्थानीय न्याय और अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक न्याय** पर ध्यान देना चाहिए।
- ICC की प्रभावकारिता में सुधार करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय का समर्थन करने में इसके सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
- न्यायालय को अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के और अधिक स्थायी सदस्यों को शामिल करके तथा जाँच एवं अभियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़ करके अपने दायरे को व्यापक बनाने की आवश्यकता है।

5.3. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पाकिस्तान, **संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (United Nations Human Rights Council: UNHRC)** में पुनर्निर्वाचित हुआ है। यद्यपि, मानवाधिकार संगठनों द्वारा पाकिस्तान के **खराब मानवाधिकार इतिहास को लेकर** इसका विरोध किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा **वर्ष 2006 में स्थापित** किया गया था। इसके द्वारा मानवाधिकार पर पूर्व में गठित संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया गया है।
- यह विश्व भर में **मानवाधिकारों के प्रचार तथा संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए** उत्तरदायी है।
- इसके **47 सदस्य देश हैं**, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा साधारण बहुमत से चुने जाते हैं।
- **तीन वर्ष के कार्यकाल** के साथ प्रत्येक वर्ष एक तिहाई सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों को चुना जाता है।
- सीटों का समान भौगोलिक वितरण होता है।
- **इसके निर्णय, संकल्प और अनुशंसाएं कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं।**

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR)

- **संयुक्त राष्ट्र सचिवालय** विभाग।
- संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में स्थापित सभी अधिकारों के सभी लोगों द्वारा उपयोग करने और उनकी पूर्ण प्राप्ति को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने हेतु।
- **मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना, सभी मानवाधिकारों को सम्मान दिलाना, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, संबंधित गतिविधियों का समन्वय करना आदि।**

UNHRC

मानवाधिकार क्या हैं?

- ये केवल इसलिए उपलब्ध है, क्योंकि हम मनुष्य के रूप में अस्तित्वमान हैं।
- **जीवन के अधिकार** जैसे सबसे बुनियादी अधिकार से लेकर जीवन को जीने योग्य बनाने वाले अधिकार, जैसे **भोजन, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता के अधिकार।**
- **मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (UDHR)** को वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।

मानवाधिकारों की प्रमुख विशेषताएं

- **सार्वभौमिक और गैर–भेदभावपूर्ण** तथा सभी को समान रूप से प्राप्त।
- **अपरिहार्य:** विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर और सम्यक् प्रक्रिया के अतिरिक्त अधिकारों को नहीं छीना जाना चाहिए।
- **अविभाज्य और परस्पर निर्भर:** अधिकारों की एक श्रेणी का दूसरे के बिना पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद - एक नज़र में

मानवाधिकार परिषद (HRC) का महत्व

- **संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड का आकलन:** सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा के माध्यम से।
- **स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति:** मानवाधिकार उल्लंघनों की समीक्षा हेतु "विशेष प्रक्रियाएं" अपनाना।
- मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ित लोगों की शिकायतों की जांच करना।
- **मानवाधिकार शिक्षा** और लर्निंग के साथ–साथ सलाहकार सेवाओं, क्षमता निर्माण आदि को बढ़ावा देना।
- सभी मानवाधिकारों पर विषयगत मुद्दों पर **संवाद के लिए एक मंच** के रूप में कार्य करना।
- अंतर्राष्ट्रीय कानून के आगे विकास हेतु महासभा को अनुशंसाएं करना।
- राष्ट्रों पर नज़र रखना कि वे मानवाधिकारों के अपने दायित्वों को पूरी तरह से अपनाएं तथा भविष्य में कार्रवाई आदि के लिए उन्हें राह दिखाना।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के साथ समस्या

- **सदस्यता के मानदंड:** विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए मानवाधिकारों पर भिन्न–भिन्न दृष्टिकोण।
- **भौगोलिक कोटा प्रणाली:** यह उपलब्ध विकल्पों की संख्या को सीमित करता है।
- **लोकतंत्र की विकृति:** कुछ नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मानदंडों में खराब रिकॉर्ड, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता आदि।
- **गुप्त मतदान प्रणाली:** संदिग्ध मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले देशों के लिए परिषद हेतु चुने जाने में आसानी।
- **HRC का राजनीतिकरण:** मानवाधिकार हितों की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के पक्ष में मत देना।
- **इज़रायल और HRC:** इस देश के विरुद्ध प्रस्तावों की अनुपातहीन संख्या का होना।

5.4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोविड-19 महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा की गई कार्यवाहियों के भेदभावपूर्ण होने के आरोप लगाए गए हैं। इन आरोपों ने पर्यवेक्षकों को इस संगठन पर चीन के प्रभाव और इसके राजनीतिकरण के संदर्भ में प्रश्न करने हेतु प्रेरित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के बारे में

- **उद्भव:** WHO की स्थापना वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक **विशेषीकृत एजेंसी** के रूप में की गई थी।
  - उस दौरान वैश्वीकरण, गत्यात्मकता और शहरीकरण के कारण रोगों के प्रसार की संभावना के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहयोग के विस्तार हेतु एक वैश्विक संस्था के सृजन की आवश्यकता की मांग की गई थी।
- **संरचना:** WHO की त्रि-स्तरीय संरचना है, जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - **विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly: WHA):** यह नीति निर्देशन हेतु सर्वोच्च निर्णय निर्मात्री निकाय है, जिसमें संगठन के सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
  - **कार्यकारी बोर्ड:** यह WHO के निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु एक निकाय है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ सम्मिलित होते हैं।
  - **सचिवालय:** इसकी अध्यक्षता महानिदेशक द्वारा की जाती है तथा अपनी गतिविधियों को क्रियान्वयित करने के समग्र उत्तरदायित्व के साथ यह WHO के प्रशासनिक एवं तकनीकी संस्थान के रूप में कार्य करता है।
- **वित्तपोषण:** WHO का वित्तीयन **निर्धारित एवं स्वैच्छिक योगदान** की एक प्रणाली के माध्यम से होता है।
  - **निर्धारित योगदान (Assessed contributions)** का भुगतान सभी सदस्य देशों द्वारा किया जाता है और इसका निर्धारण देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।
  - **स्वैच्छिक योगदान** एक ऐसी राशि है, जिसका भुगतान संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों, निजी कंपनियों, व्यक्तियों, गैर सरकारी संगठनों और सदस्य राष्ट्रों द्वारा स्वैच्छिक रूप से किया जाता है।
    - संयुक्त राज्य अमेरिका, WHO का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश था तथा इसके द्वारा वर्ष 2019 में निर्धारित और स्वैच्छिक दोनों प्रकार के योगदानों में कुल 893 मिलियन डॉलर का योगदान किया गया था।
- **सरकारों को चुनौती देने का प्राधिकार:** अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), WHO को वे कार्यवाहियां करने का प्राधिकार प्रदान करता है, जो राष्ट्रीय सरकारों द्वारा निम्नलिखित रीति से अपनी प्रभुसत्ता के उपयोग को निर्धारित करती हैं:
  - WHO गैर-सरकारी स्रोतों से **रोग-प्रकरण सूचना** को संग्रहीत कर सकता है, इस प्रकार की सूचनाओं के बारे में सरकारों से सत्यापन की मांग कर सकता है और यदि आवश्यक हो, तो अन्य देशों के साथ इन सूचनाओं को साझा भी कर सकता है।
  - यहाँ तक कि किसी देश में प्रकोप का प्रसार होने पर भी WHO महानिदेशक उसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता से संबद्ध एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल **(Public Health Emergency of International Concern: PHEIC)** घोषित कर सकता है।
  - WHO को, किसी सदस्य देश द्वारा व्यापार या यात्रा प्रतिबंधों हेतु (जो WHO की अनुशंसाओं या स्वीकृत रोग नियंत्रण उपायों के अनुरूप नहीं हों) वैज्ञानिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रामाणिकता प्रदान करने की आवश्यकता का प्रवर्तन कराने का प्राधिकार प्राप्त है।

कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचनाएँ:	कोविड-19 के दौरान WHO की आलोचना के विरुद्ध तर्क

• **तैयारियों का अभाव:** वर्ष 2015 में, कोरोना वायरस वंश के रोगों को तत्काल अनुसंधान और विकास की आवश्यकता वाली प्राथमिकताओं की सूची में सम्मिलित करने हेतु चयनित किया गया था। वर्ष 2018 में हुई WHO की प्राथमिक रोगों की वार्षिक समीक्षा में इस प्रत्याशित संभावना को दोहराया गया था।
• **घोषणा में विलंब:** 18 देशों में संक्रमण के मामलों में दस गुना वृद्धि होने की पुष्टि होने के पश्चात् अंततः कोविड-19 को PHEIC घोषित करना पड़ा। इसके पश्चात्, WHO द्वारा इसे
	• **WHO में क्षमता का अभाव:** जैसा कि बॉक्स में प्रस्तुत किया गया है, सरकारों को राजनीतिक रूप से चुनौती देने के लिए WHO के पास कार्यात्मक क्षमताओं का अभाव है।
	• **इस मुद्दे पर कथित भू-राजनीति:** आरंभ से ही, देशों ने महामारी को भू-राजनीतिक संदर्भों में प्रस्तुत किया और इस त्रासदी के लिए चीन को दोषी ठहराया है।
	  ○ संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के देश कोविड से सर्वाधिक प्रभावित हैं, जो WHO का व्यापक रूप से वित्तपोषण करते हैं।
	  ○ वास्तव में, WHO अपने निम्नलिखित परामर्शों का अनुसरण कराने में अक्षम रहा है:

महामारी के रूप में घोषित करने में भी विलंब किया गया, विशेष रूप से तब, जब कोविड-19 में महामारी के लक्षण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे थे, अर्थात् विश्व भर में इसका तेजी से प्रसार हो रहा था।

- **चीन की यात्रा करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं:** WHO ने चीन में एक अन्वीक्षण दल भेजने में कोई तत्परता नहीं दिखाई।
- **विषाणु के मनुष्यों से-मनुष्यों में संचरण की पहचान करने में विलंब:** विशेष रूप से, चीन के बाहर प्रथम मामले की घोषणा के पश्चात्।
- **व्यापार एवं यात्राओं पर प्रतिबंधों को समर्थन प्रदान नहीं करना:** देशों द्वारा कोविड-19 का सामना करने के लिए लागू किए गए यात्रा प्रतिबंधों के विरूद्ध WHO द्वारा ऐसे तर्कों को प्रस्तुत किया गया कि इन प्रतिबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा। साथ ही अधिकृत होने के बावजूद भी WHO द्वारा उल्लंघन की जांच नहीं की गई। इसके विपरीत, WHO ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यात्रा प्रतिबंध के अधिरोपण द्वारा भय का प्रसार एवं दोषारोपण न करने का आग्रह किया।
- **तथाकथित स्वतंत्रता का अभाव:** यह आरोप लगाया गया है कि वर्तमान WHO महानिदेशक द्वारा चीन के समर्थन से अपने निर्वाचन में सफलता प्राप्त की थी, जिसके कारण चीन के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार रहा है।
- **चीन की तीव्र प्रतिक्रिया की प्रशंसा:**, विशेष रूप से तब जब इसके प्रकोप को गोपनीय रखने के चीन द्वारा किए गए प्रयासों के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
    - अमेरिका द्वारा 16 मार्च तक स्कूल बंद करने या यात्रा से बचने का निर्देश नहीं दिया गया था।
    - ब्रिटेन WHO के मानदंडों और **हर्ड इम्यूनिटी** जैसी अपनी रणनीतियों के मध्य परिवर्तन करता रहा है।
  - दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे सक्रिय देश, प्रसार को नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं।
- **वैक्सीन का विकास:** कोरोनोवायरस वैक्सीन और चिकित्सा संबंधी उपकरणों के विकास के लिए WHO के प्रयासों की प्रशंसा की गई है।
- **गलत सूचनाओं का खंडन:** सूचनाओं के साझाकरण और ऑनलाइन मिथ्या सूचना एवं भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के संबंध में WHO द्वारा किए गए प्रयासों की व्यापक प्रशंसा की गई है।

WHO से संबंधित मुद्दे:

- **परिभाषित/निर्धारित कार्यों का अभाव:** कोई भी ऐसा एकल दस्तावेज़ नहीं है, जो संक्रामक रोगों के संबंध में इसके उत्तरदायित्वों, बाध्यताओं और शक्तियों का व्यापक रूप से वर्णन करता हो।
  - संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) जैसे विनियमों, विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) के संकल्पों और परिचालन अभ्यासों जैसे दस्तावेज़ों का एक संग्रह, WHO की शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं।
- **अनुशंसात्मक शक्तियां:** WHO के प्राधिकार की प्रकृति अनुशंसात्मक है और इसमें सम्मेलनों, समझौतों, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रथाओं और अंतर्राष्ट्रीय नामकरण को प्रस्तावित करना सम्मिलित है।
  - विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे निकायों के विपरीत, इसे अपने सदस्यों को बाध्य करने या स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- **महामारी के प्रकोप में कार्य करने की क्षमता:**
  - इसके समन्वयकारी प्राधिकार और क्षमता कमजोर हैं और यह केवल एक तकनीकी संगठन के रूप में कार्य करता है।
  - यह नियंत्रण के लिए नौकरशाही और क्षेत्रीय कार्यालयों पर निर्भर है।
  - इसमें जीवन के समक्ष संकट उत्पन्न करने वाली महामारी के लिए **एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को निर्देशित करने की क्षमता का भी अभाव** है।
- **सीमित वित्तपोषण:** WHO का वार्षिक परिचालन बजट, वर्ष 2019 में लगभग 2 बिलियन डॉलर था, जो कई चिकित्सीय विश्वविद्यालय की तुलना में कम है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के मध्य विविधीकृत है।

आगे की राह

- WHO द्वारा सामना की जा रही आलोचना से इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा और इसके अस्तित्व को अत्यधिक क्षति पहुंच सकती है।
- WHO का राजनीतिकरण एक गंभीर चिंतनीय विषय है, साथ ही इसने व्यापक वैश्विक शासन संरचना के आधारों पर पुनर्विचार करने का एक अवसर भी प्रस्तुत किया है।
- कुछ माह पूर्व घोषित WHO सुधारों को तीव्रता से क्रियान्वयित किया जाना चाहिए।
  - भविष्य में इसके तीन बिलियन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी दाताओं पर निर्भरता और कमजोर होती क्षमता का प्रभावी रूप से समाधान किया जाना चाहिए।
- भारत, संगठन की कार्यप्रणाली को स्थिरता एवं विश्वास प्रदान करने में भी योगदान कर सकता है।

5.5. विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को "भुखमरी से निपटने, संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में शांति हेतु स्थितियों को बेहतर बनाने और युद्ध एवं संघर्ष के हथियार के रूप भुखमरी के उपयोग को रोकने के लिए अपने प्रयासों हेतु" **नोबेल शांति पुरस्कार, 2020** से सम्मानित किया गया है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (World Food Programme: WFP) और इसकी उपलब्धियां

- वर्ष 1961 में स्थापित विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), एक **अंतर-सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक एजेंसी है।** यह वर्ष 2030 तक भुखमरी के उन्मूलन के 'संधारणीय विकास लक्ष्य' (लक्ष्य-2) को प्राप्त करने की दिशा में कार्यरत है।
- वर्तमान में, यह भुखमरी से निपटने वाली विश्व की सबसे बड़ी मानवतावादी संस्था है। यह संस्था आपात स्थितियों में खाद्य सहायता प्रदान करती है और पोषण में सुधार करने व लचीलेपन का निर्माण करने के लिए समुदायों के साथ कार्य करती है। WFP का दो-तिहाई कार्य संघर्ष-प्रभावित देशों में संपन्न होता है, जहां अन्य देशों की तुलना में लोगों के अल्पपोषित होने की संभावना तीन गुना अधिक होती है।
- वर्ष 2019 में, इसने 88 देशों में लगभग ऐसे 100 मिलियन लोगों की सहायता की थी, जो अत्यधिक खाद्य असुरक्षा और भुखमरी से पीड़ित थे।
- यह भुखमरी का, युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में उपयोग किए जाने का विरोध करने तथा खाद्य सुरक्षा को शांति का साधन बनाने हेतु **बहुपक्षीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- WFP **हंगर मैप** प्रकाशित करता है, जो **वैश्विक भुखमरी की स्थिति की निगरानी के लिए** प्रत्येक देश की जनसंख्या में अल्पपोषण के प्रसार को दर्शाता है और भुखमरी निवारक कार्यवाहियों की दक्षता बढ़ाने में सहायता भी करता है।

WFP और भारत

- WFP **भारत** में वर्ष **1963 से कार्य कर रहा है।**
- **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने के अतिरिक्त,** यह खाद्य की उपलब्धता में सुधार के लिए नीतिगत आगत, पक्ष समर्थन और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- WFP ने **कुछ विशिष्ट पहलों का प्रस्ताव** दिया है, जैसे 'लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली' (TPDS) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्वचालित अन्न वितरण मशीन (अन्नपूर्ति) और सचल भंडारण इकाइयां (मोबाइल स्टोरेज यूनिट्स) स्थापित करना एवं वाराणसी में सरकार की मध्याह्न-भोजन (मिड-डे मील) योजना में उपयोग होने वाले **चावल के फोर्टिफिकेशन के लिए प्रायोगिक परियोजना** को पूर्ण करना आदि।
- वर्तमान कोविड महामारी के दौरान, इसने पूरक पोषण उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने हेतु **उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।**

भुखमरी और संघर्ष के मध्य संबंध

- WFP को प्रदत्त यह नोबेल पुरस्कार, भुखमरी और वैश्विक संघर्ष के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध को स्वीकार करता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वर्ष 2018 के प्रस्ताव में बल दिया था, कि मानव जाति पहले शांति स्थापित किए बिना कभी भी भुखमरी को समाप्त नहीं कर सकती है। **ज्ञातव्य है कि संघर्ष के कारण खाद्य असुरक्षा बढ़ती है:**
  - इससे **अवसंरचना और सामाजिक स्थिरता बाधित होती है,** जिससे आवश्यकता अनुभव करने वाले लोगों तक आपूर्ति पहुंचना कठिन हो जाता है।
  - कई बार, **युद्धरत पक्ष जानबूझकर भुखमरी का उपयोग रणनीति के रूप में कर सकते हैं।**
  - खाद्य असुरक्षा **संघर्ष को निरंतर बनाए भी रखती है,** क्योंकि यह लोगों को उनके घरों, जमीनों और नौकरियों से वंचित होने के लिए विवश करती है, जिससे संघर्ष को उत्प्रेरित करने वाली परिस्थितियां और भी अधिक गंभीर हो जाती हैं और लोगों की समस्याओं को और अधिक बढ़ा देती हैं।
- विगत कई वर्षों से संघर्ष से प्रेरित भुखमरी, अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, दक्षिण सूडान और यमन में **व्यापक रूप से व्याप्त** समस्या रही है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

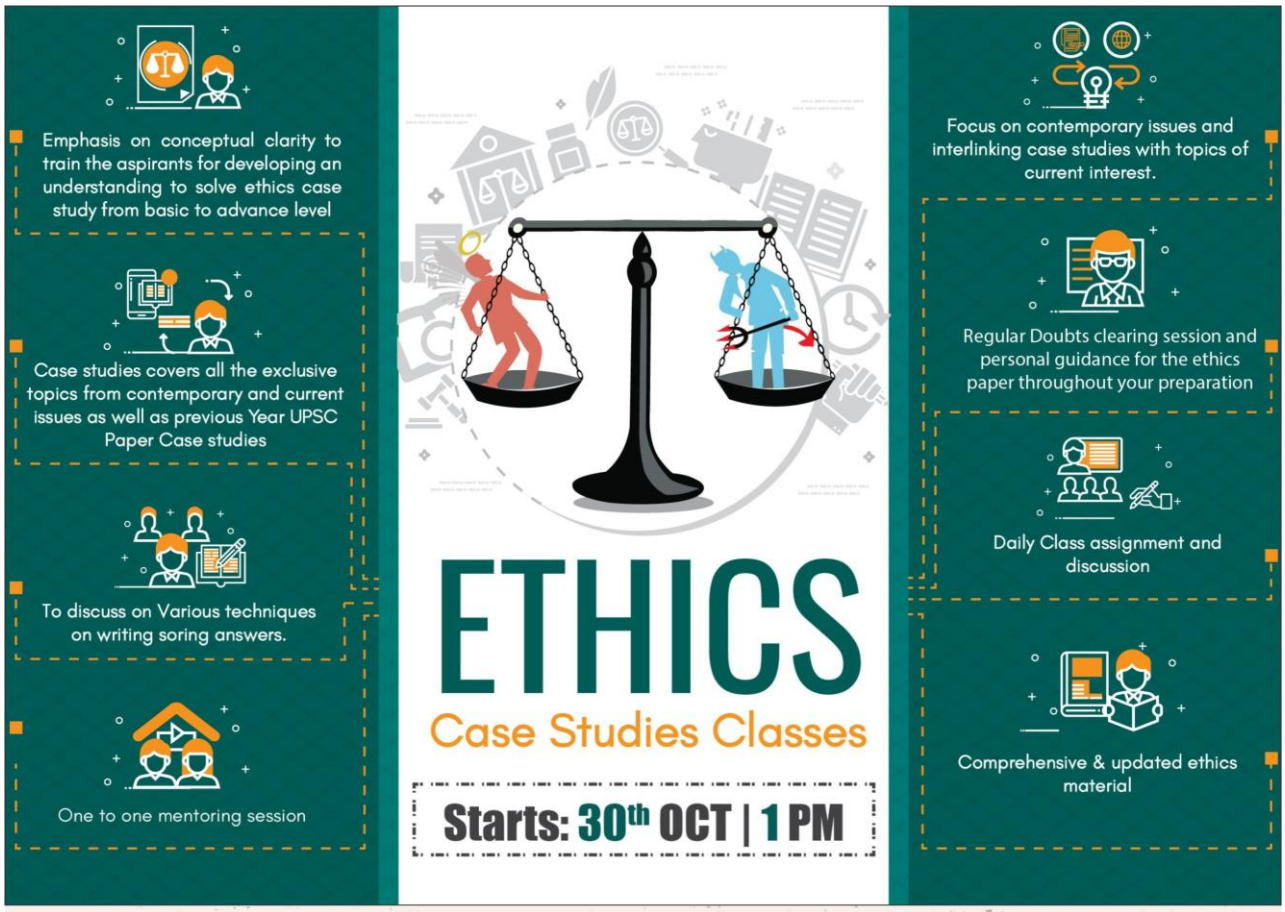
Emphasis on conceptual clarity to train the aspirants for developing an understanding to solve ethics case study from basic to advance level
Case studies covers all the exclusive topics from contemporary and current issues as well as previous Year UPSC Paper Case studies
To discuss on Various techniques on writing soring answers.
One to one mentoring session
ETHICS
Case Studies Classes
Starts: 30th OCT | 1 PM
Focus on contemporary issues and interlinking case studies with topics of current interest.
Regular Doubts clearing session and personal guidance for the ethics paper throughout your preparation
Daily Class assignment and discussion
Comprehensive & updated ethics material

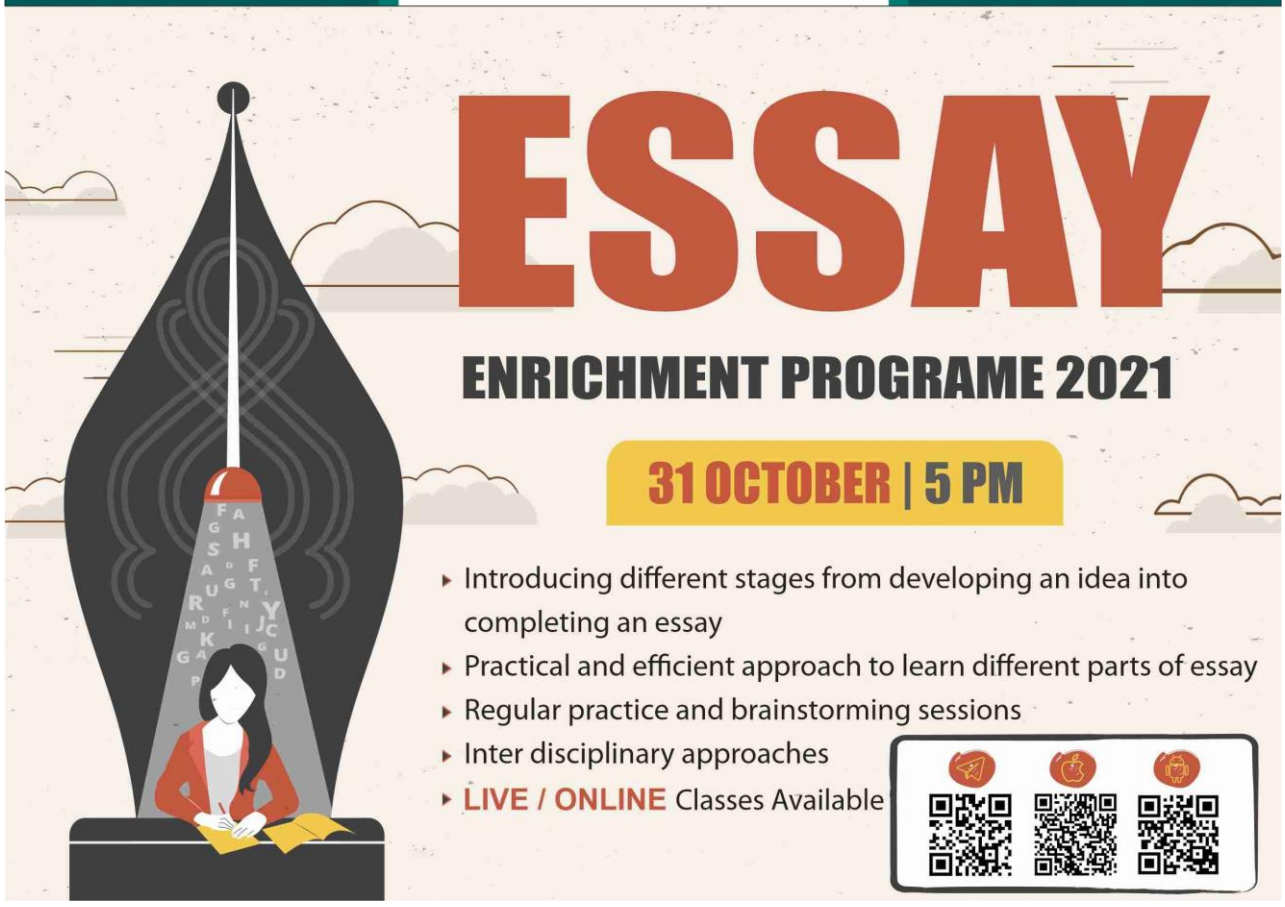
ESSAY
ENRICHMENT PROGRAME 2021
31 OCTOBER | 5 PM
Introducing different stages from developing an idea into completing an essay
Practical and efficient approach to learn different parts of essay
Regular practice and brainstorming sessions
Inter disciplinary approaches
LIVE / ONLINE Classes Available

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. भारत की वैक्सीन कूटनीति (India's Vaccine Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत ने कोरोना वायरस के विरुद्ध अपनी जनसंख्या का टीकाकरण आरंभ करने के कुछ दिन पश्चात् ही, अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों और प्रमुख साझेदार देशों को लाखों खुराक (कोविड-19 वैक्सीन/टीका) भेजना प्रारंभ कर दिया है।

वैक्सीन कूटनीति क्या है और यह वर्तमान वैश्विक संदर्भ में क्यों महत्वपूर्ण है?

वैक्सीन (कोविड-19 टीका) कूटनीति को वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति की एक शाखा के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। यह वैक्सीन आपूर्ति अथवा उपयोग के साथ-साथ वितरण सहायता और संबंधित अनुसंधान जैसी आनुषंगिक सेवाओं की प्रदायगी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, एड्स के प्रकोप के उपरांत से भारत, अफ्रीकी क्षेत्र में **रिवर्स ट्रांसक्रिपटेस पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR)** का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है। इसे भारत की वैक्सीन कूटनीति के उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

वर्तमान संदर्भ में, जब विश्व कोविड-19 के रूप में स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, तो निम्नलिखित कारणों से वैक्सीन कूटनीति ने **और अधिक व्यापक भूमिका ग्रहण कर ली है:**

- **वैक्सीन राष्ट्रवाद के उदय का प्रतिकार करना:** वैक्सीनों के विकास के साथ, प्राय: यह दृष्टिगोचर हुआ था कि कुछ समृद्ध देशों ने वैक्सीनों का न केवल एकाधिकारात्मक क्रय करना बल्कि कभी-कभी जमाखोरी करना भी आरम्भ कर दिया था। इसे वैक्सीन राष्ट्रवाद कहा जाता है। इसमें विश्व की सामूहिक आवश्यकताओं की उपेक्षा करके केवल राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूर्ण करने की अदूरदर्शी मनोवृत्ति अपनाई जाती है। उदाहरण के लिए, धनी देशों में विश्व की केवल 16 प्रतिशत आबादी निवास करती है, परन्तु उन्होंने विश्व भर में खरीदे गए वैक्सीन का 60 प्रतिशत अपने लिए आरक्षित कर लिया है।
  - इस संदर्भ में, उपर्युक्त संकीर्ण हितों का अनुकरण नहीं करना और इसके विपरीत **वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीयता या वैक्सीन कूटनीति का उदाहरण प्रस्तुत करना** महत्वपूर्ण है, जिसमें वैक्सीन की आपूर्ति को राष्ट्रीय दायित्व की बजाय भू-राजनीतिक अवसर के रूप में देखा जाता है।
- **सामूहिक वैश्विक प्रतिक्रिया के विचार को सुदृढ़ करना:** महामारी की शुरुआत से ही, यह स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल सभी देशों की ओर से एक साथ सामूहिक कार्रवाई से ही वायरस को समाप्त किया जा सकता है। उन निर्धारणों के अनुसार, वैक्सीन कूटनीति यह सुनिश्चित करती है कि वैक्सीन की आपूर्ति अल्प समय में ही सभी क्षेत्रों में पहुंच जाए, जिससे तीव्र और समय पर वैश्विक अनुक्रिया सुनिश्चित हो सके।

वैक्सीन कूटनीति भारत की विदेश नीति में कैसे सहायता कर सकती है?

- **पड़ोसी क्षेत्रों में सद्भावना उत्पन्न करना:** पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करने की अपनी पहल के अनुरूप, कोविशिल्ड वैक्सीन और कोवाक्सिन की पहली खेप अपने निकटतम पड़ोसी देशों अर्थात्- **बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, म्यांमार एवं नेपाल तथा मॉरीशस व सेशल्स** जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मुख्य भागीदारों को निर्यात की गई थी।
  - वैक्सीन कूटनीति पड़ोसी देशों के साथ बिगड़ते संबंधों को एक नई शुरुआत देने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, विगत कुछ महीनों के दौरान भारत के साथ वाद-विवाद में संलग्न नेपाल ने भारत द्वारा वैक्सीन की आपूर्ति किए जाने के प्रति आभार व्यक्त किया है।
  - साथ ही, इस प्रकार की गतिविधियां बांग्लादेश जैसे लघु राज्यक्षेत्र वाले पड़ोसी देशों के मध्य भारत की "बड़े भाई" (बिग ब्रदर) या "दबंग" जैसी धारणा के निराकरण में भी सहायता करेगी।
- **अन्य विकासशील देशों के साथ वैक्सीन समझौते:** भारत **लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों** को वैक्सीन वितरित करने का प्रयोजन रखता है। कई प्राप्तकर्ता देशों ने **गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट** आधार पर भारत के साथ वैक्सीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे विकासशील देशों में **"वैक्सीन में असमानता"** को कम करके, क्षेत्र में भारत की सॉफ्ट पॉवर को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।
  - भारत ने मित्र देशों को वैक्सीन वितरण के लिए उनकी शीतलन श्रृंखला और भंडारण क्षमता में सुधार करने में सहायता करने की भी पेशकश की है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **भारत की वैक्सीन मैत्री (वैक्सीन मित्रता)** को विश्व भर में सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इस संकट के दौरान भारत ने जो नेतृत्व प्रदर्शित किया है, वह इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अन्य देशों के साथ अपनी वैक्सीन आपूर्ति को साझा करने की भारत की यह नीति, वैक्सीन राष्ट्रवाद के विचार के बिल्कुल विपरीत है।
- **वैक्सीन कूटनीति में भारत को तुलनात्मक लाभ:** ऐसे अनेक लाभ हैं, जो भारत को वैक्सीन कूटनीति के लिए चीन सहित अन्य देशों की तुलना में अधिक उपयुक्त उम्मीदवार बनाते हैं।
  - भारत **विश्व में वैक्सीन के सबसे बड़े विनिर्माताओं में से एक है।** यह डी.पी.टी., बी.सी.जी. और खसरे से प्रतिरक्षा हेतु वैक्सीन की वैश्विक आवश्यकताओं में से लगभग 60 प्रतिशत की आपूर्ति करता है।
  - भारतीय वैक्सीन ने **अल्प दुष्प्रभाव** दर्शाए हैं और ये सस्ती भी हैं तथा इनका भंडारण एवं परिवहन करना भी सरल होता है।
  - पहले से ही आपूर्ति की जा रही हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्वीन (जिसे पहले कोविड-19 का उपचार करने में सहायक माना गया था) और पेरासिटामोल (एक पीड़ा निवारक) जैसी दवाओं तथा जेनेरिक दवाओं की **आपूर्ति का विस्तार किया जा रहा है।**
- **समग्र चिकित्सा कूटनीति और औषध क्षेत्रक में योगदान करना:** भारत की कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक मांग बढ़ती जा रही है। इसकी वाणिज्यिक आपूर्ति भारतीय औषध व्यवसाय को वर्तमान समय में तथा भविष्य में अधिक समय तक लाभ पहुंचाएगी।

वैक्सीन कूटनीति के विचार को अमल में लाने में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- **घरेलू आवश्यकताओं के साथ वैक्सीन कूटनीति का संतुलन स्थापित करना:** भारत को अपनी जनसंख्या को सुरक्षित रखने के लिए एक अरब से अधिक खुराक की आवश्यकता होगी। भारत में आपूर्ति बाधित नहीं होने को सुनिश्चित करने तथा साथ ही 'वैक्सीन समझौतों' पर की गई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने के मार्ग में विनिर्माण के साथ-साथ लॉजिस्टिक संबंधी चुनौतियाँ उपस्थित होंगी।
- **चीन से प्रतिस्पर्धा:** यद्यपि अपने विकसित चिकित्सा उद्योग के कारण चीन की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है, परन्तु चीन इस महामारी से लगभग निपट चुका है। इस कारण यह वैक्सीन कूटनीति को सुदृढ़ करने के लिए अपने अधिक से अधिक कूटनीतिक संसाधनों का नियोजन करने में समर्थ हो जाएगा ओर इस प्रकार यह इस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को चुनौती देगा।

आगे की राह

भारत की क्षमता और वर्तमान संदर्भ, इसे **मानवता की सेवा करने** और साथ ही **अपनी भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने** का दोहरा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, जहां तक संभव हो इस अवसर का लाभ उठाने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में संचार मार्गों को खोलना, सद्भावना का निर्माण करना आदि ऐसे लाभ हैं, जिन्हें भू-राजनीतिक साझेदारियों, आर्थिक समझौतों और द्विपक्षीय मुद्दों के समाधान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

6.2. भारत की प्रारूप आर्कटिक नीति (India's Draft Arctic Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सार्वजनिक सुझावों को प्राप्त करने के क्रम में सरकार ने प्रारूप आर्कटिक नीति दस्तावेज जारी किया है।

आर्कटिक क्षेत्र के बारे में

- यह 66° 34' उत्तरी अक्षांश में आर्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित क्षेत्र को संदर्भित करता है। जहां **उत्तरी ध्रुव तथा आर्कटिक महासागर इसके केंद्र में स्थित हैं।**
- इस महासागर का अधिकांश हिस्सा पांच आर्कटिक तटवर्ती देशों, यथा- **कनाडा, डेनमार्क (ग्रीनलैंड), नॉर्वे, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका (अलास्का)** के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है।

आर्कटिक क्षेत्र का महत्व

- **पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन:** आर्कटिक क्षेत्र सामान्यतः **पृथ्वी के वायुमंडलीय, समुद्र विज्ञानीय और जैव भू-रसायन चक्रों** को प्रभावित करता है। इससे आगे भविष्य में सम्पूर्ण विश्व प्रभावित हो सकता है।

- आर्कटिक क्षेत्र का अपना **पारिस्थितिकीय महत्व** भी है, क्योंकि यह लोगों तक आवश्यक सेवाएं और मूल्य प्रदान करने वाली विशाल जैव विविधता (21,000 से अधिक ज्ञात प्रजातियों) को आश्रय प्रदान करता है।
- आर्कटिक में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने से भारत सहित विश्व के अन्य हिस्सों में अनुक्रिया तंत्र में सुधार को बढ़ावा मिल सकता है।

- **आर्थिक महत्व:** आर्कटिक क्षेत्र के तेजी से हो रहे तापन और हिम के पिघलने से कच्चे माल की संभावनाओं की तलाश के क्रम में आर्कटिक क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों एवं विकास के लिए तीव्र गति से दोहन किया जा सकता है।
  - अनुमानों/शोध के अनुसार, आर्कटिक क्षेत्र में पृथ्वी पर मौजूद कुल तेल और प्राकृतिक गैस संसाधन का लगभग 22% हिस्सा मौजूद है। ज्ञातव्य है कि **भारत आर्कटिक के समृद्ध खनिजों और तेल एवं गैस भंडारों के दोहन का इच्छुक भी है।**
  - आर्कटिक विभिन्न क्षेत्रों में व्यवहार्य अवसर प्रदान करता है, जिनमें भारतीय उद्यम संलिप्त हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य का हिस्सा बन सकते हैं तथा पारंपरिक स्वदेशी ज्ञान, व्यवसायों और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।

आर्कटिक के लिए विभिन्न वैश्विक पहलें

- **आर्कटिक संदूषक कार्य योजना (Arctic Contaminants Action Programme: ACAP):** यह आर्कटिक क्षेत्र में प्रदूषण और पर्यावरणीय जोखिम की रोकथाम एवं न्यूनीकरण हेतु संचालित एक योजना है। ACAP की अध्यक्षता को आर्कटिक परिषद के सदस्यों के बीच प्रत्येक दो वर्ष पर चक्रीय आधार पर निर्धारित किया जाता है।
- **आर्कटिक आर्थिक परिषद:** यह आर्कटिक बिज़नेस टू बिज़नेस गतिविधियों और उत्तरदायी आर्थिक विकास की सुविधा प्रदान करने वाला एक स्वतंत्र संगठन है। यह आर्कटिक क्षेत्र में आर्थिक रूचि रखने वाले निगमों, भागीदारों और देशज समूहों के लिए खुला है।
- **आर्कटिक निगरानी और आकलन कार्यक्रम:** यह आर्कटिक परिषद के छह कार्य समूहों में से एक है। इसके एक अधिदेश का उद्देश्य प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के संबंध में आर्कटिक क्षेत्र की स्थिति की निगरानी और आकलन करना है।
- **आर्कटिक प्रवासी पक्षी पहल:** यह **आर्कटिक** क्षेत्र में प्रजनन करने वाली **प्रवासी पक्षियों** की घटती आबादी की स्थिति में सुधार लाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु विकसित की गई एक परियोजना है। यह चार उड़ान मार्गों यथा अमेरिका, अफ्रीकी-यूरेशियाई, परिध्रुवीय तथा पूर्वी एशियाई-ऑस्ट्रेलियाई में संधारणीय गतिविधियों के प्रबंधन में मदद करता है।
- **आर्कटिक समुद्री पर्यटन परियोजना:** संपूर्ण परिध्रुवीय आर्कटिक में संधारणीय पर्यटन का विश्लेषण करने और बढ़ावा देने के लिए आर्कटिक परिषद द्वारा किए गए पुनर्प्रयास का एक हिस्सा है।

- **नए समुद्री मार्ग:** आर्कटिक क्षेत्र स्थित हिम के पिघलने से समुद्री मार्ग के दीर्घावधि तक नौगम्य बने रहने में मदद मिलेगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पोत परिवहन में व्यापक परिवर्तन आ सकता है।
- **मत्स्यन संबंधी नए क्षेत्र:** सागरीय हिम में होने वाली कमी से खुले सागरीय क्षेत्रों में मत्स्यन से संबंधित नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं।
- **भू-राजनीतिक:** तीन महाद्वीपों, यथा- अमेरिका, यूरोप और एशिया के मध्य इसकी भौगोलिक स्थिति, व्यापार हेतु अल्प दूरियों पर स्थित गंतव्यों के साथ-साथ आवाजाही के लिए मार्ग भी प्रदान करती है।
  - वैश्विक तापन के परिणामस्वरूप आर्कटिक क्षेत्र के भीतर बढ़ते बाह्य प्रभाव और आर्थिक संभावना में वृद्धि के कारण, **क्षेत्रीय विवादों के बढ़ने** के साथ-साथ आर्कटिक क्षेत्र पर अधिकार संबंधी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल सकता है।
- **अनुसंधान और विकास:** आर्कटिक अनुसंधान भारत की घरेलू शोध गतिविधियों में सहयोग कर सकता है। इससे हिमालयी हिमनदों के पिघलने की दर का अध्ययन करने में भी सहायता प्राप्त होगी।

भारत और आर्कटिक – सहयोगात्मक संबंधों का इतिहास

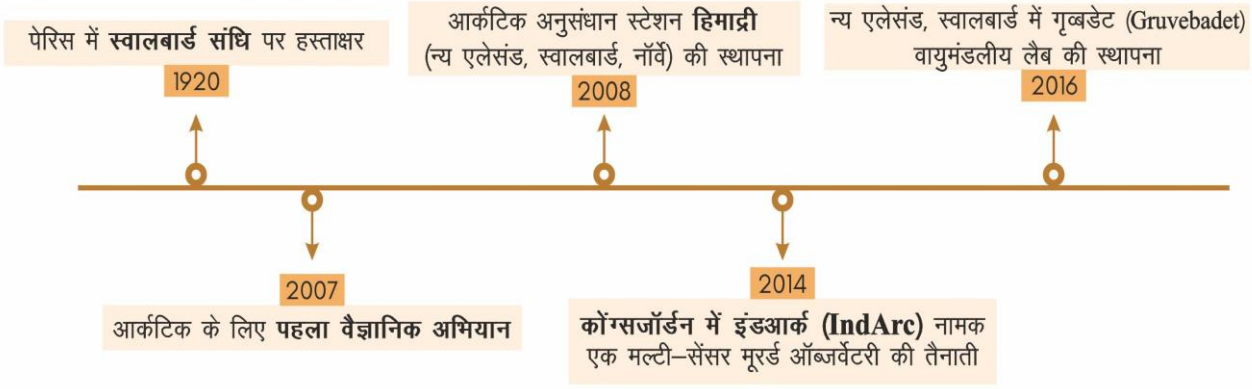

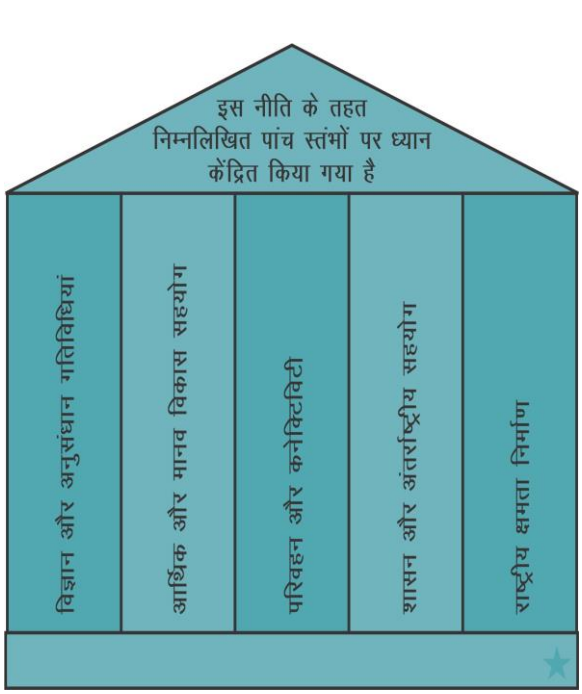

6.3. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy)** तथा **वैश्विक कल्याण/भलाई (global good) के लिए भारतीय कूटनीति के पांच स्तंभों** को सूचीबद्ध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों के सृजन हेतु रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करने वाले **इन 5 स्तंभों में शामिल हैं:**

- **बहुध्रुवीय फोकस (Multipolar focus):** भारत ने नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट तथा थिंक वेस्ट की नीतियां अपनाई हैं। साथ ही, इनके प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनर्जीवित भी किया है।
- **सरकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल गुणक के रूप में कूटनीति (Diplomacy as an international force multiplier for the Government):** भारतीय कूटनीति को अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू भागीदारों के साथ कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ भी संबद्ध करना चाहिए।
- **वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनना (Force for global good):** यह स्तंभ **वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना** को कार्रवाई में सम्मिलित करना सुनिश्चित करता है।
    - उदाहरण के लिए, **वैक्सीन डिप्लोमेसी** के माध्यम से वैश्विक स्तर पर वैक्सीन आपूर्ति सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास।
- **भविष्यवादी दृष्टिकोण या भविष्य की ओर देखना (Futuristic Outlook):** यह सामान्य समस्याओं के समाधान की खोज में सम्मिलित होने संबंधी देश के प्रयत्नों सहित पुनर्संतुलन के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिए, विकास संबंधी आवश्यकताओं के बावजूद, भारत ने जलवायु कार्रवाई के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
- **विचार में भारतीय (Indian in thought):** भारतीय कूटनीति **कौटिल्य के अर्थशास्त्र या महाभारत तथा श्रीमद्भगवद्गीता** जैसे प्राचीन ग्रंथों द्वारा सदियों से प्रभावित भारतीय चिंतन से उत्पन्न सहिष्णुता से निर्देशित होती रही है। यहां भारतीय कूटनीति के तीन पहलू उल्लेखनीय हैं:
    - मध्य मार्ग की परंपरा;
    - मानव-केंद्रित वैश्वीकरण; तथा
    - **रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता।**

गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता (Non-Alignment & Strategic Autonomy)

- सामान्य तौर पर दोनों भिन्न-भिन्न हैं- एक है गुट से निरपेक्ष अर्थात् किसी गुट से संबद्धता नहीं (Non-Alignment), तो दूसरा है बहुगुटवाद अर्थात् कई गुटों/समूहों से संबद्धता (Multi-Alignments)। जहाँ पहला द्विध्रुवीय विश्व के दौरान अधिक प्रासंगिक था, वहीं दूसरा बहुध्रुवीय विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक में जहां भारत ने दक्षिण के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है, वहीं दूसरे में भारत कुछ चुनिंदा शक्तियों (वैश्विक दक्षिण और वर्तमान प्रमुख शक्ति केंद्रों दोनों) में से एक नेतृत्वकर्ता है।
- संक्षेप में, दोनों इस अर्थ में समान हैं कि दोनों यह मानते हैं कि भारत अन्य शक्तियों के आदेश पर नहीं, बल्कि गुणावगुण के आधार पर मुद्दों और संबंधों पर निर्णय करेगा। इस प्रकार रणनीतिक स्वायत्तता वस्तुतः मुद्दों पर आधारित गठबंधनों से संबंधित है।

रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता (Strategic Autonomy & Self-reliance)

- अतीत के विपरीत, आत्मनिर्भरता वर्तमान समय में विश्व से पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसका आशय **वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के आर्थिक योगदान में वृद्धि करने से है।**
- आत्मनिर्भरता भारत को सशक्त बनाने और इसकी **पूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता की शीघ्र प्राप्ति से** संबंधित है।
- जब आत्मनिर्भरता को विदेश नीति के ढांचे पर लागू किया जाता है, तो यह **"रणनीतिक स्वायत्तता"** की परिभाषा के निकट आ जाती है।

रणनीतिक स्वायत्तता क्या है?

- रणनीतिक स्वायत्तता **किसी राज्य द्वारा** अन्य राज्यों से किसी भी रीति से बाधित हुए बिना **अपने राष्ट्रीय हितों को साधने तथा अपनी अधिमानित विदेश नीति को अपनाने की क्षमता** को दर्शाती है।
- **भारत और रणनीतिक स्वायत्तता:**
  - वैश्वीकरण के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, रणनीतिक रूप से स्वायत्त होने की क्षमता निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्षिक है।
  - इसके आधार पर भारत का रणनीतिक रूप से और भी कम स्वायत्त होना पूर्व निर्धारित है।
  - **सुरक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे:** भारत, निहित लागत के निरपेक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर अपनी नीति परिवर्तित करने या अपने हितों को कमजोर करने संबंधी बाह्य दबाव का विरोध करता है।
    - उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा तथा परमाणु हथियार जैसे प्रमुख राष्ट्रीय हित।
  - **सुरक्षा संबंधी गैर-प्रमुख मुद्दे:** भारत बाह्य दबाव के अंतर्गत गैर-प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर अपनी नीति में

रणनीतिक स्वायत्तता का विकास

प्रथम चरण (1947–62): आशावादी गुटनिरपेक्षता

- द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक द्विध्रुवीय विश्व में, **भारत का उद्देश्य अपनी संप्रभुता को कमजोर होने देने से बचाना, अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करना और अपनी अखंडता को सुदृढ़ करना था।**
- एक न्यायसम्मत विश्व व्यवस्था के अनुसरण में, भारत ने **गुटनिरपेक्ष आंदोलन** (NAM) (वर्ष 1961) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ज्ञातव्य है कि इसने **तृतीय विश्व की एकजुटता के चरम** को चिन्हित किया था।

दूसरा चरण (1962–71): यथार्थवाद और पुनर्प्राप्ति का दशक

- वर्ष 1962 के युद्धोपरांत, भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में गुटनिरपेक्षता से परे जाकर **सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों पर व्यावहारिक विकल्पों** का चुनाव किया।
- हालांकि, भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की ओर से कश्मीर मामले पर पर बाह्य दबाव (ताशकंद समझौता, 1965) का सामना करना पड़ा था।
- **ताशकंद समझौते** के बावजूद, कश्मीर में पाकिस्तान की आक्रामकता जारी थी (क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक सहयोगी था), **इसलिए भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर होने लगा था।**

तीसरा चरण (1971–91): वृहत्तर भारतीय क्षेत्रीय हित

- भारत ने वर्ष 1971 में भारत–पाकिस्तान युद्ध में **बांग्लादेश को मुक्त कराने** के दौरान अपनी हार्ड पावर का उल्लेखनीय उपयोग प्रदर्शित किया था।
- हालांकि, अमेरिका–चीन–पाकिस्तान धुरी और वर्ष 1974 में परमाणु परीक्षणों के कारण अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों के चलते यह एक जटिल चरण था। साथ ही, सोवियत संघ के उत्तरवर्ती विघटन ने एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की संभावनाओं के समक्ष गंभीर खतरे उत्पन्न कर दिए थे।

चौथा चरण (1991–98): रणनीतिक स्वायत्तता की रक्षा

- **एकध्रुवीय विश्व (संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में)** के उदय ने भारत को विश्व मामलों के प्रति अपना दृष्टिकोण परिवर्तित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- रणनीतिक स्वायत्तता की यह खोज विशेष रूप से अपने परमाणु हथियार विकल्प (पोखरण II 1998) को सुरक्षित रखने पर केंद्रित थी। साथ ही, भारत अमेरिका, इजरायल तथा आसियान (ASEAN) देशों को और अधिक गहनता से जोड़ने के लिए अग्रसरित हुआ।

पांचवां चरण (1998–2013): एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में भारत

- इस अवधि में, भारत ने क्रमिक रूप से एक संतुलनकारी शक्ति (चीन के उदय के विरुद्ध) के गुणों को अर्जित कर लिया था।
- यह भारत–अमेरिका परमाणु समझौते (123 समझौते) में परिलक्षित हुआ। साथ ही, भारत जलवायु परिवर्तन और व्यापार के मुद्दे पर चीन के साथ साझा हित सुनिश्चित करने तथा ब्रिक्स को एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में परिवर्तित करते हुए रूस के साथ संबंधों को और मजबूत करने में सफल रहा।

छठा चरण (2013 से अब तक): ऊर्जावान संलग्नता

- संक्रमणकालीन भू–राजनीति के इस चरण में, भारत की **गुटनिरपेक्षता की नीति बहु–गुटवाद में परिवर्तित हो गई है।**
- हिंद महासागर क्षेत्र (सागर (SAGAR) पहल और **विस्तारित पड़ोस (एक्ट ईस्ट पॉलिसी एवं थिंक वेस्ट पॉलिसी)** के प्रति अपने दृष्टिकोण के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया से परे स्वयं को स्थापित करने में सक्षम रहा है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

बदलाव कर सकता है या अपने हित को उदार बना सकता है, यदि अधिमान्य नीति अथवा हित से व्युत्पन्न लाभ संबद्ध लागतों से अनुपातिक रूप से उच्च हों।

- उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में **ईरान के विरुद्ध मतदान करने का भारत का निर्णय।**

रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता

- **भू-रणनीतिक संतुलन:** भारत ने सदैव विभिन्न समूहों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि इनमें वे समूह भी शामिल हैं, जो अन्य को शत्रु या प्रतिस्पर्धी मानते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और इज़रायल के साथ सुदृढ संबंधों की स्थापना के अनुसरण सहित भारत के ईरान के साथ भी समवर्ती राजनयिक संबंध हैं। ज्ञातव्य है कि ये सभी ईरान को एक बहिष्कृत राष्ट्र मानते हैं।
- **बहुगुटवाद (Multi-alignment) की आवश्यकता:** वर्तमान विश्व जटिल अन्योन्याश्रितता की विशेषता से युक्त है (जहां विभिन्न देश भू-रणनीतिक मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि भू-आर्थिक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं) और इसलिए भारतीय विदेश नीति को **रणनीतिक प्रतिरक्षा** की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए, रणनीतिक स्वायत्तता के कारण भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामरिक रक्षा संबंध बनाए रखे हैं। साथ ही, वह रूस के साथ S-400 के समझौते को भी आगे बढ़ाने का इच्छुक है।
- **नीति में अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता:** भारत को यह ज्ञात हो गया है कि देश के हितों के संरक्षण हेतु केवल सॉफ्ट पावर कूटनीति ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए, भारतीय विदेश **नीति में यथार्थवाद के साथ-साथ व्यावहारिकता की भी आवश्यकता है।**
  - उदाहरणार्थ, पाकिस्तान और चीन के प्रयोजनों (भारत-पाक युद्ध 1948 और चीन-भारत युद्ध 1962) के संबंध में भारत की प्रारंभिक भ्रांतिपूर्ण व्याख्या के कारण गिलगित-बाल्टिस्तान एवं कश्मीर का कुछ हिस्सा तथा अक्साई चिन क्षेत्र अब क्रमशः पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियां

- **शत्रुतापूर्ण पड़ोसी:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का अनुसरण करने के लिए आवश्यक है कि कोई अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा या शत्रुतापूर्ण पड़ोसी न हो।
  - भारत के मामले में, चीन-भारत के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान सीमा भी अत्यधिक लंबी, पर्वतीय तथा विवादित है। इसके अतिरिक्त, ये दोनों ही पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से युक्त राष्ट्र हैं।
- **पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता:** वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी, पूंजी, बाजार, कौशल, रक्षा उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग तथा वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु, महत्वपूर्ण या संवेदनशील तकनीक केवल रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने की कीमत पर ही प्राप्त होती है।
- **अमेरिकी अविश्वसनीयता:** भारत के साझेदार देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध अधिकांशतः रणनीतिक स्वायत्तता की नीति से समझौता करने का कारण बनते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** ईरान के साथ उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (North-South Transport Corridor: NSTC) अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों से संबंधित धमकियों के कारण अवरुद्ध है, जो अफगानिस्तान के प्रति भारतीय नीति को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। हाल ही में, हिंद महासागर में तथाकथित **"फ्रीडम ऑफ़ नेविगेशन (नौ-परिवहन की स्वतंत्रता)" ऑपरेशन (FONOP)** के दौरान अमेरिका द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अप्रत्याशित उल्लंघन भी एक अन्य उदाहरण है।
- **रूस-चीन-पाकिस्तान धुरी का उदय:** हाल के वर्षों में **रूस-चीन-पाकिस्तान (RCP)** रणनीतिक धुरी ने वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया है। इसके कारण भारत के लिए संतुलनकारी व्यवहार करना कठिन हो गया है।
  - उदाहरण के लिए, रूस ने पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में 14 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। इसमें **उत्तर-दक्षिण (तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान - पाकिस्तान - इंडिया: तापी/TAPI) पाइपलाइन परियोजना** के लिए 2.5 अरब डॉलर की सहायता राशि भी शामिल है।
- **दक्षिण-एशिया में चीन का प्रभुत्व:** वर्ष 1971 से एक अन्य परिवर्तन यह भी हुआ है कि चीन ने भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध (मुख्य रूप से आर्थिक स्तर पर) विकसित किए हैं।
  - इसलिए, भूटान के अतिरिक्त भारत के अन्य निकटतम पड़ोसी आमतौर पर भारत को शक्तिशाली मानते हैं तथा चीन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं।

VISION IAS

आगे की राह

- **स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का उपयोग एक स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हेतु भारत के रणनीतिक दायरे तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे नई दिल्ली को अपने हितों के संवर्धन तथा उनका संरक्षण करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करने के लिए अधिकतम लचीलापन और गतिशीलता प्राप्त होगी।
- **मुद्दे आधारित गुटवाद:** गुटनिरपेक्ष आधारित अतीत से स्वयं को मुक्त करते हुए, भारत को **विचारधारा** के स्थान पर **"मुद्दों पर आधारित गुटवाद"** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे **"निर्णायक स्वायत्तता"** बनी रहे।
- **चीन के विकास को संतुलित करना:** चीन के प्रति रणनीतिक स्वायत्तता का तर्क, भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुदृढ़ सुरक्षा साझेदारी करने के लिए प्रेरित करता है।
  - आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में साझा हित रखने वाले देशों (जो पूर्ण रूप से चीन से बंधे हुए नहीं हैं) के व्यापक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न स्वरूपों का अन्वेषण कर रहा है।
- **रक्षा स्वदेशीकरण:** भारत अपनी रक्षा आवश्यकता के लिए कई विदेशी प्रतिभागियों (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि) पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय हित के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इतना ही नहीं रक्षा स्वदेशीकरण, विशेषतः चीन को प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

निष्कर्षतः भू-राजनीतिक परिवर्तन के इस चरण में भारत को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करने के दृष्टिकोण का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसलिए **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास** विदेश नीति में भी प्रासंगिक है। कुछ अर्थों में, भारत में गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता की ओर समकालीन संक्रमण केवल एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में वास्तविकता को अपनाने का एक प्रयास है। **आत्मनिर्भर भारत** की तर्ज पर, भारत को अपने हितों को सुरक्षित रखने और अपनी वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए।

6.4. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति (Soft Power Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी **ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2021** में भारत 36वें स्थान पर है।

सॉफ्ट पॉवर

- सॉफ्ट पॉवर **दबाव या भुगतान की बजाय आकर्षण के माध्यम से परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है।** किसी देश की सॉफ्ट पॉवर संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के उसके संसाधनों पर टिकी होती है।
- **नब्बे के दशक में जोसेफ नाये द्वारा** विदेश नीति के एक साधन के रूप में सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी।

सॉफ्ट पावर क्षमता का लाभ उठाने में विद्यमान चुनौतियां

- भारत की अधिकांश सॉफ्ट पावर, और इसका उपयोग करने की क्षमता, सरकार द्वारा नियंत्रित है, जो सॉफ्ट पावर की पूरी क्षमता के उपयोग को सीमित करती है।
- भारत में सॉफ्ट पावर का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक **उपयुक्त संस्थागत तंत्र का अभाव** है।
- **राजनीतिक लाभ प्राप्त करने का विवेकहीन प्रयास** और इसके परिणामस्वरूप नागरिकों के सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में किया गया हस्तक्षेप, घरेलू सामाजिक सद्भाव और देश की सॉफ्ट पावर की नींव को प्रभावित करता है।

अपनी सॉफ्ट पावर का लाभ उठाने के लिए भारत द्वारा की गई पहल

- वर्ष 2006 में विदेश मंत्रालय के अंतर्गत एक **सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग** की स्थापना की गई थी।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **पर्यटन मंत्रालय** ने विदेशों में अपनी सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिसंपत्तियों का प्रदर्शन करने के लिए **"अतुल्य भारत"** अभियान का प्रारंभ किया है।
- **लुक ईस्ट पॉलिसी (अब एक्ट ईस्ट), कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी और अफ्रीका में रणनीतिक सहायता एवं व्यापार साझेदारी** विकसित करने जैसी विदेश नीति संबंधी व्यापक पहलों को आरंभ किया गया है।
- विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा भारत की सॉफ्ट पावर आउटरीच की प्रभावशीलता का मापन करने के लिए एक **"सॉफ्ट पावर मैट्रिक्स"** विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि विदेश मंत्रालय ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के बजटीय आवंटन में वृद्धि की अनुशंसा की है, जो भारत की सॉफ्ट पॉवर के प्रसार हेतु उत्तरदायी नोडल निकाय है।

6.4.1. सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के साधन के रूप में धर्म (Religion as a tool of Soft Power Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की सरकार के प्रमुखों की परिषद की आभासी बैठक के दौरान भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा SCO देशों की साझा बौद्ध विरासत पर एक आभासी प्रदर्शनी आरंभ की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी **राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली द्वारा आयोजित की गई थी।**
- यह प्रदर्शनी आगंतुकों को एक एकल मंच पर और उनके अपने घर से एक आरामदायक परिवेश में **SCO देशों के बौद्ध कला पुरावशेषों का अवलोकन करने, उनका मूल्यांकन करने और उनकी तुलना करने** का अवसर प्रदान करती है।

बौद्ध धर्म और भारत

भारत इस तथ्य के बावजूद कि यहां अत्यल्प बौद्ध आबादी निवास करती है निम्नलिखित कारकों के कारण **बौद्ध कूटनीति को बढ़ावा देने में वैधता का दावा करता है:**

- बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई थी, इसलिए इसे विलक्षण ऐतिहासिक वैधता प्राप्त है।
- भारत में बौद्ध धर्म के कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे- बोधगया, सारनाथ, नालंदा आदि।
- भारत ने धर्मशाला में निर्वासन में रहने वाले दलाई लामा और तिब्बती संसद की उपस्थिति के माध्यम से उत्पीड़ित के रक्षक होने की छवि को प्रस्तुत किया है।
- थेरवाद बौद्ध धर्म से ऐतिहासिक संपर्कों का अर्थ है कि भारत अन्य बौद्ध देशों के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने और इस धर्म की कई धाराओं के मध्य वार्तालाप का सृजन करने की उत्तम स्थिति में है।
- अन्य बौद्ध देशों के साथ इन संबंधों का सफलतापूर्वक लाभ उठाने का सांस्कृतिक कूटनीति के क्षेत्र से परे प्रभाव पड़ सकता है और विदेश नीति के अन्य क्षेत्रों में भी सहायता मिल सकती है।

भारत की सॉफ्ट पावर कूटनीति में धर्म का महत्व

- **भारत की धार्मिक विविधता इसकी सबसे बड़ी शक्ति है:** विश्व के सभी प्रमुख धर्मों की स्थली के रूप में भारत एक भाग्यशाली देश है। यहाँ विश्व के चार प्रमुख धर्म विकसित हुए हैं: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। वहीं चार प्रमुख धर्म बाहर से आएं हैं: पारसी धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम।
  - साथ ही, किसी भी अन्य धर्म-आधारित देशों के विपरीत, भारत में विभिन्न संप्रदायों और धर्मों के लोग शांति से रहते हैं।
  - यह संपूर्ण विश्व के धार्मिक विचारों वाले लोगों के लिए भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **नीति-निर्माण में धर्म की भूमिका**: भारत की 'पूर्व की ओर देखो' नीति (अब एक्ट ईस्ट नीति) का निर्माण बौद्ध धर्म के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर किया जा रहा है।
  - भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की सदस्यता की मांग इस आधार पर की है कि उसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है।
  - अपनी जन्मभूमि में यातना के समय यहूदियों के लिए भारत के एक सुरक्षित शरणस्थली होने की प्रतिष्ठा भारत-इज़रायल संबंधों को मजबूत करने की नींव प्रदान करती है।
- **धार्मिक कूटनीति भारत की परंपरा का अभिन्न अंग रही है:** "वसुधैव कुटुम्बकम" (पूरी दुनिया एक परिवार है) का सिद्धांत 'महा-उपनिषद' में अन्तर्निहित था। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका, मिस्र, मैसेडोनिया, तिब्बत आदि जैसे दूर-दराज के स्थानों

पर भेजा। स्वामी विवेकानंद द्वारा वर्ष 1893 में शिकागो धर्म संसद के संबोधन ने भारत को और विशेष रूप से इसकी संस्कृति और परंपराओं को अति आवश्यक पहचान और सम्मान प्रदान किया।

- **धर्म, भारतीय उपमहाद्वीप को एक सूत्र में जोड़ने वाला बंधन है:** भारत के विभिन्न धर्म इसे इसके सभी पड़ोसी देशों से जोड़ने में मदद करते हैं। इस प्रकार, विभिन्न धर्म दक्षिण एशिया को अपनी विशिष्ट पहचान प्रदान करते हैं।

धार्मिक सॉफ्ट पॉवर कूटनीति में स्वयं को अग्रणी देश के रूप में प्रस्तुत करने में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं?

- **चीन एक प्रतियोगी के रूप में उभर रहा है:** कूटनीति के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की क्षमता को मान्यता देते हुए, चीन ने महाद्वीप के लिए इसे अपनी सॉफ्ट पॉवर रणनीति का एक महत्वपूर्ण भाग बना लिया है। चीन अपने ऐतिहासिक संबंधों और इस तथ्य के आधार पर धर्म को बढ़ावा देता है कि संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक बौद्ध आबादी चीन में निवास करती है।
    - चीन अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) परियोजना के माध्यम से बड़ी मात्रा में बौद्ध आबादी वाले देशों को लुभाने के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से भी अपनी विदेश नीति पर कार्य कर रहा है। उदाहरणार्थ- नेपाल में 3 बिलियन डॉलर की लुम्बिनी परियोजना।

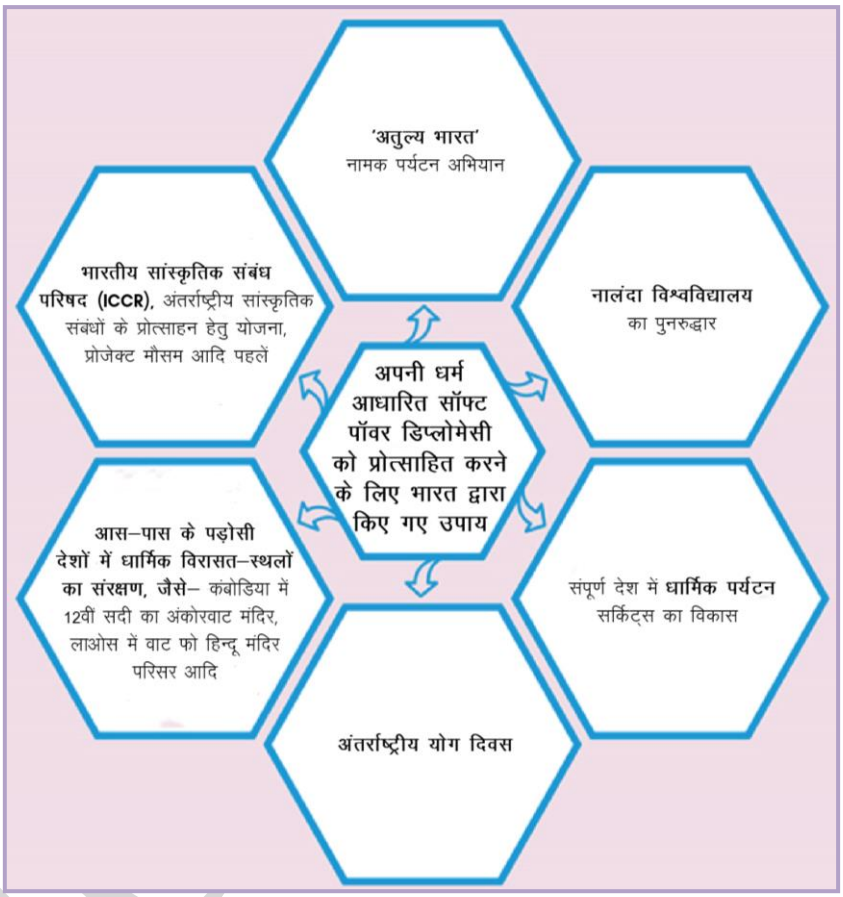

- **भारत की संस्कृति का प्रचार-प्रसार करने के प्रयासों में संरचनात्मक त्रुटियां:** लगभग 35 देशों में अपने केंद्रों के साथ और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य वाले भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) का प्रदर्शन अपेक्षा अनुकूल नहीं रहा है। भारत विदेशों में अपनी ब्रांड वैल्यू बनाने में विफल रहा है। इन केंद्रों का लक्ष्य अभी भी प्रवासी भारतीय (जैसे- कैरेबियन व दक्षिण अफ्रीका) हैं, जबकि ये अन्य देशों और क्षेत्रों के साथ रणनीतिक एवं बढ़ते संबंधों की उपेक्षा कर रहे हैं।
- **कठोर वीजा नियम:** दक्षिण एशिया में केवल नेपाल, भूटान और मालदीव के नागरिक ही भारत की वीजा मुक्त यात्रा के लिए पात्र हैं। यह अंतर-क्षेत्रीय पर्यटन प्रवाह को पुनर्जीवित करके भारत की विशाल सांस्कृतिक परिसंपत्ति और धार्मिक विरासत का लाभ उठाने में बाधा के रूप में कार्य करता है।

भारत को अपनी धार्मिक सॉफ्ट पॉवर कूटनीति को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए?

- **धार्मिक विविधता का लाभ उठाने के लिए लोक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है:** महात्मा गांधी द्वारा प्रचारित अहिंसक सत्याग्रह ब्रिटिश भारत सरकार की किसी भी सहायता के बिना विश्व भर में पहुंच गया था। इसी प्रकार, 1960 के दशक के हिप्पी आंदोलन के दौरान पश्चिमी देशों के युवाओं ने भारत सरकार की सक्रिय भूमिका के बिना योग, ध्यान, भारतीय शास्त्रीय संगीत और भारतीय अध्यात्म को स्वीकार किया था।
- **सॉफ्ट पॉवर का प्रसार तटस्थ होना चाहिए:** अपनी सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार-प्रसार करते समय हमारे हितों का कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए। इसका कारण यह है कि विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सॉफ्ट पॉवर का उपयोग करना इस संदर्भ में विरोधाभासी है और यह अनुत्पादक भी हो सकता है।
- **आर्थिक जीवंतता बनाए रखी जानी चाहिए और बढ़ायी जानी चाहिए,** क्योंकि सॉफ्ट पॉवर परिसंपत्तियां स्वत: नीतिगत लाभ में परिवर्तित नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए- हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के साथ मजबूत धार्मिक संबंध होने के बावजूद, चीन की बढ़ती शक्ति के कारण इन देशों के साथ भारत के संबंध नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। BRI के अंतर्गत चीन की विकास परियोजनाओं का मुकाबला करने में जीवंत अर्थव्यवस्था भारत की सहायता करेगी।

- **अन्य देशों के मूल्यों की सराहना करना:** किसी के साथ अधिक घनिष्ठ होने का एक तरीका दूसरों के मूल्यों की सराहना करना है। ICCR का उद्देश्य न केवल विदेशों में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है, बल्कि भारतीयों को अन्य संस्कृतियों के प्रति जागरूक भी करना है। परन्तु यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि किसी देश के मूल्यों की सराहना कृपालुता अथवा संरक्षण की भावना के संकेत के बिना की जाए।

निष्कर्ष

धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्ष मूल्य भारत को वैश्विक कूटनीति में विशेष रूप से चीन पर बढ़त प्रदान करते हैं। बौद्ध सॉफ्ट पॉवर कूटनीति के संदर्भ में चीन सांस्कृतिक क्रांति के दौरान तिब्बती बौद्धों के प्रति अपने व्यवहार और क्षेत्र अधिग्रहण के कारण संघर्ष कर रहा है। चीन ने उइगर मुस्लिमों के साथ जो व्यवहार किया है उससे चीन के लिए इस्लाम के अनुयायियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना कठिन होगा।

6.4.2. खेल कूटनीति (Sports Diplomacy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

खेल, पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय उद्देश्यों को मूर्त स्वरुप देने में जीवंत क्षेत्र और साधन के रूप विकसित हुआ है और खेल कूटनीति का प्रभाव वैश्विक होता है।

विदेश नीति के सॉफ्ट पॉवर उपकरण के रूप में खेल

- खेल एक **वैश्विक राजनीतिक और सांस्कृतिक संस्थान** है। यह भाषाई, सामाजिक-राजनीतिक, सांस्कृतिक और वैश्विक सीमाओं के भेदों से परे है और विभिन्न देशों को एक मंच पर संगठित होने का मौका देता है। यह लोगों के बीच एकता और अखंडता के आयाम पर ज़ोर देता है।
- खेल-कूटनीति, जन कूटनीति के व्यापक आयाम का एक हिस्सा है। इसमें खेल से जुड़े लोगों और खेल आयोजनों द्वारा **विदेशी जनता और संगठनों के बीच एक अनुकूल छवि बनाने, सूचित करने और सृजित करने के लिए प्रतिनिधिक और कूटनीतिक गतिविधियाँ शामिल** हैं, ताकि उनकी धारणाओं को इस तरह से आकार दिया जा सके जो (अधिक) सरकार की विदेश नीति के लक्ष्यों को सम्प्रेषित करने के लिए अनुकूल हो।
- खिलाड़ियों को अक्सर शांति और सामंजस्य के अग्र-दूत के रूप में देखा जाता है। इसलिए, खेल एक पारस्परिक साहचर्य की स्थापना करता है, जो बड़े राजनीतिक मुद्दों का निपटान करने में भी मदद करता है।

भारत और खेल कूटनीति

- आज़ादी से ही भारत खेल कूटनीति के पक्ष में रहा है और इसे अपनी विदेश नीति को दर्शाने और विभिन्न विवादों का निपटान करने के उपकरण के रूप में प्रयोग करता रहा है। क्रिकेट भारतीय खेलों की ताकत है और दक्षिण एशिया के राजनीतिक इतिहास में क्रिकेट कूटनीति का महत्वपूर्ण योगदान है।
  - **क्रिकेट** मैचों पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय करार हैं और इन देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता में क्रिकेट एक आवश्यक बिन्दु बन जाता है। यह इन दो देशों के बीच कूटनीति के एक आयाम के रूप में प्रस्तुत होता है।
  - वर्ष 2008 में **इंडियन प्रीमियर लीग (IPL)** बनने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी बढ़ोतरी हुई है क्योंकि यह भारत की 'सॉफ्ट पॉवर' का प्रतिनिधित्व करने वाला मुख्य स्रोत साबित हुआ है।
- LTTE संघर्ष के दौरान **भारतीयों ने श्रीलंका में क्रिकेट का बहिष्कार किया** था।
- भारत ने दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति (Apartheid Policy) के विरोध में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ़ हो रहे **डेविस कप (टेनिस) के फ़िनाले का भी बहिष्कार किया।**

- जन कूटनीति के लिए खेल का प्रयोग प्राचीन यूनानी राज्यों (सिटी-स्टेट्स) और ओलंपिया की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में उनकी भागीदारी से शुरू होता है। आधुनिक समय में, भले ही खेल कूटनीति का उद्देश्य वही है, किन्तु इसे व्यवहार में लाने के तरीके बदल चुके हैं। आज यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देश की स्थिति को प्रदर्शित करने का एक माध्यम बन चुका है।

खेल कूटनीति की कमियां और आलोचनाएं

खेल कूटनीति पर दुनिया भर में कई गंभीर निहितार्थों वाले आरोप लगाए जा रहे हैं:

- **राजनीतिक अवसरवाद:** राजनीतिक दल अपने समर्थकों को लुभाने के लिए युद्धरत देशों में कई खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगाते हैं। खेल आयोजनों पर अनुचित प्रतिबंध के द्वारा कुशल खिलाड़ियों की भागीदारी को हतोत्साहित कर दर्शकों के साथ विश्वासघात किया जाता है और टूर्नामेंट का अवमूल्यन किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप के कारण अमेरिका ने 1980 में मास्को ओलंपिक खेलों का बहिष्कार किया।

- **विश्वास निर्माण की कमी:** मीडिया और जनता की चकाचौंध में आयोजित राजनयिक बैठकें "सुदृढ़ कूटनीति" के लिए अभिशाप है। "सुदृढ़ कूटनीति" के तहत विश्वास पैदा करने और संबंध निर्माण के लिए गोपनीयता की आवश्यकता होती है।
- **खेल केवल अस्थायी रूप से ही समाज में विभाजन को रोकने में सफल हो सकता है।**

खेल कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC)

IOC दो चरम प्रतिकूल व्यवहार का प्रदर्शन करता है। एक ओर इसकी दुनिया भर में सराहना होती है तो दूसरी ओर इसे संदेहास्पद नजरिये से भी देखा जाता है IOC की एक **अलोकतांत्रिक, अनिर्वाचित निकाय है और निम्नलिखित वजहों से इसकी अक्सर आलोचना की जाती है:**

- **उन देशों को भी मान्यता देना जिन्हें अभी तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली है।** उदाहरण के लिए- पूर्वी जर्मनी और कोसोवो को मान्यता देना।
- **एक संप्रभु देश को खेल के नाम पर यह सलाह देना कि उसे क्या करना है,** उदाहरण के लिए- जब कोई देश ओलंपिक आयोजन की मेजबानी करना चाहता है, तो उसे IOC द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों का अनुपालन करना होता है जिसमें श्रम और कराधान नियम को समायोजित करने के लिए कानूनी बुनियादी ढांचे को बदलना शामिल है।

हालाँकि, ओलंपिक खेलों का उद्देश्य एक शांतिपूर्ण और बेहतर दुनिया बनाने के दर्शन का प्रसार करना है। तदनुसार, **IOC भी सामाजिक कारणों के लिए अपने पक्ष की वकालत करने के लिए समय-समय पर खड़ा हुआ है:**

- अतीत में, जो राष्ट्र युद्ध जैसी स्थिति में थे या मानवाधिकारों का उल्लंघन करते थे, उन्हें खेलों से बहिष्कृत कर दिया गया था।
  - उदाहरण के लिए, 1948 में, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, युद्धबंदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के कारण **जर्मनी और जापान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। रूस को 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था** क्योंकि उसे राज्य प्रायोजित डोपिंग का दोषी पाया गया था।

निष्कर्ष

दुनिया भर की सरकारों को यह स्वीकार करना चाहिए कि यदि खेलों का आयोजन खेल भावना के साथ किया जाता है, तो यह टकराव और दूरियों को कम करने में एक महान सहायक साधन बन सकता है।

6.5. भारत और परमाणु निरस्त्रीकरण (India and Nuclear Disarmament)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर **भारत द्वारा प्रायोजित दो संकल्प (resolutions)** अंगीकृत किए हैं। ये संकल्प हैं- **'परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय'** (Convention on the Prohibition of the use of Nuclear Weapons) और **'परमाणु खतरों को कम करना'** (Reducing Nuclear Danger)। ये संकल्प परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं।

इन संकल्पों (resolutions) के विषय में अधिक जानकारी

- **'परमाणु हथियारों के प्रयोग के संबंध में निषेध पर अभिसमय'** संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत द्वारा वर्ष 1982 में प्रस्तावित किया गया था। इस संकल्प में जिनेवा में हुए निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन से किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग करने या उपयोग करने की धमकी देने का निषेध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्ताएं प्रारम्भ करने का अनुरोध किया गया है।
- **'परमाणु खतरों को कम करना' (Reducing Nuclear Danger)** से संबंधित संकल्प को वर्ष 1998 में प्रस्तावित किया गया था। इसमें परमाणु हथियारों के अनभिप्रेत या आकस्मिक उपयोग के जोखिमों पर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित किया गया है। साथ ही, यह परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यह परमाणु हथियारों की डी-अलर्टिंग और डी-टार्गेटिंग के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदमों की मांग करता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण (Nuclear Disarmament) के बारे में

- **परमाणु निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों को कम करने या समाप्त करने का कार्य है।** यह परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व (Nuclear-Weapons-Free World: NWFW) की अंतिम स्थिति भी हो सकती है। इसमें परमाणु हथियार पूर्णतया समाप्त हो जाएंगे।
- पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण की ओर अग्रसर करने वाली प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए **डिन्यूक्लियराइजेशन (परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करना)** शब्द का प्रयोग किया जाता है।
- वर्ष 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने के बाद से, परमाणु हथियारों के विनाशकारी प्रभावों ने विश्व को हथियार नियंत्रण और निरस्त्रीकरण उपायों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है ताकि परमाणु हथियारों के उपयोग के खतरे को कम किया जा सके।
- संयुक्त राष्ट्र ने **वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए प्रथम संकल्प में** परमाणु हथियारों को समाप्त करने की मांग की थी।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- इस संकल्प को अपनाए जाने के बाद परमाणु ऊर्जा इत्यादि की खोज से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए एक आयोग की स्थापना की गयी थी। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया था कि आयोग **"राष्ट्रीय आयुध में से परमाणु हथियारों व सामूहिक विनाश के अन्य प्रमुख हथियारों के उन्मूलन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा"।**

वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण में भारत की भूमिका

- भारत **बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण और अप्रसार प्रयासों का सदैव प्रबल समर्थक रहा है।**

वर्ष 1965 में, भारत अठारह राष्ट्र निरस्त्रीकरण समिति (ण्छक्) में शामिल देशों में से एक था

- इसने **निरस्त्रीकरण और अप्रसार को पृथक कर वार्ता** का पक्ष समर्थन किया।

भारत ने परमाणु हथियार अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया

- भारत इस संधि को **भेदभावपूर्ण** मानता है और इसका कहना है कि यह संधि विश्व को **"परमाणु क्षमता संपन्न समूह" (nuclear haves) तथा "परमाणु क्षमता से वंचित समूह" (nuclear have & nots)** में विभाजित करती है।

भारत ने वर्ष 1988 में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक विशेष सत्र के समक्ष राजीव गांधी कार्य योजना के नाम से एक प्रस्ताव पेश किया

- **यह "पूर्ण और सार्वभौमिक परमाणु निरस्त्रीकरण" पर एक व्यापक प्रस्ताव था।**

भारत ने व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं

- भारत का मानना है कि यह संधि परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर परमाणु हथियारों को समाप्त करने संबंधी प्रतिबद्धता को सम्मिलित करने में विफल सिद्ध हुई है।
- भारत ने **मई 1998** से ही स्वैच्छिक **परमाणु परीक्षण स्थगन** का पालन किया है।

सार्वभौमिक, पूर्ण और गैर-भेदभावपूर्ण निरस्त्रीकरण की प्राप्ति में एक प्रेरक बल के रूप भारत

वर्ष 2003 में भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत जारी किया

- भारत ने **वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण** के द्वारा **परमाणु हथियार मुक्त विश्व** के लक्ष्य हेतु अपनी निरंतर प्रतिबद्धता पर बल दिया है।

भारत ने हाल ही में परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) के प्रवर्तन का भी विरोध किया है

- भारत का मानना है कि **यह निरस्त्रीकरण हेतु व्यापक साधन नहीं है,** क्योंकि यह परमाणु शस्त्रीकरण के सत्यापन की उपेक्षा करती है।

भारत, विखण्डनीय पदार्थ कटौती संधि (Fissile Material Cut&Off Treaty: FMCT) का समर्थन कर रहा है, जिस पर निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (CD) में चर्चा की जा रही है

- **FMCT एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।** यह परमाणु हथियारों के दो मुख्य घटकों, यथा- अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम (Highly & Enriched Uranium: HEU) और प्लूटोनियम के उत्पादन को प्रतिबंधित करेगा।

भारत का परमाणु सिद्धांत

- एक **विश्वसनीय न्यूनतम निवारक** की स्थापना और उसे बनाए रखना।
- **"नो फर्स्ट यूज" (पहले उपयोग नहीं) की नीति** का पालन करना। भारत पर परमाणु हमले के विरुद्ध **जवाबी कार्रवाई में ही परमाणु हथियारों का उपयोग** किया जाएगा।
- गैर-परमाणु शस्त्र संपन्न देशों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग न करना।
- वैश्विक, सत्यापन योग्य और गैर-भेदभावपूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियार मुक्त विश्व स्थापित करने का प्रयास करना।
- पहले आक्रमण के विरुद्ध जवाबी परमाणु कार्रवाई बड़े पैमाने पर होगी और वह अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने के लिए की जाएगी।

निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन (Conference on Disarmament: CD)

- इसका गठन **वर्ष 1979** में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के निरस्त्रीकरण के प्रति समर्पित प्रथम विशेष सत्र (वर्ष 1978) के दौरान सदस्य देशों के मध्य सहमति होने पर, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण वार्ता मंच के रूप में किया गया था।
- **वर्ष 1996 में CTBT की वार्ता के समापन के उपरांत से, निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन पर गतिरोध बना हुआ है।** यह सम्मेलन अपनाए जाने वाले कार्यक्रम पर सर्वसम्मति प्राप्त करने और इस प्रकार से विधिवत प्रस्तावित मूल विचार-विमर्शों पर पहुँचने में सक्षम नहीं हुआ है।

- **परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के दृष्टिकोण के समक्ष चुनौतियां**
  - **परमाणु हथियारों का निरंतर जारी आधुनिकीकरण:** सभी परमाणु राष्ट्र या तो नव हथियार प्रणालियों को विकसित कर रहे हैं या तैनात कर रहे हैं या उन्होंने ऐसा करने के लिए अपने आशय की घोषणा की है।
  - उदाहरण के लिए- संयुक्त राज्य अमेरिका एक **लघु परमाणु हथियार (Miniaturised nuke)** विकसित कर रहा है। यह हथियार की शक्ति को संकुचित करना और उसका सामरिक अनुप्रयोग करना संभव करेगा। चीन और रूस **हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स** विकसित कर रहे हैं।
  - **चीन की विस्तारवादी परमाणु नीति:** एक संभावित पोस्ट-आई.एन.एफ. तंत्र पर बहुपक्षीय चर्चा में शामिल होने से चीन ने मना कर दिया है और चीन एवं रूस के साथ पश्चिम के संबंध भी बिगड़ने लगे हैं। इसके साथ-साथ भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच संबंधों में अक्सर तनाव बना रहता है। इसका मतलब यह है परमाणु आधुनिकीकरण और इसके विस्तार की गति जारी रहेगी।
  - **हिंद-प्रशांत क्षेत्र में परमाणु सक्रियता:** हिंद-प्रशांत क्षेत्र के वैश्विक शक्ति केंद्र के रूप में उभरने के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति को बनाए रखना कठिन है। विशेषतः तब जब क्वाड इस क्षेत्र में चीनी विस्तारवाद का सामना करने के लिए लामबंद/एकजुट हो रहा है।
- **प्रमुख परमाणु शक्तियों के मध्य आम सहमति का अभाव:**
  - संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 1987 के **इंटरमीडिएट-रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज़ (INF)** संधि से स्वयं को पृथक कर लिया है। साथ ही, रूस ने भी औपचारिक रूप से इसके अंतर्गत अपने दायित्वों को निलंबित कर दिया है।
  - रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य **सामरिक आक्रामक शस्त्र कटौती और परिसीमन संधि (न्यू स्टार्ट) {Further Reduction and Limitation of Strategic Offensive Arms (New START)}** को फरवरी 2021 से आगे ले जाने पर अनिश्चितता विद्यमान है।
  - **वर्ष 2019 के दौरान उत्तर कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका** के मध्य डिन्यूक्लेराइजेशन पर जारी चर्चाओं में अवरोध उत्पन्न हो गया था। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019 के अंत तक **ईरान परमाणु समझौता (वर्ष 2015 की संयुक्त व्यापक कार्य योजना) भी काफी सीमा तक गैर-कार्यात्मक हो गया था।**
- **भारत के प्रति वैश्विक धारणा:** परमाणु हथियारों से लैस देश के रूप में भारत विश्वसनीय न्यूनतम परमाणु निवारण (Credible Minimum Deterrence: CMD) के सिद्धांत को मानता है जो 'पहले प्रयोग न करना' के दृष्टिकोण पर आधारित है। परन्तु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समय-समय पर भारत की इस विचारधारा में विसंगतियां देखता है। साथ ही, परमाणु निरस्त्रीकरण को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने की इसकी क्षमता में भी असंगति को इंगित किया गया है (भले ही यह सक्रिय रूप से अपनी परमाणु क्षमता नहीं बढ़ा रहा है)।
- **भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा दुविधा:** भारत की रक्षा नीतियों में क्षेत्रीय घटनाक्रमों (जैसे कि पाकिस्तान द्वारा सामरिक परमाणु हथियारों का विकास किया जाना और चीन के साथ इसके निकट संबंध) के कारण उभरने वाले विचार, हालांकि परमाणु हथियार मुक्त विश्व (NWFW) के लिए भारत के प्रयास को हानि पहुँचाने वाले हैं, परन्तु क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती।

परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को पुनः शुरू करने के लिए क्या किया जा सकता है?

परमाणु हथियारों को समाप्त करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

- **प्रमुख परमाणु शक्तियों द्वारा भूमिका:** परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र, परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए विशेष जिम्मेदारी वहन करते हैं। उन्हें अपरिवर्तनीयता के सिद्धांत पर अपने-अपने परमाणु शस्त्रागार में व्यापक कमी करना जारी रखना चाहिए।
- **परमाणु भायादोहन की नीति का त्याग (Renunciation of Nuclear deterrence policy):** परमाणु-हथियार वाले सभी देशों को "परमाणु हथियारों के पहले उपयोग" की परमाणु भयादोहन नीति का त्याग करना चाहिए और इसे प्रभावी बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय विधिक तंत्र स्थापित करना चाहिए।
  - इसके अलावा, गैर-परमाणु-हथियार वाले देशों या परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं होना चाहिए। साथ ही, एक प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय विधिक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

- **परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों का निर्माण:** परमाणु-हथियार वाले सभी देशों को 'परमाणु-हथियार-मुक्त क्षेत्रों की स्थापना के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। इन क्षेत्रों की ऐसी स्थिति का सम्मान किया जाना चाहिए और उन देशों के द्वारा प्रासंगिक दायित्वों की पूर्ति की जानी चाहिए।
- **परमाणु निरस्त्रीकरण:** उपर्युक्त प्रयासों के आधार पर, परमाणु हथियारों के पूर्ण निषेध पर एक अभिसमय (कन्वेंशन) में समझौते पर वार्ता की जा सकती है।

परमाणु निरस्त्रीकरण, शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार के लिए प्रमुख संधियाँ

- **आंशिक परीक्षण निषेध संधि (Partial Test Ban Treaty: PTBT), 1963:** यह वायुमंडल में, बाह्य अंतरिक्ष में, जल के भीतर या किसी राष्ट्र के राज्यक्षेत्र में किसी भी ऐसे भूखंड में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध आरोपित करता है, जिसके कारण राष्ट्र के राज्यक्षेत्र के बाहर रेडियोधर्मिता का प्रभाव पड़ता हो।
- **परमाणु हथियार अप्रसार संधि (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons: NPT), 1970:** यह परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य हेतु बहुपक्षीय संधि के रूप में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता है।
  - इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और इसकी तकनीक के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग हेतु सहयोग को बढ़ावा देना तथा परमाणु निरस्त्रीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना है।
- **व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty: CTBT):** यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जो सभी परिवेश में सभी प्रकार के परमाणु विस्फोटों पर रोक लगाती है। इसे वर्ष 1996 में हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया गया था, परन्तु यह अभी तक लागू नहीं हुई है।
- **परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW):** यह परमाणु हथियारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है। यह उनके संपूर्ण उन्मूलन को लक्षित करती है।
  - इसमें किसी भी परमाणु हथियार गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंधों का व्यापक समुच्च सम्मिलित है। इन प्रतिबंधों में परमाणु हथियारों को विकसित करना, परीक्षण करना, उत्पादन करना, अधिग्रहण करना, अधिकार में रखना, भंडारण करना, उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना जैसे क्रियाकलापों पर प्रतिबंध सम्मिलित हैं।
- अन्य अनुबंध / समूह जो कि विखण्डनीय पदार्थों, परमाणु हथियारों और उनके प्रमोचक यानों के प्रसार को रोकने का प्रयास करते हैं उनमें शामिल हैं: **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, बैलिस्टिक मिसाइल प्रसार के विरुद्ध हेग आचार संहिता** और **वासेनार व्यवस्था।**

निष्कर्ष

अप्रसार और वैश्विक निरस्त्रीकरण चर्चाओं को अधिकाधिक संवाद की दिशा में अग्रसर करने के लिए स्थायी महत्व के परिवर्तन की आवश्यकता है। परमाणु शक्तियों की ओर से ठोस अनुक्रियाओं की कमी ने गतिरोध की स्थिति उत्पन्न कर दी है। यह स्थिति **भारत को परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण वार्ता की यथार्थता को स्पष्ट करने का अवसर** प्रदान करती है। ज्ञातव्य है कि यह अवसर क्षेत्रीय और वैश्विक परमाणु संदर्भ में जिम्मेदार हितधारक के रूप में भारत की विश्वसनीयता को भी मजबूत कर सकता है।

6.5.1. परमाणु हथियार निषेध संधि (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जनवरी 2021 से **संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार निषेध संधि** (Treaty on Prohibition of Nuclear Weapons: TPNW) लागू हो गई है।

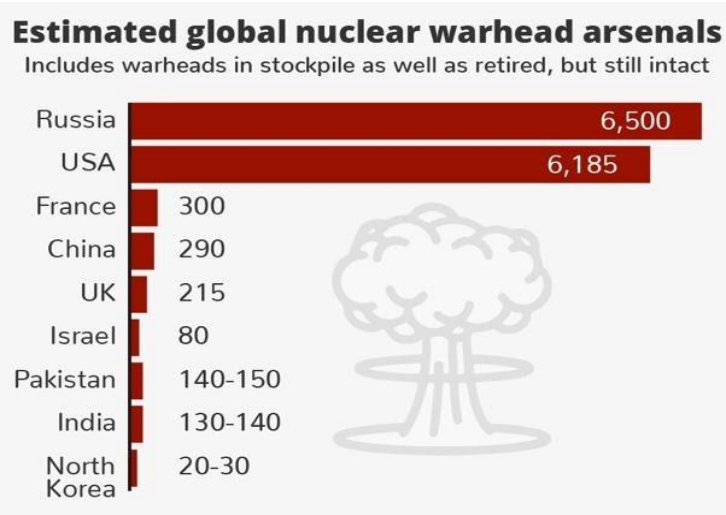

अन्य संबंधित तथ्य

- **"परमाणु हथियारों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान"** (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons: ICAN) अर्थात् आई कैन के प्रयासों के कारण इसे वर्ष 2017 में आधिकारिक रूप से अपनाया गया था।
  - ICAN वस्तुतः गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) का एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है, जो लगभग 100 देशों में संयुक्त राष्ट्र हथियार निषेध संधि के कार्यान्वयन हेतु प्रयासरत है।
  - वर्तमान में, अब तक **संधि पर 86 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर** किए जा चुके हैं। इनमें से 50 ने इसकी अभिपुष्टि कर दी है।

- हालांकि अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, **भारत,** पाकिस्तान, उत्तर कोरिया एवं इज़रायल (परमाणु हथियार संपन्न देश) तथा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organization: NATO) द्वारा अब तक **इस पर सहमति प्रदान नहीं** की गई है।
  - भारत का मानना है कि यह संधि न तो प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के निर्माण या उसके विकास में योगदान देती है, और न ही यह कोई नए मानक या मानदंड निर्धारित करती है।
  - भारत वस्तुतः निशस्त्रीकरण सम्मेलन को उच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए एक **व्यापक परमाणु हथियार अभिसमय (Comprehensive Nuclear Weapons Convention)** पर वार्ता प्रारंभ करने का समर्थन करता है। यह विश्व का एकमात्र बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण समझौता मंच है, जो सर्वसम्मति के आधार पर कार्य करता है।

- **TPNW निम्नलिखित हेतु सदस्य राष्ट्रों को प्रतिबंधित करता है:**
  - नाभिकीय हथियारों या अन्य नाभिकीय विस्फोटक उपकरणों का **विकास, परीक्षण, उत्पादन, निर्माण, अन्य प्रकार से अधिग्रहण, अर्जन या भंडारण करना।**
  - **पक्षकार देश किसी भी देश को परमाणु हथियारों** या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों या ऐसे हथियारों अथवा विस्फोटक उपकरणों का प्रत्यक्षत: या परोक्ष रूप से नियंत्रण हस्तांतरित नहीं करेगा।
  - **परमाणु हथियारों या** परमाणु विस्फोटक उपकरणों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से **हस्तांतरण अथवा नियंत्रण स्वीकार करना।**
  - **परमाणु हथियारों** या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों का **उपयोग करना या उपयोग करने की धमकी देना।**
  - इस संधि के तहत किसी भी पक्षकार देश को निषिद्ध घोषित गतिविधि में संलग्न होने हेतु **सहायता प्रदान करना या प्रोत्साहित या प्रेरित करना।**
  - पक्षकार देश अपने राज्यक्षेत्र में **परमाणु हथियारों** या अन्य परमाणु विस्फोटक उपकरणों को **अवस्थानित करने, स्थापित करने या तैनाती की अनुमति प्रदान नहीं करेगा।**

TPNW का महत्व

- **कानूनी अंतराल को कम करना:** TPNW कानूनी अंतराल को कम कर परमाणु अप्रसार संधि (Non Proliferation Treaty: NPT), 1968 के प्रावधानों को सुदृढ़ करती है। साथ ही, परमाणु हथियारों को समाप्त करने हेतु विश्व भर के देशों को एक रूपरेखा प्रदान करती है।
- **मनुष्यों पर पड़ने वाले प्रभाव:** नाभिकीय हथियारों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गंभीर मानवीय परिणाम तथा मानवता के समक्ष जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं।
- **पीड़ित की सहायता तथा उपचार:** संधि में उपबंधित निषेधों के अतिरिक्त, सदस्य देश पीड़ितों को सहायता प्रदान करने तथा नाभिकीय परीक्षण से दूषित हुए वातावरण को स्वच्छ करने की दिशा में पर्यावरणीय उपचार प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु बाध्य किए गए हैं।
- **परमाणु शक्ति संपन्न देशों के लिए संदेश:** यह संधि परमाणु हथियारों के विकास के विरुद्ध वैश्विक सहमति सृजित करती है। यह सहमति इस खतरनाक मान्यता को मिथ्या सिद्ध करने में सहायता कर सकती है कि परमाणु हथियार उनके धारक देशों को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही, स्थापित परमाणु शक्तियों को भी यह स्पष्ट संदेश देती है कि परमाणु हथियारों को रखने के उनके नैतिक अधिकार का लोप हो चुका है।
- **युवा पीढ़ी के लिए उत्प्रेरक:** विरोधी आंदोलनों के इस वैश्वीकरण के दौर में, TPNW वस्तुतः परमाणु हथियारों को अवैध घोषित करने में विश्व की युवा पीढ़ी को संगठित करने तथा परमाणु हथियारों के उत्पादन में सहायता करने वाली किसी भी गतिविधियों से उनको पृथक करने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकती है।

परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW) के समक्ष क्या-क्या चुनौतियां हैं?

- **गैर-प्रभावकारिता:** इस संधि की प्रभावकारिता संदिग्ध है, क्योंकि मौजूदा नौ परमाणु-हथियार संपन्न देशों {जिनमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (P5) के पांच स्थायी सदस्य भी सम्मिलित हैं} ने न तो इस संधि का समर्थन किया है तथा न ही इस पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **स्पष्टता का अभाव:** संधि में सम्मिलित नहीं होने के कुछ देशों के तर्कों का आधार अधिकांशतः तकनीकी रहा है। उदाहरणार्थ- इस संबंध में स्पष्टता का अभाव है कि संधि में किस प्रकार के परमाणु हथियारों को शामिल किया गया है तथा एक अन्य कमी यह भी है कि यह संधि परमाणु हथियारों के नियंत्रण व प्रसार को समाहित करने वाली वैश्विक संधियों से किस प्रकार समन्वय स्थापित करेगी।

निष्कर्ष

TPNW, परमाणु-हथियार-मुक्त विश्व के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त, परमाणु हथियारों को लेकर और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए विश्व ने अन्य अत्यंत जोखिमपूर्ण हथियारों जैसे कि लैंडमाइन, समूहबद्ध युद्ध सामग्रियों तथा जैविक व रासायनिक हथियारों आदि को प्रतिबंधित करने पर सहमति व्यक्त की है।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

TPNW, परमाणु अप्रसार संधि से कैसे भिन्न है?

- TPNW, सभी सदस्यों के लिए परमाणु हथियारों के प्रयोग को पूर्ण रूप से निषिद्ध करती है, चाहे वे नाभिकीय हथियार संपन्न ही क्यों न हों, जबकि NPT में गैर-परमाणु हथियार वाले देश परमाणु हथियारों के विकास संबंधी विकल्पों का परित्याग कर सकते हैं।
- TPNW के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग को प्रतिबंधित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जबकि NPT इन हथियारों के हस्तांतरण, निर्माण तथा अधिग्रहण पर ही अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है।
- TPNW वस्तुतः परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए प्रभावी उपायों पर वार्ता को आगे बढ़ाने हेतु NPT के परमाणु निरस्त्रीकरण तथा अप्रसार उद्देश्यों का समर्थन करती है।

6.5.2. भारत का असैन्य परमाणु सहयोग (India's Civil Nuclear Co-operations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन को एक दशक के लिए बढ़ा दिया है।

इसके अलावा, रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के सहयोग से भारत में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (KNPP) की यूनिट-5 का निर्माण-कार्य शुरू किया है।

भारत की परमाणु ऊर्जा संरचना

भारत का 3-चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है जो एक बंद नाभिकीय ईंधन चक्र पर आधारित है:

- **चरण- I**: प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाले दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWRs)।
- **चरण- II:** प्लूटोनियम आधारित ईंधन का उपयोग करने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBRs)।
- **चरण- III**: थोरियम के उपयोग के लिए उन्नत परमाणु ऊर्जा प्रणालियां।

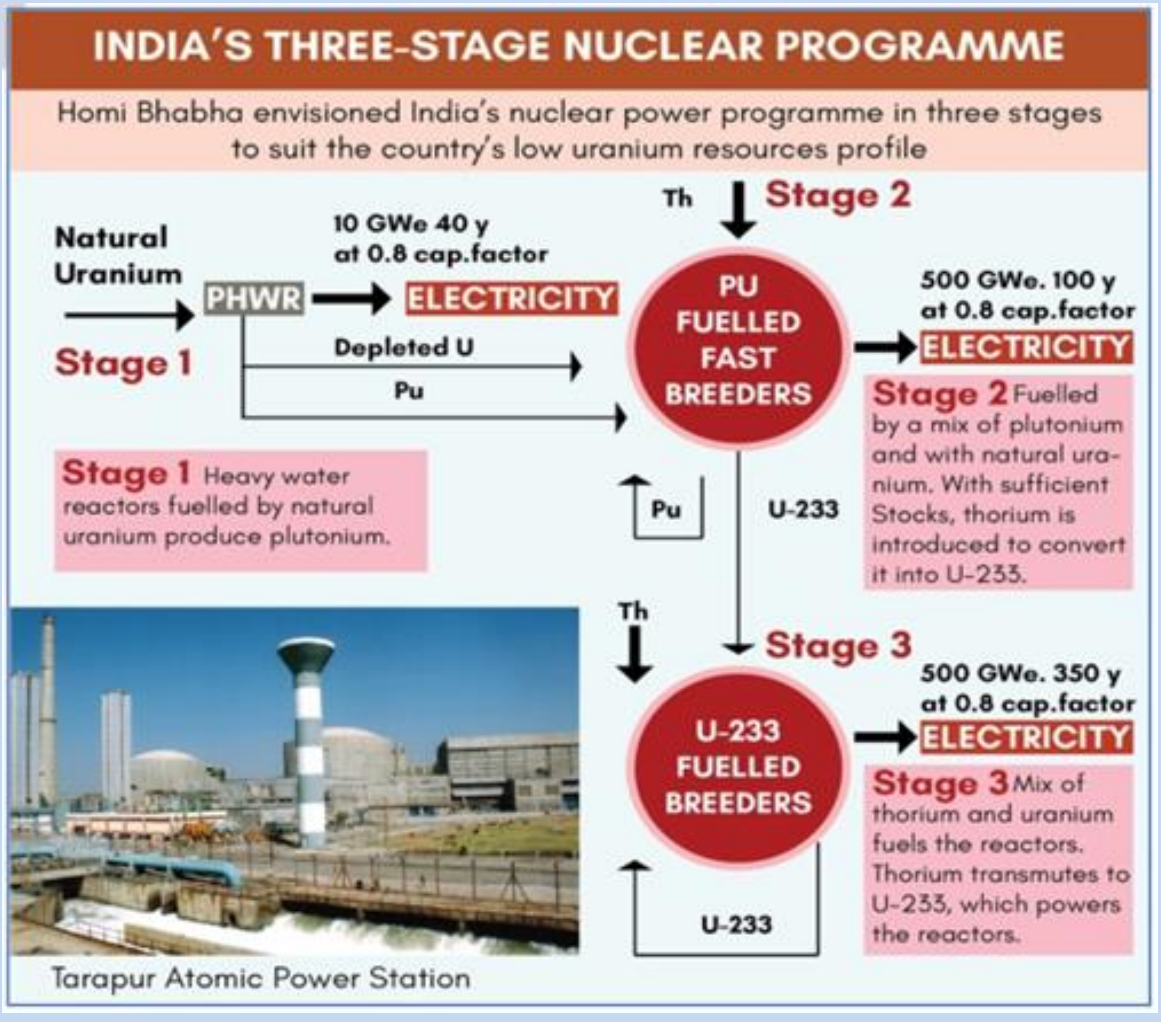

N
OPERATIONAL NUCLEAR POWER PLANTS IN INDIA
Narora Atomic Power Station
NEW DELHI
RAJASTHAN
UTTAR PRADESH
Rajasthan Atomic Power Station
GUJARAT
Kakrapar Atomic Power Station
MAHARASHTRA
Tarapur Atomic Power Station
KARNATAKA
Kaiga Generating Station
Madras Atomic Power Station
TAMIL NADU
Nuclear Power Plants
Kudankulam Nuclear Power Plant
Map not to Scale

भारत के असैन्य परमाणु सहयोग की पृष्ठभूमि

- परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए पारस्परिक रूप से लाभप्रद **आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग** विकसित करने का लक्ष्य।
- भारत के **परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के हस्ताक्षरकर्ता और परमाणु आपूर्ति समूह (NSG) का सदस्य न होने के बावजूद** 14 देशों के साथ असैन्य परमाणु समझौते।

प्रमुख असैन्य परमाणु ऊर्जा सहयोग कार्यक्रम

- **अमेरिका–भारत असैन्य परमाणु समझौता (123 समझौता)**
- **भारत–फ्रांस:** 2008, (प्रथम राष्ट्र)
- **भारत–रूस:** 2008
- **भारत–जापान**

भारत के लिए इन समझौतों का महत्व

- इसकी बढ़ती ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण और स्वच्छ विकल्प।
- **ऊर्जा का सतत दोहन: दीर्घकालिक योजना और सहयोग** के लिए।
- **तकनीकी क्षमताओं का विकास करना:** थोरियम के भंडार का उपयोग करने के लिए।
- बदलती वैश्विक व्यवस्था में अपने **नेतृत्व की स्थिति को मजबूती प्रदान करना।**

भारत का असैन्य परमाणु सहयोग – एक नज़र में

चुनौतियां

- **NPT के एक गैर–हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की स्थिति:** पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में बाधा।
- **नागरिक दायित्व का मुद्दा:** भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को अपर्याप्त क्षतिपूर्ति, इससे परमाणु ऊर्जा को लेकर आशंका।
- **घरेलू मोर्चे पर विरोध:** संयंत्रों में जल का अधिक उपयोग, पर्यावरण क्षरण, भूमि अधिग्रहण आदि जैसे मुद्दे।
- **परमाणु और गैर–परमाणु सामग्री की सुरक्षा:** चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी परमाणु आपदाओं की आशंका।

आगे की राह

- **वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना:** वैश्विक तंत्र की स्थापना और सुधार हेतु सक्रिय भूमिका निभाना।
- **वैश्विक सरोकारों को संबोधित करना:** सार्वजनिक पहुंच के प्रयासों को साकार करना।
- असैन्य परमाणु भागीदारी नीतियों के साथ–साथ भारत को अपनी परमाणु सुरक्षा नीतियों की रूपरेखा निर्मित करनी चाहिए।
- **परमाणु दायित्व सुनिश्चित करना:** अंतर्राष्ट्रीय दायित्व ढांचे का अनुप्रयोग।
- **सुरक्षा सुनिश्चित करना:** घरेलू स्तर पर जनभागीदारी आदि।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, परमाणु ऊर्जा एजेंसियों आदि द्वारा आपातकालीन योजनाएं तैयार करना।

वीकली फोकस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार	चूंकि UNSC ने वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, इसलिए बहुपक्षवाद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ सुधार अपरिहार्य हो गए हैं। वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य/समीकरण के कारण भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए संघर्ष कर रहा है। हालांकि, भारत को महत्वपूर्ण वैश्विक समर्थन प्राप्त है, किंतु बहुपक्षीय स्तर पर अपने वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करना होगा।	
चीन के साथ भारत की आर्थिक सहभागिता	भारत-चीन संबंधों में सीमा विवाद से लेकर बहुपक्षीय स्तर पर असहमति तक सदैव एक प्रतिकूल परिदृश्य रहा है। साथ ही, भारत का चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार नकारात्मक व्यापार संतुलन दर्शाता रहा है। हालाँकि, भारत-चीन आर्थिक, व्यापार और प्रौद्योगिकी संबंधों के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं के आलोक में चीन विरोधी भावनाओं के विश्लेषण की आवश्यकता है। वैश्विक आर्थिक संबद्धता और "आत्मनिर्भर भारत" की नीति को अपनाने के बीच संतुलन को समझना महत्वपूर्ण है।	
वैश्वीकरण: समाप्ति या रूपांतरण का दौर?	यह सही है कि राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हालाँकि, वैश्वीकरण समाप्त नहीं हो रहा है बल्कि यह केवल रूपांतरित हो रहा है। प्रौद्योगिकी, भू-राजनीति, पर्यावरण और समाज में चल रहे प्रमुख बदलाव वैश्वीकरण के एक नए चरण को जन्म देने के लिए संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं। वैश्वीकरण 4.0 जिसका प्रक्षेपवक्र बड़े पैमाने पर इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी, कॉर्पोरेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभिशासन कितनी अच्छी तरह से इन परिवर्तनों के अनुकूल है। इस नए युग में वैश्वीकरण की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे अभिशासन ढांचे को मजबूत करने हेतु सभी हितधारकों द्वारा व्यापक भागीदारी और उच्च कल्पनाशीलता की आवश्यकता होगी। इसकी शुरुआत उनके बीच सतत और ठोस वार्ताओं के माध्यम से हो सकती है।	
कोविड-19 और वैश्विक-व्यवस्था	द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वर्तमान समय में विश्व अपने सबसे चुनौतीपूर्ण संकट का सामना कर रहा है। सभी पहलुओं के आधार पर, कोविड-19 नई वैश्विक व्यवस्था की दिशा में एक कदम होगा। हालाँकि, वर्तमान में, कोविड-19 वैश्विक व्यवस्था के आकार, स्वरूप या संरचना को समझना कठिन है, किंतु यह निश्चित रूप से महामारी के पैमाने और तीव्रता और इसे रोकने वाले राष्ट्रों की क्षमता पर निर्भर करेगा। महामारी के विरुद्ध हमारे सामूहिक संघर्ष के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए भी मजबूत बहुपक्षीय सहयोग महत्वपूर्ण बना रहेगा। यह इसलिए भी आवश्यक है ताकि महामारी के आर्थिक परिणाम समान रूप से वितरित हों, जिससे किसी एक देश को वैश्विक महामारी से उत्पन्न आर्थिक मंदी का अधिक सामना न करना पड़े।	

भारत और हिंद-प्रशांत	एक नए भौगोलिक स्थान के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र का उदय इक्कीसवीं सदी की नई सामरिक वास्तविकता को दर्शाता है। अत: हिंद-प्रशांत, भारत की विदेश नीति संबंधी गतिविधियों में एक नया प्रक्षेत्र/डोमेन है। यह दस्तावेज तेजी से विकसित हो रहे नए भू-सामरिक समीकरण की पृष्ठभूमि में भारत के विशिष्ट भूगोल, उसके हितों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित भूमिका से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करता है। यह भारत के रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने और उत्तरदायी वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी छवि को सुरक्षित रखने के लिए इस क्षेत्र में नए अवसरों पर चर्चा करता है।	
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी: भारत की वैश्विक भूमिका	राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने से लेकर लाभकारी आर्थिक समूहों को बढ़ावा देने तक, हाल के वर्षों में 'कनेक्टिविटी' एक चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि, कोई अन्य क्षेत्रीय शक्ति भारत की तरह अपने पड़ोस से संपर्क हीन नहीं है। भारत के लिए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के महत्व पर चर्चा करते हुए, यह दस्तावेज़ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए भारत के नए दृष्टिकोण के प्रमुख चालकों का विश्लेषण करता है। अब तक की गई प्रगति और चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को स्वयं को एक क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तुकार में रूपांतरित करने की आवश्यकता होगी।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

10 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2020

from various programs of **Vision Ias**

1 AIR

SHUBHAM KUMAR
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

2 AIR

JAGRATI AWASTHI
(ALL INDIA TEST SERIES)

3 AIR

ANKITA JAIN
(ALL INDIA TEST SERIES)

4 AIR

YASH JALUKA
(ABHYAAS TEST SERIES)

5 AIR

MAMTA YADAV
(ALL INDIA TEST SERIES)

6 AIR

MEERA K
(ALL INDIA TEST SERIES)

7 AIR

PRAVEEN KUMAR
(ALL INDIA TEST SERIES)
ESSAY TEST, ABHYAAS, PDP)

8 AIR

JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
(GS FOUNDATION BATCH CLASSROOM STUDENT)

9 AIR

APALA MISHRA
(ABHYAAS TEST SERIES)

10 AIR

SATYAM GANDHI
(ALL INDIA TEST SERIES, EASSY TEST)

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE: Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR 9001949244 | **HYDERABAD** 9000104133 | **PUNE** 8007500096 | **AHMEDABAD** 9909447040 | **LUCKNOW** 8468022022 | **CHANDIGARH** 8468022022 | **GUWAHATI** 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC